

लखनऊ मंडल में राष्ट्रीय आन्दोलन (१९२०-१९४७)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल०
उपाधि के लिये प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुत कर्त्री—
श्रीमती सन्ध्या सिंह

निर्देशक
प्रो० सी० पी० झा

मध्य कालीन एवम् आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

विषय सूची

		<u>पेज संख्या</u>
प्राक्कथन		1, 2
प्रथम अध्याय	भूमिका	1-15
द्वितीय अध्याय	किसान खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन § 1920-22§	16-58
तृतीय अध्याय	असहयोग आन्दोलन के बाद § स्वराज्य दल§ § 1923-29§	59-101
चतुर्थ अध्याय	सविनय अवज्ञा आन्दोलन § 1930-34§	102-126
पंचम अध्याय	1935 का संविधान एवं उसका क्रियान्वयन § 1935-41§	127-165
षष्ठम् अध्याय	भारत छोड़ो आन्दोलन § 1940-42§	166-183
सप्तम अध्याय	स्वतन्त्रता प्राप्ति की ओर § 1943-47§	184-213
अष्टम् अध्याय	निष्कर्ष	214-220

अनुक्रमणिका

1-6

पुस्तक सूची :-

हिन्दी पुस्तकें

अंग्रेजी पुस्तकें

समाचार पत्र :-

दैनिक समाचार पत्र

साप्ताहिक समाचार पत्र

प्रादेशिक पत्र

मासिक पत्र

प्राकल्पन

लखनऊ मंडल ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक देन के कारण अतीत काल से ही देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवाबों का शहर लखनऊ का अपना विशिष्ट महत्व है। 1857 में अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा ही गयी चुनौती के अन्तर्गत इस क्षेत्र को जनता ने विदेशी शासन का तीव्र प्रतिरोध किया। विद्रोह का असफलता के पश्चात् इस क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास मंद गति से हुआ। किंतु बीसवीं सदी के प्रारम्भ में देश में राष्ट्रीयता को जो नयी वेत्ना आई उसका इस क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा जिससे भाषिक्य में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों को खेद बल मिला। इस शोध कार्य का विषय लखनऊ मंडल में राष्ट्रीय आंदोलन 1920-1947 है। यह काल भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों की दृष्टि से अत्यंत महत्व पूर्ण है।

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर अनेक शोधग्रंथों की रचना की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और यहां स्वतंत्रता के लिये किये गये प्रयासों का भी बाहुल्य रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को क्षेत्रीय आधार पर लिखने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लखनऊ मंडल का महत्वपूर्ण योगदान तथा लखनऊ मंडल के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रामाणिक ग्रंथ के अभाव को देखते हुए मुझे इस विषय पर कार्य करने की अभिरूचि उत्पन्न हुई। इस दिशा में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रथम एक लघु प्रयास है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैंने लखनऊ मंडल में स्वतंत्रता आंदोलन से सम्बन्धित घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी देने की चेष्टा की है। 1920-47 के मध्य भारत की सबसे बड़ी और शक्तिशाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसके संगठन नेतृत्व सिद्धान्त और कार्यक्रम का आधार कोई विशेष प्रांत न था। प्रांतों का कार्यक्रम इसी व्यापक संस्था के कार्यकलापों का अंग था।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में सभी संभव साधनों का उपयोग किया गया है। राजकीय अभिलेखागार उ०प्र० लखनऊ, सचिवालय अभिलेखागार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, लखनऊ, कार्यालय उपमहानिरीक्षक लखनऊ, मंडल कार्यालय लखनऊ, क्षेत्रीय अभिलेखागार, इलाहाबाद; पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद, संग्रहालय, प्रयाग हिन्दो साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय, भारतो भवन पुस्तकालय इलाहाबाद आदि

से मैंने उपयुक्त सामाग्री रखी की है ।

प्रांतोय गुप्तचर विभाग ने अपने विभाग को गोपनीयता को बनाये रखने के लिये मुझे गुप्तचर विभाग की पत्रावलियों के नाम तथा उद्धरण संख्या का शोध प्रबंध में उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी है मैंने प्रांतोय गुप्तचर विभाग की अनुमति से पत्रावलियों के नाम तथा उद्धरण संख्या के स्थान पर "गुप्तचर विभाग" के अभिलेख का उल्लेख किया है ।

श्री चन्द्र प्रकाश झा, प्रोफेसर, मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैं विशेष रूप से आभारी हूँ । शोध कार्य में विलम्ब होने पर भी आपने कभी उपेक्षा नहीं दिखाई । प्रस्तुत शोध प्रबंध आपकी प्रेरणा और निर्देशन का वस्तुतः मूर्तरूप है ।

मैं अपने विभाग के मिश्रा जो एवं अन्य कर्मचारियों के प्रति भी आभारी रहूँगी जिनका सहयोग बराबर मिलता रहा । यही नहीं जहाँ जहाँ भी शोध कार्य के निमित्त मुझे जाना पड़ा सभी जगह अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण रहा, जिस्से शोध कार्य में बहुत सहायता मिली ।

मैं अपने पति अमरनाथ सिंह व परिवार वालों के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने हरसंभव मुझे सहयोग दिया तथा अपनी मकान मालिकिनी भाम्नी जी [निर्मला सिंह] के प्रति आभारी हूँ । जिन्होंने शोध कार्य के दौरान बीमार अवस्था में मुझे अस्पताल तथा घर में संभाला व शोध कार्य के निमित्त बाहर जाने पर मेरे बच्चों की परवरिश की ।

अंत में मैं अपने पुत्र उत्कर्ष एवं पुत्री आकांक्षा की विशेष रूप से आभारी रहूँगी जिन्हें रोता विलखता छोड़कर मुझे शोध कार्य के लिये बाहर जाना पड़ता था जिस्से उन्हें मेरी ममता से वंचित होना पड़ता था तथा एक माँ का हृदय दुख व वेदना के अथाह सागर में डूब जाता था ।

संध्या सिंह
[संध्या सिंह]

दिनांक : 16/12/88

मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद ।

भूमिका

भारत के गौरवमय इतिहास में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है उसी तरह उत्तर प्रदेश के इतिहास में लखनऊ मंडल अपना विशिष्ट महत्व रखता है। गोमती के तट पर बसा तथा नवाबों का शहर होने के कारण लखनऊ विख्यात रहा है।

वर्तमान लखनऊ मंडल में लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खोरी तथा उन्नाव है।

1857 का विद्रोह :

"वास्तव में सन् 57-58 के स्वाधीनता युद्ध में पोरता और बलिदान को दृष्टि से लखनऊ का पद दिल्ली से कहीं ऊँचा रहा। दिल्ली के पतन के 6 महीने बाद तक अवध और लखनऊ में स्वाधीनता का झंडा फहराता रहा।"¹

"लखनऊ इस समय क्रांति का सबसे मुख्य केन्द्र था। 23 फरवरी सन् 1858 को कैम्पबेल 17000 पैदल करोब 5000 सवार और 134 तोपों सहित कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ा। अंग्रेज इतिहास लेखक लिखते हैं कि इतनी विशाल सेना अवध के मैदानों में कभी दिखाई न दी थी। इस सेना में अधिकतर अंग्रेज सिख और कुछ अन्य पंजाबी थे।"² इस सेना ने मार्ग में अनेक गाँव के गाँव बालू से उड़ा दिये।³

"लखनऊ शहर के अन्दर नवम्बर सन् 57 से मार्च 58 तक स्वाधीनता का युद्ध बराबर जारी था। अवध को अधिकांश प्रजा और वहाँ के प्रायः सब राजा जमींदार और ताल्लुकेदार सच्चे उत्साह के साथ इस युद्ध में शामिल थे। लार्ड कैनिंग ने सर जेम्स आउट्रम के नाम एक पत्र में लिखा है कि जो राजा और ताल्लुकेदार अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रहे थे उनमें अनेक ऐसे थे जिन्हें स्वयं अंग्रेजी राज से क्वाय हानि के लाभ हुआ था, फिर भी ये लोग अंग्रेजों राज के इस समय विरुद्ध शत्रु थे और नवाब फिरोज कदर और बेगम

1- भारत में अंग्रेजी राज, सुन्दर लाल पृ० 1544

2- वही पृ० 1566-67

3- रसेल को डायरी, पृ० 218

हजरत महल के लिये अपने सर्वस्व की आहुति देने को ज्यत थे ।”¹

“अनेक राजा और छोटे छोटे सरदार ऐसे थे जो सदा अंग्रेज सरकार के बंधनों से अपने आपको मुक्त करने के लिये चिंतित रहते थे । उन्हें स्वयं कोई विशेष हानि न पहुँची थी, किन्तु अंग्रेजो सरकार का अस्तित्व हो उन्हें सदा यह याद दिलाता रहा था कि हम एक पराजित कोम के आदमी है । xxx भारत को लाखों जनता के दिलों में विदेशी सरकार को ओर कोई सच्ची राज भक्ति न थी xxx विप्लव के दिनों में भारतवासियों के व्यवहार का ठोक ठोक अन्दाजा करने के लिये, यह याद रखना आवश्यक है कि इन लोगों का हमारी जैसी एक विदेशी सरकार को ओर उस प्रकार की राजभक्ति अनुभव करना, जो राजभक्ति कि केवल देशभक्ति के साथ साथ ही चल सकती है, मानव प्रकृति के प्रतिकूल होना । xxx उनमें एक भी मनुष्य ऐसा न था जिसे यदि एक बार यह विश्वास हो जाता कि अंग्रेजी राज जो उखाड़ कर फेंका जा सकता है, तो वह हमारे विरुद्ध न हो जाता ।”

“अवध के लोग अपने देश और अपने बादशाह के लिये देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर लड़ रहे थे ।”²

“लखनऊ के अन्दर क्रांति का सबसे योग्य नेता मौलवी अहमदशाह था ।”³

“किन्तु दुर्भाग्यवश लखनऊ के अन्दर भी छोटीछोटी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी । जिस प्रकार दिल्ली को सेना में बहुत खी के विरुद्ध उसी प्रकार लखनऊ को सेना में अहमदशाह के विरुद्ध कुछ लोग प्रतिस्पर्धा अनुभव करने लगे थे । अहमदशाह की आज्ञाओं का यथेष्ट न होता था ।”

“15 जनवरी सन् 1858 के संग्राम में मौलवी अहमदशाह के एक हाथ में गोली लगी । 17 जनवरी को क्रांतिकारियों का एक और मुख्य सेनापति विदेह हनुमान घायल होकर पकड़ा गया । इसी समय राजा बालकृष्ण सिंह को भी मृत्यु हो गयी 15 फरवरी को

1- सुन्दर लाल, भारत में अंग्रेजी राज, पृ० 1569

2- रसेल की डायरी पृ० 275

3- सुन्दर लाल, भारत में अंग्रेजी राज पृ० 1570

हाथ का घाव कुछ अच्छा होते हो अहमदशाह फिर मैदान में आया । कुछ समय बाद स्वयं बंगम हजरतमहल शस्त्र धारण कर घोड़े पर चढ़कर, युद्ध के मैदान में उतर आई, किन्तु आपसी प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था ने अब भी लखनऊ को क्रांतिकारी सेना का साथ न छोड़ा ।”

“जिस समय कैम्पबेल आलम बाग पहुँचा, उस समय तक लखनऊ का समस्त नगर क्रांतिकारियों के हाथों में था । शहर के बाहर आलम बाग में अंग्रेजी सेना थी और शहर के अन्दर क्रांतिकारियों की ओर तोस हजार हिन्दोस्तानी सिपाहो और पचास हजार सशस्त्र स्वयं सेवक जमा थे एक एक गली और एक एक बाजार में नाकेबन्दो और मोर्चेबन्दो हो रही थी । हर घर को दोवारों में बन्दूकों के लिये सुझाव बने हुए थे । हर मोर्चे के ऊपर तोपें नयी लगी हुई थी । महल के चारों तरफ तोपें थीं । नगर के उत्तर की ओर गोमती नदी थी । शेष तीनों ओर मजबूत किलेबन्दो थी ।”

“तीसरो बार लखनऊ में स्वत को नदियाँ बहों 6 मार्च से 15 मार्च तक खूब घमासान संग्राम जारी रहा । अंत में दिल्ली के समान ही लखनऊ का भी पतन हुआ । अंग्रेजी सेना ने एक दूसरे के बाद दिलकुशा बाग, कदम रसूल, शाहनजफ, बेगम कोठी इत्यादि मोर्चों पर कब्जा कर लिया । 10 मार्च को वह हज़सन जिसने दिल्ली के शहजादों का खून पिया था, लखनऊ के संग्राम में मारा गया । 14 मार्च को अंग्रेजी सेना ने लखनऊ के महल में प्रवेश किया । बेगम हजरत महल, पिरजीस कदर और मौलवो अहमदशाह तीनों शहर से निकल गये । लखनऊ के समस्त नगर पर अब कम्पनो का कब्जा हो गया ।”

“लखनऊ के पतन के बाद कम्पनो को सेना ने लखनऊ निवासियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया वह सार्वजनिक लूट और सार्वजनिक संहार इन दो शब्दों में ही ब्यान किया जा सकता है ।”¹

“लखनऊ के अन्दर उस समय के कत्लेआम में किसी तरह की तमीज नहीं की गई ।”² परतंत्रता के पाश बंधी मातृभूमि को मुक्त करने के लिये सारे भारत में लोगों ने आत्मा-हुति दो थी । लखनऊ हो नहीं लखीमपुर खोरी जो अंग्रेजों से मुक्ति के अभियान में पीछे नहीं रहा ।

1- सुन्दर साह, भारत में अंग्रेजो राज 1571-74

2- लेफ्टि.माजेण्टी, अब अमंग द पांडीज 195, 196

लखीमपुर खीरो में अंग्रेज सत्ता स्थापित होने के पश्चात् अधिकारियों ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त के उद्देश्य से मोहम्मदों को अपना प्रशासनिक केन्द्र बनाया। जिला-धोश जेम्स थामसन एवं उपजिलाधोश पैट्रिक ने दमन नीतियों से भोले भाले जनमानस को आतंकित करना चाहा, कि अपने सत्ता खोर स्वामिमानों राजाओं ने अंग्रेजों से भरपूर संघर्ष का बिगुल बजा दिया। जिला खीरो में स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति के इतिहास में मितौली के राजा श्री लोने सिंह एवं उनके भ्राता श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का नाम उल्लेखनीय है।

8 नवम्बर 1858 तक मितौली व धौरहरा के राजा स्वराज्य प्राप्त हेतु सोना ताने अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। उनके असहाय होते ही दमनकारी अंग्रेजों सत्ता जिला खीरो पर हावी हो गयो। पूरे 33 महोने तक स्वाधीनता की रक्षा के लिये संघर्ष हुआ।¹

1857 का विद्रोह असफल रहा² विद्रोह असफल होने के कई कारण थे। नवीर्निमित्त राजशक्ति ने प्राचीन राजशक्ति को शक्ति के बल पर कुचल दिया³ इस विद्रोह की असफलता का कारण पारस्परिक एकता तथा संगठन का अभाव और सामान्य वर्ग को युद्ध से अछूता रखना था।

राजनीतिक जागृति :

*यद्यपि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को सफलता पूर्वक दबा दिया था पर वे उस क्रांति की भावना को समाप्त नहीं कर सके, जो सारे भारत में शनैः शनैः पर अबाध गति से फैल रही थी। इस क्रांति की भावना से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म एवं विकास हुआ।⁴

1857 के असफल विद्रोह से अंग्रेजी शासन दो रूपों में प्रभावित हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन को समाप्त हुई और ब्रिटिश शासन यह विचार करने

1- नवभारत टाइम्स, 15 अगस्त 1988, पृष्ठ 2

2- हर प्रसाद चट्टोपाध्याय, दि सिपाय म्युटिनो, पृष्ठ 23

3- जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास की एक झलक, पृष्ठ 367

4- डी०सी० गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास, पृष्ठ 20

लगे कि भारत में अंग्रेजी शासन को बनाये रखने के लिये अंग्रेजों सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना आवश्यक है। अब यह फैला की जाने लगी कि भारतीय शरीर में इस प्रकार से ब्रिटिश मस्तिष्क बैठा दिया जाय जिससे वह कभी भी स्वतंत्र रीति से सोचने के योग्य हो न रह सके।¹ विद्रोह असफल होने के बाद से भारतीय जनता के एक वर्ग की यह धारणा बन चुकी थी कि ब्रिटिश सत्ता का सशस्त्र विरोध करना व्यर्थ है उन्हें हीनता का बोध हुआ। ऐसे वर्ग के लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करना प्रारम्भ किया। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रियता का बोलबाला था और राजनैतिक तथा आर्थिक समस्यायें सामने आ गयी थीं। भारत में भी अंग्रेजी इतिहास तथा साहित्य से प्रोत्साहित भारतीय तत्कालीन राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन की इच्छा करने लगे। आर्थिक दुर्दशा, सरकार को राष्ट्र विरोधी नीति एवं जातीय द्वेष आधुनिक भारतीय राष्ट्रियता के प्रमुख कारण बने। प्रेस तथा रेलों के विकास ने इसमें सहायता दी।² इसी समय सामाजिक सुधार के लिये भी प्रयत्न किये गये।³

1863 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने धर्म प्रचार व सुधार का कार्य प्रारम्भ किया जिससे भारतीयों में आत्म सम्मान तथा आत्म विश्वास की भावना का संचार हुआ।

26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसियेशन की स्थापना की गयी, इसके प्रमुख सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और मंत्री आनन्द मोहन वसु थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य देश को संगठित करके देश में एक प्रबल जनमत का निर्माण करना था। 1876 में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने उत्तर भारत की राजनैतिक यात्रा की जिसके दौरान वे वाराणसी भी गये।⁴ सुरेन्द्र नाथ बनर्जी की यात्रा से राष्ट्रिय विचारों को बल मिला।

इंग्लैण्ड के हित साधन के लिये स्वतंत्र व्यापार की नीति आयात निर्यात करों की व्यवस्था, उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने को फैलायें तथा भारतीय उद्योग

1- आचार्य नरेन्द्र देव, राष्ट्रियता और समाजवाद, पृष्ठ 82

2- गुरुमुख निहाल सिंह, भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रिय विकास पृष्ठ 211

3- डिस्ट्रिक्ट ग्नेटियर [वाराणसी] 1965, पृष्ठ 73

4- सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, उ नेशनल इन मैकिंग पृष्ठ 44-45

धंधों के समाप्त हो जाने से उत्पन्न हुई दरिद्रता इन सबने मिलकर भारत में आर्थिक असंतोष को गंभीर भावना उत्पन्न कर दी । शासक वर्ग के लोग भारतीयों के प्रति घृणा का जैसा भाव प्रकट करते थे । उसे कटुता की भावना तो प्रतर होती गयी । यूरोपियों ने इल्क्ट बिल का जैसा घोर विरोध किया, उसे देखकर भारतीयों को विश्वास हो गया कि समानता के व्यवहार की आशा करना व्यर्थ है । लार्ड लिटन के शासना काल की ब्रिटिशों ने, वर्नाक्यूलर प्रेस के दमन को चेकटाओं ने, समय समय पर पड़ने वाले दुर्भिक्षों ने सरकार के विरुद्ध कटु भावनाओं को अत्यधिक गंभीर रूप दे दिया ।¹ इसी उद्देश्य से ऐलन आक्टोविमन ब्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 सितम्बर 1885 को बम्बई के गोकुलदास, तैमपाल, संस्कृत कालेज के भवन में हुआ जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता के प्रमुख वकील उमेश चन्द्र बनर्जी ने की । इस अधिवेशन में संयुक्त प्रांत से 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।²

कांग्रेस ने आरम्भ से ही शासन में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को माँग की । यह प्रारम्भ से ही नरमदलीय तथा वैधानिक सुधारवादी संस्था रही किन्तु कांग्रेस के प्रति सरकार का व्यवहार सहानुभूति से उपेक्षा और बाद में सश्रिय शत्रुता में बदल गया । 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की व्यवस्था में सरकार ने यथा संभव बाधाएँ उत्पन्न की फिर भी यह अधिवेशन बार्ज यूल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस अधिवेशन में सरकार के विरोध तथा कर वृद्धि की आलोचना की गयी । 1890 में सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस को बैठकों में भाग लेने से रोक दिया गया । सरकार के इस शत्रु माननेके बावजूद भी कांग्रेस की लोक प्रियता बढ़ती गयी ।

1892 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम पास किया । इस अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त प्रांत में 12 सदस्यों की व्यवस्थापिका स्था की स्थापना की गयी यह अधिनियम जनता को संतुष्ट न कर सका, इसकी निर्वाचन पद्धति, परिषदों का अल्प विस्तार विशेष रूप से कांग्रेस की आलोचना का विषय बना ।

1- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचिन भारत का इतिहास, पृ० 374

2- पोटोसो घोषणा- इंडियन नेशनल कांग्रेस पृ० 25

1893 में श्रीमती एनीबेसेन्ट के भारत आगमन से थियोसोफी आंदोलन का प्रसार तीव्र गति से हुआ। उन्होंने नये प्रकार की शिक्षा का उपदेश दिया और थियोसोफिकल लोगों पर नये स्कूल खोलने तथा हिन्दू बालक बालिकाओं को पढ़ाते समय भारतीय आदर्शों के मूल स्तर को ध्यान में रखने पर जोर दिया। भारत में श्रीमती बेसेन्ट ने सबसे पहले जिन कार्यों का बीड़ा उठाया, उसमें भारतीय सार्धियों के सहयोग से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना करना एक प्रमुख कार्य था।¹ देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को 1904-5 में जापान स्त को पराजित किये जाने की घटना से बल मिला। भारतीयों में यह भावना उत्पन्न हुई कि अन्य देश भक्ति बलिदान तथा राष्ट्रीयता की भावना को अपने जोष में उतार कर ही भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

लार्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन को अखिल भारतीय समस्या बना दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में सारे देश में शोक दिवस मनाया गया। संयुक्त प्रांत में भी उसका तीव्र विरोध किया गया।

बंगाली बुद्धिजीवियों ने यह समझा कि यह तो बंगाली राष्ट्रवादियों की बढ़ती हुई सक्ति पर प्रहार है और बंगालियों को परम्पराओं, इतिहास और भाषा को नष्ट करने का एक प्रयास है। यह तो हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाने का एक साधन है।²

परन्तु जिस प्रकार यह विभाजन जनता के भीषण विरोध पर भी लागू किया गया वह बहुत ही दुःखप्रद था। यह विभाजन उस समय लागू किया गया, जिस समय जापान ने स्त पर विजय प्राप्त की थी। भारतीय भावनाओं की पूर्णतया अवहेलना की गयी। 1905 में गोखले ने बनारस में कहा था, वाइसराय ने इट्ट निस्रप्य कर लिया है। उसके अधीनस्थ अधिकारों अपनी स्वोक्ति दे चुके थे। लोगों को क्या अधिकार था कि वे सम्प्रति प्रकट करें और मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करें। यह तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी कि लार्ड कर्जन ने उसके प्रस्ताव के विरोध को मनगढ़न्त बताया। यह

1- सी०पी० रामास्वामी अय्यर, एनीबेसेन्ट, पृ० 55

2- पी०एल० श्रोवर, यमना, आधुनिक भारत का इतिहास, पृ० 288

विरोध जिसमें भारत के सभी उच्च तथा नीचे, शिक्षित और अशिक्षित वर्ग, हिन्दू और मुसलमान सभी इसमें सम्मिलित थे। और यह विरोध इतना तीव्र, विस्तृत और स्वाभाविक था कि जितना हमारे राजनैतिक आन्दोलन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।" सुरेन्द्र नाथ बनर्जी इस विरोध के नेता बन गये और जनता का नाम बन गया बनर्जीझुंका नहीं।¹

बंगाल विभाजन से उत्पन्न असंतोष के वातावरण में 1905 में कांग्रेस का 21 वां अधिवेशन वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। गोखले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में लार्ड कर्जन के शासन को तीखी आलोचना करते हुए बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को इसी तरह अपमानित किया जाता है और उन्हें सेसे हो निः सहाय बनाते रहना है तो मैं यहीं कह सकता हूँ कि लोकहित में शासन तंत्र के साथ किसी भी प्रकार सहयोग करने को आशा अंतिम नमस्कार है। गोखले के शब्दों में वह भविष्यवाणी छिपी थी जिसे असहयोग आन्दोलन का श्री गणेश करते समय महात्मा गांधी ने सत्य कर दिखाया।² वाराणसी अधिवेशन में संकट के जो बीज बोये गये उनका फल 1907 के सुरत अधिवेशन में प्रकट हुआ।³

अक्टूबर 1906 में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विधिन पाल ने जनता में राष्ट्रियता के विकास के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत का दौरा किया। 22 मई 1907 को सरकार ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर को स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का दमन करनक के लिये विशेषाधिकार प्रदान किये। 1907 में पंजाब में अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक विधेयक तथा डेजिल इब्लटसन को प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप लाला लाजपत राय तथा अजोत सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारम्भ हो गया, सरकार ने दमन नीति से काम लेकर लाला लाजपत राय और अजोत सिंह को देश निर्वासन का दण्ड दे दिया।

दिसम्बर 1910 में कांग्रेस का पंचोत्सवां अधिवेशन इलाहाबाद में प्रारम्भ हुआ। बेडरबर्न ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश की स्थिति पर विचार करते हुए हिन्दू, मुसलमानों उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच समझौते तथा एकता पर जोर दिया।⁵ इस

1- वी०ए०र०गोवर, यमनाह, आधुनिक भारत का इतिहास, पृ० 289

2- टी० आर० देवागिरिकर, गोपाल कृष्ण गोखले, पृ० 160

3- वही पृ० 163

4- प्रो०ए०डब्ल्यू आर्क होम डिपार्टमेंट पोलीटिकल पार्ट वी, अगस्त 1907, पृ० 67

अधिवेशन में राजद्रोहात्मक अध्यादेश सभा नियमन अध्यादेश तथा प्रेम अधिनियम को हटाने को माँग की गयी। जिला परिषदों व नगरपालिकाओं में पृथक निर्वाचन लागू किये जाने का तोड़ विरोध भी किया गया।

बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध हुआ। यह विभाजन उस समय लागू किया गया, जिस समय जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की थी। भारतीय भावनाओं को पूर्णतया अपहेलना की गयी। विरोध के बावजूद कर्जन ने इसे प्रतिक्रिया का प्रश्न बना लिया और झुकना अस्वीकार कर दिया। बंगाली नवयुवकों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और इसे समाप्त करवाने को शपथ ली। प्रशासनिक दृष्टि से न्यायसंगत होते हुए भी, बंगाल का विभाजन कर्जन की सबसे बड़ी भूल थी। इससे भारत ब्रिटिश सम्बन्धों में कटुता आ गई। इससे हिन्दू मुसलमानों के बीच भी वैमनस्य बढ़ा क्योंकि मुसलमानों ने यह अनुभव किया कि हिन्दुओं में उन्हें मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में उपलब्ध होने वाले अवसरों से वंचित कर दिया है। परन्तु इस सम्बन्ध से हुए आन्दोलन में राष्ट्रिय ^{आन्दोलन} की अत्यधिक लाभ पहुँचा। जब 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया गया तो इन्हें स्वदेशी की भावना के अतिरिक्त एक नई शक्ति का अनुभव भी हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 में प्रारम्भ हुआ। भारतीयों ने अंग्रेजों को हर संभव सहायता की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, गाजोपुर तथा आजमगढ़ के कुछ मुसलमानों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 31 अगस्त 1914 को प्रांतीय सरकार ने इस स्थिति को पूर्णतः असंतोषजनक बताया।¹

सितम्बर 1916 में श्रीमती सेनोबेसेन्ट ने अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की। होमरूल आंदोलन ने देश पर गहरा प्रभाव डाला।

25 दिसम्बर 1915 को बम्बई में लीग के निर्माण तथा स्थापन के लिये एक कांग्रेस बुलाई गयी। जिसमें इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस के नेता शामिल हुए। लखनऊ से गोकुल नाथ मिश्रा, सैयद नवी उल्लाह, मिर्जा सनी उल्लाह बेग, सरोजिनी सन्ध्याल, सरोजिनी सेन, राम चन्द्र, आरसेनो चकबस्ट, इकबाल नारायण, इकबाल नारायण मुन्द और बनारस के गोविन्द दास। 8 सितम्बर 1916 को कांग्रेस कमेटी ने मिर्जा

सभी उल्लाह बेग के नेतृत्व में लोग को नोव डालने का निश्चय किया। 13 सितम्बर को लखनऊ में पंडित गोकुल नाथ मिश्रा ने लोग को शाखा को नोव रखी। इतना ही नहीं 12 सितम्बर 1916 को पंडित जगत नारायण के नेतृत्व में सर तेज बहादुर सपू ने स्वशासन और कांग्रेस पर अपना वक्तव्य दिया। इतना ही नहीं संयुक्त प्रांत में होमरूल आंदोलन में लोगों ने भाग लिया। जो०एस० अल्लडले के भाषण का प्रभाव पड़ा। कई जिलों में होमरूल लोग की शाखाएँ स्थापित हो गयीं तथा आन्दोलन को सक्रिय बनाने के लिये स्थान स्थान पर सभाएँ होने लगीं।

1907 में सुरत अधिवेशन के अवसर पर उदारवादियों तथा उग्रवादियों के सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के बाद 1915 में श्रीमती स्नोबैसैंट के प्रयत्नों से दोनों का पार्थक्य समाप्त हो गया। 1915 में ही मुस्लिम लोग के बम्बई अधिवेशन में महात्मा गाँधी तथा मदन मोहन मालवीय जैसे कांग्रेस के विशिष्ट नेताओं ने मुस्लिम लोग को कार्यवाही में भाग लिया लोग ने भारत के लिये एक योजना बनाने के लिये कांग्रेस से परामर्श लेते हुए एक समिति नियुक्त की इस समिति ने अपना विवरण अगले वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत किया। यह विवरण 1916 के लखनऊ सम्झौते का आधार बना। यह समझौता कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लोग के साथ किसी सम्झौते पर पहुँचने की हार्दिक इच्छा का प्रमाण था। इस सम्झौते के साथ ही मुस्लिम लोग के प्रति कांग्रेस को तुष्टिकरण की नीति का प्रारम्भ होता है। इस सम्झौते के अनुसार कांग्रेस ने निश्चित रूप से मुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन तथा अल्पसंख्यक प्रांतों में उनके लिये विशेष महत्व का स्थान स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया गया कि किसी भी परिषद में चाहे वह केन्द्रीय हो या प्रांतीय किसी वर्ग विशेष से सम्बन्धित किसी ऐसे विधेयक या उसके किसी अंश पर विचार न किया जावेगा जिसका उस वर्ग विशेष के तीन चौथाई सदस्य विरोध करते हों।

कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों ने सुधारों को एक संयुक्त योजना स्वीकार की। इस योजना को प्रमुख बातें यह थीं कि केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों की सदस्य संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गये सदस्यों द्वारा जिन्हें और अधिकार दिये गये हों बढ़ाई जाय तथा कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्य सम्मिलित किये जाय।

लखनऊ सम्झौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुस्लिम समाज का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया और दोनों सम्प्रदायों को अलग रखने की ब्रिटिश नीति को स्वीकृत प्रदान की। सम्झौते में कांग्रेस ने प्रथम बार अधिकारिक तौर पर पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया।¹ यद्यपि व्यक्तिगत लाभों को दृष्टि में रखकर कांग्रेस ने यह सम्झौता किया था किन्तु आगे चलकर उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ।² हिन्दू महासभा ने इस सम्झौते को महान भूल माना जो भविष्य में मुसलमानों को कांग्रेस के प्रति हठधर्मी की नीति की पृष्ठभूमि थी।³ इस सम्झौते के दूरगामी परिणामों में भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया।

1916 के कांग्रेस अधिवेशन में मध्यपथियों एवं उग्रवादियों का सामंजस्य स्थापित होने के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि इसके फलस्वरूप कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी गठजोड़ स्थापित हो गया। लीग को नौकरशाही के प्रोत्साहन द्वारा संगठित किया गया था और उसका उद्देश्य मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करना था। जब कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन [बंग भंग] के विरुद्ध आंदोलन किया तो लीग ने विभाजन आंदोलन का विरोध करने का भरसक प्रयत्न किया। जब मिंटो-मार्ले सुधारकों की चर्चा हो रही थी तो लीग के नेताओं ने सब सौच विचार कर मुसलमानों के लिये पृथक मतदाता सूची की माँग प्रस्तुत की थी। मुहम्मद नोमन ने लिखा है कि लीग ने पृथक मतदाता सूची के प्रश्न को "अपने जीवन मृत्यु का प्रश्न" बना लिया था।⁴

कांग्रेस लीग सम्झौते का राष्ट्रीय संगठन को दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में स्वागत किया गया। तिलक ने कहा "लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिवेशन सिद्ध हुआ।" कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा "यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही काम था हिन्दू और मुसलमान परस्पर निकट आ गये हैं।" कांग्रेस के इतिहास^{कार}स्रोतारमैया ने लिखा है तिलक और खापरडे को डा. रासीबहारी घोष एवं सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के साथ बैठे देखकर वास्तव में अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी। श्रीमती वेंसेंट वहाँ अपने दो सहायकों अल्फ्रेड एवं वाइव्या सहित उपस्थित थी मुसलमानों में मुहम्मदाबाद के राबा, मजल्ल हक, अब्दुल रसूल और जिन्ना थे। गाँधी एवं पोहल भी उपस्थित थे।

1- लाल बहादुर, दि मुस्लिम लीग, पृ. 95

2- दि लोडर, 15 सितम्बर 1924, पृ. 6

3- इंडियन रेनुवल रजिस्टर, 1930 भाग-2, पृ. 324

4- डीएलटी सुप्रा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास पृ. 74

उस समय किसी ने भी यह न समझा कि लखनऊ सम्झौते में कांग्रेस ने एक ऐसे सिद्धान्त को तिलाजलि दे दी थी जो उसके लिये 1916 से पहले अत्यन्त महत्वपूर्ण था और बाद में भी रहा। वह सिद्धान्त था कि भारत हिन्दू और मुसलमान का संयुक्त रूप है। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व गण्यता के सिद्धान्त तथा विधान मंडल में साम्प्रदायिक निर्बंधाधिकार की स्वीकृति कांग्रेसी नेताओं की भयकरतम मूल सिद्ध हुई। अंग्रेजों ने कांग्रेस एवं लोग प्रेषित वैधानिक सुधारों को अवहेलना करके उपर्युक्त साम्प्रदायिक सम्झौता स्वीकार कर लिया और महायुद्ध के पश्चात् उन्होंने भारत में जो धारावाहिक सुधार आरम्भ किये थे, उनकी अगली किस्त में उसे लागू कर दिया। लंदन के नीति निर्माता इस देश के दो प्रमुख सम्प्रदायों में वैमन्य पैदा करना चाहते थे तथा अलग मतदाता सूचियां उन्हें अपना मनोरम सिद्ध करने का अच्छा उपकरण प्रतीत हुआ।

तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं के बयाव में केवल यह कहा जा सकता था कि वे मुसलमानों को दो ग्यो रियासतों को केवल अस्थायी मानते थे और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लोग के बीच मन-मुटाव दूर करने का प्रयत्न किया था। कदाचित् उन्हें यह आशा थी कि जो मुसलमान लोग के सदस्य बन गये थे, उनके एक बार कांग्रेस के प्रभाव में आते ही, कांग्रेस हिन्दू मुस्लिम एकता की एक परियोजना बनाकर उनमें परस्पर सहयोग का वातावरण स्थिर करने में सफल हो जायेंगे किन्तु राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को घोर निराशा हुई और 1920 के दशक में मुस्लिम लोग कांग्रेस के निकट आने की बजाय दूर होती गये। लोग का साम्प्रदायिकता के आगे झुकना और भारत राष्ट्रीयता के मौलिक प्रश्न के प्रति सम्झौता देश के प्रति अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुए। रमेशचन्द्र मजूमदार ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है "1916 में कांग्रेस ने जो कार्य किया उसने 30 वर्ष बाद वास्तविक रूप से पाकिस्तान की आधारशिला स्थापित की"—

संयुक्त प्रांत में तीव्र गति से चल रहे आंदोलन में मुसलमान कांग्रेस के साथ थे। जनवरी 1917 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसलमानों को चेतावनी दी कि ये ऐसा करेंगे तो उनके प्रसम्प्रदाय के हितों को हानि पहुँचानी।¹ 15 जून 1917 को मद्रास में श्रीमती रेनीबेन्ट कद गिरफ्तारों से उत्तर प्रदेश के जिलों में रोष की तहर व्याप्त हो गयी अनेक स्थानों पर सभाओं का आयोजन करके सरकारी नीतियों की आलोचना की गयी।

1917 में व्याप्त जन उत्तेजना को शांत करने के लिये, नये भारतीय सचिव मटिन्स्यू

ने 20 अगस्त 1917 को कामन्स सभा में अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा —

"महामहिम सम्राट का सरकार की नीति जिसे भारत सरकार भी पूर्णतया सहमत है यह है कि भारतोय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा उत्तरदायो शासन प्रणाली का धीरे धीरे विकास हो जिसे अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजों साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पग शीघ्रातिशीघ्र लिया जाय मैं इस विषय में यह बता दूँ कि यह प्रगति क्रमबद्ध में ही सम्भव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और अग्रसरण का उत्तरदायित्व है वे ही समय तथा प्रत्येक अन्नति की मात्रा को निश्चित करेंगे और वह उन लोगों के सहयोग पर निर्भर होगा, जिनको अब सेवा के अवसर मिलेंगे अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को जो उनको उत्तरदायित्व की धेतना पर दिया जा सकता है, निगमते।"

माण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तकों ने इस घोषणा को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में "सबसे महत्वपूर्ण घोषणा" की संज्ञा दी है और इसे "एक युग का अंत हुआ और एक नवोन युग का प्रारम्भ हुआ माना" यह इस भावना पर निर्भर थी कि "स्वतंत्रता ही मनुष्य को स्वतंत्रता के उपर्युक्त बनाती है।" इस घोषणा ने कुछ समय के लिये भारत में तनावपूर्ण वातावरण को शांत बना दिया। पहली बार "उत्तरदायो शासन" शब्दों का प्रयोग किया गया।² तथा 1919 में सुधार अधिनियम पारित किया गया। प्रातों में द्वैध शासन योजना की प्रमुख विशेषता थी अतः सभी ने इसकी आलोचना की। समुचित विवाद के बाद 29 अगस्त 1918 को बम्बई में कांग्रेस की विशेष बैठक में घोषित किया गया कि भारत निश्चित रूप से उत्तरदायो शासन के योग्य थी। दिसम्बर 1918 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस पूर्ण निर्णय का समर्थन किया गया।

1918 में मूल्यवृद्धि के कारण जनता में साकर के विकरुद असंतोष की भावना और अधिक विकसित हो गयी। सरकार भी जनता के असंतोष से परिरक्षित थी। माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू होने के पहले ही सरकार ने भारतीय जनता की अवज्ञा और आंदोलन का सामना करने के लिये कई तरीके अपनाये, सरकार ने न्यायाधीश होलेट की अध्यक्षता

1- वी०ए० मोवर, यमनाह, आधुनिक भारतीय इतिहास पृ० 525

2- वी०ए० मोवर, यमनाह, आधुनिक भारतीय इतिहास पृ० 525-27

में एक कमोशन भारत में चल रही राजद्रोह सम्बन्धी गतिविधियों को जाँच करने तथा उन्हें समाप्त करने के लिये उपाय बताने के लिये नियुक्त किया। रौलेट कमोशन की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्रीय परिषद में अनेक विधेयक प्रस्तुत किये गये जिनके अन्तर्गत लोगों को बन्दी बनाने उनके घरों की तलाशी लेने तथा उन पर मुकदमा चलाने के बहुत से असाधारण अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव किया गया। महात्मा गाँधी ने घोषणा की कि रौलेट बिल को पास किया गया तो सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ किया जायेगा। 18 मार्च, 1919 में भारतीय नेताओं के तीव्र प्रतिरोध के बाद भी रौलेट बिल पास हो गया।

महात्मा गाँधी ने रौलेट बिल के विरुद्ध आंदोलन का प्रारम्भ व्रत द्वारा किया, पहले 30 मार्च 1919 को सम्पूर्ण भारत में हड़ताल करने का निश्चय किया गया किन्तु बाद में 6 अप्रैल को हड़ताल करने का निश्चय किया गया।

8 अप्रैल को महात्मा गाँधी को गिरफ्तारी से सारे देश में रोष व्याप्त हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग की दुःखद दुर्घटना में सैकड़ों आदमों मारे गये।¹ संयुक्त प्रांत में प्रत्येक वर्ग पर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई।²

जलियावाला बाग तथा पंजाब में हुए अत्याचारों से उत्पन्न क्रुद्धता के घातावरण में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसम्बर 1919 में अमृतसर में मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। मोती लाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषणा में ब्रिटिश शासन को कटु आलोचना की।

लखनऊ मंडल में इस समय किसानों में जमींदारों तथा तालुकदारों के प्रति असंतोष में अत्यधिक वृद्धि हुई। जमींदारों तथा तालुकदारों के अत्याचारों के विरोध में किसान संगठित होने लगे। जिसने बाद में एक आन्दोलन का रूप ले लिया। टर्कों के खलीफा के प्रश्न को लेकर लखनऊ मंडल के मुसलमानों में सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा जिसने बाद में खिलाफत आन्दोलन का रूप ले लिया।

1- सर चमनलाल सीतलवाड जो जलियावाला बाग गोलीकाण्ड की जाँच के लिये नियुक्त संटर कमेटी के सदस्य थे, का अनुमान था कि लगभग 400 व्यक्ति मारे गये और 1200 घायल हुए [वी०आर० नन्दा, महात्मा गाँधी, पृ० 130]

2- सुप्तर विभाग के अभिलेख

इतना ही नहीं स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महिलाओं का योगदान भी सराहनीय रहा है। उन्होंने रौलेट बिल, नमक कानून, वन कानून के खिलाफ आवाज उठाई और जेल गयी।¹ ऐसी ही गतिविधि का केन्द्र लखनऊ था। श्रीमती अब्दुल कादिर की अध्यक्षता में महिलाओं ने कांग्रेस कमेटी में मीटिंग किया। महिलाओं ने छद्म धारण करने तथा पुरुषों को राष्ट्रीय आंदोलन में जाने के लिये प्रोत्साहित किया। श्रीमती कादिर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी का यह कार्य था कि महिलाओं द्वारा किये गये कार्यों का निरोक्षण करें।²

1- मनमोहन कौर, रौलेट आफ हुमेन इन द प्रोहम् स्ट्रगल, पृष्ठ 4

2- अमृत बाजार पत्रिका 13 जनवरी 1923

द्वितीय अध्याय

किसान खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन

किसान आंदोलन :

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सन् 1920 ई० में एक नया युग प्रारम्भ हुआ जब गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिये देश का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में लखनऊ मंडल का महत्वपूर्ण योगदान तो है ही किन्तु इसके साथ इस क्षेत्र में कुछ समस्याएँ थी, जिनके कारण यहाँ तक विलक्षण आंदोलन का प्रारम्भ हुआ, जितने सारे संयुक्त प्रांत को अपनी ओर आकर्षित किया। यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में किसान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। किसान आंदोलन का प्रसार मुख्य रूप से लखनऊ मंडल के रायबरेली जिले में हुआ।

भारत विशेषतया कृषि प्रधान देश है। भारत की 75% जनसंख्या खेतिहर है और शेष चौथाई जनसंख्या भी उन्हीं के आश्रित है। जवाहरलाल जी के शब्दों में "सरकार की सारी मशीन किसानों के पैसों से ही चल रही है, फौज व्यय में और वाइसराय गवर्नरों और दूसरे ह्मकामों की लम्बी चौड़ी तनखवाहों में जो खर्चा खर्च किया जाता है वह कहीं से आता है ? भारत के दरिद्रतापूर्ण देहातों से। हमारे शहर भी देहातों के व्यय पर ही गुजर बसर करते हैं।" भारत के किसानों के उद्धार और भारत के उद्धार का अर्थ एक ही है। इसी उद्देश्य को लेकर संयुक्त प्रांत और विशेषतया अवध के किसानों को उन्नतिशील बनाने के लिये महामना मालवीय जी के प्रयत्न से सन् 1915 में किसान सभा स्थापित हुई थी। आरम्भ में सभा का उद्देश्य था किसानों को खेती बारी के आधुनिक ढंग बतलाना, कोअपरेटिव सोसायटी द्वारा कम सूद पर पूँजी मुक्त बनाना और जमींदारों के आतंक और जुल्म का सामना करने के लिये उनमें संगठन कर बीज बोनस। पंड इन्द्र नारायण द्विवेदी, बाबू रामचन्द्र, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन और पंड गौरीशंकर मिश्र ने इस कार्य में आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और किसान आंदोलन में जान फूँक दी। पंड जवाहरलाल सबसे पहले किसान आंदोलन की ओर सन् 1918 में आकूट हुए और उसी वर्ष वे किसान सभा के उपसभापति बना दिये गये।

1- पंड गोपीनाथ दीक्षित, पंड जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और व्याख्यान
पृष्ठ 47-48

सन् 1919 से 1921 तक किसान आंदोलन ने जो उग्र रूप धारण किया था उसका सबसे बड़ा श्रेय पं० जवाहरलाल को ही था ।

किसानों का शोषण उत्पीड़न :

उन दिनों रायबरेली के किसानों को स्थिति दयनीय थी, इस सम्बन्ध में दस्तावेज उपलब्ध है —

सन् 1920 ई० व उसके पहले यहाँ के किसानों की दशा व स्थिति कैसी थी ? ताल्लुकेदारी प्रथा थी । ताल्लुकेदार अपने को राजा कहते थे । कुछ को राजा साहब का खिताब भी मिला था । नौकरों और गुप्तचरों का एक बहुत बड़ा काफिला हर ताल्लुकेदार के साथ था । परन्तु उनका वेतन बहुत ही कम था, ज्यादातर पाँच रुपये से लेकर आठ रुपये तक होता था । फिर भी पुराने पटवारियों को भौतिक उन अल्प भोगी नौकरों के पास बैल, गाय-भैंस, घोड़ा, पक्के मकान, खेती बाग सभी कुछ होता था । नजर नजराना, त्योहारी आदि तो ये लोग हक की तरह चूसते थे । खास खास मामलों में घूस तथा रिश्वत चलाती थी । जहाँ तक सर्वशक्तिमान ताल्लुकेदारों का सवाल था, वे लोग अपने इलाके के किसानों के मालिक और अकूतता उसी तरह माने जाते थे, जैसे गुलामी की प्रथा में गुलामों का मालिक माना जाता था । सारी जमीन ताल्लुकेदार की थी जिसे वह अपनी इच्छानुसार किसानों को लगान अथवा बटाई पर देता था और जब चाहता था बिना कारण बताये छीन लेता था । किसानों पर इतनी मार पड़ती थी कि बहुत से तो जीवन भर के लिये पिक्लांग हो जाते थे, कुछ मर भी जाते थे किन्तु मरने में रिपोर्ट तक नहीं लिखायी जा सकती थी ।¹

सन् 1886 ई० में "अवध रेण्ट स्कट" के प्रभावो हो जाने के कारण ताल्लुकेदारों को बेदखल करने, मनमाना लगान बढ़ाने तथा इच्छानुसार नजराना लेने के अधिकार प्राप्त हो गये थे । इस अधिकार वृद्धि के कारण ताल्लुकेदारों को अकूत शक्ति प्राप्त हो गयी थी ।

1- पं० अंजनी कुमार, रायबरेली कांग्रेस 14 अगस्त, 1972 ई० पृ० 15-16

ताल्लुकेदारों द्वारा किसानों के शोषण उत्पन्न की बुनियादों को खोजना स्वदेखना यदि अपेक्षित हो तो उसे सन् 1886 ई० के "अवध रेण्ट-एक्ट" के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे अवध के 12 जिलों में प्रभावी बनाया गया था। इस एक्ट के फ़ावों होने के कारण ताल्लुकेदारों को बेदखली करने, मनमाना लगान बढ़ाने तथा इच्छानुसार नजराना लेने के अधिकार प्राप्त हो गये थे। इस अधिकार वृद्धि के कारण ताल्लुकेदारों को अकूत शक्ति प्राप्त हो गयी थी। वे राजाओं महाराजाओं की भाँति रहते थे और उनके नौकर चाकर उनकी विलासिता के लिये सभी प्रकार की सुविधायें रख सकते थे।

ताल्लुकेदार अंग्रेजों के एजेन्ट के रूप में काम करते थे, लेकिन अवध एक्टकी छत्रछाया में उनके अपने पुथक न्यायालय तथा क्वेडरियाँ होती थीं। उनके निर्णयों तथा रिवाकलाषों के विरुद्ध साक्ष लेना असम्भव था। जो किसान ताल्लुकेदार के अत्याचारों का विरोध करता था, ताल्लुकेदार के इशारे पर पुलिस, उसे मारपीट कर अधमरा कर डालती थी।

अवध रेण्ट एक्ट के द्वारा ताल्लुकेदारों को जमीन की बेदखली का जो अधिकार प्राप्त हुआ था उसके कारण ताल्लुकेदार, किसानों को जमीन से बेदखल कर उसे विपत्ति में डाल देते थे। कभी कभी भारी नजराना लेकर एक ही छेत दो किसानों को देते थे और अवध रेण्ट एक्ट की सुविधा और ताल्लुकेदारों की अमानवीयता से प्रतापगढ़ जिले में बेदखली के जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके अनुसार सन् 1907 ई० में 936 सन् 1912 में 1238 सन् 1917 में 1403 तथा सन् 1920 ई० में 2593 जमीन बेदखली के मुकदमें चले थे और आगे इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही।

नजराने के विभिन्न रूप :

तत्कालीन ताल्लुकेदार की सुविधा के लिये नजराने की कई प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं। परन्तु भारत के किसान को आत्मदाही प्रासासनिक व्यवस्था में जीना पड़ता था। उस समय एक ताल्लुकेदार को सामान्यतः निम्न प्रकार किसानों से निःशुल्क सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार था :-

- 1- प्रत्येक हल पीछे 15 सैर मूसा
- 2- प्रत्येक हल पीछे एक पूरी करबी तथा एक बोझ पुवाल
- 3- प्रत्येक हल पीछे यदि गन्ना बोया गया है, एक बोझ गन्ना की सूखी पातों।

- 4- प्रत्येक हल पोछे दोनों फसलों पर एक हरी बैलगाड़ी
- 5- प्रत्येक भैंस पर एक स्पये के दूरे भाव पर घी
- 6- कण्डा बनाने [पाथने] के लिये चार आने अथवा आठ आने की प्सुली जिसे एक प्रकार से लाइसेंस कहा जाता था
- 7- गन्ना बोने वाले किसान से निःशुल्क गुड़ तथा राब [स्थिति के अनुपात में] तथा एक घड़ा रस ।
- 8- अहोर घोसी तथा गड़रियों से एक एक सेर दूध
- 9- गड़रियों से प्रत्येक वर्ष एक बकरा व एक कपरो
- 10- चमारों से जूता, चस्ता [पुर] प्रति वर्ष
- 11- ठाकुर-ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी जातियों के किसानों को साल भर में दो दो हरो देना अनिवार्य था ।
- 12- ठाकुर ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी जातियों के लोगों को वर्ष में 10 दिन बेगार करना अनिवार्य था ।
- 13- सभी किसानों को दशहरा तथा होली के अवसर पर विशेष नजराना [एक स्पया ठाकुर, एक स्पया जिलेदार तथा एक एक स्पया चपरासी] अदा करना पड़ता था ।
- 14- ताल्लुकेदार के अतिरिक्त जिलेदार के नजराने की प्सुली अतिरिक्त होती थी वह भूसा न देने पर आठ आना, करबी के बढ़ते दो स्पये और गन्ने के रस के न देने पर 6 आने प्सुल करता था ।
- 15- मुराहियों से आलू, प्याज, मिर्च, धनिया तथा हरी सब्जियाँ निःशुल्क प्सुल की जाती थी । रियासत में होने वाले जन्म-मृत्यु, मुंडन-छेदन एवं विवाह आदि अवसरों पर पूरी रियाया से विशेष प्सुली की जाती थी ।
- 16- ताल्लुकेदारों के हाथियों के लिये किसानों को एक बिस्वा गन्ना "हथियावन" टैक्स के रूप में देना पड़ता था ।
- 17- जिले के अधिकारियों के दौरों का खर्च भी किसानों को ही वहन करना पड़ता था और इसके लिये उन्हें अधिकारों को पद प्रतिकृता के अनुसूच कमीशनारायत, डिप्टी कमीशनारायन तथा हरियावन जैसे टैक्स प्सुल किये जाते थे ।
- 18- ताल्लुकेदार को और उसके प्रतिनिधि के रूप में रियासत के लिये रियाया से [न्यूनतम मूल्य देकर] आटा पिसवाने चावल कुटवाने लकड़ी कराने [गोबर करवाने] फैकवाने

तथा मकान बनवाने [किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराने] का अधिकार प्राप्त था ।¹

अनेक दशकों से प्रचलित उपर्युक्त ताल्लुकदारों को शोषणवाद नीति के कारण रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद तथा जौनपुर आदि जिलों के किसान पुरो तरह टूट चुके थे और अब उनमें इस अन्यायो प्रथा के प्रति क्रोध तथा घृणा का अंकुरण हो चुका था । बाबा रामचन्द्र ने जब इन जिलों के किसानों को दयनीयता का अध्ययन किया तो उन्हें किसानों की मानसिकता में क्रांति को चिगारी दिखाई पड़ी ।

किसान आंदोलन का स्वल्प :

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो भी किसान आंदोलन हुए हैं, तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में किसान सक्ता की जैसी शक्ति का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया, उससे भी अधिक शक्तिशाली किसान सक्ता की शक्ति का नेतृत्व बाबा रामचन्द्र रायबरेली में कर चुके थे । प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नवम्बर तथा दिसम्बर 1920 ई० को बाबा रामचन्द्र प्रतापगढ़ से रायबरेली आये और निम्न स्थानों में किसान सभाओं को सम्बोधित किया :²

5 नवम्बर 1920 ई०	मुस्तफाबाद में किसान सभा तथा संगठन कार्य
24 नवम्बर 1920 ई०	बराँवा में किसान सभा एवं संगठन कार्य
25 नवम्बर 1920 ई०	पश्चिम गाँव सेहगों में किसान सभाएँ
3 दिसम्बर 1920 ई०	अरखा में सभा तथा किसान सभा की शाखा का उद्घाटन
5 दिसम्बर 1920 ई०	जलालपुर धई में किसान सभा

1- मि० बी०एन० मेहता जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत आख्या से उद्धृत । यह प्रस्तुत आख्या सचोत्तरासी० हैली आयुक्त फैजाबाद को 5 नवम्बर 1920 को प्रस्तुत की गयी थी जो राजकीय गजट में प्रकाशित हुई । इस आख्या को मुख्य सचिव के अग्रसारित करते हुए आयुक्त ने लिखा-सेसा प्रतीत होता है कि किसानों की कारुणिक कथाओं को सुनकर श्री मेहता भावनाओं में स्वतंत्र बह गये । राज्यपाल स्वतंत्र आयुक्त के कथन से सहमत थे ।

2- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन की यह भूमि पृ० 21-22

6 दिसम्बर 1920 ई०	लालगंज में किसान सभा तथा संगठन कार्य
7 दिसम्बर 1920 ई०	इलमऊ में किसान सभा
8 दिसम्बर 1920 ई०	सरेनी में सभा व क्षेत्रीय संगठन
12 दिसम्बर 1920 ई०	सुल्तपुर [लडलमऊ] में किसान सभा को स्थापना तथा किसानों से प्रतियोगिता पत्र भरवाना

किसान सभा तथा उसका कार्यक्रम :

1. हम किसान सच बोलें, झूठ न बोलें, दुख की बात सच सच कहें ।
2. हम कोहू के मार घोट न सहें, कोहू पर हाथ न छोड़ें । लेकिन जब जोड़ जिलेदार या सिपाही मारे बड़े हाथ उठाईं, उनका दस्त पाँच जने मिल के मना करें । अगर न मीनैत तो पकीर के अपने ठकुरे के पास लें जाव ।
3. खेत के लगान ठीक वक्त पर भुगतान करें । लगान के रसोद जरूर लेव । आपन गाँव भरि मिल के ठकुरे हिया जाइ के लगान देव ।
4. हथियावन, घोड़ावन, मोटरावन, गैर कानूनी टिकस न देव, बेगार न करव । अगर कउनो किसान का ताल्लुकेदार के सिपाही पकीड़ हैं, पहिका गाँव भरि मिल के छोड़ाव के भोजन करव, पहिले नाहीं । उपला, पतार, भूसा बाजार भाव से धोरिक ज्यादा भाव पर बेवव, स्पया लेव तब देव ।
5. आपस माँ झगड़ा न करव, आउर कबोँ झगड़ा होइ जाई, तो पंचायत माँ तय कई लेव । हर गाँव माँ दुई दुई चारि-चारि गाँव मिल के पंचायत बनाऊव और जौन कुछ झगड़ा तकरार होई, वो हो माँ तय कई लेव ।
6. अपने गाँव में अगर कउनो खाये पीये के तकलीफ या और कौनों प्रकार के तकलीफ माँ होई, वोकर हम मदद करव । सब किसान के दुख सुख आपन सम्झव ।
7. सरकारी सिपाहीन से डरव न और वो अगर जुलूम करि हैं उन्हें हम रोकव । केहू पर जुलूम न करव ।

गौरी शंकर

उपसचिव, संयुक्त प्रांत किसान सभा

बाबा रामचन्द्र, बाबा जानकी दास, अमोल शर्मा, केदार नाथ तथा बदरी नारायण आदि किसान नेताओं के सक्रिय नेतृत्व तथा सहयोग के परिणामस्वरूप रायबरेली के किसान ताल्लुकेदारों के अन्यायों का प्रतिरोध करने में सक्षम हो गये थे । नवम्बर तथा दिसम्बर

1921 में बाबा रामचन्द्र ने, रायबरेली जनपद को जिन किसान सभाओं को सम्बोधित किया था उनमें हजारों की संख्या में किसान उपस्थित हुए थे और इस समय से किसानों में ताल्लुकेदारों के विरुद्ध सघर्ष करने के लिये व्यूहचरणा का कार्य प्रारम्भ हो गया था ।¹

रायबरेली जनपद में किसान आन्दोलन को पृष्ठभूमि को रचना का सम्पूर्ण श्रेय बाबा रामचन्द्र को हो नहा जाता वरन् राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं के साथ स्थानीय ताल्लुकेदारों को भी जाता है, जो किसानों के स्वतंत्र जागरण से आतंकित होकर अंग्रेजी शासनाधिकारियों को किसानों के स्वजागरण को दबाने के लिये अनोखे तरीकों की रचना कर रहे थे । पं० जवाहरलाल नेहरू तथा पुस्तोत्तम दास टंडन, अवध किसान आंदोलन से पहले से ही जुड़ चुके थे । 25 नवम्बर, 1920 ई० को गाँधी जो भी इलाहाबाद से प्रतापगढ़ आये और बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में लगभग दस हजार किसानों ने महात्मागाँधी की जन सभा में भाग लिया । गाँधी जी की इस सभा में रायबरेली के हजारों किसान भी सम्मिलित हुए थे ।² निश्चित तिथि पर गाँधी जी ने नेहरू जो, अबुल कलाम, आजाद, शौकत अली, पं० गौरीशंकर, श्री सत्यदेव, जहूर अली तथा पं० माताबद्ध के साथ किसान सभा को सम्बोधित किया ।

गाँधी जी के विचार :

*इस समय किसानों ज़मींदारों और ताल्लुकेदारों के बीच विवाद चल रहा है, मुझे बताया गया है कि मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू, इस प्रसंग में आपको सहायता कर रहे हैं । मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि वह आप से सहयोग कर रहे हैं और आपको बधाई दूँगा कि उनके सहयोग से आप अपने स्वयं को उपलब्धि में सफल होंगे । मैं नहीं चाहता कि आप ज़मींदारों के क्रोत दास बने, मैं नहीं चाहता ज़मींदारों का काम बिना किसी उपलब्धि के बेमार में करें । मुझे बताया गया है कि ज़मींदार नाना प्रकार के कर तथा चुंगियाँ लगाते हैं । आप पर सैर टैक्स नहीं लगाने चाहिये । मेरी जानकारी में

1- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन को यज्ञ-भूमि पृ० 22-23

2- उ०प्र० राजकोय अभिलेखार फाइल नं० 56/1921 वाक्य नं० 133

आया है कि कुछ जमोदार मोटर के लिये, हाथी के लिये, शादी पर विभिन्न चुगिया लेते हैं। यह अवैध गैर-कानूनी और शोषण है रेखा कोई कानून नहीं है, जो ऐसे टैक्स देने के लिये बाध्य करें।¹

दूसरी ओर जमोदारों तथा ताल्लुकेदारों ने ब्रिटिश शासनाधिकारियों को किसानों के विरुद्ध कुमत्रपा से पूरा पूरा सहयोग दिया। ताल्लुकेदारों ने जिलाधिकारियों को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के दल हिंसात्मक कार्यों द्वारा ताल्लुकेदार तथा उनका सम्पत्तिन सहयोग करने वाले किसानों की सम्पत्ति नष्ट कर रहे है। बिना टिकट रेलगाड़ियों पर यात्रा करते हैं। गाँव में लूटपाट कर अराजकता फैलाते हैं और यदि इन किसान संगठनों को शासन शक्ति द्वारा कुचल न गया तो ये किसान संगठन न केवल ताल्लुकेदारों के लिये बल्कि ब्रिटिश-शासन के लिये भी खतरा पैदा कर देंगे।²

रुस्तमपुर काण्ड :

4 जनवरी, 1921 ई० को रायबरेली के 8 कि०मी० दूर रुस्तमपुर नामक एक ग्रामोप बाजार में कुछ दुकानें लूट ली गयी। इन दुकानों में एक कपड़े की दुकान स्व सिंह की थी जो ताल्लुकेदार सरदार चोरपाल सिंह के बाड़े में थी। रायबरेली के किसान आंदोलन की छयाति के अनुरूप रुस्तमपुर काण्ड की अनुसूचनसमाचार पत्रों हुई।

*कहा गया है कि कुल आठ छोटी-छोटी दुकानें लूटी गयी थीं। स्वसिंह ब्राज का किसकी दुकान रुस्तमपुर में एक ताल्लुकेदार के घर से घिरी हुई है, सब समान ताल्लुकेदार के घर में बन्द है।³

*छोटी-छोटी दुकानें लूटी गयी। स्वसिंह नामक एक कपड़ा बेचने वाला था। रुस्तमपुर की झोड़ी तथा उनके सेवकों के आवासों पर न आक्रमण हुआ, न लूटे गये। चार बोरा रूदो फटे कागज, जो वही छाते के टुकड़े थे, स्वसिंह की दुकान में पाये गये। दो लकड़ी की आलमारियां तथा एक लौहे की तिजोरी सही पाई गयी, जिन्हें कोई भी

1- उ०१०राज्य अभिलेखागार लखनऊ 50/1921 वाक्स नं० 133, पो०स० मेहता जिला-धिकारके सुत्रापत्र का 3-12-1920 का मि० कोन कमिश्नर फैजाबाद को सम्बोधित अर्ध शासकीय पत्रांक।

2- वही पृ० 532-33

3- दैनिक "प्रताप" कानपुर, 21 जनवरी 1921 ई०

क्षति नहीं पहुँचो। ऐसा आभास होता है कि भोड़ का अभिप्राय लाभान्वित होना नहीं था वहाँ के निवासियों का अभिमत है कि निकटस्थ जवॉर के कुछ गुण्डों ने कुछ ग्रामिणों को बहलाया। कुछ लोग राग द्वेष से भी उत्प्रेरित थे। स्तम्पुर की पुलिस धमका रही है कि वे गवाहिया दे। उनसे रसद व सब्जो भाजो भी निःशुल्क ली जा रही है।¹

*पं० गौरो शंकर मिश्र, विश्वम्भर नाथ बाणपेई तथा समिति के अन्य सदस्य, स्तम्पुर गये जो कि पिछले बुधवार को लूटा गया था। आठ छोटी दुकानें लूटी गयी। स्वसिंह की दुकान में अब भी फटे कागजों के चार बोरे पड़े हैं। वहाँ के रहने वालों का विश्वास है कि कुछ बदमाश किसानों को बरगला कर ले गये और स्वयं लूटमार की। कुछ लोग व्यक्तिगत ईर्ष्या से भी प्रमाणित थे... ऐसा कहा जाता है कुछ बदमाशों ने यह कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं लूटमार करने का आदेश दिया है। पुलिस धमका रही है। वह गाँव वालों से कहलाना चाहती है कि वे लोग यह गवाही दें कि मुराइयों से सब्जी और रसद का सामान बिना पैसा दिये लिया गया है।²

स्तम्पुर बाजार में लूटमार के कारण अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्तम्पुर कांड की इकार सारे प्रदेश में गुँज उठी और लखनऊ के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री जगन्नाथ प्रसाद, सूर्यप्रसाद तथा बालमुकुन्द रायबरेली आये और स्तम्पुर काण्ड को जाँच करने के बाद श्री शंकर लक्ष्मण सिंह, रामशरण पाण्डेय, मधुरा प्रसाद एवं अयोध्या लक्ष्मण के बयानों के रूप में सन्तानो फलाने वाले तथ्य प्रकाशित किये :

1। जनवरी, 1921 ई० को धानेदार अब्दुल रहमान और सालिगराम हमारे गाँव पहुँचे और ठाकुर महादेव सिंह, छत्रपाल सिंह, शम्भू मिश्र, बका फालो, राम लाल पासी, सत्यनारायण पाण्डेय, बिलेसर, पासी, मालवा पासी को पकड़ ले गये। जिस समय स्तम्पुर को बाजार लूटी जा रही थी उसी समय महादेव सिंह के लड़के के कपल दफन में छत्रपाल सिंह, महावीर और महादेव मौजूद थे। सरदार वीरपाल सिंह की यह शराफत है कि हम लोगों ने वोट नहीं दिया, इसी से वे नाराज हो गये हैं। शम्भू सिंह तहसील में थे।³

1- दैनिक लोडर इलाहाबाद 13 जनवरी 1921 ई०

2- दैनिक इंडियन ट्रेड 13 जनवरी 1921 ई०

3- दैनिक प्रताप, 19 जनवरी 1921 ई०

डोह बाजार का लूटना :

सुस्तम बाजार के साथ 4 जनवरी, 1921 को डोह बाजार के लूटने का समाचार भी फैला। डोह में राजा तिलोई का जिल्ला [डैरा] था और वहाँ राजा के कानिन्दे रहते थे। राजा स्वयं अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। डोह बाजार के लूटने के समाचार में कहा गया —

"कल दो पार्टियों, सुदूर देहात में डोह और बेलाखरा की ओर गयी हैं। उन दुकानों को जिन्हें कहा जाता है, 4 व 7 जनवरी को लूटा गया है, देखा डोह की पार्टियों ने जाँच प्रारम्भ कर दिया है, परन्तु पुलिस ने बाजार के लोगों को धमकाया कि यदि वे इस पार्टी को सहयोग देंगे तो गिरफ्तार कर लिये जायेंगे कहा जाता है कि 4 तारीख को, लगभग 40 व्यक्ति, जो साधु वेश में थे, छेड़ गये। उन्होंने एक कपड़े के व्यापारी से 4 आने-अधमड़ा बेचने को कहा। जब उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी तब दुकाने लूट ली गयी। किसी ने रोका नहीं। राजा साहब तिलोई के डेरे पर कोई आक्रमण नहीं किया गया। किसी भी ताल्लुकदार को वोट नहीं पहुँचाई गयी। जिलेदार ने इस क्षति को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है, परन्तु जब व्यापारियों से पूछा गया। तब उन्होंने बताया कि नाममात्र की क्षति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस वाले रसद के लिये जनता को परेशान कर रहे हैं।"

5 जनवरी की घटनाएँ :

सुस्तमपुर तथा डोह की घटनाओं के बाद 5 जनवरी, 1921 ई० को रायबरेली के विभिन्न क्षेत्रों नसीराबाद, बेलाखारा, तथा चंदनिहा से एक साथ किसान-विद्रोह के समाचार प्राप्त हुए। नसीराबाद में लूटने की घटना घटी तथा 80 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेलाखारा बाजार में किसानों की एक सभा होने लगी थी। लेकिन सभा होने से पूर्व ही कुछ लोगों ने बाजार लूटकर अराजकता फैला दी और पुलिस ने 40 किसानों को गिरफ्तार कर लिया इन दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुए —

"सलौन की पुलिस गाँव वालों पर दबाव डाल रही है तथा धमका रही है।"

1- इंडिपेंडेंट, इलाहाबाद, 14 जनवरी 1921

कल लगभग 24 मनुष्य मौजा बेलाखारा और लगभग 80 नसीराबाद, में गिरफ्तार किये गये । उनके अपराध अभी नही बताये गये है पंच और किसान सभाये भी इन्हो में शामिल की गयी है और ताजा कोई उपद्रव नही हुआ । चार और घायलो को अस्पताल पहुँचाया गया । उनमें से एक मर भी गया । लखनऊ में, सलोन और नसीराबाद में, पं० बाल-मुकुन्द, पं० शिवीबहारो लाल, पं० कर्ताकृष्ण तथा पं० जगन्नाथ प्रसाद पहुँच गये हैं । पं० देवी दत्त भी आज प्रातः काल आ गये है ।¹

*सलोन पुलिस गाँव वालों को तंग कर रही है धमकी दे रहो है, किसान डरे नही हैं । बेलाखारा के 24 तथा नसीराबाद के 80 व्यक्ति कल गिरफ्तार हुए है । उनके विरुद्ध क्या आरोप है यह ज्ञात नहीं । पंच किसान सभा को भी इस मामले में व्यर्थ ही घसीट लिया गया है । चार घायल कल अस्पताल में दाखिल किये गये है जिनमें से एक मर गया है ।²

*बेलाखारा में 24 लोग गिरफ्तार हुए रेल के कुलियों ने छोटे व्यापारियों को लूट लिया गायब सामग्री में से कुछ उपलब्ध हो गयी है बाजार तथा पास पड़ोस में बदमाशों ने यह अपवाह फैला रखी है कि नोच लूट की घटनाये हो रही हैं जिससे किसान आंदोलन बँठ जाय ।³

चंदनिहा की घटना :

चंदनिहा गाँव इलामऊ और रायबरेली परगना में स्थित था यह रजवाड़ा ठकुराइन शिवराज कुँवर द्वारा शासित था ।⁴ तथा यहाँ का प्रबन्ध डाकुर त्रिभुवन बहादुर सिंह द्वारा होता था ।

5 जनवरी, 1921 ई० को रायबरेली से 45 किमी० दूर चंदनिहा में, वहाँ के ताल्लुकेदार डा० त्रिभुवन बहादुर सिंह का महल हजारों किसानों ने घेर लिया । कहा

- 1- दैनिक "प्रताप" कानपुर 13 जनवरी 1921 ई०
- 2- दैनिक इंडिपेन्डेन्ट, इलाहाबाद 13 जनवरी 1921 ई०
- 3- दैनिक इंडिपेन्डेन्ट, इलाहाबाद 14 जनवरी 1921 ई०
- 4- रायबरेली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पृ० 76
- 5- सीडर 14-1-1921

जाता है कि चंदनिहा में 5 जनवरो को घटना वहाँ के किसानों - निहालसिंह तथा रामप्रताप सिंह की फसल के नष्ट हो जाने से घटित हुई, किन्तु बाबा जानकी दास पं० अमोल शर्मा, बदरो नारायण तथा मुंशी कालिका प्रसाद जैसे किसान नेताओं सहित हजारों को सख्या में किसानों की वहाँ उपस्थिति से प्रमाणित होता है कि किसानों को ताल्लुकेदार से अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायतें थीं और उनके सम्बन्ध में वे ताल्लुकेदार से स्पष्टीकरण माँगने की योजना पहले से ही बना चुके थे। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार —

"5 जनवरो को, मुंशीगंज - गोली काण्ड के केवल दो दिन पूर्व इलाके के कई हजार किसानों ने इकट्ठा होकर ताल्लुकेदार त्रिभुवन सिंह के महल को घेर लिया और "सोता-राम" के नारे के साथ बार-बार यहो गुहार मवाने लगे। रंडी को निकाल दो, उस्का रुपया जेवर सब छीन लो और अपनी छोड़ी हुई रानी को फिर बुलाओ। इस नारे बाजी के अलावा, किसानों ने और कुछ भी नहीं किया, न किसी को मारा न किसी को छुआ।¹

"बाबा ने कुछ सोने की अंगूठियाँ, ताल्लुकेदार से छीन लीं, ताल्लुकेदार ने जिलाधिका को पहले हर सूचना दे दी थी। उन्होंने घटना स्थल पर आकर बाबा जानकीदास तथा दो अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनता का कथन यह है कि ताल्लुकेदार ने स्वयं किसानों को आमंत्रित किया और उसे कहा कि जो कठिनाइयाँ हो उन्हें बतायें परन्तु साथ ही उन्होंने जिलाधीश को भी खबर दी कि उनकी कोठी पर आक्रमण होगा।²

"ताल्लुकेदार चंदनिहा ने स्वयं किसानों को आमंत्रित किया था। जब हम लोग फीरयाद सुनाने गये तब हमें पता चला कि उन्होंने स्वयं जिलाधिकारी को भी सूचित कर दिया था कि उनका घेराव होगा। इसी बात पर भीड़ उत्तेजित हो गयी। बाबा जानकीदास ने ताल्लुकेदार का हाथ पकड़ लिया, बाद में उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अंगूठो छीन ली थी।³

रायबरेली से दक्षिण लगभग 45 कि०मी० तथा लखनऊ से लगभग 16 कि०मी० चंदनिहा एक छोटा सा गाँव था जहाँ ताल्लुकेदार त्रिभुवन बहादुर सिंह अपनी प्रेमिका पेशवा अच्छी जान के साथ रहा करते थे और अपनी विवाहित रानी को पारिवर्तता के रूप में आसमपुर में

1- पं० अमनी कुमार — "रायबरेली काग्रेस, 14 अगस्त 1942 पृ० 24

2- दैनिक लीडर "इलाहाबाद 13 जनवरी 1921

3- अमरेश, एक जलियावाला, पृ० 30

छोड़ रखा था। वैश्य अच्छे जान में सौन्दर्य के साथ प्रशासनिक योग्यतायें भी थी और राजा की उदासिनीता के कारण वह स्वयं राजकाज चलाने लगे थे। चंदनिहा में कुछ ठाकुरों के घर भी थे, जिन्हें एक वैश्या के शासन अनुशासन में रहना पसंद न था, ठाकुरों के विरोध के कारण अच्छेजान के सियासत के कारिंदों के माध्यम से कुछ ठाकुरों को दण्डित भी कराया था। अच्छीजान के अत्याचारों के विरोध में चंदनिहा में किसान एकत्र हुए। एक किसानों को बाबा जानकीदास अमोल शर्मा, मुंशी कालिका प्रसाद, बदरीनारायण आदि किसान नेताओं ने सम्बोधित किया था। सभा में हो हल्ला भी मचा और नारे लगाये गये — "राजकुमार बाहर आये, रंही को दफनाया जाये, रानी को बुलाया जाये, हरो बेमारो बन्द हो नोच छसोट अब नहीं चलेगी रंही बाजी नहीं चलेगी।"¹

लगभग इसी समय रायबरेली से एक सशस्त्रसैनिक टुकड़ी के साथ जिलाधिकारी मि० ए०जे० शेरिफ तथा पुलिस अधीक्षक मि० मेयर चंदनिहा में एक किसानों को भोड़ में पहुँच गये। उनके पहुँचते ही महल का प्रमुख द्वार खुल गया और दोनों उच्च अधिकारी राजा से परामर्श करने के लिये अन्दर चले गये कुछ देर बाद बाबा जानकीदास पं० अमोल शर्मा तथा बदरीनारायण को हथकड़ी पहनाकर मोटर में बिठाकर रायबरेली जेल भेज दिया गया।²

अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एक किसानों की भोड़ लगभग दिशाहीन स्थिति में पहुँच गयी थी परन्तु उसने प्रथम अमोघ मंत्र का उद्घोष किया "बाबा जानकीदास छोड़े जाय, निर्दोष बाबा रिहा किये जाये, ज़ुल्मी शासन नहीं चलेगा।"³ और उस उद्घोष के साथ चंदनिहा में एक भोड़ रायबरेली की ओर चल पड़ी।

इस बीच सताप-बरदर क्षेत्र के किसानों में काम कर रहे कांग्रेस-कार्य क्लबों पं० माताप्रसाद मार्तण्ड वैद्य तथा डा० अमान्तरिका प्रसाद आदि को जब यह सूचना मिली कि चंदनिहा से बाबा जानकीदास, पं० अमोल शर्मा तथा बदरीनारायण को गिरफ्तार करके

1- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन की यह भूमि पृ० 37

2- जिलाधिकारी मि० शेरिफ की आज्ञानुसार उन्होंने 5 जनवरी की रात-चंदनिहा में ही बिताई और 6 जनवरी को सरदार निहाल सिंह को कार से स्वतः तथा डा० राम प्रताप सिंह की कार से तीनों कैदों रायबरेली लगभग 10 बजे प्रातः पहुँचे।

3- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन की यह भूमि पृ० 38

रायबरेली भेज दिया गया है तब वे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रायबरेली की ओर चल पड़े ।

प्रतापगढ़ की सीमा-रेखा से आने वाले किसानों का एक विशाल झुंड करैहिया बाजार में आकर रुक गया था और इसी प्रकार सुल्तानपुर, रायबरेली की सीमा-रेखा से आने वाले किसान फुरसतगंज में ठहर गये थे । इन किसानों की संख्या हजारों में थी । इनका अभिप्राय तीनों नेताओं को रिहा कराना था ।

दूसरी ओर रायबरेली प्रशासन, सभी दिशाओं से बढ़ रही किसानों की भीड़ से घिरे हुए हो उठा ।

फुरसतगंज गोली काण्ड :

फुरसतगंज नसौराबाद इलाके के तहसिल सलोन में एक छोटा सा बाजार था ।¹ 6 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर रायबरेली पहुँचे तथा सब-डिवीजनल अफसर को एक सशस्त्र सेना जिसमें एक हेडकास्टेबल तथा 10 अन्य कास्टेबल थे भेजने का आदेश दिया ।²

फुरसतगंज में एक किसान को भीड़ को सबक सिखाने की नीयत से जिला प्रशासन में इलमक, सलोन के डिप्टी मजिस्ट्रेट श्रेष्ठ नसरुल्ला को योग्य सम्झा । प्रशासन के आदेशानुसार 14 सशस्त्र सिपाहियों के साथ श्रेष्ठ नसरुल्ला फुरसतगंज बाजार पहुँच गये ।³ पुलिस के पहुँच जाने से भीड़, भयभीत तथा चौकन्नी हो गयी थी । यद्यपि अपवाह थी कि बाजार में किसान समा होगी किन्तु वहाँ कोई कांग्रेस नेता व किसान कार्यकर्ता उपस्थित न था । इसी समय बाजार के एक ओर से "बाजार हट गयो" की ऊँची आवाज उठी और श्रेष्ठ नसरुल्ला के आदेश से सिपाहियों ने भीड़ पर गोलियाँ बरसानो प्रारम्भ कर दिया ।⁴

"फुरसतगंज में 6 जनवरी को उपद्रव हुआ । राजकीय सूत्रों के अनुसार यह उपद्रव बाजार हटने हेतु हुआ । बाजार में लगभग चार हजार लोगों का जमाव था । श्रेष्ठ

1- मबीद हैयत सिद्दीकी, अमेरियन अनेरस्ट इन नार्थ इंडिया, द यूनाइटेड प्रोविन्सेज 1918-22 पृ० 156

2- फुरसतगंज बाजार से सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर को भेजे गये थे । फाइल नं० 50/1921, जो 040डी0यू0पी0 सेक्रेटरीट रिकार्ड्स में है ।

3- दैनिक "वर्तमान" कानपुर 12 जनवरी, 1921 ई०

4- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन को यह भूमि पृ० 45

नसरुल्ला डिप्टो मजिस्ट्रेट ने भीड़ को छेड़ दिया । उनके साथ 14 सशस्त्र सिपाही थे । कुछ दुकानों को हानि पहुँची । पता चला कि डिप्टो मजिस्ट्रेट ने पहले हवाई फायर किया फिर जनता पर पुलिस ने गोलियाँ चलायी । इस उपद्रव में कितने दिवंगत हुए, कितने जाहत हुए, इसका अनुमान करना कठिन है ।¹

किसानों का आमतौर पर यह कहना है कि इस प्रकार को लूटमार ताल्लुकेदार लोग अपने गुण्डों से कराते हैं और हमें किसी भीषण छद्मत्र में फँसाना चाहते हैं । फुस्ततगंज बाजार में कुछ लोग सक्रियत हुए । कहा जाता है कि 190 गोलियाँ दागी गयी । 6 लोगों रायबरेली पहुँचायी गयी है ।²

फुस्ततगंज गोली काण्ड में पुलिस को गोलो वर्षा से कितने लोगों की मृत्यु हुई व कितने लोग घायल हुए, इसके सही सही आँकड़े उपलब्ध नहीं है । चार हजार की भीड़ पर 190 गोलियाँ दागी गयी थी । समाचार पत्रों के कुछ सवाददाताओं के अनुसार मृतकों की संख्या 6 थी जबकि अन्य के अनुसार दस लोगों की मृत्यु हुई और पचास से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे रायबरेली जिला अस्पताल में 14 घायलों को भर्ती कराया गया ।

सरकारी रिकार्ड में मृतकों की संख्या केवल चार ही दी गयी है जिनमें तीन के पते अज्ञात हैं । चौथा मृतक बाबा पुत्र इसरो पासो, खालिसपुर नसीराबाद का था । रिकार्ड में पिण्डोरे पुत्र लोधी कोरी, ग्राम हुसनो, नसीराबाद, झारो पुत्र कछतावर पासो, खालिसपुर नसीराबाद, तथा रामसरन पुत्र मालू ब्राह्मण ग्राम पुरा पीतनी नसीराबाद को घायल बागियों की श्रेणी में रखा गया है । अन्य कड़े घायलों में दुर्गा पुत्र बिन्दा लहार ग्राम डिक्क्या कोतवालो, गमादोन पुत्र कल्याण गोड़िया, राहो तथा सरजू पुत्र पंचम, ग्राम अमीरपुर भरनी नसीराबाद के नाम दर्ज हैं । पुलिस ने भीड़ तथा घायल से दो कुल्हाड़ियाँ, एक लकड़ी का डंडा सात बाँस को हाथियाँ तथा चार बाँस के डंडे हथियार के रूप में बरामद किये थे । डिप्टी क्लेक्टर नसरुल्ला के अनुसार पुलिस ने 47, लाइन इन्स्पेक्टर ने 5, डिप्टी क्लेक्टर ने अपनी पिस्तौल से एक तथा रामसुरत सिपाही ने 6 गोलियाँ दागी थी । डिप्टी क्लेक्टर नसरुल्ला के साथ जो सिपाही भेजे गये वे निम्न थे 4

1- दैनिक "सीडर" इलाहाबाद 13 जनवरी, 1921

2- वर्तमान कानपुर 12 जनवरी, 1921 ई०

3- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन को यज्ञ-भूमि पृ० 45

4- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन को यज्ञ-भूमि पृ० 46

नाम	पद	नम्बर
1- भारत सिंह	लाइन इन्स्पेक्टर	x
2- जफर अली	हेड कांस्टेबल	11
3- राम खे	सिपाही	88
4- गंगा प्रसाद	"	115
5- मोहन लाल	"	98
6- यदिका	"	05
7- सरदार खीं	"	00
8- कजोर खीं	"	66
9- शिवरतन	"	59
10- लाल	"	78
11- सुलपाह	"	68
12- शमीउल्ला	"	150
13- कुलवतराय	"	"
14- राम सूरत	"	"

फुरसतगंज काण्ड पर प्रशासनिक आख्या :

फुरसतगंज गोलो काण्ड का विवरण परगनाधिकारी सलोन ने जिलाधीश रायबरेली ने यू०पी० के मुख्य सचिव को भेजा था, वह निम्न प्रकार है —

"आज ॥6 जनवरी 1921 ई०॥ 12 बजे के बाद हेडकास्टेबल फारूक अहमद द्वारा मुझे जिलाधीश का एक आदेश प्राप्त हुआ जिसके अनुसार आज फुरसतगंज बाजार बूटे जाने की अपवाह थी और आदेश में कहा गया था कि मैं मौके पर जाकर उपयुक्त तथा समुचित व्यवस्था करूं। आदेश प्राप्त के बाद मैंने जिलाधीश के साथ सम्पर्क कर आवश्यक निर्देश प्राप्त किया और अपने क्लर्क राममूरत, चरसी ह्यामत तथा वैयक्तिक नौकर अब्दुल मनो के साथ किराये की मोटर कार से लगभग 2 बजे फुरसतगंज पहुँचा। मेरे पहुँचने से पूर्व एक पुलिस दल जिसमें एक दरोगा, एक हेड कांस्टेबल तथा दस सशस्त्र सिपाही थे। फुरसतगंज बाजार पहुँच चुका था। मेरे बाजार पहुँचने के समय बाजार की दुकानें खुल चुकी थीं तथा कुछ खोली जा रही थी। बाजार के चौराहे पर तीन चार सौ लोगों का एक झुंड जो

लाठियों भालो तथा कुल्हाड़ियों से लैस था खड़ा था । मैंने यह उचित सम्झा कि यदि दुकानें बन्द कर दो जाय और लोग यह जान लें कि बाजार नहीं लगेगा तो लोग वापस चले जायेंगे । मैंने यह बात दुकानदारों को बताई और दुकानें बन्द हो गयी ।

उस समय भी भीड़ अपनी लाठियां ताने हुए अपने स्थान पर खड़े खड़े महात्मा गाँधी बाबा राम चन्द्र तथा शौकत अली, मुहम्मद अली की जय के नारे लगा रहो थी । मेरे अनुरोध करने पर भीड़ धीरे धीरे बाजार से बाहर जाने लगी । इस समय भीड़ बढ़ रही थी । किन्तु मेरा अनुरोध मानकर दक्षिण दिशा को ओर खिस्तक कर रुक गयी । इसके बाद वह आगे नहीं बढ़ी । कुछ ही क्षणों बाद देखा गया कि भीड़ का एक बड़ा भाग दूसरी दिशा में बाजार में प्रवेश कर रहा है तब कुछ नेताओं से सम्पर्क करके उन्हें सम्झाया गया, लोगों से जैसा ज्ञात हुआ, उनके नाम-पोतनोग्राम के राम अवतार, रामनारायण, कोरवा मऊ के केदार ब्राह्मण पूरे कल्लू के काली गूजर तथा औसान ब्राह्मण ग्राम पोतनो के थे । उन्होंने राशन तथा कपड़ों को मंहगाई और ताल्लुकदारों व जमींदारों के अत्याचारों की शिकायत की । उन्होंने कहा कि जब तक यह शिकायतें दूर नहीं होती, वे संतुष्ट न होंगे और न वापस घरों को लौटेंगे तथा जो कुछ उनको शक्ति में होगा वह करेंगे ।

शांति तथा व्यवस्था स्थापना को दृष्टि से उनसे कहा गया कि शीघ्र ही उच्चाधिकारो उनकी बातें सुनें । उनसे यह भी कहा गया कि वे रायबरेली जाकर प्रार्थना-पत्र दें, मैं स्वतः भी जिलाधिकारो से सिफारिश करूँगा । इस समय वे शांत रहें व किसी प्रकार का अपराध न करें । नेताओं ने वापस जाने की बात मान ली । जैसे ही यह भीड़ हटी दूसरी भीड़ ने जिसमें कई हजार लोग थे और जो बाजार में ही छिपी थी, पुनः जय के नारे लगाने लगी और बाजार के भीतर घुसने लगी । उस समय मेरे तथा पुलिस दल के चारों ओर काफी दूर तक लाठियों से लैस आदमी हो आदमी देखे जा सकते थे । मैं तथा मेरे साथ कुछ अन्य व्यक्तियों ने गाँव के जिलेदार महादेव प्रसाद लोकरन ब्राह्मण, गब्बरसिंह ब्राह्मण, बिन्दा प्रसाद, विष्णुदेवर सिंह, महावीर सिंह, कामता गोसाईं तथा हमारे नौकरों और कुछ अन्य लोगों ने लगातार भीड़ से बाजार में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा वापस जाने हेतु अनुरोध किया किन्तु वे लोग इतने अधिक उत्तेजित थे कि उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया । प्रायः उन्होंने कहा कि बन्धियों ने भारी मुनाफे लिये हैं, हमें उन्हें दण्डित करना है । कभी उन्होंने यह शिकायत की कि अन्न तथा कपड़ों के दाम बहुत अधिक हो गये हैं इस लिये सभी दुकानदारों को आदेश दिये जायें कि तत्काल

चार आने गज के हिसाब से कपड़ा बेचे और आटा एक रुपये का आठ सेर दें अन्यथा शांत, सतुष्ट नही होंगे प्रत्यत दुकानों को लूटकर घर जला दिये जायेंगे ।

लगभग दो घंटे तक मे, अन्य लोगों के साथ उन्हें सम्झाता रहा, किन्तु उनकी उत्तेजना तथा भोड़ बढ़तो गयो । मेरे विचार से भोड़ 8 से 10 हजार लोगों को हो गयो धीतब वे किसी मकान तथा दुकान पर टूट पड़े । उन्होने ताला तोड़ जाला और लूटना तथा दगा करना प्रारम्भ कर दिया किन्तु जैसे ही मे वहाँ पहुँचा, भोड़ — "जय जय" — "मारो मारो" — "उन्हें फूक दो" — "बन्दूके छुड़ा लो" कहते हुए भागी । बीच बचाव करने वाले कुछ इस गाँव के तथा कुछ अन्य गाँव के लोगों पर भी आक्रमण हुआ । उन्होने हम पर लाठी, ईंटों, भालों, कुल्हाड़ियों से आक्रमण किया और मार पोट में पड़ गये । बीसों लाठियों तथा ईंट के टुकड़े हम पर फेंके गये । उसमें से एक ने एक लकड़ी उठाकर मुझ पर फेंका, जो सिर से छिटककर छाती पर लगी अन्यथा मुझे चोट आ जाती । उन लोगों ने फिर कुछ घरों को लूटना शुरू किया । अपने शस्त्रों तथा अपनी सुरक्षा और भोड़ को हटाने के लिये मैंने पुलिस दल को बंदूक साधने तथा कारतूस को पेटियाँ खोलने का आदेश दिया । इससे भी भोड़ पर कोई प्रभाव न पड़ा बल्कि उल्टा वह हमारा मजाक उड़ाने लगी । अन्ततः मैंने गाँव को हवाई फायर करने का आदेश दिया जिससे भोड़ भग जाय इस परस्त्रीपल्लवाई "इनकी बन्दूकें छीन लो, ये इसे गिने लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ।"

इस बीच दंगाइयों में से एक ने मुझ पर कुल्हाड़ी से वार करना चाहा, जिसे मैंने छुड़ा लिया यह वह समय था कि न हम भागने की स्थिति में थे और न छिपने की जबकि उत्तेजित भोड़ के प्राण घातक आक्रमण में कमी को कोई संभावना न थी अतः मैंने गाँव को गोली चलाने का आदेश दिया ।

जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोग घायल होकर गिर पड़े । जैसा कि आक्रमण सभी ओर से हो रहा था गोलियाँ भी चारों ओर दामी गयीं और चारों ओर घायल होकर लोग गिरे । घायल लोगों को गिरते देखकर भोड़ भगी । कुछ घरों तथा दुकानों से दंगाइयों को लूट का सामान ले जाते हुए देखा गया । तत्काल फायरिंग बन्द की गयी तथा बची भोड़ को भगाने की दृष्टि से कुछ और गोलियाँ दामी गयी । भोड़ यद्यपि वहाँ से चली गयी, तो भी वह बाजार के ककर काटती रही और "जय जय" के नारे

लगाते हुए लूट फूक के लिये चिल्लाती रही ।

जब भोड़ बाजार से छटी तो पाया गया कि चार उपद्रवी लोग मारे गये हैं तथा तीन घायल हुए हैं । पुलिस ने तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें से एक के पास से लूटी गयी खाने की तम्बाकू प्राप्त हुई । एक कुल्हाड़ी तथा कुछ लाठिया भी छोनी गयी । सभी मृतकों के शव तथा घायलों को एक जगह पर रखा गया, इसलिये कि उनको ले जाकर भीड़ नई सुराफात न पैदा करें । मैं मोटर तार द्वारा जाकर जिलाधीश को सूचित करके पुलिस को सशस्त्र सेना बढ़ाने के पक्ष में था, किन्तु ज्ञात हुआ कि मोटर ड्राइवर पर भी हमला हुआ था जो घायल होकर रायबरेली की ओर भाग गया था, तब मैंने चाहा कि तार करें, किन्तु फुरसतगंज स्टेशन जाने के सभी मार्ग भोड़ से अवरोध थे इसलिये गाँव के जिलेदार को चकरदार मार्ग द्वारा स्टेशन भेजा गया और शोघ्रता में लिये गये तार में संक्षिप्त जानकारी जिलाधीश को भेजी गयी तथा अपेक्षा की गयी कि वे पुलिस शक्ति को अधिक सुदृढ़ करें ।

जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान लगभग 5-30 बजे आये । उन्होंने तथ्यों का पता लगाया व घटना स्थल का निरोक्षण किया । उन्होंने मृतकों, आहतों उपद्रवी लोगों के अतिरिक्त कुल्हाड़ियों तथा ईंट के टुकड़ों का भी निरोक्षण किया जिन्से प्रहार किये गये गाँव के समस्त निवासियों तथा अन्य लोगों ने जिन्होंने मदद की घटना के विवरण प्रस्तुत किये । जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान ने उपद्रव करने वालों, घायलों तथा अन्य को मोटर से रायबरेली भेज दिया । पुलिस कप्तान ने मुझे आदेश दिया कि जगतपुर के सर्किल इंस्पेक्टर को तार भेजकर गाँव हेतु बुताऊँ । बड़ो जीठनाई से तार भेजा गया । पूरा गाँव व्याकुलता तथा अशांति की स्थिति में था । पुनः दंगा होने की अपवाहें बराबर सुनी जाती रहों । सभी दिशाओं में उपयुक्त व्यवस्था की गयी ।

भोड़ जो बहुत संख्या में स्कन्न थी, ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपराधिक कार्यों हेतु पूर्णतः तैयार होकर आयी है । गाँव वालों से मैंने यह भी सुना था कि उन्होंने ऐसी खबर सुनी थी कि उस दिन उपद्रवकारी दूढ़ निश्चय के साथ फुरसतगंज की बाजार लूटने आये थे । मैंने यह भी सुना कि उपद्रवियों में -बेतौरा, अहल, खालिसपुर, पीढ़ी, भाद वारा, महुड़डा, केसीरिया, कोलतई, नसोराबाद, पुरे कल्लू मिश्र बलमऊ, सलोन, नसोराबाद कोतवाली कैनों तथा प्रतापगढ़ जिले के लोग भी शामिल थे । जनता कर्मचारों और मैंने

इस भीड़ को घटो देखा और बात की । फुरसतगंज बाजार का गौड़ित रामजियावन पासो कियो प्रकार आक्रमणकारियो से घुलमिल गया । उसके हाथ में घाव हुए । यह भी पता चला कि कुछ अन्य लोग भी घायल हुए ।¹

गवर्नर के आदेश दिनांक 31 जनवरी, 1921 ई० के अन्तर्गत 2 फरवरी, 1921 ई० को जो असामान्य गण्ट प्रकाशित किया गया, उसमें भी फुरसतगंज में एक भीड़ को अपराधी माना गया है —

"फुरसतगंज गोलो काण्ड की जनता में कोई आलोचना नहीं हुई, क्योंकि वहाँ की भीड़ अपराधी थी और फायरिंग का आदेश देने से पूर्व ही उसने लूट पाट की थी ।"²

मुंशीगंज गोलीकाण्ड :

5 जनवरी को चंदनिहा से जिन दो तीन हजार किसानों ने अपने नेताओं बाबा जानकीदास पं० अमोल शर्मा तथा बदरीनारायण सिंह के दर्शनार्थ अथवा उन्हें रिहा कराने के लिये रायबरेली की ओर प्रस्थान किया था, वे सभी 6 जनवरी को शाम तक मुंशीगंज बाजार तक आ गये थे ।³

जिला प्रशासन ने 6 जनवरी को ही लखनऊ से पर्याप्त शस्त्र सेना तथा घुड़सवार मंगा लिया था ताकि भीड़ कियो भी स्थिति में पुल पार नहीं कर सके ।⁴

प्राप्त दस्तावेजों एवं प्रत्यक्ष दृष्टियों के अनुसार दिन के दस बजे लखते भीड़ सई नदी के पुल के उस पार दक्षिणो किनारे पर सम्पूर्ण रेतो क्षेत्र में फैल गयो थी । पुल के निकट आ गयी भीड़ को सेना के सिपाही तथा घुड़सवार पोछे को ओर दकेल रहे थे और भीड़ का रस्ता पुनः आगे आ जाता था । जिला पुलिस अधीक्षक मि० स्त० आर० मेयर की स्थिति किर्तव्यविमूढ हो थी । भीड़ के सम्बन्ध में ठाकुर प्रसाद सिंह ने लिखा है —

1- असामान्य राजकीय गण्ट इलाहाबाद, 2 फरवरी 1921 नं० 193।।।

2- असामान्य राजकीय गण्ट इलाहाबाद, 2 फरवरी 1921 नं० 193।।।

3- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन की यह भूमि पृ० 152

4- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन की यह भूमि पृ० 153

*7 जनवरी, 1921 ई० को प्रातः काल मुंशीगंज बाजार के पश्चिमी फाटक पर लोगों ने देखा कि सन् 1857 ई० में जो लोग जबरदस्तो कुचल दिये गये थे, उनके बेटे हजारों की संख्या में पुनः आकर खड़े हो गये थे और वे अंग्रेजों से कह रहे थे अब बहुत हो चुका, अब ये देश छोड़ दें, इसी में उनका कल्याण है ।¹

मुंशीगंज में खड़ी भारी भीड़ जिलाधिकारी मि० शेरिफ के लिये जटिलतम समस्या बन गयी थी । भीड़ की उत्तेजना को देखकर मि० शेरिफ ने शांति का मार्ग अपनाया और बाबू किस्मतराय² से भीड़ को सम्झाने व वापस जाने को कहा । परन्तु किस्मतराय के अनुरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

उसी समय नेहरू जी का आगमन हुआ परन्तु वीरपाल तथा पुलिस अधीक्षक की गुप्त मंत्रणा से पीड़ित नेहरू को पुल पर पहुँच जाने के बाद वापस लाया गया । प० नेहरू ने अपनी उपस्थिति को कितना उपयोगी अनुभव किया, इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है —

"मुझे बिल्कुल यकीन है कि अगर मैं या हममें से कोई जिन पर वे [किस्मान] विश्वास रखते थे, यदि वहाँ होते और उन्होंने [या मैंने] उनसे कहा होता तो वह जरूर वहाँ से हट गये होते जिन लोगों को वे विश्वास न करते थे, उनका हुक्म मानने से उन्होंने इंकार कर दिया किसी ने दर असल मजिस्ट्रेट को सुझाया भी था कि मेरे आने तक ठहर जायें किन्तु उन्होंने नहीं सुना । जहाँ वे खूद नाकामयाब हो चुके थे, वहाँ भला वह किसी आन्दोलनकारी को क्यों सफल होने दे सकते थे । विदेशी सरकारों का जिसका दारोमदार अपने रोब पर होता है, यह तरीका नहीं हुआ करता ।³

लखनऊ कमिश्नर की ट्यूह रचना :

जिलाधिकारी रायबरेली ने 6 जनवरी को अतिरिक्त सेना भेजने के सम्बन्ध में जो तार भेजा था उसी के आधार पर लखनऊ कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल जे०सी० फार्बर्थ जो कि एक फौजी अधिकारी थे । 7 जनवरी 1921 को सायं 6 बजे सशस्त्र यूरोपियन सैनिकों,

1- श्री ठाकुर प्रसाद सिंह "स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक" रायबरेली पृ० 6

2- बाबू किस्मतराय रायबरेली के पकील तथा ख्याति प्राप्त समाजसेवी थे ।

3- प० जवाहरलाल नेहरू "मेरी कहानी" पृ० 82

500 कारतूस, 6 सवारों तथा कुछ सैनिक अधिकारियों के साथ रायबरेली स्टेशन पर विशेष ट्रेन से उतरे थे। स्टेशन पर जिलाधिकारी मि० शेरिफ तथा सरदार वीरपाल सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर लखनऊ कमिश्नर 7 जनवरी से 20 जनवरी तक निरन्तर रायबरेली में रहे।

रायबरेली पहुँचने के बाद लखनऊ कमिश्नर ने निम्न तार मुख्य सचिव को भेजा :

"विचार करें कि हम अतिरिक्त पुलिस के प्रयोग द्वारा ही वर्तमान स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। जिसके आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं। कृपया जनरल ओ० ग्रेडो को सूचित करें कि वर्तमान में यहाँ सेना को कोई आवश्यकता नहीं है।¹

शाम 7.40 पर कमिश्नर लखनऊ ने दूसरा तार मुख्य सचिव को भेजा :-

"कृपया ड्राइवर सहित 6 फोर्ड करें और अधिक मात्रा में पेट्रोल तुरन्त भेजें।"²

लखनऊ कमिश्नर मि० जे० सी० फार्ज्वर्थ ने 7 जनवरी को ही रात 2.55 पर पुनः जो लम्बा तार मुख्य सचिव को भेजा, उसमें लिखा —

"रायबरेली के लिये कुछ सेना भेजने की संभावित आवश्यकता की रिपोर्ट संलग्न है मैंने स्केलब्रिड रेलवे के सीजनल मैनेजर कर्नल एडरसन के बिना किसी विज्ञापित की घोषणा के 28वीं फेब्रुवरी एक यूनिट को रात में रायबरेली लाने के लिये रेलगाड़ी तैयार रखने को कहा है जैसा कि उन्हें कार्य करना है उन्हें परामर्श किया गया है कि कर्नल एडरसन सिपाहियों की छोटी टुकड़ियों के साथ अतिरिक्त ब्रिटिश अधिकारी भी भेजेंगे। यदि आप उचित अनुभव करें फेब्रुवरी को एक यूनिट भेजने के लिये सैनिक अधिकारियों को सूचित कर दें।"³

7 जनवरी को आधीरात के लगभग लखनऊ कमिश्नर ने एक दूसरा तार मुख्य सचिव को गोलोकान्ठ की घटना के सम्बन्ध में तथा अपनी सैनिक शक्ति की नीति को स्पष्ट करते हुए भेजा —

1- उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ फाइल नं० 50 वाक्स नं० 133 पृ० 40

2- वही पृ० 49

3- उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ फाइल नं० 50 वाक्स 133 पृ० 51

“विशाल जन समूह जो जेल के बाहर रकब था बिना फसाद के नदों के उस पार मुशौगज के निकट तक हटाया गया भोड बहुत बड़ी थी और शहर की ओर बढ़ती आ रही थी। नियंत्रण सम्भव न था। उसने सवारों पर आघात किया और उन्हें गोली चलाने को विवश किया जिससे 2 या 3 मरे और 5 या अधिक घायल हुए। लखनऊ से आये हुए पुलिस जर्मियों का आचरण अतिउत्तम पाया गया। उनसे कठिनतम कार्य कराया गया। मैंने उन्हें चार आने के बजाय आठ आना दैनिक भत्ता देने का वचन दिया है। लेबर कोर के शास्त्र विहीन जर्मियों ने भी अच्छी सेवाएँ कीं। कृपया जनरल ओ ग्रेडी सूचित करे कि सेकिड राजपूत गार्दिंग ब्रिगेड की सशस्त्र सेना को हटाकर उनके स्थान पर कल सशस्त्र सिपाही नियुक्त रूप से रखे जायें। उन लोगों ने बिल्कुल गोली नहीं चलाई है। सशस्त्र सिपाहियों द्वारा स्थिति पूर्णतः ठोक मारें। परेशानी की जरूरत नहीं। कल जिले के कतिबय विभिन्न ताल्लुकेदारों की प्रातः मोटिंग करूँगा। जिसमें आगामी कार्यवाही नियुक्त होगी। जिला प्रशासन ने विषम परिस्थिति में सराहनीय प्रयास धैर्य और निपुणता के काम लिया।”

इंस्पेक्टर जनरल द्वारा पुलिस व्यवस्था :

मुख्य सचिव की इच्छानुसार इंस्पेक्टर जनरल ने लखनऊ कमिश्नर से संपर्क किया और दूसरे दिन दिनांक 8 जनवरी, 21 को मुख्य सचिव को अपनी कार्यवाही की सूचना भेजी :

प्रिय हैम्बर्ट :

7 तारीख के 3 बजे अपरान्ह आयुक्त लखनऊ डिवीजन का तार मिला कि 100 सशस्त्र सिपाही और 50 घुड़सवार तत्काल रायबरेली भेजें। उनका तार पाने पर मैंने पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, हरदोई, उन्नाव, सोतापुर, बारा-बंकी, फैजाबाद, बरेली और कानपुर को यह फोर्स भेजने के तार किये। शाम 4-45 पर आपके तार को प्रतिक्रिया मिली, जो पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद सांकेतिक थी। जिसमें निदेशक था कि जिसने हथियार बन्द सिपाही और सवार संभव हों, विशेष गाड़ी से रायबरेली भेजे जाय। मैंने तत्काल मि० रेनर कार्यालय अधीक्षक को ट्रेन की व्यवस्था हेतु भेजा और सिपाहियों को रकब करने के लिये मैं स्वयं पुलिस लाइन गया। मैं भंडल से मिला और 112 सशस्त्र सिपाही रकब कर सका, उन्हें मोटर कारियों से स्टेशन पहुँचाया

किन्तु विशेष ट्रेन के मिलने में कुछ विलम्ब हुआ। किसी तरह शाम 8-03 बजे हम ट्रेन रवाना कर सके। वापसी में मार्ग से ही मैंने, आप को तार किया कि ट्रेन रवाना हो गयी। मैंने अपने तार में लिखा है कि इलाहाबाद से आने वाले इल के अतिरिक्त लखनऊ से 80 सशस्त्र सिपाही तथा 50 सवार भेजे जा चुके हैं और अन्य जिलों से भी भेजे गये हैं। हेड कास्ट्रेबिलो को लेकर भेजी गयी हथियार बन्द पुलिस को कुल संख्या लगभग 300 हो चुकी है। इलाहाबाद से सवार न भेज पाने का कारण है कि वे सेना के साथ मिर्जापुर गये हैं। कार्टेन ने 60 घुड़सवार रायबरेली भेजे हैं, फैजाबाद, कानपुर व बरेली से 50 घुड़सवार भेजने के आदेश हो चुके हैं। उन्हें आज रायबरेली पहुँच जाना चाहिये। आपके निर्देशानुसार डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को, रायबरेली पहुँचने का आदेश कर दिया गया है। कल रात को 11 बजे मेयर से निम्नांकित तार मिला है —

“बाबा जानकीदास की गिरफ्तारी से स्थिति तानावपूर्ण है। जानकीदास, 600 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद रायबरेली जेल से किसी तरह हटाये गये। सबेरे से जेल के निकट हजारों लोगों की भीड़ है। किसी तरह भीड़ को रोके रखा गया और 2 बजे दिन तक तर्क विरतक चलते रहे। भीड़ तब हटो, जब पुलिस फोर्स पर आक्रमण के कारण घुड़सवार द्वारा 55 राउन्ड गोशियाँ दागी गयीं। तीन मरे सात घायल हुए। स्थिति शांत। किन्तु परिणाम अज्ञात।”

मेरा विश्वास है कि मेयर के पास स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त मात्रा में सिपाही हैं।

सेवामे,

जे०बी० लेम्बर्ट आई०एस०एस०
मुख्य सचिव यू०पी० लखनऊ

आपका विश्वासपात्र
हस्ताक्षर ।

इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के उपर्युक्त आलेख से स्पष्ट है कि लखनऊ कमिश्नर तथा मुख्य सचिव के सम्मिलित प्रयासों से रायबरेली जनपद हथियार बन्द सिपाहियों की छावनी ही बन गया था ।²

7 जनवरी, 1921 को कमिश्नर लखनऊ ने 6 फोर्ड मोटर कारें, भारी मात्रा में पेट्रोल

1- उ०प्र० पुलिस विभाग डी०ओ० नं० 23 दिनांक 8-1-21 पृ० 199 व 201

2- श्री राम सिंह किसान आंदोलन की यह भूमि पृ० 65

तथा सशस्त्र सैनिक भेजने के लिये जो तार मुख्य सचिव को भेजा था और दूसरे दिन उसे यह शक्ति प्राप्त हो गयी थी ।¹ उसके उपयोग के लिये 660 कैदियों को जेल से रिहा किया गया था विभिन्न जिलों से आयी सैनिक सहायता को अपने वफादार तात्बुद्धारों में बाँटकर कर्ष दमन चक्र चलाया ।

सम्पूर्ण जनपद में दमनचक्र चलाने के लिये जो 6 फोर्ड कारें लखनऊ से किराये पर गयी थी वे निम्न हैं :-

1-	गुरु चरणदास	2 फोर्ड कारें
2-	सिद्दीकी	। " "
3-	अब्दुल माजिद	। " "
4-	नन्हें	। " "
5-	तुलसीराम एड संस	। " "

4 जनवरी, 1921 को मोटर मालिकों तथा सरकार के बीच किराये में शर्तनामे पर हस्ताक्षर हुए ।²

14 जनवरी, 1921 ई० को पं० मदन मोहन मालवीय रायबरेली आने के बाद आने साथियों सहित अस्पताल गये थे जहाँ प्यारै लाल नामक घायल व्यक्ति ने मालवीय जीसे यह कहा कि मैं वीरपाल सिंह की गोली से घायल हुआ हूँ । इस घटना की सूचना लेते लखनऊ कमिश्नर को मिली, उसने 17 जनवरी 1921 को मालवीय जी को तार भेजा —

पं० मदनमोहन मालवीय,
इलाहाबाद ।

17 जनवरी 21
रायबरेली

संदर्भ, कल की आपको रायबरेली यात्रा ।

लेबर कोर के किसी व्यक्ति द्वारा आपको जो बयान दिया गया है वह पूरी तरह असत्य तथा झामक है । आपको सत्यता से परिचित कराने में जब भी आप चाहेंगे मुझे प्रसन्नता होगी ।

कमिश्नर³

-
- 1- 3090 राज अभिलेखागार लखनऊ फाइल नं० 50 वाकस नं० 133 पृ० 91
 - 2- 3090 राज अभिलेखागार फाइल नं० 50 वाकस नं० 133 पृ० 91
 - 3- 3090 राज अभिलेखागार पुलिस विभाग फाइल नं० 50 पृ० 281

लखनऊ कमिश्नर की रिपोर्ट :

17 जनवरी को लखनऊ कमिश्नर की प्रदेश सरकार को मुशोगंज-गोलोकान्ड को विशेष रिपोर्ट भेजी गयी जिसमें वीरपाल सिंह को निर्दोष प्रमाणित करने के लिये अनेक तथ्य प्रस्तुत किये गये थे उन्होंने 17 जनवरी को निम्नलिखित बयान दिया :

पोड़ पुल से कई सौ गज पोछे हटा दो गये थे जब भोड़ उससे आगे नहीं गयी और उल्टे लाठी और पत्थर बरसाने लगी, तब 24 सवारों का दल आगे बढ़ाया गया किन्तु भोड़ द्वारा सवारों को पोछे टुकेल दिया गया, दो घुड़सवारों को नोचे गिरा दिया गया, स्थिति गंभीर थी । यदि भोड़ आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त कर नगर में घुस जाती तो इससे नगर की दुर्घटनायें अधिक गंभीर होती । मैंने गोली काण्ड की जाँच बड़ी गंभीरता से की है । एक महत्वपूर्ण साक्ष्य लेबर कोर का सूबेदार हाकिमसिंह जिसने जवानों के अनुष्कार पहली गोली चलाई थी, परन्तु मैं उसकी गवाही ले नहीं पाया । क्योंकि वह पंजाब चला गया । उसने पहली गोली चलायी नहीं, किन्तु अनायास जान-बूझकर भोड़ हटाने के लिये जब उसने देखा कि भोड़ पुलिस पर झपट रही है या भोड़ व पुलिस दोनों झपट रहे हैं इसमें शंका नहीं कि उसने गोली चलाई और संभवतः यही प्रथम गोली थी । यह गोली एसपी० के गोली चलाने के आदेश देने के पूर्व चली थी । यह भी सम्भव है कि कुछ सवारों ने आदेश से पूर्व आत्म रक्षार्थ गोलियाँ चलाई । यह बात किसी सवार ने स्वीकार नहीं किया । यदि गोली न चलती तो भोड़ सवारों पर चढ़ जाती । गोली चलने की अनिश्चितता से यह बात भी उठ खड़ी हुई कि पहली गोली वीरपाल सिंह ने ही चलाई और उन्होंने ही शयकर दुर्घटना की जिम्मेदारि भी इससे सहमत है कि वीरपाल सिंह ने गोली नहीं चलाई उन्होंने केवल अपने पिस्तौल से फायर किया था । जिम्मेदारि ने भी अपने पिस्तौल को दो बार चलाया किन्तु उन्होंने भी किसी को नहीं मारा क्योंकि मेडिकल परीक्षण में किसी भी मृत अथवा आहत व्यक्ति को पिस्तौल की गोली नहीं लगी । मैंने सावधानी पूर्वक प्रयास किया कि कोई विश्वसनीय गवाह मिले, जिसने गोली चलते देखा हो तो केवल मुहम्मद झाइवर एक नायक और एक शिपिक, लेबर कोर का मिला, उनके बयान निर्णायक नहीं है । एसपी० मि० मेजर ने पिस्तौल नहीं चलाई । डी०एस०एस०पी० हाकिम सिंह तथा वीरपाल सिंह के बयानों से स्पष्ट है कि गोली तब तक नहीं चली, जबतक गोली चलाना अपरिहार्य नहीं हो गया मुझे जानकर दुःख हुआ कि मालवीय जी के आगमन पर 14 जनवरी को प्यारेलाल नामक एक

फर्जी गवाह पेश हुआ जिसने बताया कि वीरपालसिंह ने गोली चलाई। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस व्यक्ति को सम्पूर्ण बात बूढ़ो है यह निर्णय हो चुका है कि प्यारेलाल घटना के समय नहीं था।

मालवीय जी थोड़े समय ही रायबरेली में रहे अन्यथा उन्हें सच्चाई का पता चल जाता। घायलों में से एक ने कहा कि उसे वीरपाल सिंह की गोली से चोट लगी। मैंने स्वयं 9 या 10 जनवरी को अस्पताल जाकर इस व्यक्ति से भेंट की थी, किन्तु उस समय उसे ऐसी शिकायत नहीं थी जनवरी 14 या 15 को मालवीय जी अस्पताल गये तो व्यक्तियों ने बताया कि वीरपाल सिंह ने हो मारा है। जब आज मैं अस्पताल गया तो मुशोर्गंज काण्ड के सभी घायल कहने लगे उन्हें वीरपाल ने हो मारा है।

सिविल सर्जन द्वारा पोस्टमार्टम किये गये जो भी प्रकरण हैं उनमें हर एक केस में बन्दूक की गोली लगने की ही रिपोर्ट है। वीरपाल सिंह के पास तो रिवाल्वर था।

समाचार पत्रों की अभिरूचि :

मुशोर्गंज गोलीकाण्ड के समय 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के घटनास्थल पर पं० जवाहर लाल नेहरू की उपस्थिति, 9 जनवरी को पं० मोतीलाल नेहरू का रायबरेली आने और अस्पताल जाकर घायलों के बयान लेने, 9 जनवरी को हो उम्नाव के "राजस्व" साप्ताहिक के सम्पादक श्री विष्णुवन्धर नाथ बाजपेयी का रायबरेली आने तथा संवाद प्रकाशित करने 14 जनवरी को पं० मालवीय, पं० नेहरू व वैकुण्ठ नारायण तिवारी के रायबरेली आने और गोलीकाण्ड में विशेष रुचि लेने के कारण हो प्रदेश के समाचार पत्रों ने भी रायबरेली के मुशोर्गंज काण्ड को अंग्रेजी प्रशासन के एक विशेष अन्वयकाण्ड के रूप में देखा।

सहयोगी "इंडिपेन्डेन्ट" का विशेष संवाददाता बतलाया है कि सरदार वीरपाल सिंह जो कि एक कठोर और जाहिल तालुकदार हैं डिप्टी कमिश्नर का अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन गया है। कई घायलों का कत्ना है, उसने ही सबसे पहले हिन्दुस्तानी भाइयों पर गोली चलाई। इस भोक्कण हत्याकाण्ड को किसने प्रारम्भ किया यह बात अभी तक नहीं सुल पाई। स्वयं मजिस्ट्रेट भ्रम में है कि गोली चलाने को आज्ञा किसने दी। बहुतेरे आदमी घायल हुए हैं आठ लाशें देखी गयी। गोली चलाने में जनरल डायर के भी कान

1- उ०पु० राज अभिलेखागार पुलिस विभाग फाइल सं० ड० पु० 437 से प्रारम्भ

काट लेने को कोशिश की गयी है। भागते हुए लोगों को पोछे से गोली का निशाना बनाया गया व उनके पीठ जख्मों हुए। नेहरू के सम्झाने पर जनता अपने घरों को वापस जाना चाहती थी, किन्तु पोछे से गोली दागी गयी। धड़ाधड़ मिलिट्री, सवार पुलिस रायबरेली बुलायी जा रही है। पता नहीं अब कौन सा गुल खिलने वाला है। कमिश्नर साहब भी पहुँचे हैं। जगह जगह हथियार बन्द पुलिस पहरा देरही है और सेग्लोइंडियन पत्रों में जो समाचार छपे हैं वे बिल्कुल अपूर्ण और गलत हैं। हताहतों की संख्या भी ज्ञानी तक प्रकट नहीं थी। अस्पतालों में घायल लोग पड़े हैं।¹

इस प्रात में, इस समय 1921 ई० में प्रशासन सुधारों के सूत्रपात के आरम्भ में और इयूक ऑफ व्नाट के आगमन के साथ ही पंजाब में हो चुकने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। यद्यपि यह उतनी बड़ी नहीं परन्तु रंग रूप में जोई अन्तर नहीं था। डायर ने जो कुछ किया उससे रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या काम किया? निहत्थों और निर्दोष पर उसने गोलियाँ चलाई, यही काम रायबरेली में किया गया अन्तर था तो केवल यह कि वहाँ मशीनमन थी यहाँ बन्दूकें थी। वहाँ एक घिरा हुआ बाग था वहाँ नदी का किनारा परन्तु निर्दयता व पशुता की मात्रा में कमी नहीं थी। मरने वालों के लिये मुशीगंज की गोलियाँ वैसी ही कातिल थी जैसी कि जलियावाला बाग की गोलियाँ।²

पता नहीं डायर ने जलियावाला में अपने हाथों से गोली चलायी थी या नहीं परन्तु यहाँ डायर का एक भाई मौजूद था। रंग और रूप में नहीं, परन्तु हृदय की कूटता में ठीक डायर का ही था। देश के दुर्भाग्य से यह आदमी है एक भारतीय और उसका नाम है वीरपल सिंह यह ताल्लुकेदार है, किसानों का कहना है कि उसने सबसे अधिक गोलियाँ चलाई। वह इंकार करता है किन्तु उसका यह इंकार हमारे आदमियों की आँखों में धूल नहीं झोंक सकता। डायर की पोठ ठोकी थी ओड्यार ने और आज ठीक यही बातें इस घटना के सम्बन्ध में हो रही हैं। सर हार्टपोर्ट बटलर माइकेल ओड्यार का काम कर रहे हैं।³

1- दैनिक "वर्तमान" कानपुर 13 जनवरी 1921

2- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन की यह भूमि पृ० 80

3- गणेश शंकर विद्यार्थी संपादकीय दैनिक प्रताप कानपुर 13 जनवरी 21

जानकीदास तथा उनका दल चदनिहा में गिरफ्तार किया गया । आज लखनऊ लाये गये गिरफ्तार व्यक्ति रह रह कर महात्मा गाँधी को जय के नारे लगा रहे थे दो मृतक व्यक्तियों को लाशें पोस्टमार्टम के लिये लाये गये ऐसा पूर्ण विश्वास है कि उनकी मृत्यु निवाल्वर को गोली से हुई जिलाधिकारी को नोटिस में जारी है कि वोरपाल सिंह ने अपने रिवाल्वर से एक बार केवल आत्म रक्षार्थ गोली चलायी । सिविल सर्जन ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सभा व्यक्तियों को मृत्यु बन्दूक को गोली से हुई ।¹

तारीख 14 जनवरी को मालवीय जो० पं० जवाहरलाल नेहरू पं० वैकुण्ठ नारायण तिवारी तथा अनेक पुरुष आये । रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये 10 विध्वंसकार नामध बाजमेयो, पं० गौरोशंकर मिश्र, बाबू विस्मतराय वहील तथा पं० मार्ण्ड वैद्य व अन्य गणसंख्य व्यदित फैजाबाद के लललन की लगभग 1000 मनुष्य उपस्थित थे । उनके उतरते ही जय जय की ध्वनि से आकाश गूँज उठा । पीडित की भीड़ संगेत गंधोगंज के पुल पर गये । संख्या में लगभग 84 स्थानों से भी उमर जो अलग अलग थे खून की बहो हुई धारा के निष्पानात पाये गये पीडित जो संव अन्य के घित्त में बेगुनाहों के खून का जो अक्षर पड़ा वह उनके उड़े हुए, फोड़े चेहरों की दुखमयो उजड़ी हुई ससै बता रही थी ।²

मालवीय जो से एक छोटहर ने जो कि वोरपाल सिंह के गाँव का रहने वाला था रो रोकर अपने दुख की गाथा सुनाई । पुलिस के अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं वह वोरपाल सिंह के डेरे ग्राम खुरेहरो में ठहरी है । उसने 9 व्यक्तियों को पकड़कर बैठाया है । चार दिन से वे बिना अन्न जल जाये पिये भूख से तड़प रहे हैं उन पर बेहद मार पड़ी है । भोजा और ननकू पुलिस द्वारा इतने पीटे गये हैं कि उनके मुँह से खून बह रहा है । मार के कारण धोतियों में "पाखाना" फिर मारा है, उसे भी धोने नहीं पाते । पुलिस वाले घर में घुस घुस कर स्त्रियों को बेइज्जती कर रहे हैं । सरकारी कर्मचारियों द्वारा रायबरेली जिला डाकू दर्शाया गया है । नित्य प्रति बीसों काप्रतकर चालान होकर जेल में जाते हैं । यहाँ के लाला शंभुशो का लिका प्रसाद आदि कितने ही सज्जन जेल में हैं अनेक मंत्री और प्रधानों की योठें मार के कारण झुक गयो है ।³

-
- 1- इंग्लिषमेन्हेन्ट इलाहाबाद 14 जनवरी 1921 ई०
 - 2- दैनिक प्रताप कानपुर 19 जनवरी 1921
 - 3- दैनिक प्रताप कानपुर 19 जनवरी 1921

सरदार वीरपाल सिंह के विवाद को लेकर पं० नेहरू ने अपने वक्तव्य दिये —

“वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस देश में शासक वर्ग, जो चाहे करे और चाहे तो हमें गोली से उड़ा दें, किन्तु उन्हें अपने क्रिया कलापों को न्यायोचित सिद्ध करना पड़ेगा। वे अपने कारनामों के कारण अपने से जै अधिकारियों को प्रशस्त के पात्र हैं भले ही उनकी मूर्खता से निर्दोष व्यक्तियों की जान ही क्यों न चली जाय। वे जितनी बड़ी मूर्खता करते हैं उनकी तारीफ उतनी ही बड़ी होती है। किसान बहुत समय से वीरपाल सिंह के क्लेश के भुक्त भोगी हैं किन्तु अब उठने का समय आ गया है। किसान अब जम चुके हैं और फीताशाही उन्हें डरा न सकेगी और वे अपने लक्ष्य तक पहुँच जायेंगे।¹

मि० रल० पोर्टर यू०पी० के वित्त सदस्य थे उन्होंने मुंशीगंज गोली काण्ड के दो सप्ताह बाद एक महत्वपूर्ण पत्र सचिव मि० लैम्बर्ट को लिखा। यह पत्र भी वीरपाल सिंह के अपराधों को छिपाने और घटना की गम्भीरता को नष्ट करने के प्रयास को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।²

जिलाधीश मि० शेरिफ ने मुंशीगंज गोलीकाण्ड की जो रिपोर्ट प्रांतीय सरकार के मुख्य सचिव को भेजी उसमें भी वीरपाल सिंह को निर्दोष साबित किया है तथा हाकिम सिंह शूलेबर-कोरू को पहले गोली चलाने का जिम्मेदार बताया है। इसको पुष्टि के लिये उन्होंने दफादार प्रेमसिंह, सवार अल्ताफ बेग तथा सिंह के शपथ पूर्वक बयान लिये।³

गोलोकाण्ड के सम्बन्ध में लीडर संपादकीय लिखता है कि परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिये तथा उन सिपाहियों को नौकरी से निकाल देना चाहिये, जिन्होंने गोली काण्ड किया। सरकार को तुरन्त इसको जाँच कराकर अनधिकृत गोली चलाने वालों की जिम्मेदारी ठहरानी चाहिये।⁴

कानपुर के दैनिक “प्रताप” के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी पर 13 जनवरी 1921के

1- पं० जवाहरलाल नेहरू “इंडिपेंडेंट” 23 जनवरी, 1921 पृ० 5

2- उ०प्र० राज अभिलेखागार पुलिस विभाग फाइल 134 पृ० 709-711

3- उ०प्र० राज अभिलेखागार फाइल नं० 50/1921 पृ० 357-75

4- संपादकीय दैनिक “लीडर” इलाहाबाद 20.1.21

लेख के आरोप में मुकदमा चलाया गया। प्रताप के वकील डा० वृन्दावन लाल वर्मा थे। पं० नेहरू, प० मोतीलाल नेहरू डिप्टी कमिश्नर मि० शेखरिफ तथा वीरपाल सिंह के बयान लिये गये। विद्यार्थी की तरफ से 65 लोगों ने गवाहो दी जिसमें प्रत्येक ने सरदार वीरपाल सिंह को ही सबसे पहले गोली चलाने का जिम्मेदार बताया। परन्तु मजिस्ट्रेट मकसूद अली खान ने 30 जुलाई सन् 1921 को मुकदमें का जो निर्णय दिया, वह अंग्रेज जाति की न्यायप्रियता पर कलक के रूप में सदैव अंकित रहेगा —

दो मुलिजमान गणेशा शंकर विद्यार्थी व शिव नारायण संपादक व पिटर [प्रताप] को तीन मास का साधारण कारावास का दंड तथा पाँच पाँच सौ रुपया प्रत्येक जुर्म में [धारा 499 व 500 आई०पी०सी०] जुर्माना देने का आदेश देता हूँ। जुर्माना न देने पर तीन मास का अतिरिक्त साधारण कारावास। दोनों सजायें साथ साथ चलेंगी। जुर्माना आदा हो जाने पर उक्त धन, वादी को उसकी मानहानि के मुआवजे के बतौर दिया जाये।¹

निर्णय के बाद भारतीय जन नानावती ने वृन्दावन लाल वर्मा के पास जमानत की खबर भिजवाई। तब आवेदन पत्र तैयार होने पर जमानत मजूर रिहाई का आदेश जेल भिजवा दिया। रिहाई के समाचार से दुखी भोड़ के चेहरों पर सुखी बिखर गयी और अदालत का सम्पूर्ण प्रांगण व आकाश "गणेशा शंकर जिंदावाद", "शिव नारायण जिंदावाद", पंडित नेहरू जिंदावाद, हत्यारा वीरपाल सिंह मुर्दावाद, वीरपलसिंह हाय हाय तथा जन नानावती की जय के नारों से कंवायमान हो उठा।

मजिस्ट्रेट मकसूद अली खान के निर्णय के बाद गणेशा शंकर विद्यार्थी ने 22 अगस्त सन् 1921 ई० को ट्रेजरी चालान द्वारा अर्ध दण्ड का भुगतान कर दिया था जिसे सरदार वीरपाल सिंह के सुवतार आम अहोरवादोन ने बाजबर संख्या 54/29, 662 दिनांक 21.11.1921 के द्वारा आहीरत कर लिया।²

मुंशीगंज गोली काण्ड में कुल 1024 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें

1- फैसला फाइल नं० 1 नथी 8 क्रमांक 417 से 486

2- अमरेश - एक और जीलियावाला, पृ० 82

११६ को रिहा कर १०८ व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये ।

सरकारो दस्तावेजो में गोलीकाण्ड मे मृतकोंकी संख्या ६ है तथा जाँच पडताल के बाद १८ घायलों को जानकारो मिल सको ।

सेहगों - गोली काण्ड :

सेहगों गोलीकाण्ड जीघटना २३ जनवरी को घटित हुई । उस समय वहाँ का ताल्लुकेदार चौधरी गौरो शंकर था । सेहगों में दो परिवार ऐसे थे जिन्हें ताल्लुकेदार का प्रतिद्वंदी कहा जा सकता है । एक परिवार था शिवरतन चौधरी का व दूसरा था भिखारी लाल का । ताल्लुकेदार व शिवरतनमित्र थे । मरने से पूर्व अपने पाँचों बच्चों की जिम्मेदारी व जायदाद का रक्षक बनया । ताल्लुकेदार द्वारा उसकी जायदाद को हड़प लिया गया । जिसे उसकी विधवा स्त्री में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई तथा अपना गतिविधि व कूटनीति से उसे "क्लेक्टर" को उपाधि मिली तथा उसके पहलवान पुत्र राम अवतार को "भीम" की उपाधि मिली ।

भिखारी लाल का पुत्र सालिमराम था । पिता को मृत्यु के बाद ताल्लुकेदार ने सालिमराम को जायदाद भी हड़पो व कई मुकदमों में फसाने के बाद उसकी नाक भी १९०८ ई० में समूल कटवा ली । समान परिस्थितियों के कारण सालिमराम व राम अवतार अभिन्न मित्र बन गये ।

प्रतिशोध की प्रक्रिया में पहलो घटना ताल्लुकेदार की भूमि से बाजार को हटाकर गाँव की सार्वजनिक भूमि पर लगाने के रूप में घटी जिसे आर्थिक क्षति के साथ उसकी गरिमा को गहरा धक्का लगा ।

दूसरी घटना ताल्लुकेदार के मुखतार प० हरनारायण द्वारा यह कहना कि सेहगों के तीन पाये हैं — सेहगों खानपुर, सेहगों पश्चिम गाँव तथा सेहगों पूरब गाँव । जब तक यह पाये हैं तब तक ताल्लुकेदार का कोई बाल बाँका नहीं कर सकता सालिमराम व राम अवतार ने इसे अपना अपमान समझा व मुखतार को बहुत पीटा ।

तीसरी घटना थी राम अवतार ने अपने ही एक आदमी का हाथ तोड़ डाला व ल्युटी का मुकदमा मुखतार के ऊपर दायर कर दिया ।

चौथी घटना ताल्लुकेदार के 100 जानवरों को हाक कर उसीकेगन्ने के खेत में छोड़ देने से सम्बन्धित थी ।

इन सफलताओं के पीछे गाँव को रकता थी गाँव का एक भी व्यक्ति ताल्लुकेदार के साथ नहीं था ।

गालिका प्रसाद द्वारा सेहगों बाजार की किसान सभा को सम्बोधित करने से लोगों में रकता व नया उत्साह उत्पन्न हुआ । चूँकि ताल्लुकेदार द्वारा अपनी सुरक्षा के लिये पुलिस को सूचित करते रहने से पुलिस सर्तक थी । ताल्लुकेदार उन्हें धम व दावत भी देता था । 23 जनवरी को पुलिस का दल सेहगों आया । उस समय बाजार लगा हुआ था । पुलिस वालों ने लोगों को मारा पीटा । "क्लेक्टर" को सूचना मिलते ही उसने पुत्र रामअवतार को भेजा । पुलिस दल व राम अवतार, साखिराम के बीच जम कर संघर्ष हुआ जिसमें गोली चली । एक सिपाही बहरोवा पुलिस स्टेशन भाग गया । घटना की खबर पाकर मि० शेरिफ तथा जिला पुलिस कप्तान मि० मैयर तथा पुलिस दल सहित घटनास्थल पर पहुँचे तथा साखिराम, रामअवतार, मोहनलाल, लछिमन, रामनिधि, महाबली, रामरतन, लीला पासी, पराग टोकाधरी, शीतल, भगवानन्दोन, द्वारिका विघ्नेश्वर, द्वारिका पहाड़ी, राम सिंह टिकैत तथा जगमोहन को ताल्लुकेदार की कपटरी में बन्द कर दिया ।

मुकदमा 25 व्यक्तियों पर चला । राम अवतार ने जुर्म को स्वीकारा दोनों सिपाहियों को मारने की जिम्मेदारी थी । उन्हें व साखिराम को फाँसी की सजा हुई व अन्य को कारावास की लम्बी सजायें मिली ।¹

सरकारी दस्तावेजों का साक्ष्य :

सरकारी दस्तावेजों में भी सेहगों-गोलीकाण्ड का वर्णन है । गोलीकाण्ड से पूर्व दो सिपाहियों के मरने के साथ ही एक सिपाही भाग गया था उसी ने बहरोवा थाने में सूचना दी थी और उसकी सूचना पर ही जिलाधीश आदि को तार किया था जिसके आधार पर जिलाधीश मि० शेरिफ तथा पुलिस कप्तान मि० मैयर शाम होते होते सेहगों

1- श्री राम सिंह, किसान आंदोलन की यज्ञभूमि 138-40

पहुँच गये थे। ब्रिटिश राज में किसी भी काण्ड या गोलो काण्ड में, जिसमें दो सशस्त्र सिपाहियों की मृत्यु घटना स्थल पर हो हो गयी थी, साधारण उपद्रव न था, घटना के दूसरे दिन जिला पुलिस कप्तान मि० शेयर ने घटना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस यू०पी० को भेजा जबकि जिलाधीश मि० शेरिफ ने तार द्वारा मुख्य सचिव को सूचित किया कि बाजार की भोड़ में कोई नियमित सभा नहीं थी। गाँव के दो बदमाशों रामअवतार तथा साल्लगराम के द्वारा ताल्लुकदार तथा सरकार के विरुद्ध भाषण देने के कारण यह घटना घटी।¹

कैरिहिया गोलो काण्ड :

अन्य गोलो काण्डों की भाँति कैरिहिया गोलो काण्ड भी किसी दुर्घटनावश नहीं घटित हुआ वरन् उसके पीछे किसान आंदोलन का एक सुनियोजित अभियान था। इस किसान अभियान का नेतृत्व श्री बृजपाल सिंह व बिनकू सिंह ने किया था।

जिलाधीश रायबरेली ने 20 मार्च 1921 ई० से दो दिन पूर्व धानाध्यक्ष सलोन को आदेश भेजा जिस पर जिला पुलिस कप्तान के भी हस्ताक्षर हैं :

मुझे सूचित किया गया है कि 20 मार्च को कैरिहिया बाजार में कुछ लोग उरतेजनात्मक भाषण देंगे। मेरा विचार है कि ऐसे व्याख्यानों से जन-साधारण की शांति में विघ्न पैदा होगा।

इसलिये मैं सी०पी०सी० की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश करता हूँ कि कैरिहिया बाजार में 20 मार्च को कोई भी व्यक्ति जनता में भाषण नहीं करेगा।

धानाध्यक्ष सलोन को अनुमालनार्थ
ह० जिला पुलिस कप्तान²
9-3-1921

ह० सी०पी० शेरिफ
जिलाधीश
18-3-21

18 मार्च 21 को ही जिलाधिकारी ने पुलिस कप्तान को एक दूसरा पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के कुछ नेताओं का भी उल्लेख किया है।

1- उ०प्र० राज अभिलेखागार फाइल नं० 50 पृ० 203-304

2- उ०प्र० राज अभिलेखागार नो०सी०सी० फाइल नं० 50/1921 पृ० 55

"ग्राम मेठाया धाना-लालगञ्ज जिला प्रतापगढ़ के ब्रजपाल सिंह, सुरजपाल सिंह तथा गंगादोन और झिनकू सिंह निवासी-गौदहा धाना सलोन "असहयोग पर जनपद में भाषण देगे और वह विश्वास करने के कारण हैं कि उनके ऐसा करने से शांति में बाधा उत्पन्न होगी ।

ब्रजपाल सिंह, सुरजपाल सिंह, गंगादोन तथा झिनकू सिंह को कारण बताओं आदेश इस आशय का दिया न निर्गत किया जाय कि उनमें से प्रत्येक 500.000 रुपयों का बांड भरे तथा दो दो 500 रुपयों के जमानतदार प्रस्तुत करे कि वह एक वर्ष तक शांति बनाये रखेंगे ।

शासनाध्यक्ष सलोन को आदेश भेजा जाये कि वह इन लोगों को, यदि 20 मार्च को वे कैरिहिया आये, तो गिरफ्तार करें और एसडी० मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 107 सी०पी० एच० कार्यवाही के लिये प्रस्तुत करें ।

धानाध्यक्ष सलोन को अनुमालनार्थ
जिला पुलिस कप्तान¹
19.3.21

एस०जे० शेरिफ
जिलाधीश
18.3.21

जिलाधीश द्वारा कमिश्नर को सूचना :

तार की प्रतिलिपि रायबरेली दिनांक 20 मार्च 1921 रात्रि 9.50 बजे ।

"आज शाम को सलोन के निष्कट कैरिहिया बाजार में बलवा हुआ पुलिस जितने गिरफ्तारियाँ की उसे बलवाइयों ने ताल्लुकदार के घर पर घेर रखा है पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग की । निश्चित नहीं कि भीड़ हटी । मैं सशस्त्र पुलिस और मि० मेयर के साथ जा रहा हूँ ।

लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 1921

जिलाधिकारी

प्रतिलिपि राज्यपाल के व्यक्तिगत सचिव को सूचनार्थ अग्रसारित ²

ह० जे०सी० फार्जुम
कमिश्नर लखनऊ मण्डल

1- उ०प्र० राज अभिलेखागार फाइल नं० 50/1921 जी०एस०डी० पृ० 53

2- राज अभिलेखागार जी०एस०डी० फाइल नं० 50/1921 पृ० 1145

पुलिस कप्तान एस०आर० मेयर द्वारा इस्पेक्टर जनरल ~~पुलिस कप्तान~~ के 0ई०यू०पी० को जो रिपोर्ट भेजी उसमें करेहिया बाजार तथा अन्य गाँवों में समय समय पर जन सभाओं में आपत्ति जनक भाषण दिये जाने को रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिलाधीश ने धारा 144 सी०पी०सी० के तहत 20 तारीख के भाषण पर प्रतिबन्ध लगा दिये तथा 107 सी०पी०सी० के तहत आदेश द्वारा स्थानीय पुलिस से अपेक्षा की गयी कि यदिसदभित्त व्यक्ति उस दिन बाजार में आवें तो उन्हें गिरफ्तार किया जाय। फलतः धानाध्यक्ष सलोन रजो अहमद दरोगा शिवनाथ सिंह, अस्थायी द्वितीय अधिकारी एक हेड कास्टेबल, चार सशस्त्र सिपाही करेहिया गये वहाँ झिनकू सिंह, वृजपाल सिंह, अन्य तमाम लोग मौजूद थे। वहाँ पर वृजपाल सिंह, सुरजपाल सिंह व गंगाधर ब्राह्मण जो प्रतापगढ़ के माडीवान गाँव के थे तथा झिनकू सिंह सलोन के जोधा गाँव का था। इन लोगों ने भाषण दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने वृजपाल सिंह व झिनकू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस पर भीड़ जय बोलते हुए पुलिस को ओर बढ़ी। तब बचाव के लिये धानाध्यक्ष गिरफ्तार व्यक्तियों को लेकर ताल्लुदारिन के कच्चे घर की ओर गये। उस मकान को भीड़ ने घेर लिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि धानाध्यक्ष ने दो तीन हवाई फायर किये। स्थिति संकटपूर्ण देखकर अध्यक्ष ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया इस बीच झिनकू सिंह व वृजपाल सिंह निकल कर भीड़ से जा मिले स्थिति संकटपूर्ण थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस कप्तान स्वयं घटनास्थल पर रात को पहुँचे। स्थिति वैसी ही थी। भीड़ व उनके नेता वहीं छटे थे वृजपाल सिंह व झिनकू जनता को उत्तेजित कर रहे थे।

फायरिंग में दो आदमी मारे गये। रिपोर्ट में है कि 15 अन्य को लार्से क्लब में डलवा दो गये यदि पुलिस कप्तान व जिलाधीश समय पर न आते तो ताल्लुदारिन का घर चौपट कर दिया जाता।

स्थिति बढ़ी भयकर थी। वृजपाल सिंह तथा झिनकू सिंह गिरफ्तार कर लिये गये। झिनकू सिंह के बाह में घोड़ी चोट आयी। इसके बाद भीड़ बली गयी।

20 तारीख को पुलिस द्वारा दस चक्र बन्दूक, सात चक्र रिवाल्वर तथा एक नम्बर की चार मोलियाँ दानी गयी जिससे दो मरे और पाँच घायल हुए। 21 को पुलिस ने

1- मजीद हैयत सिद्दीकी, अंग्रियन अनेस्ट इन नार्थ हीड्या द यूनाइटेड प्रोविन्सेज पृ० 16

68 गोलिया चलाई जिनमें एक मरा व सात घायल हुए घायलों में दो बाद में मरे ।¹

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार 21 जो ठाठ झिनकू सिंह की मृत्यु घटनास्थल पर ही हुई थी जबकि पुलिस कप्तान रिला नामोल्लेख के एक ही व्यक्ति ने मृत्यु बताया है ।

कैरिहिया गोलीकाण्ड पर सम्राट बनाम वृजपाल सिंह तथा अन्य के नषम से भारतीय दंड विधान को धारा 147 के अन्तर्गत अभियोग चला ।

वर्तमान अभियोग में जो अभियुक्त हैं ये हैं — वृजपाल सिंह, लाल सिंह, बच्चा नाई, लजम्मुल शाह, गौरेशंकर, सोताराम सिंह, लक्ष्मण चमार, गंगाधोन, पितई, बच्चा कुरमी, दीरयावसिंह, बुधई, सत्यनारायण सिंह, मंगल सिंह, दुल्ला, शिवदयाल, रामधोन कुरमी तथा सुरजपाल सिंह भारतीय दण्ड संहिता को धारा 147 के अन्तर्गत अपराधी हैं । वृजपाल सिंह धारा 225 के अन्तर्गत भी अपराधी हैं ।

धारा 506 के अन्तर्गत दो माह की तनहाई जेल भी सम्मिलित थी तथा इसके भीतिरुक्त धारा 147 आईपीसी के अन्तर्गत छेड़ वर्ष का कठोर कारावास और एक माह की तनहाई जेल का दंड दिया जाता है । आईपीसी के धारा 205 के अन्तर्गत उसे 6 माह की सजा और दी जाती है । द्वितीय सजा पहली सजा समाप्त होने पर तथा तृतीय सजा द्वितीय समाप्त होने पर प्रारम्भ होगी ।

दीरयावसिंह, लजम्मुल व बच्चा कुरमी में से प्रत्येक को छेड़ वर्ष का कारावास व एक एक माह की तनहाई जेल की सजा लाल सिंह, गौरेशंकर, दुल्ला, गंगाधोन, सुरजपाल सिंह, मंगलसिंह, पितई, लक्ष्मण, चन्द्रभूषण और सत्यनारायण में से प्रत्येक को 6 माह के कठोर कारावास का दण्ड दिया जाता है आईपीसी के धारा 147 के अन्तर्गत एक माह की तनहाई जेल का दण्ड । लक्ष्मण राम सिंह, शिवदयाल, बुधई, बच्चा नाई, रामधोन को तीन तीन माह का कठोर कारावास ।

सीपीसी धारा 106 के तहत वृजपाल सिंह को सी रुपये का एक बांड तथा 100 रु की जमानत इत्यादि देनी होगी कि अंतिम सजा समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक शांति बनाये रखेंगे । अंतिम सजा समाप्त होने पर जमानत न दे पाने की स्थिति

1- गणेश राज अभिलेखागार जोधपुरी काइल नं० 50/1921 पृ० 233-239

में एक वर्ष के लिये सामान्य कारावास का दण्ड दिया जाता है ।

दीरयाव सिंह, लाल सिंह, गौरो शंकर, दुल्ला, गगादोन, सुरजपाल सिंह लक्ष्मण कुरमो सोताराम सिंह, शिवदयाल और चन्द्रभूषण तथा मंगलसिंह को पचास रुपये के बांड अतिरिक्त रूप में भरने होंगे ताकि सजा को समाप्त पर शांति बनाये रखें ।

काम्मुल शाह, पितई, जोधी, बच्चा नाई, बच्चा कुरमी सत्यनारायण, लक्ष्मण चमार तथा रामधीन मे से प्रत्येक को 21 रु० के बांड भरने होंगे जिससे एक वर्ष तक शांति बनाये रखें ।

ड० मुहम्मद अब्दुल शमो
प्रथम श्रेणी न्यायाधीश
25-4-1921 ई०¹

समीक्षा :

तत्कालीन प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश खान बहादुर अब्दुल शमो का उपर्युक्त निर्णय ओचित्य के आधार पर विचारणीय है । इतिहास का सत्य यही है कि अभियुक्तों को पर्याप्त दंड मिला और करीब्या गोली काण्ड में मरे हुए दर्जनों किसानों की लाशें मुंशीगंज गोली काण्ड को भंति गायब करा दी गयी ।

तीन मास के अन्तर्गत फुर्रस्तगंज से लेकर करीब्या तक के चार गोली काण्डों ने रायबरेली को एक प्रकार से विद्रोही जिला होने का गौरव प्रदान कर दिया था । करीब्या गोली काण्ड जहाँ तीन बार गोली चलाने के बाद भी पुलिस भीड़ को भगाने में असफल हुई थी और यदि जिलाधीश थोखा देकर कुजपाल सिंह को गिरफ्तार न कर लेते तो निश्चय ही चौथी तथा पाँचवीं बार भी पुलिस को गोली चलानी पड़ती ।

इस प्रकार भारत के किसानों को विद्रोह ज्यया आंदोलन के घोड़े जो समूह सांस्कृतिक चेतना होती है । वह स्वतंत्रता हो हो सकती है । आधुनिक रायबरेली ने अपनी स्वतंत्रता के लिये पहला सुद राणा बेनो माध्य के नेतृत्व में सन् 1857 में लड़ा था । और दूसरा किसान वाहिनी के साथ सन् 1921 ई० में । दूसरे स्वतंत्रता संघर्ष में चार गोली

1- उपरोक्त राज अभिलेखागार पुलिस विभाग फाइल नं० 50/1921 ई० पृ० 5 से 30

काण्डों में काफी लोगों जो मृत्यु हुई व बहुतों को लम्बी लम्बी सजायें मिली । लेकिन बाबा रामचन्द्र, बाबा जानकीदास, वृजपाल सिंह, जिनकू सिंह, राम अवतार, सेहगों की बहादुर महिला "क्लेक्टर" आदि का वीर युगो युगों तक रायबरेलो के जन जीवन को स्वतंत्रता की प्रेरणा देता रहेगा ।

सका आन्दोलन :

विश्वान सभा आंदोलन के बाद सका आंदोलन हरदोई में प्रारम्भ हुआ जिसका अर्थ किसानों को सत्ता के सूत्र में बंधना था । यह आंदोलन बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर उन्नाव तथा खीरो में भी चला ।¹

1921 के अन्त में सका आंदोलन हरदोई जिले की तरफ बढ़ा² । इसका उद्देश्य जमोंदारों द्वारा अधिक भूराजस्व वसूली का विरोध करना था । जनवरी 1921 के अंतिम सप्ताह में हरदोई की संडीहा तहसील के अतरौलिया पुलिस सर्किल में बहुत से किसान इकट्ठे हुए । सभा में जमोंदारों तथा ताल्लुकेदारों को भूराजस्व नोति की आलोचना की तथा सभा की सोगन्ध खाकर प्राप्त की कि³—

- 1- किसान अपनी जमीन अस्थायिक दम से नहीं छोड़ेंगे ।
- 2- वे केवल लिखित भूराजस्व उदा करेंगे ।
- 3- खरोफ व रबी में लगान देंगे ।
- 4- बिना रसोद के लगान नहीं देंगे ।
- 5- बिना भुगतान किये जमोंदार बल पूर्वक कार्य नहीं ले सकेंगे ।
- 6- हरो व भूसा का बकाया नहीं देंगे ।
- 7- टैकों व तालाबों का मानो सिंचवाई के लिये बिना भुगतान के प्रयोग किया जाय ।
- 8- जानवरों को जंगलों व परतो जमीन पर बिना भुगतान के चराना ।
- 9- गाँव में अपराधियों को किसी प्रकार की सहायता न देना ।
- 10- जमोंदारों की बर्बरता का विरोध करना ।
- 11- न्यायालय के निर्णय के अलावा सभी निर्णयों का विलेकार करना ।

1- मजीद हैयत सिद्दीकी अंग्लोरियन अनरैस्ट इन नार्थ इंडिया पृ० 196

2- हीडर 3.3.1921

3- मजीद हैयत सिद्दीकी, अंग्लोरियन अनरैस्ट इन नार्थ इंडिया पृ० 201-202

फरवरी 1922 के अंत में एक पुलिस टुकड़ी ने तीन दिनों में 21 सम्मेलनों की रिपोर्ट दी जिसमें 150 से लेकर 2000 तक आदमी थे ।¹

इस आंदोलन को दबाने के लिये हरदोई व सीतापुर से 21 सशस्त्र जवान जनवरी के आरम्भ में भेजे गये ।² अप्रैल में भारतीय सेना का एक दल हरदोई के उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में तैनात कर दिया गया अवध के किसानों ने यह महसूस किया कि हमारे आंदोलनों को दबाने के लिये सरकार पुलिस का सहारा ले रही है । फरवरी के अंत में अग्रियों को यह महसूस हुआ कि अवध में किसान आंदोलन व्यापक रूप लेता जा रहा है ।³ हरदोई के वल्लो व जमींदारों को संवैधानिक संस्था ने आंदोलन में योगदान दिया । 22 फरवरी के सम्मेलन में विभिन्न वर्गों के 90 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सम्मेलन में यह विचार हुआ कि सब आंदोलन गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा चलाया जा रहा है और आंदोलन का स्वरूप उग्रवादो होता जा रहा है । लीडर के संवाददाताओं ने कहा कि अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ मदारी पासो अनुचित लाभ उठा रहे हैं और समाज में अराजकता फैला रहे हैं ।⁴

तीन दिन बाद संडोला में ठाकुर भागल सिंह, जो विधान परिषद के सदस्य थे, की अध्यक्षता में एक सभा हुई । यह सभा जिले के जमींदारों को सभा थी जिसमें गैर कानूनी ढंग से चलाये जा रहे सके आंदोलन को निंदा की गयी ।

9 मार्च को हरदोई के सहाबाद पुलिस सर्किल के उदयपुर गाँव में किसानों व पुलिस के बीच झूठे हुए जिसमें दो किसान मारे गये ।⁵

सीतापुर जिले में सके आंदोलन के बारे में कोई सधुता नहीं मिल पाया । जेल से निकलने के बाद जवाहरलाल नेहरू अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता तथा गोहन राल सक्सेना ने सीतापुर जिले में पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार पर जाँच कराने की माँग की ।⁶

1- फाउन्डार्स रिपोर्ट पृष्ठ 274

2- लीडर 29-3-1922

3- इंग्लिश मैन 28-2-1922

4- लीडर 4-3-1922

5- लीडर 16-3-1922 पृष्ठ 6

6- मजीद खान सिद्दीकी अग्रेसर अनरेस्ट इन नार्थ इंडिया पृष्ठ 205

किसानों के इस आंदोलन को प्रशासन ने डकैतों तथा बदमाशों द्वारा किया गया कार्य बताया। कांग्रेस को रिपोर्ट में इसे किसान आंदोलन कहा गया तथा इस आंदोलन को दबाने के लिये पुलिस ने छुर्मे किये।¹

प्रशासन ने इस आंदोलन को दबाने के लिये ज़मींदारों तथा तालुकदारों को उत्साहित किया।²

इस आंदोलन प्रथमतः किसानों का आंदोलन था। पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट ओ'कॉनर ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसानों का ही आंदोलन नहीं है वरन् इसमें ज़मींदार लोग भी भाग ले रहे हैं³ तथा यह एक प्रकार से असहयोग आंदोलन का रूप है।

इस आंदोलन का स्वस्थ राजनीतिक अधिक था असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थकों ने इस आंदोलन का भी समर्थन किया।

कुछ लोगों ने इसे छोटे किसानों द्वारा अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाये रखने के लिये प्रेरित किया गया आंदोलन कहा।⁴

इस आंदोलन में प्रकृति किसान समा आंदोलन से निम्न थी। यह करीब 6 महीने तक चला। यह बहुत ही जल्द दबा दिया गया था क्योंकि इसका संगठन बहुत कमजोर था।

खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन :

1919 में रोलेट बिल पास होने और पंजाब के अत्याचारों तथा जीलियावाला बाग की दुख घटना से देश में असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी। इसी समय खिलाफत आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष को और ज़ग बना दिया। खिलाफत आंदोलन का सम्बन्ध टर्की के सुल्तान से था जो मुसलमानों का धार्मिक प्रधान भी होता था। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के विरुद्ध था। भारत के मुसलमान जब अपने धर्म प्रधान के विरुद्ध अंग्रेजों

1- फार्थ रिपोर्ट पृष्ठ 279

2- लीडर 2-3-1922

3- रिपोर्ट 64 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थॉमस पुलिस टीएसएसओ स्कॉट ओ'कॉनर दू द आई जीपीएसपीओ, 30-3-1922

4- लीडर 4-3-1922

की सहायता करने में असमर्थ जो स्थिति में थे तो भारत के चाइसराय ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि अरविस्तान मेसोपोटामिया तथा जर्दा के मुस्लिम तीर्थ स्थानों को रक्षा की जायेगी । प्रथम विश्वयुद्ध जब टर्की को तराज्य तथा मित्र राष्ट्रों को विजय के साथ समाप्त हुआ तो भारतीय मुसलमानों को शंका होने लगी टर्की-विरोधी तत्वों को प्रश्रय देकर टर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के अग्रजों के प्रत्यक्ष प्रयत्नों से भारतीय मुसलमान अग्रजों द्वारा टर्की के प्रति सद्व्यवहार तथा मुस्लिम धार्मिक स्थानों को रक्षा हेतु दिये गये आश्वासनों के प्रति संदेह करने लगे और इसी मनोवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया । गाँधी जो हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित करके एक स्वर से सरकार का विरोध करना चाहते थे इसलिये उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने तथा मुसलमानों का पूरी तरह से साथ देने का निर्णय किया ।¹

आम सरगर्मों का एक महत्वपूर्ण पहलू था हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व भाईचारा । उनकी एकता, नेताओं के बीच एकता लम्बे अस्से से राष्ट्रिय मंच की सुनिश्चित योजना रही है । सार्वजनिक उत्तेजना के इस अवसर पर निम्नतर वर्ग भी एक बार मत्प्रेदों को भूल जाने के लिये तैयार हो गये । भाई चारे के असाधारण दृश्य देखे गये । हिन्दू छुले आम मुसलमानों के हाथ से पानी लेकर पीने लगे और इसी तरह मुसलमान हिन्दुओं के हाथ से । हिन्दू मुस्लिम एकता शोभा यात्राओं का गुप्तमंच था जो नारों और झंडों दोनों में देखा जाता था । वस्तुतः हिन्दू नेताओं को मस्जिद के उपदेश मंच से प्रचार करने की इजाजत दी गयी थी ।²

भारतीयों को साम्राज्य विरोधी एकता को मजबूत करने और मुसलमानों को ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध खड़ा करने में "खिलाफत" और खिलाफत कमेटी का बहुत बड़ा हाथ था । प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की का सुल्तान एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो न था बल्कि दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक गुरु खलीफा भी था । महायुद्ध में तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन फ्रांस बेल्जियम ने उसके राज्य को आपस में बाँट लिया था और खलीफा सिर्फ एक छोटे राज्य का स्वामी रह गया था । तुर्की व खलीफा के साथ

1- यंग इंडिया [1919-22] पृष्ठ 152

2- इंडिया इन 1919, रानी पामदत्त इंडिया टुडे पृष्ठ 338

किये गये इस व्यवहार से दुनिया के सभी मुसलमानों में असतोष फैला उन्होंने अपने असतोष को संगठित रूप देने के लिये जगह जगह खिलाफत कमेटी को स्थापना की । भारत में कमेटी की स्थापना 1918 में हुई उसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था । इस तरह आंदोलन मूलतः प्रति-क्रियावादी था लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय क्रांतिकारी परिस्थिति ने इसके रूप को बदल दिया उसे साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बना दिया।¹ जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में "खिलाफत" शब्द अधिकांश देहाती क्षेत्र में एक विचित्र अर्थ रखता था । लोग समझते थे कि यह उर्दू के "खिलाफत" शब्द से आया है और इसलिये उन्होंने इसका अर्थ लगाया सरकार के खिलाफ ।²

आम भारतवासियों ने और खासकर आम मुसलमानों ने खिलाफत शब्द का यही अर्थ लगाया । राष्ट्रीय आंदोलन से सम्बन्धित मुस्लिम नेता आंदोलन के भी नेता बन गये । मौलाना अबुल कलाम आजाद, डाक्टर अंसारी, हकीम अजमल खॉं, मौलाना शौकत अली और मौलाना मुहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता बने । राष्ट्रीय आंदोलन और खिलाफत की एकता, कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की एकता क्रमशः मजबूत हुई, "अल्लाह हो अकबर" और बंदे मातरम" के नारे एक मंचसंबन्धित किये जाने लगे । 1919 के ब्रिटिश अफगान युद्ध ने मुसलमानों को और अधिक ब्रिटिश राज विरोधी बना दिया इस युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के कितने ही मुसलमान अफगानिस्तान को सेना से जा मिले थे । 1920 में लगभग 18000 मुसलमान अंग्रेजों के अधीन रहना कुछ समझकर हिन्दुस्तान छोड़कर चले गये थे ।³

1919 की घटनाओं के बारे में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का मत था कि भारतीय जनता का आंदोलन ब्रिटिश राज के खिलाफ संगठित विद्रोह का रूप धारण कर रहा था उनके इतिहासकार सर पैलेटाइन थिरोल ने लिखा है आंदोलन ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध संगठित विद्रोह का जो रूप धारण किया था उसे इंकार नहीं किया जा सकता ।⁴

1- अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम पृ० 414

2- जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी, पृ० 69

3- अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम पृ० 414

4- सर पैलेटाइन थिरोल हींडिया 1926, रजनी पामदरत, इंडिया टुडे

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के "टाइम्स आफ इंडिया" जैसे पत्र स्वोकार कर रहे थे कि 1919 को घटनायें क्रान्तिकारी घटनाये हैं।¹ वे चेतावनी दे रहे थे कि भारत क्रांति के द्वार पर खड़ा है।

भारत के हिन्दू और मुसलमान खिलाफत के प्रश्न पर एक होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े। महात्मा गाँधी ने मौलाना अब्दुल बारी, अली ब्रदर्स हसरत मोहानी आदि नेताओं के साथ विभिन्न राज्यों का दौरा किया तथा असहयोग और खिलाफत के उद्देश्यों को जनसभाओं द्वारा बताया। ये सभाये लखनऊ, इलाहाबाद, बम्बई, आगरा, नागपुर और अन्य स्थानों पर हुई।²

शुक्रवार 17 अक्टूबर खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गाँधी ने इस अवसर पर हिन्दुओं से भाग लेने को कहा। खिलाफत कमेटी को एक रिपोर्ट में अंग्रेजी वस्तुओं व संस्थाओं के बहिष्कार को स्वोकार किया गया।³

23 नवम्बर को आल इंडिया खिलाफत काँग्रेस दिल्ली में हुई। संयुक्त प्रांत से 161 कार्यकर्ता एकत्र हुए यह निर्णय लिया गया कि शांति संधियों तथा ब्रिटिश माल एवं ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया जाय।⁴

दिसम्बर 1919 में अमृतसर में गाँधी जी तथा कांग्रेसी नेताओं ने खिलाफत आंदोलन के नेताओं से विचार विमर्श किया। 20 फरवरी, 1920 को कलकत्ता में मौलाना-अबुल क्लाम आजाद को अध्यक्षता में आयोजित खिलाफत सम्मेलन ने असहयोग सम्मेलन पर एक प्रस्ताव पास किया और निर्णय किया कि खिलाफत प्रश्न को ब्रिटिश सरकार को सम्झाने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजा जाय।

26 फरवरी को गाँधी जी लखनऊ पहुँचे और खिलाफत की रूपा में हिन्दुस्तानी में भाषण करते हुए कहा कि आप लोग तलवार तो नहीं खींच सकते किन्तु स्वराज्य

1- टाइम्स आफ इंडिया, 18 अप्रैल, 1919

2- यू०पी० राब अमिलेखानगर लखनऊ सी०आई०डी० रिकार्ड्स, खिलाफत मूवमेंट इन यू०पी०

3- डिपार्टमेंट जो०एस०डी० फाइल नं० 189/1920 वाक्स नं० 374

4- यू०पी० अभि०, जो०एस०डी० फाइल नं० 189/1920

प्राप्त हो जाने पर तलवार खींचने को शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने और विदेशी वस्त्र का त्याग करने को सलाह दी।¹

10 मार्च को गाँधी जी ने अपनी एक घोषणा में असहयोग आंदोलन छेड़ने को अपील की। 19 मार्च, 1920 को देश में "शोक दिवस" मनाने का निश्चय किया गया। लखनऊ महल में भी शोक दिवस मनाया गया। लखनऊ में जगह जगह शोक सभायें हुईं।

15 मई, 1920 को सेबरे में टर्कों शांति संधि की शर्तें प्रकाशित कर दी गयीं ये शर्तें बहुत कड़ी थीं जिन्हें मुसलमान क्षुब्ध हो उठे। 10 अगस्त, 1920 को टर्कों द्वारा उठाई गयी आपीत्तियों को रद्द कर दिया गया और टर्कों प्रतिनिधि महल से संधि पत्र पर बलात् हस्ताक्षर करवाये गये। केन्द्रीय खिलाफत समिति को 28 मई को बम्बई में बैठक हुई जिसमें मुसलमानों को मार्गों को उचित ठहराया गया और अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने के निर्णय की घोषणा की गयी। हिन्दुओं की शकाओं को दूर करने के लिये एक बयान जारी किया गया कि भारत के मुसलमान भारत पर किसी भी मुसलमान देश के हमले का आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे।²

9 जून को इलाहाबाद में खिलाफत कौट्टी की बैठक हुई उसने असहयोग आंदोलन को चार प्रकारों में शुरू करने का निर्णय किया। प्रथम उपाधियों का त्याग तथा सरकारी अतिरिक्त पदों से त्यागपत्र देना। द्वितीय पुलिस के अतिरिक्त अन्य सभी सैनिक सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देना। तृतीय पुलिस तथा सैनिक सेवाओं से त्यागपत्र देना। चतुर्थ कर देना बन्द कर देना।

1 अगस्त, 1920 में संयुक्त प्रांत में खिलाफत दिवस मनाया गया। संयुक्त प्रांतीय खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय किया। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन के प्रसार हेतु प्रत्येक जिले में खिलाफत समितियों के गठन का निश्चय किया गया।³

असहयोग आंदोलन का प्रारम्भ। अगस्त, 1920 को हुआ संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस

1- राम नाथ "सुमन" उत्तर प्रदेश में गाँधी जी पृष्ठ 95

2- पी.एस.डी. बम्बई, हिस्ट्री ऑफ द नान स्वामिशान एण्ड खिलाफत मूवमेंट्स

3- गुप्तवर विभाग के अभिलेख

कमेटी ने 23 अगस्त 1920 को असहयोग सिद्धान्त को अपनी स्वकृति दे दी तथा एक कार्यक्रम निर्मित किया। कार्यक्रम के रूप में समिति ने यह निश्चय किया कि उपाधियों त्याग दें जानी चाहिये, दीवानों तथा फौजदारी मामलों का निर्णय पंचों द्वारा होना चाहिये राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिये राष्ट्रीय स्कूलों को स्थापना को जानी चाहिये सरकारी सहायता तथा समारोहों का और प्रिंस आफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार करना चाहिये।¹ 4 सितम्बर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की पुष्टि की गयी गांधी जी के असहयोग का कार्यक्रम मनो-वैज्ञानिक तथा राजनीतिक आधार पर अवलम्बित था। उपाधियों का त्याग निर्णयता का सूचक था तो सरकारों न्यायालयों का बहिष्कार विदेशों सरकार को वैधानिक चुनौती थी। कालिजों का बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा को प्राथमिकता देने की एक सुस्पष्ट योजना थी।

1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन वास्तव में विविध रूपों में फूट पड़ा। इसमें हिन्दू व मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया। पूरा देश हिन्दू मुस्लिम एकता के नारों से गुंज रहा था।² असहयोग के आरम्भ में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने ही अपनी उपाधि केसर-स-हिन्द का परित्याग कर दिया था।³ तद्दुमरांत बहुतों ने अपनी उपाधि त्याग दी। हजारों वकालतों ने अपनी वकालत छोड़ दी। बंकिम मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली व राज गोपास्ता-चारो जैसे प्रमुख नेता भी थे। देश भर में अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई।⁴ बहिष्कार की सफलता के लिये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और मादक द्रव्यों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों को घुसा की दृष्टि से देखा जाने लगा। मादक द्रव्यों के बहिष्कार से सरकार को गंभीर क्षति उठाना पड़ी।⁵

यदि सरकार हम लोगों के साथ सहयोग नहीं करेगी तो लोगों को भी सरकार के

1- गुप्तचर विभाग के अभिलेख

2- जवाहरलाल नेहरू, सन आटोबायोग्राफी पृष्ठ 75

3- डी०जी० तैन्दुलकर, महात्मा, लाइफ आफ मोहनदास करमचन्द गांधी खण्ड-2, पृष्ठ 1

4- पट्टाभिसोतारमेया, कांग्रेस का इतिहास भाग 1 पृष्ठ 172

5- लाराचन्द खण्ड 3, पृष्ठ 495

साथ सहयोग से इंकार कर देना चाहिये असहयोग केवल राजनीतिक असतोष का कारण नहीं था। वह राजनीतिक इच्छा थी कि स्थूलतः भारत की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ पर सूक्ष्मतः एक वह विचारधारा थी जिसे राष्ट्र के जागरण में सफलता मिले। असहयोग का बहिष्कार पक्ष इस मन्तव्य पर आधारित था कि जन सहयोग न मिलने पर सरकारी प्रशासन चलना असम्भव है। उसका उद्देश्य सरकार से जनता का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग वापस लेना था। असहयोग दो उद्देश्यों से किया गया, प्रथम सरकारी प्रशासन को निष्क्रिय बना देना, द्वितीय - ऐसे कार्य करना जिसे स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सहायता मिल सके। उद्देश्य प्राप्ति हेतु कांग्रेस ने अहिंसा को साधन बनाया जिसका आध्यात्मिक दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व है। रचनात्मक कार्यक्रमों में हिन्दू मुस्लिम शक्ता को महत्त्व दिया गया।

7 अगस्त को गाँधी जो लखनऊ पहुँचे और अमोनुद्दौला पार्क की एक महती सार्वजनिक सभा में भाषण किया। अपने भाषण में गाँधी जो ने अहिंसात्मक असहयोग तथा हिन्दू मुस्लिम शक्य पर बहुत बल दिया उन्होंने कहा कि "किसी प्रकार का असतोष तथा उद्दण्डता हम लोगों के मंतव्य में बाधक होगी।..... आप लोग सयुक्त प्रांत की सरकार की ज्यादतियों पर विचार कीजिये। यह सुबा इस दमन नीति में और सुबों से आगे है किन्तु फिर भी मैं आप लोगों से शांति पूर्वक रहने के लिये कहूँगा यदि आप लोग 50 हजार ऐसे कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार कर ले जो स्वतंत्रता की रक्षा का फाटक बनने को तैयार हो तो मैं आशा करता हूँ कि संसार की कोई फौज इसे न हटा सकेगी। अंत में उन्होंने हर हालत में हिन्दू मुस्लिम शक्ता बनाये रखने की अपील की।¹

लखनऊ से ही 8 अगस्त को उन्होंने कठियावाड़ के राजा महाराजाओं के नाम एक अपील निकाली जिसमें उन्हें सादगी से रहने, चरखे का प्रचार करने, शराब की दुकानें बन्द करने और जनता की गरोबी पर ध्यान देने को कहा। 28 अगस्त को हरदोई के पं० रामनारायण लाहिड़ी को खिलाफत सम्बन्धी भाषण देने के कारण धारा 124ए व 153ए के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया व मुकदमा चला।²

1- रामनाथ सुमन, उत्तर प्रदेश में गाँधी जो पृ० 95

2- वही

गॉधी जो के जन्मदिन के उपलक्ष में लखनऊ में दो सभायें हुईं जिसमें विदेशी वस्त्रों तथा प्रिंस आफ वेल्स के बहिष्कार का निर्णय लिया गया ।¹

17 अक्टूबर को गॉधी जो पुनः लखनऊ आये इसी समय में उन्होंने नगरपालिका का अभिनन्दन पत्र स्वीकार किया व सार्वजनिक सभा में बोले । उस समय मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे ।

लखनऊ की सार्वजनिक सभा में उन्होंने अस्पृश्यता को निन्दा करते हुए कहा — "यह हिन्दू धर्म का भाग नहीं है । यह अधार्मिक और ईश्वर के विरुद्ध है हमें भारत के इस कृत्स्न कलंक को दूर कर देना चाहिये ।

18 अक्टूबर को गॉधी जी सीतापुर गये तथा एक अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन को सम्बोधित किया । राजा साहेब महेवा इसके अध्यक्ष थे । गॉधी ने कहा कि किसी भी मानव के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करना पाप है । इसलिये तथाकथित उच्च जाति के लोगों को अस्पृश्यों के बजाय अपनी ही शुद्धि करना चाहिये ।²

असहयोग आंदोलन के दौरान जिन व्यक्तियों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिये वे निम्नलिखित हैं ।³

जिला लखनऊ :

मुहम्मद अहमद हुसैन, उस्मानो, राम विलास, भगवानदीन अग्निहोत्री, मुहम्मद युसुफ खान, रफी अहमद क्विचई, हिया-उल-हसन, जीत बहादुर सिंह, वो० रामेश्वर शाहो सिंह, भोला प्रसाद ।

जिला सोतापुर :

औलाद अली, करम अली, अइजाज हुसैन, फरखंडे, परमेश्वरदोन, अलताफ अहमद, मंगल प्रसाद, अहमद हुसैन, अहमद हुसैन खान ।

1- दैनिक हीडर 5 अक्टूबर 1921, पृ० 5

2- रामनाथ सुमन, उत्तर प्रदेश में गॉधीजी पृ० 113

3- उ०पु० राज अभि०, जो०ए०डी० फाइल नं० 189 ए/1920 वाक्स 374

जिला हरदोई :

मुस्तजाब-उद्-दीन, लाल बख्शुर सिंह, रामसेवक, रामप्रकाश, बनवारो लाल, मुहम्मद हरोफ, खड्कम अली, अजर अली खान, गनो अहमद, दोन दयाल, छानुवल सिद्दोकी ।

जिला बीरो :

अहमद खान, अब्दुल गनी ।

15 अक्टूबर, 1920 को महात्मा गाँधी ने लखनऊ में रिफा-इ-अम में भाषण दिया अपने भाषण में उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वे इस सरकार को नष्ट करे । इसी अवसर पर मुहम्मद अली शौकत अली, स्वामी सत्यदेव ने भी भाषण दिये ।¹

सोताराम ने 13 अक्टूबर को रायबरेली में अपना भाषण दिया और कहा कि आज से ही तुम्हें असहयोग प्रारम्भ कर देना चाहिये और स्वयं को हर कठिनाई का सामना करने के लिये तैयार करे । वह आदमी जिसे अपने देश के प्रति सहानुभूति नहीं है वह पत्थर से भी बेकार है ।²

24 सितम्बर 1921 को असहयोग कार्यकर्ताओं ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की । पं० गोकर्ण नाथ ने अवध रेन्ट बिल के उद्देश्यों को बताया ।³

तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर हर कोर्ट बटलर ने आंदोलन के प्रारम्भ में ही दमन नीति के प्रयोग का निश्चय कर लिया, उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि असहयोग आंदोलन से जनता में सरकार के विरुद्ध फैली भावनाओं को रोकने के लिये सरकार के समर्थकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु हरसम्भव प्रयत्न करें । मुसलमानों को आंदोलन से अछूता रखने के लिये विशेष सतर्कता बरतनी चाय । आंदोलन कार्यों को रोकने तथा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के लिये अनेक नये कानून बनाये गये तथा जिलाधि-

1- ज०प्र० राम अभि०, डिपार्टमेंट पुस्तक, फाइल 16/8 वाक्स 58 पृ० 27

2- ज०प्र० राम अभि०, डिपार्टमेंट पुस्तक, फाइल 16/4 वाक्स 58 पृ० 7

3- दैनिक, सीडर 26 सितम्बर, 1921 पृ० 4

कारियों को विशेषाधिकार दिये गये सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार अनायास क्लेशों को परेशान नहीं करेगी किन्तु कानून का उल्लंघन करने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा ।¹

4 सितम्बर, 1920 को लाल लाजपतराय को अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें गाँधी जी के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । इस प्रस्ताव में खिलाफत के प्रश्न और पंजाब में हुए अत्याचारों को असहयोग को नीति अपनाने का प्रमुख कारण बताया गया और घोषणा की गयी कि इस कांग्रेस का मत है कि उपर्युक्त खिलाफत पंजाब के अत्याचारों के समाधान के बिना भारत को सतौष नहीं हो सकता और राष्ट्रीय सम्मान की सुरक्षा तथा भविष्य में इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का एकमात्र प्रभावशाली उपाय है — स्वराज्य की स्थापना । इसके साथ साथ कांग्रेस का यह भी मत है कि भारत की जनता के लिये महात्मा गाँधी द्वारा प्रवर्तित प्रगतिशील अहिंसा असहयोग की नीति स्वीकार करने और अपनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है जब तक कि अत्याचारों का समाधान और स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती ।²

संयुक्त प्रांत में सरकार ने 15 मार्च, 1921 को अपनी एक विज्ञप्ति में प्रांत में व्याप्त अव्यवस्था का एकमात्र कारण असहयोग आंदोलन बताया और अपनी पूर्व नियोजित दमन नीति को कार्यन्वित करना प्रारम्भ किया ।³ तत्कालीन गवर्नर हारकोर्ट बटलर ने असहयोग को राजद्रोह की संज्ञा दी । सरकार की दमन नीति की कठोरता से अवगत होने पर उदारवादियों ने भी सरकार को आलोचना की ।

मादक द्रव्यों के विक्रय स्थानों पर भी असहयोगियों द्वारा धरना दिया जाने लगा । मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों से असहयोगी उसका सेवन बन्द करने की प्रार्थना करते । संयुक्त प्रांतीय सरकार को मादक द्रव्यों से होनेवाली आय को असहयोग आंदोलन से क्षति पहुँची ।⁴

1- गुप्तचर विभाग के अभिलेख,

2- डी०जी० लेंडलकर "महात्मा" खण्ड 2, पृ० 16

3- इंडियन एन्सुप्लस रजिस्टर [1921-22] पृ० 21

4- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० [1921-22] पृ० 14

6 अप्रैल 1921 की संयुक्त प्रात में सत्याग्रह दिवस सफलता पूर्वक मनाया गया ।¹

संयुक्त प्रातीय कांग्रेस कमेटी ने अपने जिला इकाइयों को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा कार्यकर्ताओं की सख्या में वृद्धि करने का निर्देश दिया ।²

अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के बाद गाँधी जी ने बारहोली में पूर्ण असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने को तैयारो कर ली । इस आशय की सूचना उन्होंने वाइसराय को भेज दी, किन्तु दुर्भाग्यवश 4 फरवरी 1922 को पूर्वा उत्तर प्रदेश के गोखमुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीषण दुर्घटना हो गयी जिसके कारण आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा ।³

जोर शोर से असहयोग आंदोलन प्रारम्भ हुआ, कांग्रेस के स्वयं सेवक दल संगठित हुए, खिलाफत आंदोलन के स्वयं सेवक दल इनमें मिल गये । सरकारी दमन चक्र चलता । लाला लाजपतराय, पण मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु आदि नेताओं के साथ लगभग तीस हजार असहयोगी इस आंदोलन में जेल गये । बारहोली और गुन्दूर में सामूहिक सत्याग्रह हुए । जनता में सर्वत्र उत्साह दिखा । 1859 के बाद जन उत्साह का ऐसा उभार नहीं दिखा था ।⁴ परन्तु चौरी चौरा की घटना के कारण गाँधी जी ने इस आंदोलन को बन्द कर दिया । इसके लिये प्रान्तिकारियों ने ही नहीं, स्वयं कांग्रेस नेताओं ने भी गाँधी जी को डाँट पड़टाभिलोतारमैया के शब्दों में "आड़े हाथों लिया" ।⁵ जनपद खीरी में भी असहयोग आंदोलन बड़े जोर शोर से प्रारम्भ हुआ । चूँकि आजादी की लड़ाक पढ़ती जा रही थी 26 अगस्त 1920 को जिला खीरी के तत्कालीन कमिश्नर बिहारीजीको तीन मुसलमान युवकों ने कत्ल कर दिया । उन युवकों पर मुकदमा चला । फलस्वरूप उन्हें फाँसी हुई । शहीदों की सूची में युवकों ने अपना नाम लिखवा लिया ।

1- इंडियन रन्सुवल्स रजिस्टर 1921-22, भाग -1 पृष्ठ 22

2- लीडर, 12 अगस्त 1922, पृष्ठ 5

3- रडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यूएमपी, पृष्ठ 8, जनरल समरो [1921-22]

4- डाँट भणवान दास माहौर, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिन्दो साहित्य पर प्रभाव पृष्ठ 189

5- कांग्रेस का इतिहास, डाँट पड़टाभिलोतारमैया [हिन्दो] भाग-1, पृष्ठ 194

ये थे — नसीरुद्दीन उर्फ मौजी, श्री बशोर, श्री माशूक अली । इस घटना के बाद जिला खीरो में मानो क्रांति मुहाना छुल गया हो । प्रत्येक स्वर समग्र क्रांति का प्रतीक बन चुका था । अब जिले में कांग्रेस भी अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने लगी थी । जिले भर में 182 कांग्रेस उम्मेदवार गिरफ्तार कर लिये गये । सभी लोगों पर कुल मिलाकर 16,325 रुपये जुर्माना बोला गया । जो जबीरिया चन्दा एवं जुर्माना वसूला गया उसके आकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस क्रांति का केन्द्र निघासन था ।¹

समीक्षा :

खिलाफत का समर्थन महात्मा गाँधी ने हिन्दू मुस्लिम एकता को स्थापित करने की भावना से किया था । कुछ समय तक ऐसा मालूम पड़ा कि हिन्दू मुस्लिम एकता स्थायी सिद्ध होगी किन्तु खिलाफत का प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाने के बाद हिन्दू मुस्लिम एकता का पूर्ण अनुमान काल्पनिक सिद्ध हुआ । कांग्रेस के सहयोग से खिलाफत की ओट में मुसलमान असाधारण रूप से संगठित हो गये और कालान्तर में यह शक्ति साम्प्रदायिक दलों के रूप में प्रकट हुई । देश के अन्य भागों की तरह लखनऊ मठल में भी खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए अनेक साम्प्रदायिक दलों ने हिन्दू मुस्लिम एकता की वास्तविकता को प्रगट कर दिया । इतनी असफलता के बाद भी एक महत्वपूर्ण परिणाम यह सामने आया कि अनेक मुसलमान कांग्रेस की नीतियों व संगठन शक्ति से प्रभावित होकर कांग्रेस के सम्पर्क में आये और उन्होंने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

असहयोग आंदोलन न पूर्णतः सफल हुआ और न पूर्णतः असफल । भौतिक दृष्टि से असहयोग आंदोलन को असफल कहा जा सकता है क्योंकि यह एक वर्ष में स्वराज्य दिलाने टर्की के खलीफा को अधिकार दिलाने तथा पंजाब के अत्याचारों का प्रतिकार लेने में पूर्णतः असफल रहा । आंदोलन को अमानक स्थगित कर देने से कोई स्पष्ट परिणाम न निकल सका । यदि गाँधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन उस समय समाप्त नहीं कर दिया जाता जबकि यह शासन के लिये अत्यधिक चिंता का विषय बन रहा था तो संभवतः सरकार भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिये कोई कार्य करने को बाध्य हो जाती ।²

1- नक्सारत टाइम्स, 10 अगस्त, 1988 पृष्ठ 2

2- वी.पी.डी. मैन्स, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, पृष्ठ 29

असहयोग आंदोलन भौतिक दृष्टि से असफल होने पर भी भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। देशभक्ति और राष्ट्रियता जो अभी तक वर्ग विशेष की धाती मानी जाती थी अब असहयोग आंदोलन के प्रभाव से सर्वसाधारण में व्याप्त हो गयी। असहयोग आंदोलन से जनता को जेल जाने का भय समाप्त हो गया, संगठित होकर सरकार का विरोध करना अब एक साधारण बात हो गयी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से भारतीयों में राष्ट्रियता की भावना के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से भारतीयों में राष्ट्रियता की भावना को बल मिला।

कुछ भी हो इस आंदोलन से जनोत्साह में महान वृद्धि हुई और जनमत पर 1857 से अभी तक व्याप्त अज्ञानो राज्य का आतंक एकदम उठ सा गया। राष्ट्रीय एकता और संगठन में अमूर्तपूर्व दृढ़ता और शक्ति का संचार हुआ।¹

असहयोग आंदोलन स्थगित किये जाने के पीछे गांधी जी का अपना तर्क था। वे ऐसा मानते थे कि बिना अनुशासन और आत्मसंयम के सत्याग्रह असफल है न इंसान के मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, न ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत पर। इसलिये जब भी उन्होंने देखा कि जनता का अति उत्साह संयम के अभाव में जहाँ तहाँ हिंसा में परिवर्तित हो रहा है तब वे सत्याग्रह को स्थगित कर जनता जनार्दन को रचनात्मक कार्यों की ओर लाने में तनिक नहीं हिचकते थे।²

1- डा० भगवानदास माहोर, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव, पृ० 189

2- मधु सिन्घे, स्वतंत्रता आंदोलन की विचार धारा पृ० 104

तृतीय अध्याय

असहयोग आंदोलन के बाद [स्वराज्यदल]

चौरो चौरा काण्ड के पश्चात् असहयोग आंदोलन स्थगित कर लिया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रचनात्मक कार्यों को ओर ध्यान दिया। 25 मार्च, 1922 को संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी प्रयाग की बैठक में गांधी जी के कार्यक्रम में विश्वास प्रकट करते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रचनात्मक कार्य की पुष्टि की। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस समितियों को 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के निर्देश दिये।

असहयोग आंदोलन के पश्चात् भारतीय मानस में निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया था इस स्थिति का मूल्यांकन तथा भविष्य के मार्ग निर्धारण के लिये एक असहयोग समिति का गठन हुआ जिसने सारे देश के दौरे के बाद 30 अक्टूबर 1922 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। इसमें यह उल्लेख था कि देश आंदोलन के लिये अभी तैयार नहीं है।¹ परिषदों में प्रवेश के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों का तो प्र मतभेद स्पष्ट हुआ। डॉ० अंतारी राजगोपालाचार्य तथा कस्तूरी रंगा अय्यर परिषदों के बहिष्कार के पक्ष में थे जबकि मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खॉं तथा पिटूल भाई पटेल परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करने के समर्थक थे।

20 नवम्बर 1922 को कलकत्ता में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस की नीति में परिवर्तन चाहने वाले और अपरिवर्तनवादियों में बड़ा संघर्ष छिड़ गया। अंत में यह निश्चय हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार त्याग देना चाहिये और कौंसिल प्रवेश के प्रश्न को अगली बैठक तक के लिये स्थगित रखना चाहिये। 26-31 दिसम्बर 1922 को पितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ। पितरंजन दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कौंसिल प्रवेश का जोरदार समर्थन किया। राजगोपालाचार्य ने कौंसिल में प्रवेश का विरोध किया। जब कौंसिल का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तो उसके विपक्ष में 1748 मत पड़े और पक्ष में

1- रिपोर्ट ऑफ़ दी सिविल डिस्तोबी डिप्यन्स कमेटी, पृ० 157

केवल 890 मत पड़े । चितरंजनदास ने अधिवेशन के अन्दर ही कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के स्थापितत्व से त्यागपत्र दे दिया । मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया । 1 जनवरी 1923 को चितरंजनदास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्यदल की स्थापना की ।

मार्च, 1923 में संयुक्त प्रांत में नगरपालिका के होने वाले चुनाव में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी स्थानों पर कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े करने का निश्चय किया ।

कौंसिल प्रवेश पर कांग्रेस व स्वराज्यदल के मन्त्रियों को समाप्त करने के लिये प्रयत्न किये गये । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये ।¹

27 फरवरी, 1923 को इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बैठक हुई जिसमें सम्झौते हेतु विचार विमर्श किया गया । 1923 में ही कौंसिल के होने वाले चुनावों के लिये स्वराज्यदलीय नेताओं ने चुनाव अभियान प्रारम्भ कर दिया । लखनऊ मंडल के लखनऊ सोतापुर आदि स्थानों का मोतीलाल नेहरू ने दौरा किया और जनता से स्वराज्यदल के उम्मीदवारों को विक्रयो बनाने की अपील की ।² 6-7 दिसम्बर को चुनाव हुए । प्रांतीय कौंसिल के 100 निर्वाचित स्थानों में से स्वराज्यदल को 36 स्थान प्राप्त हुए ।³ कौंसिल में स्वराज्यदल को यद्यपि बहुमत न मिल सका फिर भी अन्य दलों के सहयोग से कौंसिल में स्वराज्यदल का अच्छा प्रभाव रहा । स्वराज्य दल ने संयुक्त प्रांतीय कौंसिल में सरकार से सदैव असहयोग की नीति अपनाई । 10 दिसम्बर, 1924 को स्वराज्यदल ने राजनैतिक बंदियों को मुक्त कराने के प्रस्ताव को पास कराकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की ।

5 फरवरी, 1924 को गांधी जो अस्वस्थ होने के कारण जेल से मुक्त कर दिये गये । जेल से छूटने पर महात्मागांधी का मोतीलाल नेहरू से इन दोनों दलों में सम्झौता कराने के लिये अनेक बार विचार विमर्श हुआ । किन्तु सफलता न मिली ।⁴ गांधी जी ने

1- दि लोडर, 14 फरवरी, 1923, पृष्ठ 9

2- गुप्तचर विभाग के अभिलेख

3- आज, 21 दिसम्बर, 1921 पृष्ठ 3/इंडियन रजिस्टर भाग-2 पृष्ठ 74 पर दल की सख्या 31 दी गयी है । आधुनिक भारत रजिस्टर भाग-2 पृष्ठ 74 पर दल की सख्या 31 दी गयी है । आधुनिक भारत रजिस्टर भाग-2 पृष्ठ 74 पर दल की सख्या 31 दी गयी है । आधुनिक भारत रजिस्टर भाग-2 पृष्ठ 74 पर दल की सख्या 31 दी गयी है ।

4- डा० ईश्वरी प्रसाद अर्वाचीन भारत का इतिहास पृष्ठ 493

अपरिवर्तनकारियों को परामर्श दिया कि वे स्वराज्य पार्टी के मार्ग में बाधक न बनते हुए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में अपना ध्यान केन्द्रित करें। उनकी सलाह मानकर दोनों गुटों ने कांग्रेस में रहना स्वीकार कर लिया यद्यपि उन्हें अलग अलग तरीकों से काम करने को छूट दे दी गयी।¹

दिसम्बर 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन श्रीमती सरोजनो नायडू की अध्यक्षता में हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने कानपुर वाले अधिवेशन में स्वराज्यदल के प्रभाव को देखते हुए उसे अपना लिया।² अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि स्वराज्यदल कौंसिल और सभाओं में सरकार से अपनों माँगों पर निर्णय देने का अनुरोध करे और यदि सरकार ऐसा न करे तो सरकारों कार्यवाहियों का तीव्र प्रतिरोध किया जाय। सरकार ने भारत को स्वशासन देने के लिये कुछ भी प्रयास नहीं किया। 6-7 मार्च, 1925 को अखिल भारतीय कांग्रेस ने कानपुर अधिवेशन में लिये गये निर्णय की धृष्टि की।

8 मार्च, 1925 को मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्यदल के सदस्यों ने सरकारी नीतियों के विरोध में केन्द्रीय सभा से बहिर्गमन किया। संयुक्त प्रांतीय कौंसिल में भी 11 मार्च, 1925 को मोविन्द बल्लभ पन्त ने सरकार को अकर्मण्यता पर प्रकाश डाला और कौंसिल से बहिर्गमन किया। बहिर्गमन के पक्ष पर स्वराज्यदल में मतभेद पैदा हो गया। अगला आम चुनाव नवम्बर, 1926 को होने वाला था, स्वराज्यदल के सदस्यों ने कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा, उन्हें केवल 22 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई,³ किन्तु फिर भी स्वराज्यदल कौंसिल का सबसे सुसंमति दल था। स्वराज्यदल ने कौंसिल में सरकारी नीतियों का तीव्र प्रतिरोध किया।

स्वराज्यदल यद्यपि अपने मूल उद्देश्य बहिष्कार नीति तथा स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा किन्तु इस दल ने असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने पर भारतीय जनमानस में व्याप्त निराशा के वातावरण में जनता में उत्साह का संवार किया

1- विपिन चन्द्र, सन०सी०ई०आर०टो० आधुनिक भारत पृ० 224

2- इंडियन क्वार्टरली रिविस्टर, 1926 पृ० 23

3- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०, [1926-27] पृ० 6

स्वराज्यदल ने संयुक्त प्रांतीय कौंसिल में सरकार से असहयोग करके राजनीतिक जागृति को बनाये रखा और समय समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करके सरकार के प्रति जनता के असंतोष को व्यक्त किया ।

1927 में संयुक्त प्रांत में राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी । खिलाफत प्रश्न के समाधान के पश्चात् हिन्दू मुस्लिम एकता में दृढ़ता नहीं रह गयी जिसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए ।¹ इससे सरकार विरोधी आंदोलन धोमा पड़ गया । वैधानिक सुधारों की निरंतर माँग के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा 8 नवम्बर 1927 को सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक जाँच समिति को नियुक्ति को घोषणा की गयी, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन गतिशील हुआ ।²

1919 के भारत सरकार अधिवेशन नियम की धारा 84 के अनुसार 10 वर्ष पश्चात् शासन प्रणाली की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति होनी थी । इसके अन्तर्गत आयोग की नियुक्ति 1929 में होनी चाहिये थी किन्तु दो वर्ष पहले ही आयोग को नियुक्ति के कई कारण थे । प्रथम, ब्रिटिश सरकार भारत में व्याप्त साम्प्रदायिक उत्तेजना का लाभ उठाना चाहती थी, द्वितीय, अनुदार दल भारत के भविष्य को मजदूर दल के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे यह आशंका थी कि मजदूर दल उसके समान साम्राज्यवादी दलों की रक्षा नहीं कर सकेगा । आयोग को समय से पूर्व नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस के निर्देशन में चल रहे युवा आंदोलन के कारण भी हुई ।³

साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया, इसका कारण भारत सचिव ने भारत में व्याप्त राजनीतिक अनेकता तथा पारस्परिक मतभेद बताया । कमीशन में किसी भारतीय के सम्मिलित न किये जाने से सम्पूर्ण भारत में साइमन कमीशन के प्रति रोष प्रकट किया गया । उदारवादीदल ने तैज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में कमीशन के बहिष्कार को नीति अपनाई । 11 नवम्बर, 1927

1- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ् यू०पी०, [1926-27] पृ० 7

2- वी०पी०एफ्सा० रघुवंशी, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट संड थॉट पृ० 196

3- ए०पी० कीथ, ए कोस्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ् इंडिया पृ० 165

को तेज बहादुर सपू ने इलाहाबाद में साइमन कमीशन को कुदू आलोचना करते हुए कहा कि "साइमन कमीशन में भारतीयों को स्थान न देकर सरकार ने भारतीयों का अपमान किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीयों को अपने संविधान निर्माण से हो वंचित किया।¹ संयुक्त प्रांतीय लिबरल दल ने अपनी सभा में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। 28 नवम्बर, 1927 को अलीगढ़ में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन ने कमीशन के वहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वराज्य संविधान के निर्माण की माँग की² साइमन कमीशन के बहिष्कार व समर्थन को लेकर लीग दो भागों में विभक्त हो गयी, जिन्ना का दल बहिष्कार के पक्ष में था और शमी का दल सहयोग के पक्ष में था।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी मद्रास की बैठक में कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया।³ संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष, गोविन्द बल्लभ पंत ने सम्पूर्ण प्रांत में कमीशन बहिष्कार हेतु अभियान प्रारम्भ किया।

कमीशन के बहिष्कार में जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ में डंडों और लाठीचार्जों का शिकार होना पड़ा था। सरकार को धारणा थी कि लखनऊ में बहिष्कार सफल न हो सकेगा और स्थानीय नेतागण अपनी शक्ति संकथित कर रहे थे। 26 नवम्बर के अपरिमित जुलूस ने अधिकारी वर्ग की धारणा पर राख डाल दी और उन्होंने 28 नवम्बर के जुलूस में जनता को भय दिखाकर निरुत्साहित करने की ठान ली। 28 नवम्बर को पुलिस ने डंडों और लाठीचार्जों का प्रयोग किया और बहूतों को चोटें आयीं। परिस्थिति नाजुक देखकर पीड़ित जवाहरलाल नेहरू जो को टेलीफोन द्वारा सूचना मिली वे सहकारियों का सन्देश पाकर तुरंत ही रवाना हो गये।

ता. 29 को दो सभायें होना निश्चित हुई थी। बड़ी सभा अमोनुद्दौला पार्क में और दूसरी मुहल्ला नरटो की छोटी सभा हजरतगंज के पास। पीड़ित जवाहरलाल नेहरू जी कई सहकारियों के साथ मुहल्ला सभा में उपस्थित थे। सभा समाप्त होने पर

1- दि लीडर, 14 दिसम्बर 1927, पृ. 11

2- इंडियन क्वाटरली रजिस्टर [1927], भाग-2 पृ. 340

3- इंडियन क्वाटरली रजिस्टर भाग-2, पृ. 354

निश्चित हुआ कि 12-12 आदिमियों की टोली बनाकर स्कान्त सड़कों पर सक्न होकर लिये चलाया। पहली टोली में स्वयं पीडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्री गोविन्द वल्लभ पंत थे। ये लोग अभी कठिनता से 50 कदम चले होंगे कि पुलिस ने सामने आकर गोक लिया और डंडी से मारना प्रारम्भ किया। कुछ मिनट तक पुलिस के डंडे का आधिपत्य रहा, तत्पश्चात् डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ लाये। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि जवाहरलाल नेहरू उनसे लिखित आज्ञा माँगे तो उनका मार्ग खोल दिया जावे किन्तु पीडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तर दिया कि पुलिस का व्यवहार दो बार देख चुकने के बाद वे इसके लिये तैयार नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर ने उनसे जबानो कह-लाना चाहा और यहाँ तक कहा कि उनकी बातचीत जो भी जबानी प्रार्थना मान लेने के लिये तैयार हैं। यदि वे भी उसे इसी रूप में मानें। किन्तु पीडित जी अपने स्थान से तिल भर भी न हटे और किसी भी रूप में निवेदन करना अस्वोकार कर दिया। इसी समय चारों ओर से भीड़ सकीनत होने लगी थी और बड़ी सभा से भी कुछ लोग समाचार जानने के लिये चले आये थे। घंटे भर तक खड़े रहने के बाद पुलिस ने इतनी भीड़ से डर कर था बुद्धि से काम लेकर उन्हें जाने की अनुमति दे दी।

30 नवम्बर को पुलिस ने उससे भी अधिक उग्र रूप धारण किया। 50,000 से ऊपर भीड़ स्टेशन के पास सकीनत थी और अधिकारी वर्ग उन्हें कमीशन के मार्ग से दो फर्लांग दूर रखना चाहते थे। अस्तु, डंडे लाठो और पत्थर का प्रयोग किया गया और पीडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस बार भी पुलिस को लाठियों का शिकार होना पड़ा।

सरकार के निरंकुश दमन से बहिष्कार को जितनी सहायता मिली उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लखनऊ का झुत्पा हो था। पीडित जी को डंडी का शिकार बनाकर सरकार ने बहिष्कार आंदोलन को लोगों की दृष्टि में दूना जवा कर दिया और देश में अपने प्रति विरोध बढ़ा लिया।¹

साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लखनऊ में गोविन्द वल्लभ पंत और जवाहर लाल नेहरू पर लाठियों पड़ी। सीतारामेया ने लिखा है "लखनऊ की स्थिति एक सैनिक छावनी की सी हो रही थी। वहाँ सड़कों घुड़सवार एक पैदल आरक्षित थे, और चार

1- पं० गोपीनाथ दोगिला, पं० जवाहरलाल नेहरू की जीवनो और व्याख्यान, पृष्ठ 97-99

दिन तक आरक्षित ने क्रूरतम अत्याचार किये ।¹

कैसरबाग में कुछ ताल्लुकदारों ने साइमन कमीशन को दावत दी थी । दावत के वक्त हजारों पुलिस वालों ने कैसरबाग को घेर रखा था । जिस पर प्रदर्शनकारों होने का संदेह होता वह कैसरबाग की तरफ जाने न दिया जाता । फिर भी साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन ठोक दावत के स्थान में होने से रोका न जा सका । ज्यों ही दावत शुरू हुई अनगिनत काली पतंगें और बैलून आकाशमार्ग से वहाँ आ पहुँचे । उन पर लिखा था साइमन वापस जाओ, "भारत भारतवासियों का है" आदि ।²

घुड़सवारों ने प्रदर्शनकारियों पर घोड़े दौड़ाये और लोगों के सर फोड़ने में क्माल दिखाने की कोशिश की । हजारों घुड़सवार और पैदल पुलिस को मगाकर लखनऊ को सशस्त्र शिविर बना दिया गया था ।³

लखनऊ में घटित घटना का इन्वेस्टीगेशन आफिसर सेयद हुसैन ने जो रिपोर्ट दी है वह निम्न है 4

साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व मोहन लाल सक्सेना, हरेश चन्द्र वाजपेयो, राशिबिहारी तिवारी, पेस्टोजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहिष्कार संघ प्रदर्शन की तैयारी करने लगी इसी समय पं० जवाहरलाल नेहरू व गोविन्द वल्लभ पंत बहिष्कार करने वालों के बीच पहुँच गये और उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी । इसी तरह के प्रयास लखनऊ रेलवे जंक्शन के सामने 30 नवम्बर, 1928 को किये गये । 5 दिसम्बर, 1928 को कैसरबाग में अवध के ताल्लुकदारों द्वारा कमीशन के सम्मान में मार्चपार्टी दी गयी । आंदोलनकारी पहले ओरियन्टल बिल्डिंग के बगल के प्लाट में इकट्ठे हुए और वहाँ भी प्रदर्शन करने का प्रयास किया लेकिन प्लाट के स्वामी द्वारा प्रदर्शन करने से रोकने के कारण वे सब वहाँ से हट गये । उनके नेता मोहनलाल सक्सेना, राशिबिहारी तिवारी, रामाराम, हरेशचन्द्र वाजपेयो, आन्नद के संपादक

1- डी०सी० गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संघ तैयारिक विकास पृ० 139

2- पट्टामि सीतारमैया, हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस पृ० 544

3- अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम पृ० 539

4- उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार जो०स०डी०, फाइल न० 516/1928 वाक्स न० 503

शिव मनोहर इलाहाबाद के गौरीशंकर, हरकरन नाथ मिश्रा, कालाकांकर के राजा भी बीहड़कार को सभा में पहुँचे लेकिन उनमें से कुछ चले गये और हरीशचन्द्र वाजपेयी गौरीशंकर, कालाकांकर के राजा और आनन्द के सपादक वहाँ मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने भवन के अन्दर से प्रदर्शन करने को सोचो जो सयुक्त प्रांत से आयो हुई कारों से घिरा था। तुलसी राम व जियाराम जी पेट्रोल स्पेन्ट थे। उनकी दुकान से भी प्रदर्शन की कोशिश की परन्तु असख्य पुलिस होने से ऐसा नहीं कर सके। और शाम 4 बजे के लगभग बिखर गये और अलग अलग दिशाओं में चले गये।

कैसरबाग के उत्तर पश्चिमी कोने पर बाबू बासुदेव लाल वकील तथा प्राग्दास का मकान था दक्षिण की तरफ का मकान कैनिंग कॉलेज के छात्र जगन्नाथ और केदारनाथ तथा हरीशचन्द्र हाई स्कूल के छात्र टेकलाल द्वारा घिरा हुआ था। इस मकान के चारों तरफ चार फीट ऊँची दीवार थी। बीहड़कार करने वाले शाम 4-45 पर अन्दर घुस गये। कुछ छत पर चढ़ गये और कुछ नीचे ही कम्पाउण्ड में थे। वे सब काले झण्डे दिखाने लगे तथा "साइमन वापस जाओ" के नारे लगाने लगे। शोर सुनकर तथा लोगों को कम्पाउण्ड में देखकर रिजर्व इंस्पेक्टर मि० ग्रेग और मि० कार्टरिण्ड जो उस समय ए०एस०पी० थे, कास्टेबलों की फौज वहाँ पहुँचे। छत व कम्पाउण्ड के लोगों ने ईट के टुकड़े फेंकने शुरू किये जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हुए तब अधिकारी ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। कुछ भाग गये, पुलिस ने 19 लोगों को पकड़ा और उन्हें आलम बाग व हसनगंज पुलिस स्टेशन भेजा। ऊपर चढ़ने पर कुछ झण्डे व बहुत सख्या में बम बिखरे हुए मिले। सिटी मजिस्ट्रेट जो उस स्थान पर आये थे उन्हें भी ईट के टुकड़े लगे। मि० ग्रेग ने लिखित आदेश द्वारा धारा 147, 332 और 336 के तहत जांच के आदेश दिये।

ष० गौरीशंकर मिश्रा और अभियुक्त सरीश चन्द्र इलाहाबाद चले गये और माता-प्रसाद सुल्तानपुर चले गये। हरीशचन्द्र, बड़ीपिपलाह, बैनराज, शिव मनोहर, रामचन्द्र दूबे, जगन्नाथ शुक्ल, बनवारो लाल, प्रताप शंकर नामक अभियुक्तों ने अपना बयान देने से मना कर दिया। जगन्नाथ, केदार नाथ तथा प्राग्दास ने कहा कि वे उस मकान में थे तथा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, प्राग्दास ने यह भी कहा कि वे आंदोलनकारियों में नहीं हैं। मोहम्मद हसीम व मोहम्मद नवीम जो आठ साल के थे तथा संतू नाई को भी पुलिस ने पकड़ लिया। प्रकाश व शिवाजीमाहवोय को भी पुलिस ने पकड़ लिया

जबकि वे खेलते खेलते कैसरबाग पहुँच गये थे । जाँच करने पर पाया गया कि बहिष्कार पार्टी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । मेरो राय में यह उचित नहीं था और मोहम्मद नसोम, मोहम्मद हसीम, सतू नाई, शिवाजी मालवीय, ओम प्रकाश, प्राग्दास और प्रतापशंकर को स्वतंत्र कर दिया गया । जगन्नाथ, केदार नाथ, बट्टी विशाल टेकलाल, रामचन्द्र ने और छात्रों की मदद की और उनका मकान प्रदर्शन के लिये चुना गया । प्राग्दास व बासदेव के मकान में प्रदर्शनकारों बिना आज्ञा ही घुस गये थे, उन्होंने उन्हें घासपत जाने के लिये कहा । निम्न अभियुक्तों पर धारा 147, 332, और 336 आई०पी०सी० के तहत निश्चित तारोख पर सुनवाई के आदेश दिये गये —

- 1- पं० गौरीशंकर, इलाहाबाद
- 2- प० हरेशचन्द्र वाजपेयी
- 3- सरीश चन्द्र शुक्ल, इलाहाबाद
- 4- बट्टी विशाल
- 5- केदार नाथ गुप्ता
- 6- लाल बंशराज
- 7- शिव मनोहर
- 8- रामचन्द्र दूबे
- 9- जगन्नाथ शुक्ल
- 10- जगन्नाथ प्रसाद
- 11- माता प्रसाद
- 12- बमवारी लाल

तत्कालीन कोतवाल मि०पी०डी० सिंह ने कहा कि उन्होंने धारा 176 आई०पी०सी० के अन्तर्गत अपराध किया है ।

लखनऊ में घटित इस घटना से सारा राष्ट्र शोक विह्वल हो उठा क्योंकि अनेक देशभक्तों को जिनमें पं० जवाहरलाल नेहरू तथा पंत जी भी थे, चोटें आयी और बहुत लोग गिरफ्तार किये गये । सभी पत्र पत्रिकाओं ने पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की निंदा की ।

अल्मोड़ा के दैनिक "शक्ति" ने इस घटना को लखनऊ में बेटन का शासन कहा ।

पुलिस द्वारा किये गये अपराध व आक्रमण को निंदा करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने अपने निर्दयो, हत्यारे भेड़ियों को खली छूट या आजा दी थी। डडेबाज पुलिस ने निर्दोष और निःशस्त्र लोगों पर आक्रमण किया और उन्हें खून से लथपथ कर दिया। असह्य लोगों के खून सड़क पर बिखर गये। आपसी सम्झौतों के द्वारा अग्नि कमी हमें स्वराज्य नहीं देंगे। यह जीवन और मरण का प्रश्न है।¹

"प्रताप" जो कानपुर से निकलने वाला दैनिक था, ने अपने सप्ताहकीय में इसे "लाठी राज" की संज्ञा दी और कहा कि लाठी राज को समाप्त करके स्वाधीनता का राज्य स्थापित किया जाय तथा जो देश के साथ नहीं है उसे विश्वासघातियों को अपने अधीन करके उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाय।²

बनारस से निकलने वाले "आज" ने अपने सप्ताहकीय में कहा कि लाला लाजपतराय की मृत्यु तथा माननीय नेताओं जवाहरलाल नेहरू तथा पं० गोविन्द वल्लभ पंत एवं अन्य को जो चोटें आयी इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि भारत में भारतीयों की क्या स्थिति है। आज हमारे देश में हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारा कार्य केवल लगान अदा करना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना है हम दास हैं, और दासों को कोई अधिकार नहीं मिलता। वे कानून बना सकते हैं और शस्त्र रख सकते हैं। कमीशन को नियुक्ति का अभिप्राय वास्तविक प्रशासनिक मामलों को भारतीयों से छिपाना है। भारतीयों का यह पवित्र कर्तव्य है कि मातृभूमि के लिये कमीशन का बहिष्कार करें, और प्रदर्शनों तथा जुलूसों के माध्यम से कमीशन को निंदा करें।³

मातृभूमि के सेवकों पर लाठियों के प्रहार ने स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त कर दिया।⁴

पं० जवाहरलाल नेहरू पं० गोविन्द वल्लभ पंत और अन्य नेताओं पर पुलिस द्वारा किया गया आक्रमण निंदनीय है। इस मूर्खतापूर्ण कार्य का क्या परिणाम होगा, यह सरकार की समझ से परे है। मनुष्य की सहनशक्ति को भी सीमा है। जिस प्रकार के

1- शक्ति, 8 दिसम्बर, 1928, पृ० 1।

2- दैनिक "प्रताप", 9 दिसम्बर, 1928 पृ० 1।

3- दैनिक "आज", 3 दिसम्बर, 1928 पृ० 2।

4- दैनिक "आज", 1 दिसम्बर, 1928 पृ० 1।

अस्त्रों का प्रयोग सरकार ने किया है ठीक जैसे ही अस्त्रों का प्रयोग सरकार के खिलाफ सामान्य जन भी कर सकता है, मानव का यह स्वभाव है कि धम्पड का जबाब मुक्का से देता है और हम स्वयं को भी इस नीति से मुक्त नहीं रख सकते ।¹

लखनऊ में पुलिस द्वारा जो आक्रमण किया गया, उससे लोगों के दिलों पर भारी चोट पहुँची है, नेताओं पर लाठी से प्रहार नहीं करना चाहिये था और यह सरकार के लिये अच्छा नहीं हुआ ।²

जौनपुर से निकलने वाले दैनिक "समय" ने इस घटना को पुलिस का नग्न नृत्य कहा पीडित नेहरू और अन्य पर किया गया आक्रमण निंदनीय है और शक्ति वर्धक बहिष्कार आंदोलन द्वारा इस अपमान का बदला लेना चाहिये ।³

पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर राक्षसी हमले जैसा आचरण किया गया । सरकार द्वारा अपनी पुलिस की बहादुरी की प्रशंसा की गयी, किसी भी सम्य सरकार द्वारा अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिये यह काफी था ।⁴

मि० डब्ल्यू०एच० फार्मैन ने यह स्वीकार किया कि यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त कर दिया जाय तो वह "स्वराज्य" होगा । परन्तु फार्मैन ने यह निर्णय किया है कि अग्नी कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण का समय नहीं आया है ।⁵

नौकरशाही मूर्छा से पीड़ित है और इसका अंत भी जल्दी ही होगा । 24 नवम्बर को पीडित नेहरू व अन्य को लाठी से प्रहार करना निर्णयता की चरम सीमा है ।⁶

वर्तमान ब्रिटिश शासन मुहम्मद तुगलक के शासन की पुनरापुत्ति है, लखनऊ की

1- दैनिक "मजदूर", 1 दिसम्बर 1928 पृ० 1

2- दैनिक "भारत", 2 दिसम्बर 1928 पृ० 2

3- दैनिक "समय", 4 दिसम्बर 1928 पृ० 1

4- "मोदिना" 13.12.1928 पृ० 1

5- "वायनियर" 19.12.1928 पृ० 2

6- "सुधारक" 13.12.1928 पृ० 2

घटना में सरकारी कर्मचारियों द्वारा लोगों पर अमानुषिक अत्याचार हुआ, ठीक वैसे ही तुमलक के समय में भी सरकारी कर्मचारियों ने लोगों पर अत्याचार किये थे ।¹

लखनऊ को शर्मनाक घटना के समर्थन में यू०पी० कौंसिल ने निन्दा का प्रस्ताव पास किया तथा भाषण भी हुआ जिसमें महमूदाबाद के राजा के अपमान को बताया गया था । राजा अपने महल से निकल कर शहर के किनारे चले गये । ईसाइयन कमिश्नर के विरोध में 3 फरवरी, 1928 को लखनऊ में अभूतपूर्व हड़ताल हुई । प्रख्यात क्रांतिकारी श्री लक्ष्मीधर शुक्ल का आगमन खीरी में हो चुका था । 28, 29, 30 दिसम्बर, 1928 को पीडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम खीरी जिला, राजनैतिक कॉर्पोरेशन बिलोबी मेमोरियल ग्राउंड पर हुई । कॉर्पोरेशन में श्री शिव प्रसाद गुप्त, श्री प्रकाश, डा० काटजू मोहनलाल सक्सेना आदि भी सम्मिलित हुए । 13, 14 फरवरी 1929 को भगवान आशुतोष की पावन नगरी गोलामोर्क नाथ में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रथम जिला विधान सम्मेलन का स्थापितत्व स्वीकार किया । इस सम्मेलन में 40 श्री कृष्णदत्त पालीवाल व बाबा राघवदास भी सम्मिलित हुए ।²

12 नवम्बर, 1929 को महात्मा गांधी धन संग्रह के उद्देश्य को लेकर कस्तूरबा, मीरा बहन, आचार्य कृपलानी, प्यारेलाल व रानी विद्यादेवी आदि के साथ जनपद खीरी आये, जहाँ उन्हें 3146 रुपया, 5 आना, 3 पैसे की खैली भेंट की गयी ।³

इस बहिष्कार आंदोलन ने भारतीयों की विदेशी सरकार के प्रति असंतोष को आत्म प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर दिया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में नई शक्ति आ गयी । भारत मंत्री बर्किन्हेड ने साइमन कमीशन में भारतीयों को न रखकर भारतीय नेताओं को ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की सुनौती दी जिससे भारत के सभी राजनीतिक पक्ष सहमत हों । भारत मंत्री का विचार था कि भारत में जातीय और धार्मिक आधार पर ऐसे मतभेद विद्यमान हैं कि उनके द्वारा सम्मिलित रूप से एक संविधान का निर्माण करना असंभव है । भारत-मंत्री की सुनौती को स्वीकार करके उनकी

1- "स्वदेशी" 9-12-28 पृ० 1

2- नवभारत टाइम्स 15-8-88 पृ० 2

3- वही

धारणा निर्मूल सिद्ध करने के लिये एक सर्वदल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति द्वारा स्वीकृत विधान निर्मित करने का निश्चय किया गया।

28 फरवरी, 1928 को डा० सम०स० अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभी दल इस बात पर सहमत हो गये कि पूर्ण उत्तरदायी शासन को आधार मानकर ही भारत की वैधानिक समस्या पर विचार किया जाना चाहिये। सर्वदल सम्मेलन की अगली बैठक 19 मई, 1928 को बम्बई में डा० अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय विधान के सिद्धान्तों का प्राप्ति तैयार करने के लिये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाय, इस समिति का उद्देश्य संवैधानिक लक्ष्य को निश्चित करना, हिन्दू, मुस्लिम और सिक्खों के भावों संवैधानिक भागों का निर्णय करना तथा भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करना था।¹ समिति ने अपना विवरण 15 अगस्त, 1928 को प्रस्तुत कर दिया।² समिति ने अपने प्रतिवेदन में औपनिवेशिक स्वराज्य को ही भारत का उद्देश्य घोषित किया जिसमें प्रभुता सम्पन्न विधान सभा की व्यवस्था थी।³ नेहरू समिति ने विभिन्न दलों के मध्य पूर्ण सहमति बनाये रखना भी आवश्यक समझा और औपनिवेशिक स्वराज्य ही एक ऐसा लक्ष्य था जिस पर अधिकांश राजनीतिक दल सहमत थे। संविधान में मनुष्य के 19 प्रकार के मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया। समिति के विवरण में साम्प्रदायिक निर्वाचन का अंत ^{करके} उसी के स्थान पर संयुक्त व्यवस्था को स्थान दिया गया लेकिन साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों के लिये उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गये।⁴

28-31 अगस्त, 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन डा० अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की झूठि झूठि प्रशंसा की गयी और कुछ परिवर्तनों के बाद समिति के विवरण को स्वीकार कर लिया।

1- डा० बी०डी० शुक्ल, २ हिन्दू आर्य दी इंडियन लिबरल पार्टी पृ० 300

2- दि पायनियर, 16 अगस्त, 1928 पृ० 1

3- आष, 18 अगस्त, 1928 पृ० 3

4- नेहरू कमेटी रिपोर्ट, पृ० 81

नेहरू प्रतिवेदन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया :

नेहरू प्रतिवेदन को सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया जो लखनऊ में 28-30 अगस्त 1928 तक हुआ। सम्मेलन ने स्वयं को उपनिवेशी स्वशासित सरकार स्थापित किये जाने के पक्ष में घोषित किया किन्तु कुछ कांग्रेसजनों ने जिनका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचन्द्र बोस कर रहे थे, कहा कि यद्यपि वे प्रतिवेदन रवीकार किये जाने के विरुद्ध नहीं है, पर वे उसके पक्ष में भी मतदान नहीं कर सकते क्योंकि उसका अर्थ उपनिवेशवाद के प्रति मौन स्वीकृति माना जायेगा, जबकि वे देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता के काम पाकर संतुष्ट नहीं होंगे।¹

प० जवाहरलाल नेहरू ने 29 अगस्त 1928 को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में मालवीय जी के भारत के लिये औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोलते हुए जो वक्तव्य दी थी, वह इस प्रकार है :

"यह कमेटी क्यों बनाई गयी थी ? हम सभी जानते हैं कि यह जासकर इसीलिये नियुक्त की गयी थी कि वह हमारी साम्प्रदायिक गठनाइयों का हल ढूँढ़ निकाले। बम्बई में हमें एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और उस समय हमें कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। इसीलिये यह कमेटी नियुक्त की गयी थी और उसकी नियुक्तियाँ एक सुन्दर विधान तैयार करने की आवश्यकता के ख्याल से हो ज्यादातर नहीं हुई थी। उनकी रिपोर्ट भी इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों ने इस हल को ढूँढ़ निकालने में कितनी समझता प्राप्त की है। यह हल बहुत न्यायसंगत हैं और सभी दलों के साथ ईसाफ करने वाला है और मेरा पूरा विश्वास है कि सम्मेलन इसे स्वीकार कर लेगा।"

"हम लोगों को पूर्ण स्वाधीनता के सम्बन्ध में प्रचार करने और काय करने का अधिकार है, परन्तु यह आठम्बरमात्र है।" हमसे यह कहा जाता है कि औपनिवेशिक स्वराज्य राजी से मिल सकता है और पूर्ण स्वाधीनता हथियारों और शक्ति से प्राप्त होगी। मैं नहीं समझता कि यहाँ अस्थित लोगों में से किसी का भी यह ख्याल है कि औपनिवेशिक स्वराज्य न्याय के नाम पर या तर्क से मिलेगा। यदि कोई ऐसा है, तो मैं यही कहूँगा कि वह बहुत भोला है। औपनिवेशिक स्वराज्य या पूर्ण स्वाधीनता

1- डी०सी० गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं वैधानिक विकास पृ० 143-144

दोनों के लिये शक्ति की आवश्यकता है । वह शक्ति चाहे सशस्त्र शक्ति की हो और चाहे शांतिमय शक्ति की हो । आपको औपनिवेशिक स्वराज्य उसी क्षण मिल जायेगा जिस समय आप अंग्रेजों को यह बतला देंगे कि यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें इससे अधिक से हाथ धोना पड़ेगा । वह आपको तभी प्राप्त होगा जब उन्हें यह बात मालूम होगी कि जब तक वे औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं देते तब तक भारत उनके लिये नर्क के समान है । आपको वह तर्क अथवा वाक्-चतुर्य से नहीं प्राप्त होगा । ऐसे मामलों में न्याय और तर्क को स्थान नहीं मिला करता । इसीलिये पूर्ण स्वाधीनता या औपनिवेशिक स्वराज्य दोनों के लिये किसी प्रकार की शक्ति का होना आवश्यक है । मर्जी शक्ति से ही प्राप्त होती है । यदि भारत और इंग्लैण्ड के बीच औपनिवेशिक स्वराज्य पर सम्झौता हो सकता है तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि पूर्ण स्वाधीनता पर क्यों सम्झौता नहीं हो सकता ।”

“क्याचित् मेरे लिये उन लोगों की अपेक्षा अंग्रेजों से सहयोग करना अधिक सरल है जो औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कहते हैं, किन्तु मैं उन लोगों की शर्तों पर सहयोग नहीं कर सकता । मैं उनके साथ बराबरी की शर्तों पर ही सहयोग कर सकता हूँ और वह तब जब मेरे साथ कुछ शक्ति और स्वीकृति होगी । इसीलिये मेरी नीति सुन्दर तैयार करने की अपेक्षा इस शक्ति को उत्पन्न करने की ओर अधिक है और यह शक्ति औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता दोनों के लिये आवश्यक है । यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो जाय, तो यह बात अक्षय होगी कि हम अपनी वैदेशिक नीति इंग्लैण्ड की वैदेशिक नीति के अनुसार बनायेंगे और हम मित्र, चीन तथा अन्य स्थानों में इंग्लैण्ड का समर्थन करेंगे । औपनिवेशिक स्वराज्य के लिये भारत और इंग्लैण्ड में सहयोग होना जरूरी है ।”

मैं आप लोगों से कहता हूँ कि औपनिवेशिक स्वराज्य की बातें करना हमें अपने आपको झुम में डालना है और देश को बिलकुल गलत मार्ग पर ले जाना है । वास्तविक ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है और औपनिवेशिक स्वराज्य को किसी भी शकल में या कुछ ही समय के लिये तथा सम्झौते के तौर पर स्वीकार करना गलत नीति और बुरी बात है । औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना ध्येय बनाना भारत के लिये अनुचित और घातक होगा, इसीलिये हम औपनिवेशिक स्वराज्य का समर्थन नहीं कर सकते । हम इस क्रांति का नाम

बरबाद करना नहीं चाहते, क्योंकि हम यह समझते हैं कि कांग्रेस के सामने मुख्य काम साम्प्रदायिक प्रश्नों को तय करना है। इस समस्या को हल करने में हम जितनी सहायता दे सकते हैं, उसके लिये हम तैयार हैं। इसलिये हम लोगों ने इस प्रस्ताव से बिल्कुल अलग रहने और इसमें सशोधन पेश करने या अन्य किसी भी प्रकार से इससे सम्बन्ध न रखने का निश्चय किया है।

सम्मेलन के सदस्यों का वक्तव्य जिसे पंडित नेहरू ने पढ़कर सुनाया। वक्तव्य इस प्रकार है —

“हम इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वालों की यह राय है कि भारत का विधान केवल पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर ही होना चाहिये। हम समझते हैं कि जो प्रस्ताव सर्वदल सम्मेलन के सामने उपस्थित किया गया है वह इसके समर्थकों का हाथ औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर निर्मित विधान के लिये निश्चित रूप से बाध देता है। हम लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं, और इस लिये हम न तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं और न इसका समर्थन कर सकते हैं। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि प्रस्ताव का प्रारम्भिक भाग हम लोगों को पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में कार्य करने का अधिकार देता है, किन्तु प्रस्ताव के दूसरे भाग में हाथ बांधने की जो बात है, उसे यह प्रारम्भिक भाग किसी प्रकार हल नहीं करता। हम लोगों ने निश्चय किया है कि इस सम्मेलन के कामों में किसी प्रकार की बाधा या अड़ना न लगायें और इस खास प्रस्ताव के उस हिस्से से अपने को अलग रखना चाहते हैं, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के लिये हाथ बांधता है। हम इस प्रस्ताव में सशोधन पेशकर या इसके पक्ष में बोट देकर, कोई भाग न लेंगे। हम चाहते हैं कि हम कार्यवाही जारी रखें जिसे हम पूर्ण स्वाधीनता के लिये उचित और जरूरी समझते हैं।”

लखनऊ में हुए सम्मेलन में कुछ परिवर्तनों के बाद समिति के विवरण को स्वीकार कर लिया गया। सभी हिन्दू दलों व समाचार पत्रों में इसकी प्रशंसा की किन्तु मुसलमानों ने इसका विरोध किया। मौलाना शौकत अली ने संयुक्त प्रांतीय मुस्लिम सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को इस्लाम विरोधी बताया। 3 सितम्बर, 1928 को चाराखी में

1- पं० गोपीनाथ कीर्ति, पं० जवाहरलाल नेहरू की बीवनी और व्याख्यान पृ० 147-

डा० ऐनोक्सेन्ट और डा० भगवानदास ने एक सभा में नेहरू रिपोर्ट के विवरणों पर विचार विमर्श किया। 5 सितम्बर को हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापकों और छात्रों की सभा को सम्बोधित करते हुए डा० ऐनोक्सेन्ट ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया, श्री प्रकाश तथा शिव प्रसाद गुप्त ने भी नेहरू रिपोर्ट की प्रशंसा की।¹

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 25 नवम्बर, 1928 को जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में नेहरू रिपोर्ट के प्रति आस्था प्रकट की। दिसम्बर 1928 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की सराहना की गयी और भविष्य की योजना के रूप में रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मादक द्रव्यों की बिक्री का विरोध, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्त्री शिक्षा तथा अज्ञानोद्धार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्तावों पर सहमति पत्र की और अपनी जिला समितियों से रचनात्मक कार्यों पर जोर देने का आग्रह किया।²

प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से जिला कांग्रेस समितियों ने कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की।

संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के कार्यक्रम के साथ क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी गतिशील रहीं। क्रांतिकारियों के प्रति सरकार द्वारा अपनायी गयी कठोर नीति के कारण जनता में सरकार के प्रति असंतोष में और वृद्धि हुई। अक्टूबर 1929 को भारत के वाइसराय लार्ड इरविन ने इंग्लैण्ड से वापस आने पर अपना एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने घोषित किया कि मुझे ब्रिटिश सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देने का अधिकार मिला है कि 1927 की घोषणा में यह बात अन्तर्निहित है कि भारत को अंत में औषनि-वैशिक स्वराज्य प्रदान किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि साइमन कमीशन का विवरण प्रकाशित होने के बाद ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही एक गोल्डमेड सम्मेलन बुलायेगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशों रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से मिलेंगे और भारत के लिखे नवीन संविधान के सिद्धान्तों पर विचार करेंगे। उदारवादी इस घोषणा से बहुत संतुष्ट हुए किन्तु कांग्रेस का नवयुवक वर्ग इस घोषणा से सहमत नहीं था और इसी

1- गुप्तवर किमान के अभिलेख

2- दि लीडर, 25 नवम्बर 1929, पृ० 5

कायस्थ जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया । कांग्रेस का यह युवक वर्ग भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य चाहता था । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 10 नवम्बर, 1929 को अपनी इलाहाबाद की बैठक में लार्ड इरविन की घोषणा ने अपनी असहमति तथा जेल में राजनीति कैदियों के साथ दुर्व्यवहार को निंदा के प्रस्ताव पास किये ।¹

23 दिसम्बर, 1929 को महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सपू, बल्लभ भाई पटेल, तथा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साइसराय से मिले । वे जानना चाहते थे कि क्या सरकार गोलमेज परिषद भारत के लिये औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर नवीन संविधान का निर्माण करने के लिये ब्रह्मा रहो है ? किन्तु साइसराय ने कोई आश्वासन नहीं दिया, इस प्रकार साइसराय के साथ कांग्रेस नेताओं की भेंट निरर्थक रही ।

निराशा और क्षोभ के वातावरण में दिसम्बर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । अधिवेशन में 31 दिसम्बर को रात्रि को 12 बजे राघो नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया । प्रस्ताव के महत्वपूर्ण भाग में कहा गया था कि "यह कांग्रेस घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है । कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है । नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा यह कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रिय आंदोलन में लगे हुए व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिये पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगाये वे आगामी चुनाव में भाग लें तथा विधान मंडलों और सरकारी समितियों से त्यागपत्र दे दें । यह कांग्रेस अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अधिकार देता है कि जब उचित समझे संविधान्य अवज्ञा आंदोलन, जिसमें करों का न देना भी शामिल है, आरम्भ कर दें ।"²

समोक्षा :

स्वराज्यदल यद्यपि अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा किन्तु उसने असहयोग आंदोलन के बाद राजनीतिक छागृति को बनाये रखने की चेष्टा की और सरकार

1- आज, 12 नवम्बर, 1929 पृ 4

2- डा० पद्माभिक्तीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास पृ 289

की कार्यवाहियों में असहयोग करके सरकार को जन असतोष से अवगत कराया । लखनऊ में साइमन कमीशन का बोहोकार पूर्णतः सफल रहा तथा नेहरू रिपोर्ट को व्यापक समर्थन मिला । नेहरू रिपोर्ट के अन्तर्गत कांग्रेस ने सिफारिश प्रस्तुत की कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य होना चाहिये । अल्पसंख्यक जातियों के लिये संयुक्त चुनाव की प्रणाली बनाई जाये ।

मई, 1928 को बम्बई में हुई सर्वदलीय कांग्रेस ने पीडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्षता में भारत के संविधान का आधार निश्चित करने के लिये एक समिति नियुक्त की, जिसमें सर तेजबहादुर सपू, सर अली इमाम, एम०एस० अणे, प्रवेब कुंरेशी, जी०आर०प्रधान और सुभाषचन्द्र बोस थे । इस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके विषय में डा० जकारिय लिखते हैं "इसका ध्यापवर्क पठन और अध्ययन होना चाहिये क्योंकि यह प्रत्येक, विषय जिसके सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है, उस पर प्रकाश डालती है और व्यावहारिक सुझाव का प्रदर्शन करती है । यह रिपोर्ट केवल ब्रिटिश भारत के ही विषय में थी । साम्प्रदायिक समस्या के विषय में उन्होंने यह सुझाव दिया कि मत्दाता मंडल सम्मिलित होने चाहिये परन्तु अल्पसंख्यक लोगों के पंजाब और बंगाल के अतिरिक्त, जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आरक्षण होना चाहिये । उन्हें अतिरिक्त स्थानों के लिये भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिये । मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की पूर्ण रक्षा होनी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो उनके लिये भाषाई आधार पर नये मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत भी बनाये जाने चाहिये । केन्द्र के सम्बन्ध में इस समिति ने यह सुझाव दिया कि भारत संसद द्विसदनीय हो ॥ 1 ॥ 7 वर्ष के लिये चुनी गयी 200 सदस्यीय सेनेट जिसे प्रांतीय परिषदें चुनें और ॥ 1 ॥ प्रतिनिधियों की सभाजिसमें 500 सदस्य हों और 5 वर्ष के लिये प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चुनी जाय । प्रांतीय परिषदें भी प्रौढ़ मताधिकार से चुनी जायें और गवर्नर प्रांतीय कार्यकारी परिषद् को इच्छा के अनुसार कार्य करें ।²

31 दिसम्बर, 1928 को कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में इस सर्वदलीय कांग्रेस रिपोर्ट का स्वागत किया और कहा कि यदि सरकार नेहरू समिति रिपोर्ट में दिये संविधान को एक वर्ष के भीतर पूर्णतया स्वीकार नहीं करती तो वह अहिंसात्मक असहयोग

1- वी०एस० श्रोवर, आधुनिक भारतीय इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन, पृ० 542

2- वी०एस० श्रोवर, आधुनिक भारतीय इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन, पृ० 542

और दैनिक आंदोलन चलायेगी । तीन मास पश्चात् मुस्लिम लीग की विषय समिति ने भी जिन्ना द्वारा उठोये गये सरक्षणों की शर्तों पर इस संविधान को स्वीकृति दे दी। परन्तु 31 मार्च, 1929 को हुए मुस्लिम लीग के खुले अधिवेशन में उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और विशेष आरक्षणों को जिन्हें प्रायः श्री जिन्ना के "14 सैक्रेट" की संख्या दी जाती है पर बल ही नहीं दिया अपितु किसी भी राजनैतिक निर्णय का आधार बताया ।

दूसरी ओर रमजे मैकडॉनल्ड को श्रमिक दल की सरकार इंग्लैण्ड में सत्तास्दृ हो गयी । भारतीय क्षेत्रों में इससे बहुत आशाएँ जागी । वाइसराय लंदन गये और लौट कर उन्होंने कहा 1917 की घोषणा में ही यह निहित है कि भारत में भी "प्रादेशिक शासन स्वतंत्रता" आयेगी । उन्होंने यह भी कहा कि साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ब्रिटिश सरकार भारतीय रिथासतों समेत एक गोलमेज कांफ्रेंस बुलायेगी ताकि अधिकाधिक क्षेत्रों में सहमति प्राप्त करके ससद को सुझाव दिये जा सकें ।

परन्तु गोलमेज कांफ्रेंस के कार्यक्रम में भी कांफ्रेंस नेता प्रसन्न नहीं थे । वे तो संविधान रचना की आशा लगाये बैठे थे । गांधी जी और लार्ड इरविन की भेंट से भी कुछ हल नहीं निकला और दिसम्बर, 1929 में लाहौर कांफ्रेंस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया ।

काकोरो ट्रेन इक्टो :

जिस समय लोगों में स्वतंत्रता को जागृति आई उस समय देश में दो ही संगठन थे जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिये अंग्रेजों से हर मोर्चे पर मुकाबला करते रहे। प्रथम क्रांतिकारो संगठन दूसरी कांग्रेस। क्रांतिकदल के प्रमुख नेता श्याम जो कृष्ण वर्मा, मेडम कामा, रासबिहारी बोस, अरीवंद घोष, शशीन्द्र नाथ साम्याल आदि थे। कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती थी, जिसके अग्रगण्य थे लोकमान्य तिलक, गाँधी जो, मोतीलाल नेहरू, पुष्पोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि।

यदि उत्तर प्रदेश में श्री अहमद किदवाई, कृष्णकांत जी मालवीय, पीडित मोतीलाल नेहरू, श्री पुष्पोत्तमदास टंडन, पं० मदनमोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण शर्मा शिव प्रसाद गुप्त, श्री प्रकाश जो आदि क्रांतिकारियों की मदद न करते तो क्रांतिकारो दल उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत न होता। मदनमोहन मालवीय तथा कृष्णकांत मालवीय ने रौलट एक्ट तथा क्रिमिनल का एम्प्लोमेंट एक्ट के विरोध में जो भाषण इम्पीरियल कौंसिल तथा सेंट्रल असेम्बली में दिये थे, वे अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यह दोनों कानून उस समय के अंग्रेज सत्ताधारियों ने भारतीयों को कुचलने के लिये बनाये।¹

असहयोग बन्द कर दिये जाने के बाद क्रांतिकारो फिर संगठन करने लगे और श्री शशीन्द्रनाथ साम्याल उत्तर भारत में संगठन करने लगे। शशीन्द्र बाबू को सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, दामोदर सेठ, किष्किारण दुबालिस, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी आदि का सहयोग प्राप्त हुआ। इन लोगों की सहायता से और फिर बाद में योगेश्वर शर्मा के सहयोग से उत्तर भारत में एक बहुत ही सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन स्थापित हो गया। [दलका उद्देश्य भारत में एक प्रजातान्त्रिक संघ करना था]। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दल की ओर से क्रांतिकारी पर्ये बाँटे गये, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किये गये और धन के लिये हाके भी डाले गये।²

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन को अस्त्र शस्त्रों के खरोदने के लिये त्पयों की बड़ी भारी आवश्यकता थी। एसोसियेशन के सदस्यों ने अपने ही घरों में चोरियाँ की,

1- अमृत प्रभात, 10 अगस्त, 1982 पृ० 4

2- मन्मथनाथ गुप्त, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पृ० 381-382

चदा किया, पर खर्च पूरा नहीं हुआ, तब रुपया प्राप्त करने के लिये डाका डालने का निश्चय किया गया। पण राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रस्ताव किया कि डाक के पैले लूटे जावों।¹

क्रांतिकारियों को अपनी लड़ाई जारी जारी रखने के लिये धन की जरूरत थी, इसी सिलसिले में काकोरी में ट्रेन रोककर छजाना लूटा गया। काकोरो लखनऊ जिले में एक छोटा सा गाँव है। काकोरो स्टेशन ईस्ट इंडिया रेलवे की सहारनपुर मुगलसराय लाइन पर लखनऊ से सहारनपुर आते हुए तीसरा स्टेशन है। उसके और लखनऊ के बीच में केवल एक स्टेशन आलमनगर ही है। काकोरी स्टेशन लखनऊ स्टेशन से कुल आठ मील है।

काकोरी षडयंत्र शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त सन् 1925 को हुआ था। उनमें शहीद शिरोमीण, चन्द्रशेखर आजाद भी शामिल थे। जो पैसेंजर सहारनपुर से लखनऊ की जाती है उसी ट्रेन का सरकारी छजाना लूटने के लिये क्रांतिकारियों ने तय किया था, इस लूट में करीब 1300 रुपये क्रांतिकारियों के हाथ आये।² दस आदमी राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, पण राम प्रसाद बिस्मिल, अफाकुल्लाखों, शशीन्द्रनाथ बक्शी, मुकुन्दोलाह, मन्मथनाथ गुप्त, चन्द्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, बनवारो लाल तथा एक अन्य। ये सब 9 अगस्त 1925 को संध्या समय शाहजहाँपुर से हथियार छेनो घन हथौड़ो आदि से लैस होकर आठ डारन गाड़ी पर सवार हो गये। इस गाड़ी में रेल के छजाने के अतिरिक्त कोई और छजाना भी जा रहा था, जिसके साथ बन्दूकों का पहरा था। इसके अतिरिक्त गाड़ी में कई बन्दूकें और भी थी। कुछ पल्टिनियाँ गोरे भी शस्त्र सहित मौजूद थे जिनमें शायद एक मेजर भी द्वितीय श्रेणी में था। अपने स्काउट से यह समाचार पाकर पहले तो यह लोग असमंजस में पड़ गये, किन्तु नौजवानों ने अपने उत्साह में पोछे छटना उचित न समझा।³

अफाकुल्ला, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा शशीन्द्रनाथ बक्शी सैकिड क्लास में सवार हुए। इस टुकड़ी का नेतृत्व अफाक कर रहे थे। शेष सात व्यक्ति तीसरे दर्जे में सवार हुए,

1- आचार्य चतुरसेन, हमारे लाल दिन पृष्ठ 103

2- सीडर अगस्त 12, 1925 में लूट की रकम 10,000 तथा आचार्य चतुरसेन की हमारे लाल दिन में 5000 है।

3- आचार्य चतुरसेन, हमारे लाल दिन पृष्ठ 104

इसका नेतृत्व प० राम प्रसाद कर रहे थे । इन लोगो के पास चार नये मौजेर पिस्तौल थे । इनके अतिरिक्त अन्य कई छोटे मोटे हथियार भी थे । मौजेर पिस्तौल के साथ पचास से अधिक कारतूस थे ।

जब गाड़ी काकोरो स्टेशन से थोड़ी दूर निकल आई, तो सैकिन्ड क्लास के कमरे वालो ने खतरे की जगीर बड़ी जोर से खोचकर गाड़ी को खडा कर लिया । मुस्ताफिर लोग खिड़कियो से सिर निकालकर देखने लगे कि मामला क्या है । गाई भी जगीर खींचे जाने वाले डिब्बे की ओर जाने लगा । उस समय दिन को रोशनी कुछ कुछ बाकी थी । गाड़ी खड़ी होते ही दसों व्यक्ति अपने अपने डिब्बे से उतरकर काम में लग गये । गाई साहब को पिस्तौल दिखाकर जमीन पर लेट जाने की आज्ञा दो गयी । गाई के औध मुंह जमीन पर लेट जाने पर सबने अपने अपने हथियार निकाल लिये, क्रांतिकारो किसी को मारना नहीं चाहते थे और बार बार चेतावनी दे रहे थे कि गाड़ी से कोई भी आदमी उतरे नहो, तभी एक मुख्तार साहब उतरे और वे गोली के शिकार हो गये ।¹ एक गोस्वा भी जिसके पास राइफल थी मारा गया व एक युरोपियन के घेर में गोली लगी ।²

गाड़ी के दोनों ओर दो दो व्यक्ति खड़े कर दिये गये । इनके पास दस गोलियों की एक सङ्ग्रह गज तक मार रखने वाली मौजेर पिस्तौलें थीं । शेष 6 व्यक्ति रेल के धेले वाले डिब्बे में घुस गये । उन्होंने धक्का देकर खजाने वाले सन्दूक को डिब्बे से नीचे गिरा दिया । अब सन्दूक खोला जैसे जाय १ घन आदि मारकर उसमें धोड़ा बहुत सुराक तो कर लिया गया किन्तु इससे कुछ अधिक काम न बना ।

इस समय अशफाक पहरा देने वाले चार व्यक्तियों में से धा । उसने यह दशा देखकर मौजेर पिस्तौल मन्मथनाथ मुष्ट के हाथ में दे दी और घन पर जुट गया । उन लोगों में सबसे बलिष्ठ वही धा । उसने शीघ्र ही सुराख को बड़ा कर दिया । अब धेले निकालकर चादर में बांध लिये गये । इसी समय लखनऊ से देहरा मेल आ रही थी । गाड़ी बड़ी जोर से गुजरती हुई आई और बिना स्के हुए निकल गयी । उसको देखकर

1- आचार्य चतुरसेन हमारे लाल दिन पृ० 105

2- दि पायानियर 12 अगस्त, 1925 पृ० 5

इन लोगों ने अपने हथियार छिपा लिये थे। इसके बाद यह लोग फिर अपने काम में लग गये थे। इन लोगों ने यह सब काम दस मिनट से भी कम समय में करके थेलों को लेकर झाड़ियों का रास्ता लिया। गाड़ी के हथियारबन्द हिन्दुस्तानी सैनिक अपने स्थान पर जहाँ के तख्त बैठे रहे और मेजर साहिब तथा अन्य गोरों ने तो अपने डिब्बों की खिड़कियाँ तक लगा ली।

मन्मथनाथ ने स्वयं लिखा है "हम लोग थैले लेकर लखनऊ के चोक को ओर रवाना हुए रास्ते में हम लोगों ने थैलो को खोलकर नोट, तथा रूपयों को निकाल लिया और चमड़े के थैलों को स्थान-पर बरसाती पानी में डाल दिया। इसके बाद हम लोग बड़ी होशियारी से लखनऊ में दाखिल हुए और जहाँ जिसका स्थान था वहाँ अपने अपने स्थान पर दूसरे या तीसरे दिन चले गये।"

इस डकैती से अग्रे सरकार बौखला उठी और उसके सो०आई०डी० के स्पेशल सुपरि-टेंडेंट मि० हार्टन के अधीनस्थ सरगर्मों से जाँच शुरू हुई। इस जाँच में करीब 42 आदमी पकड़े गये, जिसमें दो सरकारी गवाह हो गये, उनको सरकार ने माफ कर दिया। अगर ये गवाह सुखाबिर न बन जाते तो शायद अग्रे सरकार वह मुकदमा ही न चला पाती।

जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें श्री रामप्रसाद बिस्मिल, श्री बनारसी लाल, हरगोविन्द, प्रेम कृष्ण, इन्द्रकृष्ण मिश्र, रोशनसिंह, अफ़क उस्ता खाँ, रामदुलारे त्रिवेदी, गोपीमोहन, राजकुमार सिन्हा, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, श्यामचन्द्रनाथ बक्शो, सेठ दामोदर स्वल्प, डी०डी० भट्टाचार्य, मन्मथनाथ गुप्ता, रामनाथ पाण्डेय, इन्द्र विक्रम सिंह, शीतला सहाय [इलाहाबाद], भूमेन्द्रनाथ सान्याल, चन्द्रधर जोहरी [आगरा], चन्द्रभाल, शिवचरनलाल [मसीबिर], बाबू राम वर्मा [स्टा], ज्योतिराम दीक्षित [इटावा] हरनामसुन्दर लाल [लखनऊ], श्यामचन्द्रनाथ विश्वास, गोविन्द चरनकार, मोहन लाल गौतम शरदचन्द्र [बंगाल], योगेशचन्द्र चटर्जी, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, मुकुन्दलाल [इटावा] राम रतन शुक्ल, विक्रम शरण दुबईल [मेरठ], मदनलाल मेरोसिंह, कालीदास बसु [बिरामपुर], रामकृष्ण खत्री, रणवेश चटर्जी, बनवारोलाल, चन्द्रशेखर आजाद, सुन्दरलाल तथा चोसु

तिवारी¹ कुल 42 थे ।

यह मुकदमा सबसे पहले खान बहादुर रेनुउद्दीन के इजलास में लखनऊ में चलाया गया । श्री रेनुउद्दीन उस समय अंग्रेजों के प्रिक्टिस मजिस्ट्रेट समझे जाते थे । इस मुकदमें में बचाव पक्ष के वकील कलकत्ते के बी०के० चौधरी पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, श्री चन्द्रभानु गुप्ता श्री आर०स्फ० बहादुर जी, पी०के० हलेजा तथा श्री मोहन लाल शक्सेना थे । सरकारी पक्ष के वकील थे श्री जगत नारायण मुल्ला । अभियुक्तों की सफाई के लिये कमेटी बनो जिसमें पंडित मोती लाल नेहरू तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे । श्री गणेश शंकर विद्यार्थी तथा उनके "प्रताप" ने इस मुकदमें में विशेष दिक्षयस्थी ली ।² यह केस लगभग धाने दो साल तक चला । इन क्रांतिकारियों पर दफ्ता 120 बी 396, 302 के मुकदमे चलाकर मजिस्ट्रेट खान बहादुर ने मि० हेमिल्टन सेशन जज के सामने सुपुर्द कर दिया ।³ यहाँ भी करीब साल भर मुकदमा चलने के बाद इस जज ने 6 अप्रैल, 1927 को 4 आदमियों को फाँसों की सजायें दी जिनके नाम हैं — श्री राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, अफाक उरला खॉं, तथा श्री रोशन सिंह ।

इसके अलावा प्रेमकिशन खन्ना को पाँच साल, रामदुलारे द्विवेदी को पाँच साल, राजकुमार सिन्हा को दस साल, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य को दस साल शचीन्द्रनाथ बक्शी को बीस साल, मन्मथनाथ गुप्ता को चौदह साल, रामनाथ पट्टिश को पाँच साल, भूपेन्द्र नाथ सान्याल को बीस साल योगेशनाथ सान्याल को बीस साल, योगेशचन्द्र पट्टी को बीस साल, मुकुंदीलाल 20 साल, विष्णु शरण दुबीस को दस साल, रामकिशन खत्री को दस साल, प्रफेला पट्टी को चार साल को सजा दी गयी ।

1- ये वही तिवारी हैं जो क्रांतिकारी पार्टी के केन्द्रीय समिति के प्रमुख सदस्य रहे थे और जिन्होंने शहीदे आत्म चन्द्रशेखर आजाद को मरवाने में उस समय अंग्रेज सरकार की मुखबिरी की थी और इन्हीं की सूचना पर नोट बराबर ने आजाद पार्क में शहीद आजाद का घेराव करके मारने की योजना बनाई थी बाद में तिवारी पर दो बार क्रांतिकारियों ने गोली चलाई लेकिन ये बात बात बच गये । श्री तिवारी उस समय के सी०आइ०डी० सुपीस्ट्रेंट कानपुर के पी० शम्भूनाथ मिश्र के खास मुखबिरों में से थे और इन्हीं शम्भूनाथ के ऊपर अंग्रेज सरकार ने आजाद को पकड़वाने का भार सौंपा था ।

2- मन्मथनाथ गुप्त, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पृ० 383

3- अमृतभास 12 अगस्त 1982

चौफ जॉर्ट में अपील किये जाने पर कुछ को सजा बढ़ाकर बाकी की अपील खारिज कर दी गयी । इस फैसले पर भारत की जनता विद्यार्थियों में बड़ी उत्तेजना फैली और पं० मोतीलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पंत, पं० मदनमोहन मालवीय आदि ने प्रिवो काउंसिल तथा गवर्नर जनरल आदि के पास अपील की लेकिन कोई नतीजा न निकला और 19 दिसम्बर, 1927 को हमारे यह नौजवान फाँसी पर लटका दिये गये । 19 दिसम्बर को ही मलाका जेल, इलाहाबाद में रौशनसिंह ने "बन्दे मातरम्" के पवित्र मंत्र के साथ फाँसी के पदों को घूमकर कूट लगाया था और शहीद हो गये थे । भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में वे दिन सदैव के लिये अमर हो गये ।

राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसम्बर को फाँसी हुई, हमेशा को तरह उन्हें 18 दिसम्बर को पौने के लिये जब दूध दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया और कहा अब मैं अपनी माँ का दूध पिऊँगा, उन्हें विश्वास था कि वे पुनः पैदा होंगे ।¹

इस मुकदमें में पाँच हजार को डकैती के लिये सरकार ने दस लाख रुपये से भी अधिक खर्च कर दिया ।²

गवाहों के बयान :

काकोरी ट्रेन डकैती में अनेक गवाहों ने अपने अपने बयान दिये । चारबाग, लखनऊ के स्टेशन मास्टर ने भी बयान दिये वह निम्न है —

स्टेशन मास्टर ने अपने बयान में कहा कि 9 अगस्त, 1925 को वह अपनी झूटी पर थे । ट्रेन डकैती की सर्वप्रथम सूचना उन्हें मि० नार्टन से मिली जो डिप्टी चीफ कंस्टीबल थे तथा माड़ी नियंत्रण आफिस हजरतगंज में थे । मि० नार्टन ने टेलीफोन द्वारा सूचना भेजी कि 8 डाउन माड़ी आत्म नमर 5 काकोरी के बीच में रोक ली गयी है तथा स्वर्यों का बक्सा शस्त्रों से लैस डाकुओं द्वारा जो संख्या में 20 से 30 थे उतार लिया गया है । जब माड़ी चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 3 पर आयी तो स्टेशन मास्टर ने गार्ड के डिब्बे में एकदम अधिरा देखा क्योंकि बल्ब बगैरह तोड़े जा चुके थे ।³

1- मन्मथनाथ, हिस्ट्री आफ् दी इंडियन रिवोल्यूशन पृ० 110

2- आचार्य चतुर्वेदी, हमारे लाल दिन पृ० 106

3- दैनिक दि पायॉनियर, 21 जनवरी, 1926 पृ० 6

इंजिन ड्राइवर मि० पी०एस० यंग ने अपने बयान में कहा कि काकोरी से दो किलोमीटर जाने पर गाड़ी रुक गयी क्योंकि वैक्यूम को सुई गिर गयी थी, जिसका मतलब था किशो ने येन खींची है। ड्राइवर ने फायरमैन को स्थिति की जानकारी के लिये भेजा, इसके कुछ क्षण बाद ही बन्दूक की आवाज आई तथा फायरमैन ने आकर गाड़ी के लूटे जाने को सूचना दी तथा 40 मिनट बाद ड्राइवर ने गाड़ी खाना को।¹

गार्ड जगन्नाथ प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि 9 अगस्त, 1925 को न० 8 डाउन गाड़ी में वे झूटी पर थे। उन्होंने कहा कि काकोरो स्टेशन छोड़ने के पश्चात् गाड़ी कीब रुक भी ल ही गयी होगी और रुक गयी। उनके डिब्बे में लोहे का बक्सा रखा था जिसमें सरकारी खजाना था। ट्रेन रुकते ही वे बाहर आये तथा इनकी तरफ जाने लगे इसी समय द्वितीय श्रेणी के डिब्बे से तीन चार व्यक्ति उतरे जिन्होंने गाड़ी रोकी थी। गार्ड ने तीनों व्यक्तियों से रस्ता करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका स्परों का बक्सा काकोरी में छूट गया है।

तीनों व्यक्ति गार्ड के डिब्बे की तरफ गये उनके पीछे गार्ड व एक बर्फ बेचने वाला भी गया। गार्ड ने देखा कुछ व्यक्ति उनके डिब्बे में थे। इससे पहले कि वे कुछ कहते एक व्यक्ति ने गाड़ी के दोनों तरफ फायरिंग की। एक व्यक्ति ने बक्सा डिब्बे से उतारा और अन्ध बरो तोड़ने लगे। उनमें से एक ने गार्ड को जमीन पर पेट के बल लेटने को कहा और यह कहा कि यदि वे हिले तो उन्हें मार दिया जायेगा।

गार्ड के अनुसार काफी संख्या में यात्री गाड़ी से उतरकर बाहर आये परन्तु उनमें से एक ने उन्हें वापस डिब्बे में जाने व शांत रहने के लिये कहा तथा यह भी कहा कि ये यात्रियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगे वरन् सरकारी खजाना लूटेंगे। स्परों का बक्सा तोड़कर पैसों को बाहर निकाल लिया, इन लोगों के कुछ दूर जाने पर गार्ड साहब जमीन पर से उठे, देखा बक्सा टूटा पड़ा था तथा उनके डिब्बे का लाइट बल्ब आदि तोड़ दिया गया था तथा गार्ड को खदर की एक चादर मिली जिसे उन्होंने पारब्राम पुलिस को सौंप दो।²

1- दैनिक दि पायनियर 21 जनवरी, 1926 पृ० 6

2- दैनिक दि पायनियर 22 जनवरी, 1926 पृ० 5

कांस्टेबल लक्ष्मनराम सिंह ने अपने बयान में कहा कि जिस स्थान पर चोरी हुई थी उस स्थान से एक मृत शरीर मिला। एक यात्री के बयान के अनुसार मृत शरीर अहमद अली का था क्योंकि वह उस यात्री का साला था।

जिस समय यह घटना घटी वहीं पर कुछ दूरी पर कई लड़के अपने जानवरों को मैदान में चरा रहे थे बदलू नामक 12 वर्ष के लड़के ने अपने बयान में बताया कि घटना के समय उसने 10-12 आदमियों को देखा था उनमें से कुछ खाकी कोट और शीट पहने थे तथा कुछ ने गाँधो टोपी लगा रखी थी। बदलू ने राम प्रसाद, राम लूण खत्री, प्रान-वेश कुमार चटर्जी को पहचान लिया।

कालू ने जो बदलू का साथी था अपना बयान दिया तथा समोसनो गुप्ता, राज-कुमार सिन्हा तथा राम प्रसाद को पहचान किया। समोसनो गुप्ता को बनारस जेल में पहचाना।

सितलदा ने विष्णु शरण दुबैलिस तथा समोसनो गुप्ता को पहचाना। जेल में मुकुन्दीलाल को पहचाना।

स्यनारायण भिनका घर वहाँ था जहाँ ट्रेन छूटी गयी थी अपने बयान में उन्होंने फायरिंग तथा हथौड़ों की आवाज का जिक्र किया तथा अचरधियों में सुरेश भट्टाचार्य को पहचान लिया। तथा इनको पत्नी ने हरगोविन्द को पहचाना।

अन्ध गवाहों में बैजू अहीर जो आलमनगर रेलवे स्टेशन में शर्टिंग पोर्टर था, कलन खान, इक्का घाला और देशी चमार थे। देशी चमार ने भूपेन सन्ध्याल, मुकुन्दीलाल तथा प्रेमकिशन को पहचाना लिया।¹

इसके अतिरिक्त अब्दुल बद्र जो वर्ष बेचने वाला था ने रामकुमार सिन्हा, प्रेम-किशन, रामप्रसाद, समोसनो गुप्ता को पहचाना। जोधा चमार ने बनवारी को बाबू धोबी जो रेलवे छुली था ने रामनाथ बाण्डेय को तथा मैदो अहीर, जो रेलवे गेटमैन था, ने दामोदर स्वल्प को तथा कांस्टेबल रामसुन्दर सिंह ने बनवारी खाल को पहचाना।²

1- दि पायनिगर, 14 फरवरी 1926, पृष्ठ 8

2- पायनिगर, 15 फरवरी 1926, पृष्ठ 3

पुलिस सुपरिन्टेंडेंट मि० आर०ए० हार्टन तथा डिप्टी राय साहब दुर्गाप्रसाद जो इस केस की जांच कर रहे थे बताया कि ट्रेन डकैती की यह घटना अपराध की चरम सीमा थी और यह अपराध एक क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकालना था तथा इस संगठन का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन था। बंगाल क्रांतिकारी संगठन ने अपना स. सदस्य सयुक्त प्रांत में इसी प्रकार के संगठन की स्थापना के लिये भेजा और विभिन्न जिलों में ये स्थापित हो गये। इसके प्रत्येक सदस्य के पास पोला प्रतिज्ञा पत्र होता था। संगठन का उद्देश्य पैसे एकत्र करना था जो डकैती द्वारा ही पूरा हो सकता था।

क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया :

अनेक पत्र पत्रिकाओं ने क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी को तीव्र आलोचना की तथा अपनी असहमति प्रकट की। इन पत्रों का विचार था कि वे गिरफ्तारियां राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और विशेषकर कानपुर कांग्रेस के प्रस्तावित अधिवेशन को ध्यान में रखकर की गयी हैं।¹

इस अवसर पर "आज" ने लिखा है कि अफ़सोसनी यह सोचती है कि भारत में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराधिक कानूनों का उपयोग कर उन्हें परेशान करना उसका जन्मगत व पवित्र अधिकार है। इस बीसवीं सदी की यह निकम्मी सरकार जिस प्रकार से सम्मानित और शान्तिप्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंडसंहिता की हत्या और डकैती के अनुच्छेदों की धारारों उपयोग में ला रही है। बड़ी मुश्किल से इस पर कोई विश्वास कर पायेगा। आगे इस पत्र ने गिरफ्तार व्यक्तियों को तनहाई में रखने, हथकड़ी, बेड़ी पहनाने उनसे मिलने बुलाने पर रोक लगाने तथा उनके साथ ही रहे अन्य दुर्व्यवहारों पर रोष व्यक्त किया तथा यह कहा कि अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि इस देश में कोई कानून नहीं, अधिकारों की इच्छा ही कानून है।² जीवन ने भी गिरफ्तारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों की स्थिति शिक्षा और परिवार को देखते हुए यह असम्भव लगता है कि डकैती में इन लोगों का हाथ रहा

1- कांफिडेंसियल नोट आन दो प्रेस, युनाइटेड प्रोविंसेज आफ आगरा स्पड अवध फार दी लोक इंडिंग। [भा०राज०अभिलेखागार]

2- वही [भारतीय राजकीय अभिलेखागार]

अभियुक्त फाँसी के पदे पर :

स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति के ध्वज जो फहराने वाले इन क्रांतिकारियों को फाँसी और कारावास की सजा चुनाये जाने के बाद देश में इसकी तोखी प्रतिक्रिया हुई ।

फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्र विचारधारा के पत्र "वर्तमान" ने लिखा कि "सजा का निर्णय सामान्यतः चोट पहुँचाने वाला है — यह केवल इसी अभाग्य देश में हो सकता है कि दिग्भ्रमित देशभक्तों को फाँसी पर लटका दिया जाय ।¹ आनन्द ने टिप्पणी की कि यद्यपि निर्णय ही चुका है किन्तु जो लोग कतिपय अभियुक्तों के परिवार से परिचित हैं, वे जानते हैं कि वे कितने अबोध थे ।² अ-युद्ध ने लिखा कि उत्तेजित युवकों को यद्यपि वे मार्ग से हटा गये थे, प्राणदंड देना उचित नहीं माना जा सकता, सजा में कसों की जानी चाहिये ।³

"प्रताप" ने अभियुक्तों को सजा से उनके स्वजनों को होने वाले वेदना का मार्मिक वर्णन करते हुए लिखा है, "ओ आदर्श तुम बहुत क्रूर और आतंककारी हो । कोई नहीं जानता कि तुम्हारे लिये कितनी बहनों और भाइयों को विलाप करना पड़ेगा लेकिन प्रामाण्यता का जन्म मात्र बलिदान से ही होता है माताओं व बहनों की आँख से निकला आँसू गंगा और यमुना की तरह पवित्र है ।"

परन्तु परतंत्र भारत के पराधीन समाचार पत्रों की इन टिप्पणियों का ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही सरकार ने अनुरोध पर कोई ध्यान दिया और अंततः फाँसी हुई ।

काकोरी के शहीदों को फाँसी से बचाने के प्रयासों की विफलता पर दुःख व्यक्त करते हुए आज ने लिखा — एक भिन्न लिखते हैं — आज हम कितने नपुंसक हो गये हैं इसका पता काकोरी केस के चार अभियुक्तों को फाँसी होने से चलता है —हमारा

1- का नौद प्रेस, यू०पी० सप्ताहान्त, 16 अप्रैल 1927 भारतीय राजकीय अभिलेखागार

2- वही

3- वही

कितना पतन है जिन असेम्बली व कौंसिलों के चुनाव के लिये देश का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है हजारों आदमों एक दूसरे के लिये तू-तू, मैं-मैं करते हैं उन्हीं कौंसिलों व असेम्बली के मेम्बरों को हमारी नेकनियत सरकार फिक्स निगाह से देखतो है, इसका पता काकोरी के मामले में अच्छी तरह लग चुका है। सरकार टस से मस नहीं हुई, इसका कारण कुछ नहीं, हमारी नपुंसकता है। पर क्या अब भी हमारी आंखें नहीं खुलेगी।¹

उग्र विचारधारा के समर्थक हिन्दी के अन्य पत्रों ने भी काकोरो कांड के बंदियों को फाँसी देने के विरुद्ध अपना टिप्पणी दी। "वर्तमान" ने क्रांतिकारियों का पक्ष समर्थन करते हुए लिखा, शांति व्यवस्था के नाम पर हमारे आशाओं को मटियामेट कर दिया गया और हमारे आजादी के दिवाने सैनिकों को फाँसी पर लटका दिया गया। ओह ! कैसी निरुत्तरता ! कैसी निर्ममता है यह ! भयानक क्रूरता ! मनुष्य का हृदय टूटता जा रहा है और सहानुभूति समाप्त होती जा रही है।²

शक्ति ने अपनी टिप्पणी में लिखा "निश्चित ही वे गलत हाथों में पड़ गये थे। परन्तु क्या उन्हें इस अपराध के लिये फाँसी को सजा दी जानी चाहिये थी ? अन्याय नृसंतता ! क्या आजीवन काला पानी की सजा पर्याप्त नहीं होती ? क्या नौकरशाही अपने जेलों जेलरों और बन्दी रक्षकों पर विश्वास छो चुकी है ?"³

काकोरो शहीद अर्धशताब्दी समारोह में 19 दिसम्बर, 1922 को लखनऊ में सम्मिलित स्वतंत्रता सेनानियों ने सर्वसम्मति से यह घोषणा की।

अंग्रेज साम्राज्यशाही के पदार्पण के साथ ही हमारे देश में गुलामी के विरुद्ध छिटपुट विद्रोह आरम्भ हो गया था सन् 1857 में बड़े व्यापक और संगठित रूप में प्रथम जन-क्रांति का बहुत बड़ा परन्तु आजादी की लड़ाई विफल हो जाने के बाद भी क्रांति की चिन्तारियों देश में सुलभती रही। 1905 में बर्मन के विरुद्ध जन संघर्ष में क्रांतिकारियों ने अगुवाई की। पंजाब में गद्दर पार्टी और बब्बर अकालियों ने उत्तर प्रदेश में काकोरी काण्ड के योद्धाओं ने अपना जीवन रक्त देकर क्रांति को मशाल जलाये रखी। फिर पर कमल बांधकर एक टोही आती थी, अपना अर्घ्य फेंककर चली जाती थी। दूसरी उसके

1- आज, 23 दिसम्बर, 1927

2- कॉन्फिडेंशियल नोट आन द्रो प्रे, यूनाइटेड प्रोविंशियल आफ आगरा सण्ड अफिस, फार दी चीफ इंजीन, 7 जनवरी 1928

3- वही

चतुर्थ अध्याय

सविनय अवज्ञा आंदोलन [1930-34]

1930 के प्रारम्भ में देश में चारों ओर अत्याधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि महात्मा गांधी आंदोलन का श्री गणेश न करते तो दयनीय आर्थिक दशा और कठोर नौकरशाही के कारण भारत में हिंसात्मक क्रांति का सूत्र पात्र हो जाता। गांधी जो इस बात से अवगत थे, इसलिये उन्होंने स्थिति में सुधार करने या स्थिति को नियंत्रण में करने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये।

कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 2 जनवरी, 1920 को बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधोनता दिवस मनाने की घोषणा की गयी। 19 जनवरी, 1930 को संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी कानपुर की बैठक में प्रातः की जनता से कांग्रेस के आंदोलन में अधिक उत्साह और साहस से भाग लेने की अपील की। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लखनऊ में 26 जनवरी, 1920 को उत्साहपूर्ण वातावरण में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया।

26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वाधोनता दिवस का प्रतिज्ञा-पत्र :

"हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना यह जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपनी मेहनत का फल खुद भोगें और हमें जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक सुविधायें मिले जिससे हमें भी विकास का पूरा पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि अगर कोई सरकार यह अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का भी हक है। हिन्दुस्तान की अंग्रेजों सरकार ने हिन्दुस्तानियों की स्वतंत्रता का ही अपहरण नहीं किया है, बल्कि उसका आधार ही गरीबों के रक्त शोषण पर है और उसने आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का नाश कर दिया है, इसलिये हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या मुकाम्मिल आजादी प्राप्त कर लेना चाहिये।

"भारत की आर्थिक दशा बरबाद हो चुकी है जनता को आमदनी को देखते हुए

उससे बेविसाब कर वसूल किया जाता है। हमारे औसत दैनिक आय सात पैसे हैं और हमसे जो भारो कर लिये जाते हैं उनका 20 फीसदो किसानों से लगान के रूप में और 3 फीसदो गरोबों से नमक-कर के रूप में वसूल किया जाता है।”

“हाथ - कतार्ई आदि ग्राम उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम से कम चार महोने किसान लोग बेकार रहते हैं। हाथ को कारोगरी नष्ट हो जाने से उनकी बुद्धि भी मंद हो गयी और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनकी जगह दूसरे देशों को भाँति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये हैं।”

“चुगी और सिग्के की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि उससे किसानों का भार और भी बढ़ गया है। हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है चुगी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ खासतौर पर पक्षपात होता है इसकी आय का उपयोग गरोबों का बोझ हल्का करने में नहीं बल्कि एक अत्यंत अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता है। विनियम की दर भी ऐसे मनमाने तरीके से निश्चित की गयी है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर फ्ला जाता है।”

“राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है, उतना पहलेकभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार योजना से जनता के हाथ में असली राजनैतिक सत्ता नहीं आई। हमारे बड़े-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने सर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आजादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं, और हमारे बहुत से देहासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी सारी शासन की प्रक्रिया मारी गयी है और सर्व-साधारण को गाँवों के छोटे-छोटे ओहदों और मुंशीगीरी से संतोष करना पड़ता है।”

“सांस्कृतिक के सिद्धांत से शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ काट दी है और हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं।”

“आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नासर्द बना दिया गया है। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदैव मौजूद रहती है उसने हमारी मुकाबले की भावना बड़ी दुरी तरह से कुचल दी है। जतने हमारे दिलों में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर संभाल सकते हैं और न विदेशी हमलों से देश की रक्षा कर सकते

है । इतना हो नहीं चोर, डाकू और बदमाशों के हमलों से भी हम अपने बाल बच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते । जिस शासन ने हमारे देश का इस तरह सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारा राय मेंगमस्तुभ्य और ईश्वर दोनों के प्रति अपराध है किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी इसीलिये हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा और करबन्दो तक के साज सजायेंगे । हमारा पक्का विश्वास है कि अगर हम राजी राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगैर देना बन्द कर सके तो इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है । इसीलिये हम शपथ पूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिये कश्चित्त समय समय पर जो आज़ाएँ देगी, उनका हम पालन करते रहेंगे ।¹

कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14-16 फरवरी, 1920 को साबरमती में हुई । कार्यकारिणी ने स्थिति का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मागांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ करने के सम्पूर्ण अधिकार दे दिया । कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्णय का स्वगत संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 26 फरवरी, 1920 को इलाहाबाद में एक प्रस्ताव पास करके किया । इसके साथ ही आर्थिक विकास सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी स्वीकार की घोषणा की गयी । महात्मा गांधी आंदोलन के लिये किसी ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहते थे, जिसमें सारे देशवासियों की रुचि शामिल हो । गांधी जी ने नमक कानून को सबसे पहले तोड़ने का निश्चय किया क्योंकि नमक किसी जीवन के लिये आवश्यक वस्तु पर सरकार का सकाधिकार था और नमक पर कर भी अधिक था । नमक कानून तोड़ने के लिये नमक बनाने के उद्देश्य से समुद्र तट पर स्थित डांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान करने के पडले गांधी जी ने अपना 11 शर्तें प्रकाशित की और अपने एक पत्र में वाइसराय को वह शर्तें लिख भेजी जिन पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जा सकता था । सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

महात्मा गांधी ने सरकार से सम्झौता करने का एक और प्रयास, एक अंग्रेज रेजी-नल रेनाडल्ट के माध्यम से वाइसराय को पत्र भेज कर किया । वाइसराय ने महात्मा

1- जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी पृष्ठ 842-43

2- दि पायनियर, 28 फरवरी, 1930 पृष्ठ 7

गांधी के पत्र के उत्तर में केवल यह लिखा कि मुझे दुःख है कि गांधी जो वह रास्ता अपनाते जा रहे हैं जिसमें कानून व सार्वजनिक शांति भंग होना अनिवार्य है।¹ महात्मा-गांधी ने इसके उत्तर में यह कहा कि मैंने घुटने टेककर रोटी मांगो धो पर मुझे पत्थर मिला। ब्रिटिश राज्य केवल शक्ति पहचानता है और इसीलिये मुझे वाइसरॉय के उत्तर में आश्चर्य नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेल की शक्ति ही एकमात्र शांति है, समस्त भारत वर्ष एक विशाल कारागार है। मैं इस कानून को नहीं मानता और उद्गार प्रकट करने में असहाय राष्ट्र हृदय को मसलने वाली इस लादो गयी शांति की शोकात्मक शक्तिता को भंग करना अपना पुनोत्त कर्तव्य मानता हूँ।²

शासन की हठधर्मों के कारण महात्मा गांधी आंदोलन प्रारम्भ करने को विवश हो गये। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी गाँव तक को लगभग 200 मील की लम्बी पैदल यात्रा की महात्मा गांधी 5 अप्रैल, 1930 को डांडी पहुँचे तथा 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया। यह कार्यवाही भारतीय जनता द्वारा अग्रियों द्वारा बनाये गये कानूनों के तहत रहने और इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अधीन रहने से इन्कार करने का प्रतीक थी। गांधी जी ने लोगों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नमक कानून उल्लंघन के बड़ को सहने के लिये तैयार हो जब और जहाँ चाहे नमक बना सकता है। गांधी जी ने घोषणा की :

“भारत में ब्रिटिश शासन ने इस महान देश का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विध्वंस किया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप समझता हूँ। मैं सरकार को इस प्रणाली को नष्ट करने का पक्का इरादा रखता हूँ राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। हमारी लड़ाई अहिंसक है। हमें किसी व्यक्ति को नहीं मारना है, मगर यह देखना हमारा धर्म है कि इस सरकार स्वी अभिशाप को मिटा दिया जाय।³

आंदोलन तेजी से फैल गया। देश में हर जगह लोगों ने हड़तालों, प्रदर्शनों, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा कर बन्दी के अभियान में भाग लिया लाखों भारतीयों

1- दि पायनियर 9 मार्च, 1930 पृ० 1

2- डा० पदुटाभितासैया, कांग्रेस का इतिहास पृ० 368

3- विपिन चन्द्र, एन०सी०ई०आर०टी० आधुनिक भारत, पृ० 231

ने सत्याग्रह किया। देश के अनेक भागों में किसानों ने भूराजस्व और लगान के भुगतान को रोकें रखा। आंदोलन की मुख्य विशेषता थी व्यापक रूप से स्त्रियों का उसमें भाग लेना। हजारों महिलाओं ने अपने घरों के एकान्त में सीमित अपने जीवन को छोड़ दिया और सत्याग्रह किया। विदेशी वस्त्र या शराब बेचने वाली दुकानों पर धरनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वे जलूसों में पुस्तकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ीं।

आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के मध्य लखनऊ मंडल में पहुँच कर वहाँ की जनता को उद्वेलित किया। रायबरेली जिले के मोहनगंज में तलोन तहसील में सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 18 मार्च को हुआ जिसमें श्रीप्रकाश, पींडित जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू और डा. महमूद उपस्थित थे सम्मेलन में गिरफ्तार किये गये नेताओं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेन गुप्ता आदि को बधाई दी गयी तथा नमक कानून के विरोध में सत्याग्रह की अपील की तथा लगान का भी विरोध किया गया।¹

6 अप्रैल को लखनऊ में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया तथा सुबह राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, बहुत से स्वयं सेवकों ने इसमें भाग लिया। दोपहर पश्चात् महिलाओं की सार्वजनिक सभा हुई तथा सचिनय अवज्ञा समिति की बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई तथा नमक कानून को तोड़ने का संकल्प किया गया।²

भारत सरकार से प्रांतीय सरकार को सत्याग्रह आंदोलन का दमन करने के लिये विशेष निर्देश प्राप्त हुए। प्रत्येक जिले से प्रांत के मुख्यालय को तथा प्रांत के मुख्यालय से भारत सरकार को आंदोलन की प्रगति के विवरण भेजे जाते रहे। नमक कानून का उल्लंघन करने वालों के लिये कठोर दंड निर्धारित किया गया तथा सत्याग्रहियों के नायक को बंदी बनाने के लिये जिलाधिकारियों को विशेष अधिकार दिये गये।³

लखनऊ मंडल में सचिनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 12 अप्रैल को राय-बरेली में सत्याग्रह का चौथा दिन था। 7 स्वयं सेवकों का दल शहर में घूमता हुआ

1- दि लीडर, 24 मार्च 1930, पृष्ठ 6

2- दि लीडर, 9 अप्रैल 1930, पृष्ठ 12

3- गुप्तावर विभाग के अभिलेख

निर्धारित स्थान पर शाम 5 बजे पहुँचा । 5 बजाकर 30 मिनट पर नमक बनाना प्रारम्भ किया गया । जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से युक्त एक नोटिस मिला जिसके अनुसार जो कोई नमक बनायेगा या मदद करेगा वह स्वयं जिम्मेदार होगा । सार्वजनिक सभा में यह पढ़ा गया परन्तु दूर जाने के बजाय जनता अधिक इकट्ठा हुई, तथा कुछ ही क्षणों में नमक बन कर तैयार हो गया । उसी समय कुछ पुलिस अधिकारों 20 क्वार्टरों के साथ आये और स्वयं सेवकों के हाथ से कड़ाही छीन लिया । स्वयं सेवकों ने पुनः नमक बनाया, पुलिस द्वारा पुनः छीना गया । इसी छीना झपट में कुछ स्वयं सेवक घायल हुए वतीन को गिरफ्तार किया परन्तु दो को छोड़ दिया । पलिया में भी आज सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ तथा तीन सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये ।¹

सत्याग्रह के छठे दिन भी नमक बनाया गया । पांच स्वयंसेवकों का दल सत्याग्रह आश्रम से तिलक भवन तक गया । पुलिसों जो छीनाझपटी के बावजूद भी नमक बनकर तैयार हुआ, पुलिस ने तैयार नमक ले लिया व गिरफ्तार लोगों में से चार को छोड़ दिया जिसमें हिन्दुस्तानी सेवा दल के नन्द कुमार जो भी थे ।² मोहनगंज के स्वयं सेवकों को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया परन्तु फिर छोड़ दिया ।³ श्री शीतला सहाय व श्री माता-प्रसाद को 6 महोने के कारावास की सजा मिली । जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति पं० माता प्रसाद मिश्र के भाई गोमती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस भूमि पर नमक रायबरेली में बनाया जाता था वह इन्हीं की थी ।⁴

सोतापुर से सत्याग्रहियों के दो दल लखनऊ के श्री सक्सेना और श्री श्रीवास्तव जो की अध्यक्षता में रवाना हुए । वे मिर्साख तथा रास्ते के अन्य गाँवों से होते हुए लखनऊ पहुँचे । तीसरे जत्थे ने दिन में नमक बनाया । पुलिस ताक में घूम रही थी, अतएव उसने जबरदस्ती कड़ाही छीन लिया और दल नायक श्रीयुत बौस तथा 7 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया । रोजाना की तरह शाम को अमीनाबाद पार्क में जलता हुआ और नमक नोहाप हुआ ।⁵

1- दि लीडर 14 अप्रैल, 1930 पृ० 10

2- दि लीडर 19 अप्रैल, 1930 पृ० 12

3- सत्याग्रह समाचार, पुलिस विभाग फाइल नं० 105/1930 वाक्स 87

4- वही 18 अप्रैल, 1930 पृ० 4

5- वही 19 अप्रैल, 1930 पृ० 3

सविनय अपज्ञा आंदोलन के उत्तेजनापूर्ण वातावरण में संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 18-21 अप्रैल, 1930 को कानपुर में हुआ जिसमें यह निश्चित किया गया कि यदि नमक कानून समाप्त कर दिया जायेगा तो भी स्वतंत्रता न मिलने तक सविनय अपज्ञा आंदोलन जारी रहेगा।¹ जिला कांग्रेस संगठनों को मन्दिरेय तथा विदेशी वस्त्र बहिष्कार हेतु निर्देश दिये गये। प्रांतीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने 19 अप्रैल को कानपुर में एक कार्यक्रम प्रकाशित करके सत्याग्रह का प्रसार करने की अपील की।²

लखनऊ में विदेशी कपड़े का बहिष्कार हो, इस काम के लिये वहाँ की देहात से एक जत्था जिसके नेता बाबू शम्भूनाथ थे लखनऊ के लिये चल पड़ा। यह रास्ते में सभार्ये कर के स्वदेशी का प्रचार व विदेशी पक्ड़ों की होली जलाता हुआ पहुँचा।³ लखनऊ में हाथ की माङ्गियों पर बराबर नमक बनता हुआ शहर में घूमता है। मुफ्तिस्तर से बराबर जत्थे नमक सत्याग्रह करते हुए लखनऊ आ रहे हैं। वैदियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है।⁴

उन्नाव में 13 अप्रैल को श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 12 स्वयं सेवकों को टोली नमक कानून को तोड़ने के लिये रवाना हुई ठीक 4 बजे नमक बनाना प्रारम्भ किया गया जो लगभग 2 घण्टे तक जारी रहा, पुलिस ने कोई बाधा नहीं डाली।⁵

जनाना पार्क लखनऊ में शाम 4 बजे महिलाओं को एक सभा हुई। सभा में नमक बनाया गया तथा 78 पैकेट नमक एक आना पैकेट के लक्षाब से बेचा गया। करीब 300 महिलायें इस सभा में उपस्थित थीं। श्रीमती बक्शी इस सभा की अध्यक्षता थी व अन्य बोलने वाली थी श्रीमती सुनीतीदेवी मित्रा, श्रीमती कांति देवी अवस्थी। इसी दिन शाम 6 बजे एक सभा अमीरुद्दौला पार्क में हुई, बोलने वालों में थे मि० अहमद हुसैन, मि० पेस्टांजी और मि० गोपाल नारायण सक्सेना, जो सभा के अध्यक्ष थे। इसी

1- इंडियन एनुवल रजिस्टर भाग-1, 1930 पृ० 344

2- आज, 26 अप्रैल, 1930 पृ० 7

3- सत्याग्रह समाचार 23 अप्रैल, 1930 पृ० 3

4- सत्याग्रह समाचार 21 अप्रैल, 1930 पृ० 3

5- वही 21 अप्रैल, 1930 पृ० 3

दिन सत्याग्रहियों का एक दल सिंध्यामऊ [इटौजा] के लिये रवाना हुआ वहाँ दूसरे दिन नमक बनाकर कानून को तोड़ने का निश्चय किया गया।¹

रायबरेली में पलिया नामक स्थान पर 17 अप्रैल को भगवती सिंह, श्याम सिंह और अम्बिका प्रसाद गिरफ्तार कर लिये गये।² हिन्दुस्तानी सेवादल के सेक्रेटरी मि० नन्द कुमार देव अवस्थी को 6 मास की सजा हुई। जिला सत्याग्रह कमेटी के सदस्य ठा० महेश नारायण सिंह भी रायबरेली जिले में नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार कर लिये गये। रायबरेली के तीनों नियत स्थानों पर रोजाना की तरह नमक कानून तोड़ा गया अर्थात् वर्जित नमक बनाकर बेचा गया।³

रायबरेली में काशी विद्यापीठ के श्री मालवन्द्र अपाले, श्री शरत्चन्द्र पटनेल, श्री राम सिंह, श्री राम नरेश सिंह, श्री रामानन्द, श्री प्रमोद नौरत्न ने नमक बनाया। प्रमोद नौरत्न को छोड़ सभी गिरफ्तार हो गये और पाँचों को 6-6 मास की सजा हुई। ऊँचाहार में भी 6 सत्याग्रही पकड़े गये। उनमें से चार छोड़ दिये गये। दो को 6 मास गये के सख्त सजा हुई।⁴

खजना में धरने का काम सफलता से चल रहा था। हाजी नामक दुकानदार ने अपने पकड़े के खिलाफ दुकान खोली इसलिये उसकी दुकान पर धरना बैठा और सभी दुकानें बन्द हो गयी।⁵

संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग न देने की अपील की। लीग के अनुसार यदि मुसलमानों ने इस आंदोलन में सहयोग दिया तो भविष्य में उन्हें हिन्दू महासभा के अधीन होना पड़ेगा।⁶ जामियत-उल्ल-उलेमा संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने के लिये कांग्रेस को पूर्ण सहयोग प्रदान

1- दि लीडर, 21 अप्रैल 1930 पृ० 10

2- दि लीडर, 23 अप्रैल 1930 पृ० 12

3- दि लीडर 23 अप्रैल, 1930 पृ० 10

4- सत्याग्रह समाचार 3 मई, 1930 पृ० 3

5- वही, 4 मई, 1930 पृ० 4

6- एडीमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० [1929-30] पृ० 9

किया लखनऊ मंडल में मुसलमानों ने इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। मिर्जापुर के बैरिस्टर युसुफ इमाम ने मुसलमानों से मुस्लिम लीग के बहकाये में न आने की अपील की। लखनऊ में इम्तियाज अहमद अशरफी को नगर कांग्रेसकेटी के अध्यक्ष थे, नमक कानून को तोड़ा तथा मुस्लिम सत्याग्रहियों का जत्था गिरफ्तार किया गया।

जिस समय आंदोलन का स्वरूप काफी उत्तेजनापूर्ण था उसी समय 5 मई, 1930 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी जी की गिरफ्तारों के विरोध में लखनऊ मंडल के प्रत्येक जिले में हड़ताल की गयी तथा सरकार के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया।

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कौंसिल [कार्यसमिति] की बहुत जरूरी बैठक रविवार 4 मई को सायं 4 बजे भारतीय कांग्रेस कमेटी के इम्तार में हुई। समापित गणेश शंकर विद्यार्थी के अतिरिक्त आचार्य नरेन्द्र देव, सर्वजी विश्व प्रसाद गुप्त, सुखोत्तम दास टंडन, फैलाश नाथ काटजू, लमदूक अहमद शेरवानी आदि उपस्थित थे। पंडित मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे।

चार घण्टे की बहस के बाद विदेशी वस्त्र बहिष्कार के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि पूर्ण कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक जहालपुर में होगी इसीलिये कौंसिल की राय है कि कार्यसमिति के फैसले तक विदेशी वस्त्र के व्यापारियों से कोई सम्झौता न किया जाय और सभी विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिये दुकानों के सामने स्वयं सेपकों को गलत लगाना है। विदेशी वस्त्र बहिष्कार के सम्बन्ध में जुलूसों, सभाओं और नोटिसों द्वारा खूब प्रचार किया जाय और विलायती कपड़े के खरीदारों से विदेशी माल न खरीदने का अनुरोध किया जाय।¹

महात्मा गांधी की गिरफ्तारों के फलस्वरूप सोतापुर के वकीलों ने स्वदेशी का प्रयोग करने का निश्चय किया। बार स्तोसियेशन ने स्वदेशी और जहाँ तक हो सके खद्दर पहनने का प्रस्ताव पास किया। यह भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि अंग्रेजों के और दूसरों से अखबार जो वर्तमान आंदोलन का विरोध करते हैं, उनका बहिष्कार किया जाय²

1- सत्याग्रह समाचार 8 मई 1930 पृष्ठ 2

2-सत्याग्रह समाचार 10 मई 1930 पृष्ठ 3

सोतापुर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और सीतापुर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बाबू शम्भूनाथ दफा 117 के अनुसार गिरफ्तार कर लिये गये। इससे दो दिन पहले नमक कानून तोड़ने के कारण तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके थे।¹ 17 मई, 1930 को सोतापुर में गोपाल नारायण सक्सेना, रामचन्द्र और दो कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की तलाशी ली गयी तथा शहर में पूरा हड़ताल रही।² तीन दुकानदारों को छोड़कर सभी ने विदेशी कपड़े को हटाने व दुकानों को बन्द करने का निश्चय किया तथा यह भी कहा कि यदि वे विदेशी कपड़ा बेचेंगे तो 51 रुपये चंदा देंगे। शुक्रवार को हड़ताल रही, महिलाओं का दल श्रीमती गोपाल नारायण के नेतृत्व में लाल बाग पहुँचा, वहाँ एक सभा हो रही थी जिसकी अध्यक्षता जगदम्बा नारायण कर रहे थे, मुख्य वक्ताओं में लखनऊ के जफरउल मुल्क और अब्दुल हलीम थे। तीनों दुकानों पर धरना चालू रहा।³

उन्नाव के बार एसोसियेशन ने महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी का विरोध और सरकार की वर्तमान नीति की निंदा की। यह निश्चय हुआ कि ऐसे किसी आंदोलन में जो राष्ट्रीय कार्य में बाधक हो, किसी तरह भाग न लिया जाय।

हरदोई में नमक सत्याग्रह रविवार को चला कुछ महिलाओं समेत एक दल हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर तथा राष्ट्रीय गान गाता हुआ शहर में घूमा जिसका नेतृत्व कुँवर जंग बहादुर, जो बैल्खा के ताल्लुकदार के भाई थे, कर रहे थे, सक्रिय लोगों की संख्या 3000 थी। जिस समय नमक बनाया जा रहा था उस समय एक सौ पुलिस के सिपाही और कई दरोगा मौजूद थे। नमक बन जाने पर पुलिस स्वयं सेवकों पर दौड़ पड़ी और दो स्वयं सेवकों तथा उनके नेता कुँवर जंग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 मास की सखी कैद की सजा हुई। नमक सत्याग्रह जारी रहा, एक गिरफ्तारी और हुई तथा नमक की कुछ पुड़िया बेची भी गयी।⁴ सचिन्य अजिज्ञा आंदोलन से सम्बन्धित

1- सत्याग्रह समाचार 11 मई 1930 पृष्ठ 8

2- सत्याग्रह समाचार 17 मई 1930 पृष्ठ 2

3- दि लीडर 28 मई 1930 पृष्ठ 9

4- दि लीडर 16 मई 1930 पृष्ठ 10

सविनय अवज्ञा आंदोलन के सम्बन्धित भाषण देने के कारण पंडित सुन्दर लाल वकील, पंडित प्रियाम सुन्दर लाल हरदोई में गिरफ्तार कर लिये गये ।¹

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में लखीमपुर खीरी में पूर्णतया हड़ताल रही । गोला में भी 7 मई को हड़ताल रही, जिला बोर्ड का कार्यालय बन्द रहा । कपड़े के व्यापारोद्देश्य बात पर सहमत हो गये कि 7 मई के बाद विदेशी कपड़े नहीं मंगा-येंगे तथा जो आर्डर दे दिये गये हैं वे सब स्थगित कर दिये जायेंगे ।² इसी दौरान खीरी में बम कांड हुआ । 12 जनवरी 1931 को अंग्रेजी प्रशासन ने जिले भर की कांग्रेस कमेटियों को अवैध घोषित कर दिया । 25-26 अप्रैल, 1931 को द्वितीय खीरी जिला राजनैतिक कांग्रेस श्रीमती उमा नेहरू के स्थापितत्व में आयोजित हुई, जिसमें श्री पुन्धोत्तमदास टंडन कृष्णकान्त माखडोज, मौलाना साहिब, मौलाना अब्दुल हलीम, बाबारायचन्द्र और पंडित सीताराम आदि क्रांतिकारी विभूतियां सम्मिलित हुई ।

कांग्रेसी स्वयं सेवकों ने एक नव्युत्कृष्ट क्रांति-नीति की संरचना की । उस नीति के अन्तर्गत कृषकों को संगठित कर अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विवाह जनमत प्रचार करना था । इसी परिप्रेक्ष्य में क्रांति-विभूति श्री गंगा प्रसाद 'मस्त' का आगमन जनसद-खीरी में हुआ । अक्टूबर, 1931 में अनेक सभायें हुई । कृषकों को कृषि नीति के अन्तर्गत छूट देने के प्रस्ताव इन सम्मेलनों में पारित हुए जो क्रांति के आधार बिन्दु बने । पंडित बंशधर शुक्ल व श्री भगोस्थ प्रसाद मिश्र जनसद के ग्रामों का व्यापक भ्रमण कर क्रांति को अलख जगाते रहे ।

गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में रायबरेली जिले में गिरफ्तारियां हुई । काशी विद्यापीठ के क्षीर सागर तथा जिला बोर्ड स्कूल के अध्यापक रामअपतार 20 मई को ममक कानून तोड़ने के कारण लखीमपुर में गिरफ्तार कर लिये गये । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में धारा 144 लगी थी, इस आज्ञा का उल्लंघन करने तथा भाषण देने के कारण ज्ञानानन्द चंदिदा प्रसाद को 20 मई को गिरफ्तार कर लिया गया ।³

1- दि लीडर 29 मई 1930 पृष्ठ 13

2- दि लीडर 16 मई 1930 पृष्ठ 5

3- दि लीडर 25 मई 1930 पृष्ठ 10

कन्हैया लाल, अम्बिका प्रसाद और कालका प्रसाद को भी धारा 144 को तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया तथा 6 महीने की सजा दी। ये रायबरेली में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता थे, प्रत्येक को 25 रुपया जफ़्तान भी देना था। 18 जून को पाँच और स्वयं सेंक ज़वाहार में गिरफ्तार हुए। सभी दुकानदारों ने यह प्रतिज्ञा की कि न तो वे विदेशी कपड़ा ख़रीदेंगे और न बेचेंगे और वर्तमान समय में उनके पास जो स्टॉक है कांग्रेस कमेटी द्वारा सील करवा देंगे।¹

5 मई, 1930 को जब गाँधी जी गिरफ्तार कर लिये गये उस समय गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन व हड़तालें रहीं। पीडित मदनमोहन मालवीय ने लखनऊ का दौरा किया तथा 15 मई, 1930 को अमीनूद्दौला पार्क में एक सभा को सम्बोधित किया। इस सभा में हजार बारह सौ लोग तथा लगभग 500 मोटलारें उपस्थित थीं। पीडितों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा स्वदेशी के प्रयोग के लिये जनता को उत्साहित किया। स्वदेशी में लड़कर के प्रयोग पर अधिक जोर दिया। इसके साथ ही हिन्दू मुस्लिम एकता का भी आह्वान किया।² लखनऊ में सविनय अवज्ञा आंदोलन निरन्तर जारी रहा तथा सत्याग्रहियों द्वारा जुलूसों व प्रदर्शनों से पुलिस भी परेशान हो रही थी। मई 23 को पुलिस द्वारा जुलूस को तितर बितर करने में 2 सत्याग्रहियों की हड़डी टूटी 10 को काफ़ी घोटें आयी तथा 50 सत्याग्रहियों को मासुली घोटें आई। कांग्रेस के 13 आदिशियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलवी सैदर रहमान क़िदरई तथा सय्यद बाबू जय गोपाल टंडन को 100 रुपया जुर्माना व एक दिन की सजा हुई। अन्य गिरफ्तार लोगों में थे — महेन्द्रप्रसाद, पोस्टोली, उम्मा महावीर प्रसाद, हर प्रसाद, हमेशमाथ, हरी बहादुर, ससपना कपूर, पुलिस बन्गी, मौलवी फ़ज़र उल मुल्क और स्वामी गणेश आनन्द थे जिन्हें भारतीय बंड संहिता की धारा 117 के अन्तर्गत 6 महीने की सजा व 100 रुपया जुर्माना हुआ। परन्तु पुलिस अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एक दिन की साधारण सजा भी हुई। उस दिन शहर में हड़ताल रही।³

1- दि लीडर 21 जून 1930 पृ 12

2- दि लीडर 22 मई 1930 पृ 10

3- दि लीडर 28 मई 1930 पृ 9

लखनऊ में ऐसी ही एक घटना 25 मई को घटी। 23 मई को 13 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने अपने अभिस्त से अमी-नुद्दौलाबाग तक एक जुलूस निकालने का निश्चय किया, जुलूस नियम स्थान से 5-30 बजे खाना हुआ जिसका नेतृत्व श्रीमती मिस्तार ने जो बार कौंसिल की सदस्य थी किया। जुलूस में असंख्य स्त्री पुरुष स्वयं सेवक एवं सत्याग्रहो थे जिन्होंने अपने हाथों में राष्ट्रीय झंडा ले रखा था तथा राष्ट्रिय गान भी गा रहे थे। जुलूस शांति पूर्ण था तथा सब्ट रोड पर यह जुलूस असंख्य पुलिस के सिपाहियों द्वारा रोका गया। ये पुलिस वाले भाले और लाठीचो से लैस थे तथा एक दल घुड़सवारों का भी था जिनके हाथों में तलवारे थी। उस स्थान पर जिला न्यायाधीश पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट तथा सिटी मजिस्ट्रेट भी उपस्थित थे श्रीमती मिस्तार गिरफ्तार कर लो गयीं। व उन्हें पुलिस की गाड़ी से जेल ले जाया गया, श्रेष्ठ महिलाओं भी पुलिस की गाड़ी से जेल गयीं। अब सत्याग्रहियों ने जमीन पर बैठकर जुलूस को बढ़ाया तब पुलिस ने स्वयं सेवकों तथा दर्शकों पर हमला किया स्वयं सेवक तथा दर्शक अब भी अहिंसात्मक थे, पुलिस ने उन्हें पीटा और उनमें से बहुत लोगों के खून बह रहा था और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। उमचार का कोई उपाय सिपाहियों द्वारा नहीं किया गया पुलिस ने इस तरह अंधाधुंध पिटाई की कि कुछ लोग भी कि आसपास के मकानों में छुस गये थे उन्हें भी नहीं छोड़ा।

श्रीमती अवस्थी और अन्य महिलाएँ जो आलमबाग पुलिस स्टेशन ले जाई गयी थी उन्हें रात 9 बजे छोड़ा गया, वे पैदल अगिरो रात में 10-30 बजे अमीनाबाद पहुँची और वहाँ से अपने घरों को गयी 219 घायलों की सूची कांग्रेस कार्यालय में अंकित है।¹

जिस तरह की घटना 25 मई को घटित हुई ठीक वैसी ही घटना 26 मई दिन सोमवार की शाम को अमीनुद्दौला पार्क में घटी। कांग्रेस कमेटी ने दोपहर बाद झंडा समारोह की घोषणा की। घोषित समय से पूर्व ही एक सेना जिसमें करीब 200 पुलिस वाले थे अमीनाबाद व अन्य निकलने वाले रास्तों पर तैनात कर दिये गये। जब जुलूस अमीनुद्दौला पार्क पहुँचा, उनसे पार्क से निकल जाने को कहा गया, इसी समय अचानक ब्रिटिश सैनिकों ने कांग्रेस का झंडा हटाकर जमीन पर फेंक दिया। इसी समय भोड़ जो बरामदे व रास्तों में थी राष्ट्रगान के साथ आ गयी। अब उन्होंने सब्ट रोड से हीपट

रोड तक जुलूस निकाला । ॥ व्यक्तियों का समूह हाथ में झंडा लिये हुए था । यह जुलूस हजरतगंज होता हुआ महात्मा गांधी की जय बोलता हुआ अमोनुद्दौला पार्क पहुँचकर कांग्रेस आफिस पहुँचा । इसके बाद पुलिस व मिलिटरी लोटा दी गयी । फिर भी मिलिटरी ने पूर्णतया पार्क को नहीं छोड़ा था, जब कि कुछ लोगों ने पार्क में झंडा फहराया उसी समय एक सार्वजनिक सभा भी हुई और भोड़ तितर पितर हो गयी। पार्क में करीब 20,000 लोग एकत्रित हुए थे । भोड़ का एक भाग श्रीराम रोड स्थित पुलिस चौकी की तरफ गया । रात लगभग 5 बजे जब पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रभुदयाल अमीनाबाद चौकी पर बैठे थे कुछ ईंट के टुकड़े उनकी तरफ आये ।¹

इसी समय कुछ बदमाशों ने एक दफ्तर में आग लगा दी । जो एक आइसक्रीम वाले की थी, तथा चौकी के नजदीक ही थी । ऐसा लगता था जैसे चौकी को भी जला दिया जायेगा । स्थिति नियंत्रण से बाहर देखकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने बन्दूक दागने का आर्डर दिया । लोग चले गये और स्थिति सामान्य हो गयी । तलाश करने पर एक आदमी जमोन पर मरा हुआ पड़ा था, तथा कुछ घायल थे । सभी दुकाने व बाजार बन्द हो गये । छेड़ दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार करके केन्द्रीय कारागार में भेज दिये गये ।²

सूखनऊ में 25 मई रविवार व 26 मई सोमवार को जो घटना घटी, कमिश्नर के बयान के अनुसार इन दोनों घटनाओं में 57 फायर हुए जिसमें 4 मरे व लगभग तीस लोग घायल हुए । जबकि 25 मई की घटना में 200 घायल हुए जिसमें 20 को गहरी चोटें आयी तथा 26 मई की घटना में पाँच व्यक्ति मरे तथा 60 घायल हुए ।

अवध बार एसोसियेशन ने पाँच सदस्यों को एक समिति इन घटनाओं को जाँच करने के लिये नियुक्त की जिसके नेता ग्रीमी जैक्सन थे ।³

सूखनऊ की इन घटनाओं से ब्रिटिश सरकार निरन्तर विचिंतित रही कि किस प्रकार

1- दि लीडर 29 मई 1930 पृष्ठ 9

2- दि लीडर 29 मई 1930 पृष्ठ 9

3- दि लीडर 31 मई 1930 पृष्ठ 7

आंदोलन को दबाया जाय। सविनय अवज्ञा आंदोलन संयुक्त प्रांत में जोर पकड़ता जा रहा था। इसी सिलसिले में 1930 के मई-जुलाई मास में सरकार ने देश में समाचार पत्रों का दमन करने के लिये एक प्रेस अधिनियम पास किया क्योंकि सरकार के मत में समाचार पत्र सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार करने में अत्यधिक योगदान दे रहे थे। वाराणसी के दैनिक "आज" को सरकार द्वारा यह चेतावनी दी गयी जसमें सम्पादकोय वक्तव्य ने प्रकाशित किये जाय। समाचार पत्रों के प्रकाशकों से कानून की अवज्ञा करने पर प्रतिभूति की माँग की गयी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव करके कांग्रेसी तथा कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों से प्रेस अधिनियम के विरोध में समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द कर देने का आग्रह किया। वाराणसी के दैनिक "आज" का प्रकाशन 11 मई 1930 से 29 अक्टूबर, 1930 तक बन्द कर दिया गया था। "आज" का प्रकाशन बन्द होने पर कांग्रेस कमेटी ने साइक्लोस्टाइल पर "रफ़ेरो" का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त "रणयन्त्री" "चीड़का" "ज्वालामुखी" तथा "रेडफ्लैम" पत्र भी निकाले गये।

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 19 जुलाई 1930 को अपनी बैठक में विद्यार्थियों से कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये सहयोग देने की अपील की। लखनऊ, रायबरेली के विद्यार्थियों ने आंदोलन को सफल बनाने का प्रयत्न किया। रायबरेली के देवमुख, श्याम सिंह, भगवत सिंह, भगवत प्रसाद, रामनरेश सिंह, रामनन्द, रामसिंह पालनधिक तथा क्षीर सागर ने कांग्रेस की हर प्रकार से सहायता की।¹

14 जुलाई 1930 को स्तोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिका के विशेष संवाददाता एडवर्ड रेयरिस वाराणसी में मदन मोहन मालवीय, डा० भगतान दास से मिले, उन्होंने मत व्यक्त किया कि इस आंदोलन ने सरकार के प्रशासन को अत्यधिक प्रभावित किया है देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रगति पर उन्होंने सतोष व्यक्त किया।²

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 10 अगस्त, 1930 को प्रयाग में अपनी बैठक में 15 सितम्बर से पूर्व सर्वत्र बहिष्कार मनाने व कौंसिल चुनाव के विरुद्ध आंदोलन करने का प्रस्ताव पास किया।

1- ज०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ जी०ए०डी० विभाग फाइल नं० 241/1930 वाक्स नं० 515

2- दि लीडर 17 जुलाई, 1930 पृ० 13

सितम्बर मास में जयकर-सपू वार्ता असफल हो गयो । लखनऊ में ग्लोबल विन्ध्य अवज्ञा आंदोलन चलता रहा ।

1930-31 में विश्वव्यापी मंदी के कारण वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट आयी । किसान अपना सारी फसल बेचकर भी मालगुजारी चुकाने में असमर्थ थे । किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इलाहाबाद की अपनी बैठक में लाहौर कांग्रेस के प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए कर बंदी आंदोलन चलाने के आग्रह का एक प्रस्ताव पास किया गया ।¹ जून 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने इलाहाबाद में एक प्रस्ताव पास करके संयुक्त प्रांत में कर बंदी आंदोलन प्रारम्भ करने को छूट दे दी ।² अक्टूबर 1930 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस ने किसानों के कष्टों को देखते हुए आंदोलन को चलाने की दिशा में पहल किया ।³ कर बंदी आंदोलन के राजनीतिक और आर्थिक, दो पक्ष थे किन्तु आंदोलन के आर्थिक पक्ष का ही किसानों पर अधिक प्रभाव पड़ा । करबंदी आंदोलन का किसानों ने हृदय से समर्थन किया ।⁴

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त प्रांत के किसानों से एक अपील की जिसमें कहा गया कि लगान बन्दो का तात्पर्य जमींदारों द्वारा ब्रिटिश सरकार को मालगुजारी देना बन्द करना तथा किसानों द्वारा लगान का पचास प्रतिशत बन्द करना है । परन्तु यदि जमींदार सरकार को मालगुजारी दे दे तो कृषकों को चाहिये कि वे लगान देना बिल्कुल बन्द कर दें ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू 25 जून को रायबरेली गये तथा तीन बड़ी सभाओं को सम्बोधित किया पहली सभा सूची दूसरी लालमंज तथा तीसरी रायबरेली में हुई । 26 जून को पंडित जी ने तिलोई व बरौंवा की बड़ी सभाओं को सम्बोधित किया । सभी सभाओं में उन्होंने किसानों से श्रमहीन न होने तथा सरकार व ताल्लुकेदार के नियंत्रण से निकलकर समीठित होने के लिये उत्साहित किया । पंडित जीने कहा कि उन्हें लगान तभी देना चाहिये जब वे लगान देने की स्थिति में हों परन्तु यदि उन्हें

1- दि पायनियर 28 फरवरी, 1930 पृ 7

2- डी०जी० नेहरूकर महात्मा गांधी भाग-3 पृ 43

3- सडामिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०

4- आज, 13 जून 1931 पृ 2

भ्रष्टाचार किया जाय या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाय, तो वे किसी भी कोमत पर लगान न दे। ताल्लुकेदारों द्वारा कि ये गये व्यवहार से किसानों को दयनीय स्थिति से उन्हें बहुत दुख पहुँचा। किसानों का पहला दल जिसमें 18 सदस्य थे धारा 107 के अन्तर्गत लखनऊ के गोयला गाँव में गिरफ्तार किया गया।¹

हरदोई जिले को सडीला तहसील का दौरा श्रीमती लक्ष्मी देवी ने किया। वहाँ के किसान अत्यधिक दरिद्रता एवं कठोरता की स्थिति में थे। वहाँ के जमींदार लगान वसूल करना अपना पैतृक अधिकार समझते थे। बिलग्राम तहसील को दशा भी श्रीमती देवी एक बड़ा जमींदार जो जमकन गाँव का था उसकी अत्याचार दो गये।²

लखनऊ जिले में स्वामी गौतम, पंडित लक्ष्मी चन्द्र और ठाकुर नरेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिये गये उम्माव जिले में किसानों की हितचिन्ता की जाँच करने व पिपरो गाँव में जमींदारों के अत्याचारों की जाँच के लिये काँग्रेस ने एक कमीशन की नियुक्ति की, कमीशन में बालकृष्ण व हरोहरनाथ थे।³

खोमपुर खीरी में धारा 197 के अन्तर्गत राम जाल, रामरतन, रघुवर दयाल और रामरतन शुक्ल को जो कि काँग्रेस कार्यकर्ता थे और लगान से सम्बन्ध रखते थे गिरफ्तार कर लिया गया पंडित वंशीधर मिश्रा को लगान से सम्बन्धित नोटिस देकर लगान को कैंसिल कर दिया।

दिन प्रतिदिन किसानों की बिगड़ती स्थिति को देखकर 29 जनवरी को शाम 3 बजकर 30 मिनट पर कालाकोण्ड में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मात्स्योय ने मुख्य सचिव कुँवर जगदीश प्रसाद से बातचीत की। इस दौरान, उन्होंने सचिव को जमींदारों द्वारा किसानों पर किये जा रहे अत्याचारों से अवगत कराया।⁴

संयुक्त प्रांत में सचिन्य अवज्ञा आंदोलन सफलता पूर्वक गतिमान था। सचिन्य अवज्ञा

1- दि लीडर, 3 जुलाई 1931 पृष्ठ 10

2- दि लीडर 4 जुलाई 1931 पृष्ठ 4

3- दि लीडर 5 जुलाई 1931 पृष्ठ 9

4- दि लीडर 31 जुलाई 1931 पृष्ठ 10

आंदोलन पर तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन को दो प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। वे अपनी शक्ति से आंदोलन का दमन करना चाहते थे जिसके लिये उन्होंने नये नये अध्यादेशों की स्वीकृति दी। दूसरी ओर वे किसी सम्मानजनक सम्झौते के लिये भी प्रयत्न-शील थे।

जयकर-सपू वार्ता असफल होने पर गत्यावरोध पूर्व स्थिति में बना रहा और कांग्रेस प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ही प्रथम मोल्मेज सम्मेलन 12 नवम्बर, 1930 को लंदन में प्रारम्भ हुआ। उस दिन भारत में सम्मेलन का विरोध प्रकट करने के लिये जुलूस निकाले गये और आम हड़ताल की गयी। लन्दन में प्रथम मोल्मेज सम्मेलन के विरोध में समाजों का आयोजन किया गया।¹

प्रथम मोल्मेज सम्मेलन से लौटने के बाद सर तेजबहादुर सपू और जयकर ने अपने मध्यस्थता प्रयत्न फिर प्रारम्भ कर दिये। इन मध्यस्थता प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 5 मार्च, 1931 को एक सम्झौता हुआ।² जो गाँधी इरविन सम्झौते के नाम से विख्यात है। गाँधी इरविन सम्झौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने तत्विषय अचाना आंदोलन को बन्द करने की घोषणा की और सरकार ने राजनौतिक बंधियों को मुक्त करने का आश्वासन दिया था कांग्रेस संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया। 5 मार्च, 1931 को गाँधी जी ने प्रतिनिधि सम्मेलन में घोषणा की कि कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मोल्मेज सम्मेलन में भाग लेगी।³

10 अप्रैल, 1931 को लार्ड इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन भारत के वाइसराय नियुक्त हुए। वे आंदोलन का दमन करने का विचार रखते थे। कांग्रेस सम्झौते को शर्तों का पालन करती रही किन्तु सरकार की दमन नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दमन की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी ने 13 अगस्त 1931 को प्रतिज्ञाबंध के रूप में मोल्मेज सम्मेलन में भाग न लेने की घोषणा की।⁴ 19 अगस्त, 1931 को गाँधी जी ने

1- गुप्तचर विभाग के अभिलेखा

2- दि पायबियर 7 मार्च 1931 पृ 1

3- आज 7 मार्च 1931 पृ 3

4- दि लीडर, 15 अगस्त 1931 पृ 9

एक आषाढतत्पनक पत्र प्रकाशित किया जिसमें सरकार द्वारा सम्झौते की शर्तों का पालन न करने का उल्लेख था। अंत में स्थिति का निराकरण किया गया और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर 1931 को प्रारम्भ हो गया। गोलमेज समिति की अल्पसंख्यक निर्णायक समिति में साम्प्रदायिक प्रश्न पर विभिन्न दलों के मतभेद स्पष्ट हो गये। भारत के राजनीतिक दल किसी ऐसे सम्झौते पर न पहुँच सके जो ब्रिटिश सरकार को मान्य होता। मेकडानल्ड ने अल्पसंख्यकों के विषय में इस शर्त पर अपना निर्णय देना स्वीकार किया कि सभी दल उसे स्वीकार कर लें। साम्प्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सका और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। 28 दिसम्बर 1931 को जब महात्मा गांधी भारत वापस आये तो उन्हें भारत के वाइसराय को दमन नीति से अवगत होने पर बहुत दुःख हुआ। गांधी जी ने वाइसराय से विचार विमर्श करना चाहा किन्तु वाइसराय ने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकार की असहयोग नीति को देखते हुए कांग्रेस ने 3 जनवरी, 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ कर दिया।

4 जनवरी, 1932 को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष बलराम भाई पटेल गिरफ्तार कर लिये गये और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित करते हुए सभी प्रकार के प्रदर्शनों एवं प्रचार साहित्य तथा उसके प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। संयुक्त प्रांत में सरकार ने जिलाधीशों को कांग्रेस के झुलूस तथा सभाओं को रोकने हेतु विशेष आदेश दिये। लखनऊ मंडल के हर जिले में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में झुलूस निकाले गये और सभायें की गयीं।

लखनऊ में तीन महिलाओं ने हरी सिंह बासवन्द दुकान जो श्रीराम रोड पर स्थित थी धरना दिया और गिरफ्तार हुई।¹ श्रीमती सरोजनो देवी व वास्बाला देवी ने जो बंगाली थी एक बहुत बड़े विदेशी कपड़े के व्यापारी की दुकान पर धरना दिया। यह दुकान अमीनाबाद पार्क में थी। इन्होंने व 12 अन्य महिलाओं ने महिला पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी दी।²

1- दि लीडर, 18 जुलाई, 1932 पृ० 11

2- दि लीडर, 25 जुलाई, 1932 पृ० 10

लखनऊ में धरनों का कार्य निरन्तर चलता रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों के हड़कने व उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिये लोगों ने विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया व अपनी गिरफ्तारी दो । कुछ स्वयं सेवकों ने इलाहाबाद स्थित स्वराज्यभवन पर हमला किया तथा अमीनाबाद से गनेसमज तक जुलूस निकाला ।¹ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अमीनुद्दोला पार्क के एक वृक्ष पर राष्ट्रीय झंडा फहराया, परन्तु पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से झंडा उतार दिया गया व तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । उसी दिन अर्थात् स्वराज्य दिवस के दिन 9 लोग गिरफ्तार किये गये । चार स्वयं सेवकों हाथ में झंडा लिये सुर्खाद गेट के पास गिरफ्तार किये गये। कांग्रेस स्वयं सेवक हाथ में झंडा लिये और राष्ट्रीयगान के साथ सेशन जज की अदालत में पहुँच गये । वहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया और नगर म्यायाधीश तथा जिलाधीश कार्यालय पर कड़ा पहरा कर दिया । गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में स्वराज्य दिवस मनाया गया, जुलूस निकालने गये जिसके फलस्वरूप गिरफ्तारियां हुई ।

रायबरेली में एक राजनैतिक सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग एक हजार लोगों ने भाग लिया । अध्यक्ष रामअवतार साहू 13 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए ।²

द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत तथा गाँधी जी को गिरफ्तारी के विरोध में दो स्वयं सेवक राष्ट्रीय गान गाते हुए कमिश्नर कोर्ट में धुस गये और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया ।

लखनऊ में गाँधी दिवस मनाया गया । इस दिन एक अंधा युवक अमीनुद्दोला पार्क की सड़क पर राष्ट्रीयगान गा रहा था उससे प्रभावित होकर अन्य स्वयं सेवकों ने राष्ट्रीय झंडा हाथों में लिया व भाषण दिया । पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारम्भ से लेकर 4 अगस्त 1932 तक लखनऊ में, 1,831 दोष-सिद्ध पाये गये जिनमें 23 महिलायें भी थी । इनमें 187 लोगों को क्षमायाचना के तहत छोड़ दिया गया ।³ लखनऊ मंडल में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा ।

1- दि लीडर 3 अगस्त 1932 पृ 11

2- दि लीडर 4 अगस्त 1932 पृ 13

3- दि लीडर 12 अगस्त 1932 पृ 10

16 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडानल्ड ने अछूतों और पीड़ित वर्गों के लोगों को अलग प्रतिनिधित्व देने को घोषणा की। इस निर्णय के साथ यह भी घोषित कर दिया गया कि यदि सरकार को यह विश्वास हो जायेगा कि विभिन्न सम्प्रदायों के एक वैकल्पिक योजना स्वीकार है तो यह ब्रिटिश।संसद से सिफारिश करेगी कि साम्प्रदायिक पंचाट में रखी गयी योजना के बदले में नई योजना स्वीकार कर ली जाय।¹ इसके विरोध में 18 अगस्त को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पीड़ित वर्ग का अलग प्रतिनिधित्व न समाप्त कर दिया गया तो वे आमरण अनशन करेंगे। 20 सितम्बर, 1932 को यवर्दा खेल में महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के अनशन से भारतीय नेता विचलित हो गये। मदनमोहन के प्रयत्न से अनेक हिन्दू नेता पहले बम्बई लेकिन बाद में पूना में रुक गये। इन नेताओं के चार दिन के विचार विमर्श के पश्चात् 24 सितम्बर 1932 को एक हल निकल आया जिसे बाद में सभी दलों और महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया। 25 सितम्बर, 1932 को महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। 24 सितम्बर को हुआ सम्झौता पूरा सम्झौता के नाम से विख्यात है। सम्झौते के अन्तर्गत अछूतों के स्थान सुरक्षित किये गये। संयुक्त प्रांत में उनकी संख्या 29 निश्चित की गयी।² सम्झौते के अनुसार यद्यपि अछूतों को अनेक सुवाधारों प्रदान की गयी तथा उनके प्रतिनिधियों को वृथक संख्या निश्चित कर दी गयी किन्तु उनकी वृथक निर्वाचन-प्रवृत्ति समाप्त कर दी गयी। ब्रिटिश सरकार ने भी इस सम्झौते को बाद में स्वीकार कर लिया।

8 दिसम्बर 1932 को वाराणसी में विद्यार्थियों की एक सभा में स्वदेशी वस्तुओं के समर्थन में बोलते हुए मदनमोहन मालवीय ने कहा कि विदेशी सरकार हमारे देश में अपने देश के वस्तुओं की बिक्री करके स्वयं धनवान हो रही है। हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी का यही एक कारण है। अपने देश को आर्थिक शोषण बनाने के लिये हमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रमत्त बनानी चाहिये।³

27 दिसम्बर 1932 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार करने का निर्णय किया।⁴

1- डा० रामेन्द्र प्रसाद, छिड़त भारत, पृ० 136

2- रडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० [1931-32]

3- दि पायनिशर 10 दिसम्बर, 1932 पृ० 5

4- प्रोसीडिंग्स आफ दी होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल पार्ट-बी जनवरी 1933, पृ० 181।

26 जनवरी 1933 को पुलिस की विरोधी कार्यवाहियों के बाद भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। लखनऊ में एक सेना आदमी जो डूम पोटकर अमोनाबाद में सजा होने की धारणा कर रहा था, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रातः जब सजा का आयोजन किया जा रहा था उस समय 10 लोग गिरफ्तार हुए। उसी दिन दोपहर बाद सात कांग्रेसी सत्याग्रहियों ने एक जुलूस निकला परन्तु उस समय गिरफ्तार कर लिये गये जब अमीनुद्दौला पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे।¹

सविनय अवज्ञा आंदोलन लखनऊ में चलता रहा, दो कांग्रेसी स्वयं सेवक स्व कार्यकर्ता उस समय गिरफ्तार कर लिये गये जब अमोनाबाद बाजार में धरना दे रहे थे "कोई इमान नहीं" से सम्बन्धित पत्रिका वितरित करने के आरोप में गिरफ्तार हुए।² रामधर मिश्र व दो अन्य उस समय गिरफ्तार हुए जब अमीनुद्दौला पार्क में अखिल भारतीय झंडा दिवस समारोह का आयोजन कर रहे थे।

मार्च, 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक "श्वेत-पत्र" का प्रकाशन किया जिसमें भारत के ^{संविधान} प्रस्ताव इतने प्रतिगामी थे कि भारत के प्रत्येक प्रगतिशील लोकमत के लिये सर्वथा अस्वाकार थे।³ भारत के प्रत्येक जनमत ने इन प्रस्तावों की कटु आलोचना की। 22 मार्च 1933 को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय के निवास स्थान पर गोविन्द बल्लभ पंत रफी अहमद किदवई तथा देवदास गांधी ने श्वेत पत्र के प्रति कांग्रेस की नीति पर विचार विमर्श किया।⁴ संयुक्त प्रांतीय सरकार ने 31 मार्च, 1933 को कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने हेतु जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

संयुक्त प्रांत में मार्च 1933 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति मंद हो गयी गांधी जी ने अहूतोद्धार की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। 8 मई को गांधी जी ने अहूतोद्धार करने के लिये 21 दिनों का व्रत रखा। सरकार ने 29 मई 1933 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। जेल से बाहर आने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को

1- दि लीडर 28 जनवरी 1933 पृष्ठ 15

2- दि लीडर 16 फरवरी 1933 पृष्ठ 9

3- सी0वाई0 पेंतामणि, इंडियन पोलिटिकल सिस्टम म्यूटिनी पृष्ठ 185।

4- दि पावनियर, 24 मार्च 1933 पृष्ठ 5

6 सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया और सरकार को आमत्रण दिया कि राजनैतिक कैदियों को मुक्त करके सरकार देश में शांति स्थापित करने के लिये इस सुअक्षर का लाभ उठाये किन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया। विठ्ठलभाई पटेल तथा सुभाषचन्द्र बोस ने गाँधी जी के इस कार्य को निंदा की। उनके मत में महात्मा गाँधी ने रेसा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता स्वीकार की है।¹

गाँधी जी द्वारा को गयो अछूतोद्धार की आील से लखनऊ मडल में अछूतोद्धार के लिए बहुत प्रयत्न किये गये। लखनऊ में शारेश्वर महादेव के मंदिर में एक सभा हुई जिसमें अछूतों को मंदिर में प्रवेश के लिये एक बिल पास किया गया, इस सभा के अध्यक्ष ठाकुर अजोध्या प्रसाद सिंह थे। सभा जो 22 फरवरी को हुई सरकार से बिल से सम्बन्धित उचित कार्य-वाही की माँग की गयी। 7 मई को शाम 6:30 बजे अमीनुद्दौला पार्क में एक सभा हुई जिसमें हरिजनों की समस्याओं को शीघ्र ही सुलझाने का प्रयास किया गया।²

हरिजनों की सभा रायबरेली जिले के महाराजगंज व डलमऊ तहसील में हुई। पंडित हृदयनाथ कुंजरु ने इसमें भाग लिया। हरिजनों की दशा में सुधार के लिये व समाज में उन्हें खेद स्थान दिलाने के लिये निरंतर प्रयास किये गये। रायबरेली जिले में हरिजन दिवस मनाया गया। लालगंज, केवलपुर, बरौंवा तहसील में निगोही में तार्व-जनिक सभा हुई तथा छुल्ल निकाला गया। जिसमें अधिक संख्या में हिन्दू व हरिजनों ने भाग लिया। शिवन्द के राजा की अध्यक्षता में 11 बजे एक सभा केवलपुर में तथा 3 बजे लालगंज में हुई। किशोरराय अग्रधारी तथा सीतासहाय ने सभा को सम्बोधित किया। निगोही में एक सभा हुई जिसके अध्यक्ष संत महाराजदीन ओझा, ठाकुर लाल बहादुर सिंह ने सभा को सम्बोधित किया। बरौंवा की सभा में हरिजनों के मध्य साबुन की टिकिया बाँटी गयी और उन्हें सफाई के लिये उत्साहित किया गया। एक विशाल सभा रायबरेली के टाउन हाल में शाम को हुई, जिसकी अध्यक्षता सत्यधर्मपलम्बी ब्राह्मण तथा पंडित शिवदुलारे मिश्रा ने की। उन्होंने धार्मिक ग्रन्थों तथा रामायण से कविता रंघ पद्य का

1- पट्टाभिखोतपरमैया काश्मि का इतिहास पृष्ठ 543

2- दि लीडर, 6 मई 1933 पृष्ठ 4

उद्वरण कर यह सिद्ध किया कि कोई भी हिन्दू शास्त्र अछूतो का अनुमोदन नहीं करता । विस्ततराय जगधारी जो जिला हरिजन सेवा सघ के सचिव थे, सघ द्वारा किये गये कार्यों को बताया तथा हिन्दुओं से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाने का आग्रह किया वासुदेव प्रसाद वकील शीतला सहाय, माताबरम मिश्रा और ठाकुर रामेश्वर सिंह ने अछूतोद्वार के महत्व को सम्झाते हुए सभा को सम्बोधित किया।¹

जगह जगह हरिजनों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया । अनेक स्थानों पर पूजा के बाद लोगों ने हरिजनों के हाथ से प्रसाद स्वीकार किया और हरिजनों को गले लगाया। हरिजनों के लिये मंदिरों के दरवाजें खोज दिये गये । अनेक मित्रों में सहजोर्जों में हरिजनों तथा कुलीन वर्ग के लोगों ने एक साथ भोजन किया ।²

जेल से छूटने पर कांग्रेस नेताओं की जुलाई 1933 में पूना में एक अनौपचारिक सभा हुई इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखने या समाप्त करने के प्रश्न पर बहुत मतभेद प्रकट हुआ । पूना सम्मेलन ने गांधी जी को अधिकार दिया कि वे वाइसराय से भेंट करके सम्झौते का कोई मार्ग निकालें किन्तु वाइसराय ने गांधी जी से भेंट करना अस्वीकार कर दिया जब तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बन्द न कर दिया जाय । वाइसराय का यह व्यवहार भारत का राष्ट्रीय अपमान था । संघर्ष जारी रखने के लिये स्पष्ट चुनौती थी, किन्तु स्थिति यह थी कि जन आंदोलन अब और अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता था ।³ इस दुविधा में महात्मा गांधी ने सार्वजनिक सत्याग्रह को बन्द करके व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपाय ग्रहण किया । महात्मा गांधी की अगस्त, 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया ।

गांधी जी की सलाह से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 18-19 मई, 1934 को पटना अधिवेशन में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की तथा व्यवस्थापिका सभा और परिषद के चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 13 जून 1934 को लखनऊ में पटना अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय का पालन करने का निश्चय किया ।⁴

1- दि लीडर, 29 सितम्बर 1933, पृष्ठ 16

2- गुप्तधर विभाग के अभिलेख

3- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास

4- रेडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० [1934-35] पृष्ठ 7

समीक्षा :

सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्तर्गत कांग्रेस के कार्यक्रमों में लखनऊ मंडल की जनता ने विशेष अभिरूचि दिखाई । लखनऊ मंडल में सरकार को नीतियों का विरोध जनता ने छुलूसों और सभाओं के माध्यम से व्यक्त किया । प्रांतीय सरकार के कठोर आदेशों के बाद भी मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना देना काफी अंश तक सफल रहा और प्रांतीय सरकार की मादक द्रव्यों से होने वाली आय में काफी कमी हो गयी ।¹ गांधी हरविन सम्झौते की यद्यपि व्यापक आलोचना की गयी किन्तु सरकार ने वार्ता के लिये सहमत होकर कांग्रेस को भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दे दी । समानता के स्तर पर हुई बातचीत से स्पष्ट हो गया कि इंग्लैण्ड के द्वारा भारत पर गांधी जी की इच्छा के बिना या उसके विरुद्ध शासन नहीं किया जा सकता ।²

भूनासम्झौते के अन्तर्गत गांधी जी के अन्धान से अछूतों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बहुत सफलता मिली । लखनऊ मंडल में कुलीन वर्ग के लोगों ने हरिजनों के साथ समानता का व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया । हरिजनों को मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश का अधिकार मिला और उन पर किये जाने वाले अत्याचारों में कमी आई ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन लखनऊ मंडल में कांग्रेस के कार्यक्रम व नीतियों का जनता तक पहुँचाने में काफी अंश तक सफल रहा ।

1- सप्तमस्य केन्सिटर, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पृ० 217

2- फिन्नार, महात्मा गांधी पृ० 303

पंचम अध्याय

सन् 1935 का विधान और उसका क्रियान्वयन 1935-41

सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक वातावरण में निराशा व्याप्त हो गयी । कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की ओर अपना ध्यान पुनः आकृष्ट किया कांग्रेस के नेताओं में विभिन्न राजनीतिक विचार धाराओं के कारण मतभेद प्रकट होने लगा । कांग्रेस का एक वर्ग सामाजिक सुधार की आवश्यकता अनुभव करता था तो दूसरा वर्ग स्वराज्य दल के पुनर्गठन पर बल दे रहा था और तीसरा, वर्ग आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता देने के पक्ष में था । असतोष को यह भावना 31 मार्च, 1933 को दिल्ली में डा० मुहम्मद अहमद अंसारी के स्थापितत्व में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी के पुनर्जीवन के रूप में व्यक्त हुई ।¹ स्वराज्य दल का पुनर्गठन व्यवस्थित सत्याग्रह में अनास्था रखने वालों को नया रचनात्मक कार्यक्रम देने तथा व्यवस्थापिका परिषदों में शक्ति वक्त्र के संविधान का विरोध करने के कारण किया गया ।

2-3 मई, 1934 को राँची [बिहार] में कांग्रेस की बैठक में स्वराज्य दल के पुनर्गठन का समर्थन किया गया और गोलमेज पर आधारित संवैधानिक सुधारों का विरोध किया गया ।² 19 मई को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राँची सम्मेलन के निर्णय का अनुमोदन किया और व्यवस्थापिका स्ना का चुनाव लड़ने तथा उम्मीदवारों का चयन करने हेतु एक संसदीय समिति का गठन किया ।³ तत्कालीन स्थिति पर विचार करके भारत सरकार ने 6 जून, 1934 को कांग्रेस पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने की घोषणा की । संयुक्त प्रांतीय सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के निर्णय का पालन करते हुए 11 जून 1934 को संयुक्त प्रांत में कांग्रेस संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध को उठा लिया ।⁴

साम्प्रदायिक निर्णय पर कांग्रेस ने जो उदासोदता प्रदर्शित की उससे क्षुब्ध होकर मदन-मोहन मालवीय तथा सचदारमण अणे ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से त्यागपत्र दे दिया।⁵

1- इंडियन रजिस्टर, 1934 भाग-1, पृ० 263

2- वही

3- आष 31 मई, 1933, पृ० 4

4- दि लीडर, 13 जून 1934, पृ० 3

5- दि पायनिशर, 7 जुलाई 1934, पृ० 1

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी द्वेष नीति के विरुद्ध निर्वाचन में भाग लेने, इवेत, पत्र को समाप्त करने तथा साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध करने का उल्लेख किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 27 जुलाई, 1934 को मदनमोहन मालवीय तथा सचोसमो अर्थ के त्यागपत्र पर विचार किया। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद मालवीय जी ने राष्ट्रीय दल की स्थापना की, उन्होंने घोषणा की कि हमारे विचार से जो मत राष्ट्रीय संघ विश्वासपूर्ण है उस पर देश तथा व्यवस्थापिका सभा में विचार करने का प्रयत्न होना चाहिये। साम्प्रदायिक निर्णय तथा इवेतपत्र के विरुद्ध उदारवादो दल ने चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।² कांग्रेस द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय का समर्थन न करने के कारण मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को आलोचना की। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में निर्वाचन के प्रश्न को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। स्फी अहमद क्विदवई के दल ने निर्वाचन के प्रोत्त विरोध प्रकट किया। कांग्रेस में बढ़ती हुई राजनीतिक मतभेद की परिस्थितियों में गांधी जी ने कांग्रेस से अलग होने का निश्चय किया। 17 सितम्बर 1934 को वर्धा में महात्मा गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह अफवाह सच थी कि मैं कांग्रेस से अपना स्थाूल सम्बन्ध विच्छेद करने की बात सोच रहा हूँ।³ गांधी जी की इस घोषणा से कांग्रेस पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। साधन के रूप में कांग्रेस ने अब रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया और कांग्रेस जनमत को स्वतंत्रता आंदोलन में लाने का प्रयत्न करने लगी।⁴

लखनऊ की एक सभा में वंग जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा "महात्मा जी को अवतार मानकर स्वराज्य मिलने का नहीं हमारे नेता जो कहते हैं बिना उसका ठोक अर्प जाने और बिना यह समझे कि हमने उनकी आज्ञा पालन करने की "शक्ति" है या नहीं। उसे शिरो-धार्य करने में हम नेताओं को धोखा देते हैं। आवश्यकता है हम अपनी अक्ल नेताओं को न सौंप स्वयं भी अपने लिये सोचने का कट करें।⁵

1- दि लीडर, 18 जून 1934, पृष्ठ 11

2- इंडियन रजिस्टर 1934, भाग-2, पृष्ठ 28

3- पट्टाभि सोतारमैया, कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ 547

4- सडीमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यूएपीओ [1934-35] पृष्ठ 2

5- शक्ति, 4 अप्रैल 1936 पृष्ठ 1

लखनऊ विश्वविद्यालय यूनियन की पत्रिका के किसी एक पिछले अंक में पण्डित जवाहर-लाल नेहरू जी ने नवयुवकों को जो संदेश दिया वह इस तरह से है —

छात्रों, नवयुवकों अपने चारों ओर के संसार को देखिये जिसमें परिवर्तन व क्रांति का स्पन्दन हो रहा है और प्राचीन व्यवस्था को निर्मूल किया जा रहा है इसमें आप अपना स्थान ढूँढ़िये और आपके हिस्से में जो काम पड़े उसे कीजिये ।¹

पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत, डा. पट्टाभ सितारमैया तथा सेठ जयनालाल बजाज की एक उपसमिति कांग्रेस स्वर्ण जयन्ती की विस्तृत योजना तैयार करने के लिये तैयार हुई । उपसमिति ने निश्चय किया कि उस दिन का समारोह फ़नातफ़ेरी से शुरू किया जायेगा । तीसरे पहर इंडाभिवादन होगा । शाम को फ़ेरी द्वारा खादी बेची जायेगी । बड़े-बड़े झुलूस निकाले जायेंगे । सभाओं में राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जायेगा । खादी प्रदर्शियां होगी । एक स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ प्रकाशित किया जायेगा । स्वराज्य भवन इलाहाबाद में एक प्रदर्शन गृह कायम किया जायेगा ।²

कांग्रेस स्वर्ण जयन्ती का देश व्यापी विराट समारोह हुआ । लखनऊ में डा. सुरारी लाल ने राष्ट्रीय इंडा पहराया । डा. भगवानदास जी ने पार्क को महती सभा का सभापतित्व ग्रहण किया और अमोनुद्दौता मैदान में स्वदेशी प्रदर्शनों का उद्घाटन किया । रात को शहर में रोशनी की गयी ।³

जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई में जी जान से लगी हुई थी तभी 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने भाग नहीं लिया । उसमें हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप भारत में शासन सुधार के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे "भारत शासन अधिनियम 1935" कहा जाता है । इस अधिनियम के सबसे प्रमुख तीन लक्षण थे, प्रथम ब्रिटिश प्रांतों और स्वच्छा से सम्मिलित होने वाली देशों शिखरों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की संरचना, द्वितीय-प्रांतीय स्वायत्ता, तृतीय केन्द्र में

1- शक्ति, 4 अप्रैल 1936 पृ. 1

2- शक्ति, 17 अगस्त 1935 पृ. 1

3- शक्ति, 11 जनवरी 1936 पृ. 1

आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन को स्थापना । ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती थी कि वास्तव में भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाय । इस लिये इस अधिनियम में सरक्षणों और आरक्षणों की इस प्रकार से व्यवस्था की गयी कि अंतिम रूप से नियंत्रणकारी शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास ही रहे ।

कांग्रेस के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि नये भारत सरकार अधिनियम के विषय में क्या कार्यवाही की जाय । इस प्रकार विचार करने के लिये कांग्रेस कार्य-समिति की एक बैठक 6-7 अप्रैल को स्वराज्यभवन, इलाहाबाद और 8 अप्रैल से मोती-नगर लखनऊ में हुई । उसने कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड को व श्रम मताधिकार को उठा देने का निश्चय किया प्रतिनिधित्व 500 के बजाय 250 सदस्यों पर रखा गया । पद ग्रहण का प्रश्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय पर छोड़ा गया । जिसका इसके लिये नई धारा सभाओं से पहले या पछे विरोध अधिवेशन होगा । प्रवासो भारतीयों से सहजुमति का और श्री सुभाषचन्द्र बोस को गिरफ्तारी पर अपसौस का प्रस्ताव पास हुआ ।¹

8 अप्रैल को पीडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ पहुँचे और 50 हजार नर नारियों के साथ उनका पैदल भ्रमण शुरू निकाला गया । रास्ते में बहुत बड़ी भीड़ हो जाने पर बाद में नेहरू जो घोड़े पर चढ़कर निकले ।

9 अप्रैल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक शुरू हुई जिसमें बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने विधिवत राष्ट्रपतित्व का भार पीडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर रखा ।

इसके बाद विषय समिति शुरू हुई और उसने उन प्रस्तावों को कांग्रेस अधिवेशन में पेश करने के लिये अंतिम रूप दिया । पदग्रहण स्थगित रखने के पक्ष में पीडित गोविन्द वल्लभ पंत जो ने जोरदार भाषण दिया । विषय समिति ने कार्य समिति के प्रायः सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया ।

कांग्रेस अधिवेशन के अखिर पर मोतीनगर बसाने के लिये स्वागत समिति को प्रायः 125000 रुपये खर्च पड़ा । कांग्रेस के पहले अधिवेशन में प्रवेश के दिवस पहले दिन 25000

रूपये तक के बिक गये । स्वदेशी प्रदर्शनो से अधिकाधिक पैसा प्राप्त करने का उद्योग किया गया है । बिजली व पानी म्युनिसिपल बोर्ड ने मुक्त दिया । दुकानों के बाड़े तथा स्वागत समिति के सदस्यो से कुल फीस से प्रायः 45000 स्वया जुट पाया ।

विषय समिति का पंडाल 27000 वर्ग फीट जमीन घेरे था इसमें 5000 आदमियों के बैठने के लिये जगह थी । अधिवेशन से पूर्व ही प्रायः 5000 स्वय सेवको ने काँग्रेस नगर में अपना डेरा जमा लिया था । अधिवेशन के अवसर पर सख्या दुगुनी हो गयी होगी । प्रेस प्रतिनिधियों की संख्या 250 थी ।

काँग्रेस पंडाल में 60,000 आदमियों के लिये बैठने की व्यवस्था थी । काँग्रेस नगर के बीचोंबीच 80 फीट ऊँचा राष्ट्रीय झंडा गड़ा था । काँग्रेस नगर, काँग्रेस पंडाल तथा प्रदर्शनो के बाड़े के प्रवेश द्वार भव्य व विशाल जने थे । पानो का प्रबन्ध उत्तम था तथा 50-60 हजार रंग-बिरंगे बिजली के लैम्प मोतीनगर को रोशनी देते थे । मोटरों, तारों व इक्कों को भीड़ अपार थी । लखनऊ शहर, लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड तथा लखनऊ जिला बोर्ड ने अपने गौरव को अखंड रखा की ।

काँग्रेस अधिवेशन के अवसर पर लखनऊ में कहते हैं इतना अधिक जनसमूह बढ़ गया था कि शहर के मकानों का किराया भी बढ़ गया, खाने पीने की सामग्री भी महंगी हो गयी धूप भी तेज थी । कार्याधिक्य के कारण राष्ट्रपति की तबियत खराब हो गयी थी । 8 तारोख को राष्ट्रपति का जो प्रुक्त निक्ला उसमें 50,000 से भी अधिक आदमी थे । 12 तारोख को प्रातः काल लगभग एक लाख की उपस्थिति में पण जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडारोहण किया नेहरू जी ने लोगों से इडे की शान कायम रखने को कहा । सायंकाल 6 बजे से काँग्रेस का खुला अधिवेशन हुआ । महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डाण मुरारी लाल श्रीमती नायडू, श्री सुरेन्द्र मोहन मित्र, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत आदि नेताओं के साथ राष्ट्रपति ने बैण्ड बजे व जय जयकार के साथ पंडाल में प्रवेश किया ।¹

काँग्रेस नगर जिसे स्वर्गीय पंडित मोतीलाल के नाम से मोतीनगर नाम दिया गया है — लखनवीशान से सजा हुआ है तथा पंडाल की शोभा भी अविर्षनीय थी । विभिन्न प्रकार के आदर्श वाक्य लगे हुए थे । "चन्देसातरम्" गान के बाद अधिवेशन का कार्य

प्रारम्भ हुआ। स्वागताध्यक्ष बा० श्रीप्रकाश सम०एल०एल० ने प्रतिनिधियों और दर्शकों का स्वागत करते हुए अपना भाषण दिया।

राष्ट्रपति का अभिभाषण :

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नया विधान गुलामी का पट्टा है। कौंसिल में जायें पर पद न लें। देश का उद्धार समाजवाद से हो होगा। पंडित जी ने आगे कहा कि समस्या और कष्ट सहन के अनेक वर्षों बाद आज फिर मैं आपके सम्मुख इस वेदी पर खड़ा हुआ हूँ। मैं इसमें अपना अहोभाग्य समझता हूँ कि मैं भी अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला एक सिपाही हूँ। इस संग्राम का भार उठाकर आज कितने ही साथियों का हमसे विछोह हो चुका है। अभी हमारे लिये या उनके लिये जो सेलों और नजरबन्द कैम्पों में अपने दिन काट रहे हैं अभी विश्राम का दिन नहीं आया। हमारा विश्राम करना उन दिवंगत आत्माओं के प्रति जो स्वतंत्रता संग्राम को हमारे हाथों में छोड़ गये हैं और उन करोड़ों नर नारियों के प्रति जो क्षुब्ध पेट की ज्वाला से जल रहे हैं कृत्घ्नता होगी। जब युद्ध लम्बा हो तब क्षीक असफलता कुछ महत्त्व नहीं रखती। यह आगामी विज्ञान सफलता की भूमिका मात्र है कई बार जय की अपेक्षा पराजय अधिक अच्छा पाठ पढ़ाता है। हमारी असली असफलता तब होगी जब हम अपने उद्देश्य और मार्ग से च्युत हो जायेंगे। हमें देखना चाहिये कि हम कहीं खड़े और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिये।

हम कांग्रेस वाले अपने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में हर एक के साथ सहयोग करने को तैयार हैं परन्तु जो लोक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र उसके दमन चक्र के समर्थक और नागरिकता के अधिकारियों के अपहरण के पोषक हैं उन लोगों से हमारा सहयोग नहीं हो सकता वे हमारे विरोधी हैं और रहेगें। सुभाषचन्द्र बोस और अब्दुल गफ्फार खाँ के साथ सरकार द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में हमारे शासक मनमानी फासिस्ट मनोवृत्ति को स्वीकार करते घले हा रहे हैं। आतंकवाद के नाम से बंगाल और सीमाप्रान्त में जो अत्याचार हो रहे हैं वे सब इसके प्रमाण हैं। संघर्ष और परीक्षा के अवसरों पर जबकि उद्देश्य और साधनों की शक्यता अत्यंत आवश्यकता है तब यह दूतस्फा नेतृत्व अपने पक्ष को प्रायः हानि पहुँचा देता है और जब आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है तब पीछे हट जाता है। इस समस्या का

हल तभी होगा जबकि हम जनता के अधिकाधिक नजदीक होते चले जायेंगे । जब हमारी कांग्रेस "जनता के लिये" ही होकर जनता की भी होगी । खादो व ग्रामोद्योग को भी आर्थिक व्यवस्था में स्थान दिया गया है ।

नये शासन विधान के सम्बन्ध में नेहरू जी कहते हैं मैं तो उसको गुलामी का पट्टा कहता हूँ । उन्होंने कहा "श्वेत पत्र को अस्वीकार करने के बाद अब हम इस नये गुलामी के उद्देश्य पत्र का क्या करेंगे जिसका अभिप्राय ही इस साम्राज्यो प्रभुसत्ता के हाथ मजबूत करना एवं जनता का अधिकाधिक शोषण करना है ।"¹

नेहरू जी आगे कहते हैं हमारे देश के बड़े से बड़े कानूनदा भी बरीकी से उसकी परीक्षा करके उसको अस्वीकार कर चुके हैं अतः उस पर हमला का सवाल ही उपस्थित नहीं होता । मेरी सम्मति है कि वर्तमान परिस्थिति में कौंसिलों का चुनाव तो लड़ना चाहिये, परन्तु वहाँ जाकर जीतने की इच्छा से अन्य दलों के साथ सम्झौता करने के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिये । क्योंकि जैसे बहुधा अपने सिद्धान्तों के साथ भी सम्झौता करना पड़ता है ।

सरकार ने भारत "स्वराज्य" के नाम से जो विधान ढाढ़ा है वह इतना गलित पीलित है कि कोई भी उसे ग्रहण करने योग्य नहीं समझता कांग्रेस ने तो निश्चय ही कर लिया है कि नये विधान के अनुसार धारा सभाओं में कब्जा कर लें और वहाँ जाकर शासन की मशीन को इतना पंगु कर दें कि जैसे कोई बुराई सम्भव हो न होवे ²

पद ग्रहण के प्रश्न पर नेहरू जी कहा कि हमें पद-ग्रहण नहीं करने चाहिये क्योंकि संरक्षणों और प्रतिबन्धों तथा विशेषाधिकारों के कारण और कोष पर हमारा अधिकार न होने के कारण हम निर्वाचकों के साथ जो प्रतिज्ञायें करेंगे उनका पालन नहीं कर सकेंगे तथा जन साधारण का भला करने के लिये हमें वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे ।

संघ शासन के विषय में नेहरू जी ने कहा कि इस निन्दनीय शासन विधान के फिट-रत भाग का हमें विरोध करना चाहिये क्योंकि जब तक भारत के देशी राज्यों में स्पेष्ठा-चारी राजाओं का शासन मौजूद है तब तक हम उन्हें फेडरेशन में सम्मिलित नहीं कर सकते ।

1- डी.सी. गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास, पृष्ठ 172

2- शक्ति 8, अगस्त 1935, पृष्ठ 3

पंडित जी ने साम्प्रदायिक निर्णय को निंदा करते हुए कहा कि भारत को धर्म के आधार पर टुकड़ों में बाँटने के लिये इसको बनाया गया है ।

भाषण के अंत में नेहरू जी ने कहा महात्मा गाँधी ने जो शिक्षा दी है उसे हम भूल न जाय । हमारा उनसे मतभेद हो सकता है और रहा भी है लेकिन हम उनके नेतृत्व को नहीं छोड़ सकते महात्मा जी आकर हमारा पथ प्रदर्शन करे । हमें अपना संग्राम अपने शरोसे चलाना व सँखना चाहिये । फिर किसी की ताकत नहीं जो हमारे आंदोलन को पदाग्रस्त कर सके ।¹

महात्मा गाँधी केवल दर्शक रूपेण कांग्रेस में शामिल हुए और राष्ट्रपति के भाषण के बाद उठ कर चले गये । प्रथम दिन सिर्फ तीन प्रस्ताव पास हुए । पहले प्रस्ताव के द्वारा भूत कांग्रेस नेताओं के प्रति शोक प्रकट किया गया । दूसरे प्रस्ताव में राजनैतिक कैदियों के त्याग व बलिदान की प्रशंसा की गयी । तीसरे प्रस्ताव में श्री सुभाषचन्द्र बोस की गिरफ्तारी पर रोष प्रकट किया गया अंत में शुभकामना सूचक देश देश विदेश से आये हुए सदेश पढ़े गये । आज एक बीमा कम्पनी ने हवाई जहाज से मोतीनगर पर प्रतिनिधियों के स्वागत में कुछ पैसे भी फेंके ।

कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मोतीनगर कांग्रेस की गंगा-यमुना धाराओं का संगम स्थल रहा । अधिवेशन में क्रांति की गूँज थी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को स्वतंत्र कराये जाने के नारे लगाये जा रहे थे । यद्यपि साम्यवादी प्रस्ताव अधिवेशन में पास न हो सका तो भी लखनऊ अधिवेशन में साम्यवादियों समाजवादियों ने जिस उत्साह के साथ गाँधी पथियों से अपने को आगे रखने के लिये कार्य किया और बारबार की हार को हार नहीं माना उससे तो यहाँ जाँहिर होता था कि निष्क भविष्य में गाँधीवाद का स्थान साम्यवाद लेगा आंदोलन मध्यमवर्ग के हाथ से निकल कर किसान व मजदूरों के हाथ चला जायेगा और भारतीय राजनैतिक व आर्थिक जगत में क्रांति होगी ।

भारत के साम्यवादी कहने लगे हैं कि जमोंदार पूँजीपति देशी रियासतों की नादिर-शाही तथा उसके साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नारा समोष है और बहुत समीप है ।

अगले वर्षों का आंदोलन मजदूरों व किसानों की मदद से चलाया जावेगा वह कहीं गांधी-वादो आंदोलन से जबरदस्त होगा। गांधीपथी नेताओं में प्रातोय गांधी को छोड़कर और पीडित जवाहरलाल जी के दल के बाबू सुभाषचन्द्र बोस को छोड़कर प्रायः सभी नेता कांग्रेस में आये थे। विभिन्न तरह के विचारों से श्रेष्ठभाग मुखरित था। विचारों में मतभेद होते हुए भी पीडित जवाहरलाल पर महात्मा जी का रोब गालिब है और उसके फलस्वरूप पीडित नेहरू कोई ऐसा काम न करेंगे जिससे कि कांग्रेस में दल बन्धियां हो पीडित मदनमोहन मालवीय जी ने साम्यवादियों के संशोधनों के अनुकूल भाषण दिया और सरदार पटेल ने उनके विरोध में भाषण दिया। एक ऐसा भी दिन था जबकि महात्मा गांधी नेहरू कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति को अपने पीछे खींच लाये थे और आज ऐसा भी दिन आया है जबकि पीडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं महात्मा जी जावेंगे कहां उन्होंने तो भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाने को काम खार्ई है।

सबजेक्ट कमेटी में जब पीडित जवाहरलाल जी ने अपना भाषण पढ़ा था तो दूसरे समाजवादो नेताओं ने अपनी युवितयुक्त दलीलों से भरे भाषण "मिनिस्ट्री" काबूल न करने के पक्ष में दिये। तब तो यही भास होने लगा था कि समाजवादो बाजो मार ले गये परन्तु समाजवादियों का एक भी संशोधन स्वीकृत न हुआ। कांग्रेस दो दलों में कहीं विभाजित न हो जाय, इसकाभी डर था। इसे महात्मा जी का प्रभाव कहिये या पीडित जवाहरलाल का निश्चय कि मैं फूट न होने दूंगा। कांग्रेस के दो दलों के बीच-जिनमें एक को खूले आम सुधारवादो और दूसरे को : : क्रांतिवादो कहा जा रहा था— फूट नहीं हुई। दोनों दलों का यह निश्चय कि सम्मिलित शक्ति से कांग्रेस के प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जायेगा, देश के कल्याण का सूचक है।

खुलकर कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रस्ताव :

नया भारत शासन विधान यद्यपि इवेत पत्र तथा संयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत हुआ है। तथा कितने ही विषयों में तो वह विधान उक्त इवेत पत्र तथा कमेटी के प्रस्तावों से भी बढ़तर है यह विधान राष्ट्र की इच्छा के अनुकूल नहीं है और इसमें भारत पर प्रभुत्व जमाये रखना और भारत को घुसने की योजना है और यह विधान देश पर ऐसे समय लादा जा रहा है जब देश में नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण व्यापक रूप में हो रहा है। इसीलिये कांग्रेस अपने इस निश्चय को दुहराती

है कि नया शासन पूर्णतया अस्वीकृत किया जाता है। कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता और भारत में लोकतंत्र की स्थापना चाहती है इसलिये यह घोषित करती है कि ऐसा कोई भी शासन विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता जो बाहर बालो द्वारा भारत पर लादा गया हो और जिसमें भारत की अक्षुण्ण स्वाधीनता तथा उसकी राजनैतिक एवं आर्थिक नीति के निर्धारण एवं नियंत्रण का अधिकार स्वीकार न किया गया हो। कांग्रेस का मत है कि भारत शासन विधान भारत की स्वाधीनता के ही आधार पर बन सकता है और ऐसा विधान सैसी प्रतिनिधि सभा बना सकता है जिसका निर्वाचन बालिग मताधिकार अथवा उसके बराबरी के ही मताधिकार के अनुसार हो। यह कांग्रेस इस माँग पर जोर देती है कि विधान निर्मात्री परिषद् बुलाई जाय और इस माँग को पूर्ति का प्रबन्ध करने के लिये कौंसिलों तथा बाहर के अपने प्रतिनिधियों से अनुरोध करती है।

प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं का निर्वाचन कांग्रेस के अगले अधिवेशन के पहले ही हो सकता है। इसलिये यह कांग्रेस निश्चय करती है कि कांग्रेस को निर्वासित नीति और आदेश के अनुसार चुनाव में कांग्रेस को ओर से उम्मीदवार खड़े किये जायें। उम्मीदवार सैसी ही लोग बनाये जायें जो कांग्रेस के इस उद्देश्य के पूरे समर्थक हों कि भारत को पूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिये और जो व्यवस्थापिका सभाओं में कांग्रेस को नीति के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करें। चुनाव के पहले भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से घोषणा पत्र प्रकाशित होगा जिसमें कांग्रेस की राजनैतिक तथा आर्थिक नीति एवं कार्यक्रम का निर्धारण रहेगा। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ भी अपने अपने प्रांत के विवेक कार्यक्रम के सम्बन्ध में पीछे घोषणा निकाल सकती हैं। प्रांतीय घोषणा पत्र कांग्रेस कार्यसमिति से स्वीकृत करा लिये जायेंगे।

कांग्रेस यह निश्चय करती है कि भाषण्य में पार्लियामेंटरी बोर्ड का काम कांग्रेस कार्यसमिति स्वयं करे। कार्यसमिति को यह अधिकार दिया जाता है कि कौंसिलों के लिये चुनाव का प्रबन्ध करने तथा कौंसिलों में कांग्रेस सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिये वह आवश्यकतानुसार बोर्ड व कमेटियाँ कायम कर सकती है इसलिये अब पार्लियामेंटरी बोर्ड का फिर से चुनाव आषयक नहीं है।

नये शासन विधान के अनुसार निर्वाचित होकर कौंसिल में पहुँचे हुए कांग्रेस सदस्य सरकारी मंत्रिपद ग्रहण करें अथवा नहीं। इस प्रश्न पर कांग्रेस इस समय निश्चित करना

अवाञ्छनीय सम्झली है क्योंकि इस सम्बन्ध में आगे चलेकर क्या स्थिति होगी, इसका कोई निश्चय नहीं। उपयुक्त समय पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को राय लेकर भारतीय कांग्रेस कमेटी को इसका निर्णय करने का भार देती है।

ब्रिटिश सरकार भारत में लोगों की स्वाधीनता का जिस प्रकार हरण कर रही है उस पर लोगों का ध्यान करिष्ठ दिलाती है सरकार के इस दमन का उद्देश्य है राष्ट्रीय तथा किसानों और मजदूरों के आंदोलनों को कुचल डालना। सरकार सैकड़ों लोगों और कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रीय सस्थाओं पर, किसानों और मजदूरों के सघों पर, तथा राज-नैतिक एवं अन्य समाजों पर स्काफ्ट डालती है, कितने ही आश्रमों तथा अन्य शिक्षा सस्थाओं पर कब्जा कर लेती है, खास फौजदारी कानूनों को विरोधाधिकार से पास करके देश में काले कानूनों से राज्य करती है। पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को जप्त कर लेती है उन पर स्काफ्ट डाल देती हैं कड़े प्रेस कानून बनाकर दमन करता है, कुछ ही साल के अन्दर 348 समाचार पत्र इसके शिकार हो चुके हैं और जमानत में दी गयी खासो रकम जप्त कर ली गयी है हजारों भारतीयों को बिना विचार के अनिश्चित काल के लिये कैद कर रखा है। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत वालों के लिये और भी तरह तरह की बहुत सी अठिनाइयां खड़ी कर दी हैं जिसके कारण वे लोग बहुत ही कष्ट में हैं, बंगालप्रांत में कितने ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता का हरण कर लिया है, लोगों को निर्वासित कर दिया है या प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये हैं जिसके कारण न लोग अपना व्यापार व्यवसाय कर पाते हैं न लोकोपकार का कोई काम सरकार अंधाधुंध तलशियां करवाती हैं, विदेशों में जाने तथा स्वदेशों लौटने में बाधा उपस्थित करती है, स्वाधीनता का जेसा हरण और लोगों का जेसा दमन इस समय हो रहा है जेसा 1857 के विद्रोह के बाद भी नहीं हुआ था। कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि यह असाधारण दमन स्वाधीनता आंदोलन में भारत की शक्ति और सफलता को जोष को कसौटी है। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के बार बार यह कहने पर भी भारत में शासन सुधार हो रहा है, नया शासन विधान भी इन्हीं दोषों से भरा है।

कांग्रेस को इसका भी खेद है कि इसी तरह का दमन देशी रियासतों में भी होता है, कई रियासतों में तो कांग्रेस पर भी स्काफ्ट डाल दी गयी है और राष्ट्रीय झंडे का

अपमान किया गया है। कांग्रेस यह घोषित करती है कि रियासतों व ब्रिटिश भारत की प्रजा के अधिकार तथा स्वतंत्रता में वह कोई भेद स्वीकार नहीं कर सकती।

कांग्रेस यह घोषित करती है कि हर तरह की कठिनाइयों का सामना तब तक साहस व धीरता पूर्वक किया जाय जब तक स्वाधीनता न मिले। इस प्रस्ताव में राजनैतिक कार्यकर्ताओं तथा विदेशियों के सम्बन्ध में कानून लागू करने का जिम्मा भी जोड़ दिया गया।

इस कांग्रेस की राय है कि देश को सबसे महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक समस्या है किसानों की दरिद्रता, बेकारी व कर्जदारी, जिसका मूल कारण है सड़ी-गली, पुरानी और दबाने वाली लगान मालगुजारी की प्रथा, तथा खेती की उपज का दाम गिर जाने से बढ़ गयी है। इसका उपाय है ब्रिटिश साम्राज्यवाद वाले शोषण का दूर होना, लगान-मालगुजारी की प्रथाओं में गहरा परिवर्तन तथा बेकार लोगों को काम देना उसका कर्तव्य है। तथा कांग्रेस हर एक एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से कहती है कि वह 1 अगस्त, 1936 तक कार्यसमिति के पास तमसील के साथ अपनी सिफारिशें भेजे ताकि कार्यसमिति उस पर विचार करे और उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने पेश करे। सिफारिशों में नीचे दिये गये विषयों पर ध्यान दिया गया।¹

- 1- खेती सम्बन्धी मजदूरों और किसानों की संस्थायें स्थापित करने की स्वतंत्रता
- 2- जहाँ राज्य व किसानों के दरमियान बिधौलिये हैं वहाँ किसानों के स्वार्थ की रक्षा।
- 3- किसानों का कर्ज से — जिसमें बकाया लगान माल-गुजारी भी शामिल है उचित व न्यायसंगत रीति से उद्धार।
- 4- ताल्लुकेदारी व जमींदारी करों से किसानों का छुटकारा।
- 5- लगान मालगुजारी को काफी तौर से घटा देना।
- 6- गाँवों को सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अवस्था सुधारने के लिये राज्य खर्च में से उचित भाग रखना।
- 7- गाँवों की बेकारी दूर करने के लिये उद्योग धंधों की उन्नति।

1- शक्ति, 25 अप्रैल, 1936 पृ. 1

जनता व कांग्रेस के बीच घिन्नता बढ़ाने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी जिसमें सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद, जयरामदास दौलतराय और जय प्रकाश नारायण ।

कांग्रेस लोगों को चेतावनी देती है कि वे सावधान रहें और भारत के ऐसे किसी भी युद्ध में सम्मिलित होने का विरोध करतो है जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हित में हों ।¹

कांग्रेस कमेटी के पंडाल में स्त्रियों की एक सभा बड़ी धूमधाम से हुई सभा में विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा कि स्त्रियों की स्वतंत्र सभा को आवश्यकता है जिनका विचार कांग्रेस नीति कर हरे । किसानों की एक सभा 11 अप्रैल, 1936 को श्रीयुत मोहनलाल गोतम की अध्यक्षता में हुई जिसमें किसानों को दयनीय स्थिति का जिक्र किया गया ।

23 अगस्त, 1926 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करके अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी घोषित किया कि कांग्रेस ने 1935 का भारत शासन अधिनियम अस्वीकृत कर दिया है और विधानसभाओं में काम करके अपनी भीतरी शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया है । घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि विधानसभाओं के भीतर कांग्रेस जन "ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करे" तथा उसके विविध नियमों अध्यादेशों एवं अधिनियमों को समाप्त करने का प्रयत्न करेगी । इस प्रकार कांग्रेस ने विधानसभाओं में जाने का निश्चय अधिनियम से प्रयत्न करेगी । इस प्रकार कांग्रेस ने विधानसभाओं में जाने का निश्चय अधिनियम से सहयोग को बजाय उसका प्रतिरोध करने के लिये किया । दिसम्बर, 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन फैजपुर में हुआ उसमें कांग्रेस के घोषण पत्र का सत्यापन किया गया और घोषित किया गया कि कांग्रेस को पदों अथवा मंत्री बनने का लालच नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस नीति से तनिक भी विचलित होने का अर्थ भारतीय जनता के घोषण में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से साझेदारी तथा हमारे प्रतिष्ठीत तत्त्वों के दमन के घृणित कार्य में किसी हद तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ होगा ।²

कांग्रेस में इस बात पर मतभेद थे कि इस अधिनियम के आधार पर चुनाव में भाग

1- शक्ति, 25 अप्रैल 1936 पृष्ठ 4

2- डी.ए.सी. गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास पृष्ठ 172

लिया जाय अथवा नही, किन्तु बाद में यह विचार करके कि चुनाव में भाग लेना देश के लिये कुछ हितकर हो सकता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जून, 1936 को लखनऊ में हुई अपनी बैठक में यह निश्चित किया कि कांग्रेस संविधान के अनुसार होने वाले चुनाव में भाग लेगी, किन्तु उसके सदस्य स्थान ग्रहण नहीं करेंगे।¹ संयुक्त प्रांतीय उदारवादी दल ने 20 अप्रैल 1935 को गोरखपुर में अपनी बैठक में नये संवैधानिक विकास पर अनास्था व्यक्त की किन्तु बाद में उदारवादी दल ने फेजाबाद में 13 अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें रचनात्मक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग व कांग्रेस का चुनाव अभियान परस्पर सहयोगवादी था। मुस्लिम लीग ने अपना ध्यान केवल अपने पूर्व रक्षित स्थानों पर ही केन्द्रित रखा। संयुक्त प्रांत में 7-8 फरवरी 1936 को व्यवस्थापिका सभा तथा 17-18 फरवरी 1936 को व्यवस्थापिका परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हुए संयुक्त प्रांत की जनता ने मतदान में उत्साहपूर्ण भाग लिया लखनऊ को एक सभा में राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने को कोशिश करे। नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी को पोल खोलते हुए कहा कि वह सरकार के उच्च कर्मचारियों के प्रोत्साहन से बनाई गयी संस्था है। कांग्रेस जनों से को कि चुनाव मुकम्मिल आजादी या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का एक छोटा भाग है। विचारियों से कहा कि आप लोगों को यह बात महसूस करनी चाहिये कि आप क्रान्ति तथा परिवर्तन के युग में रह रहे है। अधिनियम का घोर विरोधी होने के बावजूद कांग्रेस ने उसके तहत होने वाले चुनावों में खड़े होने का निश्चय किया। कांग्रेस को घोषित लक्ष्य यह दिखलाना था कि जनता के बीच अधिनियम फिलना अप्रिय है। चुनावों के निर्णायक तौर पर दिखला दिया कि कांग्रेस को भारतीय जनता के भारी बहुमत का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस को अनेक राज्यों में असाधारण सफलता मिली। ग्यारह में से सात राज्यों में जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। बाद में दो अन्य राज्यों में कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमंडल बनाये। केवल बंगाल और पंजाब में गैर- कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने।

चुनाव अभियान के दौरान लखनऊ में चुनावो टण्कर या विरोध हुआ । कांग्रेस सभा पर लाठी का प्रहार हुआ जिसमें नगरपालिका आयुक्त सहित एक दर्जन लोग घायल हुए । एक स्वयंसेवक लड़केके सिर में गंभीर चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा । सभा के प्रमुख वक्ता पंडित मदनमोहन मालवोय थे । "मालवीय वापस जाओ के नारे लगाये जा रहे थे । सभा में खोपतानो, हाथापाई तथा ईट के टुकड़ों का प्रयोग किया गया । डा० जय करन नाथ मिश्रा को बस को क्षति पहुँची । तत्काल पुलिस के पहुँचने से घटना पर नियंत्रण पा लिया गया ।¹ चूँकि इस घटना का सम्बन्ध डा० मिश्रा के गुन्डों से था अतः प्रेस द्वारा पूछे जाने पर डा० मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आदीमियों पर आक्रमण किया गया था तथा यह जानबूझकर किया गया था जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का नैतिक पतन हो ।² इस सभा का आयोजन अमीनुद्दौला पार्क में किया गया था । प्रमुख हिन्दी पत्र "प्रताप" ने हीरजनों को कांग्रेस को वोट देने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसा करके वे सामाजिक गुलाबी को जंजीर को तोड़ने में सहायता पहुँचायेंगे ।

चुनाव काल में कांग्रेस को समर्थन प्रदान करते हुए हिन्दी की अनेक पत्र पत्रिकायें प्रकाशित हुई । रायबरेली से ग्राम संदेश तथा उन्नाव से संग्राम पत्र प्रकाशित हुए । इस काल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी अनेक मुख पत्र और समर्थन पत्र प्रकाशित हुए । 1937 में "जनता" सोतापुर से तथा "सर्घ" लखनऊ से प्रकाशित हुए । इन पत्रों ने भी कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया ।³

यूपी० असेम्बली के चुनाव में लखनऊ मंडल में निम्न प्रत्याशो विजयो हुए —

जिला हरदोई मध्य से ठाकुर भूतिसिंह जो स्न०यूपी० से सम्बन्धित थे 8610 वोट पाकर विजयी हुए । जबकि कांग्रेस प्रत्याशो निरंजन सिंह को 8336 वोट मिले । इसी प्रकार जिला हरदोई उत्तर पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशो छेदो लाल 20,788 वोट पाकर विजयी हुए । जबकि स्न०यूपी० प्रत्याशो रघुवर सिंह को 6775 वोट मिले ।⁴

1- पायनियर, 28 जनवरी 1937, पृ० 3

2- वही

3- डा० ब्रह्मानन्द, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तर प्रदेश को हिन्दी पत्रकावित्त, पृ० 105

4- पायनियर, 16 फरवरी 1937, पृ० 1

जिला रायबरेली में दक्षिणी परिश्रम क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प० लक्ष्मी शंकर 26869 वोट से विजयी हुए जबकि सन०१०पी० प्रत्याशी लाल स्वयंवर सिंह को 6875 मत मिले । उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्रोमतीसुनोति देवी मित्रा 25237 मतों से विजयी घोषित हुईं जबकि सन०१०पी० प्रत्याशी राज बहादुर विश्वनाथ सरन सिंह को 7,244 मत मिले ।

जिला सीतापुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी लालता कृष्ण सिंह, 16123 मतों से विजयी हुए जबकि "इंडियेडेंट सीता राम को केवल 260 वोट मिले । सीतापुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य देव 5161 मतों से विजयी हुए जबकि सन०१०पी० के राजा मोहन मनुषा को 1721 वोट मिले ।

जिला लखीमपुर खीरो उत्तर पश्चिम से कुंवर लुका कर्त राय उर्फ भैयालाल कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 10503 मतों से विजयी हुए जबकि राजा जगन्नाथ कृष्ण सिंह को 3261 मत प्राप्त हुए ।

जिला लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी गोपीनाथ श्रीवास्तव 23579 मतों से विजयी हुए ।

उपर्युक्त चुनावी परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि लखनऊ मंडल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था । 1937 के प्रारम्भ में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को असातीत सफलता मिली बम्बई और सीमा प्रांत में कतिपय स्वतंत्र दल के उम्मीदवारों ने चुने जाने के बाद कांग्रेस का साथ दिया ।—

इस चुनाव में मुस्लिम लीग को हार का मुँह देखना पड़ा, जहाँ मुस्लिम सरकार अधिक थी, लीग को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता । चार प्रांतों में तो मुस्लिम लीग को एक भी स्थान नहीं मिला 2—

एक सार्वजनिक सभा लखनऊ में हुई जिसमें गोपीनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि सू०पी० असेम्बली में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है तथा उन्हें पद ग्रहण कर लेने चाहिये ताकि नये संविधान की व्यर्थता के खिलाफ प्रदर्शन का अवसर मिले ।³

1- डा० राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत पृ० 219

2- डा० राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत पृ० 220

3- पायोनियर, 16 फरवरी 1937 पृ० ।

अब कांग्रेस के सामने पद ग्रहण का प्रश्न उपस्थित हुआ। मंत्रिमंडल बनाने या न बनाने के प्रश्न को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। दक्षिणपंथी पद-ग्रहण करने के पक्ष में थे और वामपंथी पद ग्रहण करने का विरोध करते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी पद ग्रहण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार विमर्श किया। महात्मागांधी ने सलाह दी कि यदि कांग्रेस बहुमत प्राप्त प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने का निश्चय करती है तो उसे ब्रिटिश सरकार से गवर्नरों के विशेषाधिकारों को न प्रयोग करने¹ तथा कांग्रेस मंत्रियों को जनता की सेवा करने का पूर्ण अवसर देने का आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिये। इस सलाह को समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भी 7 मार्च, 1937 को पद ग्रहण के प्रश्न पर विचार किया जिसमें पद ग्रहण करने का प्रस्ताव 71 के विरुद्ध 49 मतों से अस्वीकृत हो गया।²

24 मार्च, 1937 को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हेनरी हेम ने बहुमत प्राप्त कांग्रेस दल के नेता गोविन्द वल्लभ पंत को मंत्रिमंडल बनाने के विषय में विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया। गवर्नर द्वारा मंत्रिमंडल बनाने से पूर्व कांग्रेस की शर्तों को मनाने से अस्वीकार करने पर गोविन्द वल्लभ पंत ने मंत्रिमंडल बनाने में असमर्थता प्रकट की।³

जैसे पंडित गोविन्द वल्लभ पंत सरकारी भवन से बाहर आये पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया तब पंडित पंत ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि "आप लोग इस खबर को तार की तरह चारों तरफ फैला दें कि मैंने मंत्रिमंडल बनाना अस्वीकार कर दिया है।"⁴

पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने अपने बयान में कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करते हुए बताया कि "कांग्रेस का मार्ग समानता का है। उसमें किसी तरह का बनावटीपन या धोखेबाजी की भावना नहीं है। चुनाव में विजय प्राप्त कर उसने अपनी योग्यता अथवा काबिलियत को करोड़ों जनता के सम्मुख रखा है। कांग्रेस अपने मार्ग पर अविचल रहेगी

- 1- पट्टाभि सीतारमैया, दि हिस्ट्री आफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस खण्ड 2 पृ 38-39
- 2- आज 9 मार्च 1937, पृ 4
- 3- दि लीडर 30 मार्च 1937, पृ 1
- 4- इयाम सुन्दर एंड सावित्री श्याम, पोलिटिकल लाइफ आफ पंडित जी. व. पंत, 1887-1945, 1950 वाल्यूम 1 पृ 203

और एक दिन पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा कर लेगी ।¹

कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाने से अस्वीकार कर देने पर गवर्नर ने अल्पमत को सरकार बनाने का अक्सर देने के उद्देश्य से छत्तारी के नवाब मोहम्मद अहमद सईद खॉ को मंत्रिमंडल बनाने हेतु आमंत्रित किया ।² संयुक्त प्रांत में छत्तारी के नवाब की अध्यक्षता में अतिरिक्त सरकार बनी । गवर्नर ने अल्पमत सरकार के पराजित हो जाने के भय से दोनों सदनों की बैठक नहीं बुलाई । मंत्रिमंडल के असंवैधानिक होने के कारण सभी दलों ने इसका विरोध किया ।

संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हेनरी हेम ने मई 1937 के अंत में नैनीताल में अपने एक भाषण में यह स्पष्ट किया कि प्रांतीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों को पूर्ण सहयोग दिया जायेगा और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो गवर्नर और मंत्री आपस में विचार करके उसका सामाधान कर लेंगे।³ वाइसराय ने 22 जून 1937 को भारत के नाम अपने एक संदेश में यह व्यक्त किया कि मंत्रिमंडलों के गठन हेतु कांग्रेस द्वारा रखी गयी शर्त आवश्यक नहीं है । उन्होंने विश्वास दिलाया कि गवर्नर मंत्रिमंडलों से मतभेद नहीं उत्पन्न होने देंगे और मंत्रिमंडल चाहे किसी दल का हो, गवर्नर उसे अपना पूर्ण सहयोग देंगे ।⁴ वाइसराय के आशवासन पर ज़ुलाई के प्रथम सप्ताह में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने विचार किया और निर्णय लिया कि नये संविधान का विरोध करते हुए रचनात्मक कार्यों के लिये पद ग्रहण किया जाय ।⁵

इस प्रकार वाइसराय व गवर्नर से आशवासन प्राप्त कर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की सलाह से संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने का निश्चय किया गया । ज़ुलाई में कांग्रेस दल के नेता गोविन्द वल्लभ पंत गवर्नर से मिले और मंत्रिमंडल निर्माण को ओर ध्यान

1- श्याम सुन्दर संड सावित्री श्याम, पोलिटिकल लाइफ आर्षे पंडित जी०बी० पंत, 1887-1945, 1960 वाल्थूम । पृ० 205

2- इंडियन एनुवल रजिस्टर §1937§ भाग-1 पृ० 242

3- आज, 29 मई, 1937 पृ० 3

4- इंडियन मिनिस्ट्रेशन्स रिपोर्ट आफ यू०पी० §1936-37§

5- दि लीडर 10 ज़ुलाई 1937, पृ० 8

दिया। लीग के चुनाव के पूर्ण समझौते के अनुसार मंत्रिमंडल में अपने हिस्से की मांग की। मुस्लिम लीग ने अपने दात के सदस्यों के लिये मंत्रिमंडल में दो स्थानों की मांग की। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने के लिये कुछ शर्तें रखी जिन्हें मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सम्झौता नहीं हो सका और मुस्लिम लीग कांग्रेस मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य तनावों और अन्तर का विकास 1937 के पश्चात् कांग्रेस द्वारा लीग विहीन मंत्रिमंडल की स्थापना के पश्चात् और व्यापक हो गया। तत्पश्चात् जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेसी सरकारों पर अनेक आरोप लगाते हुए उसकी आलोचनाएँ की गयीं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस मंत्रिमंडल में सम्झौता न हो पाने के कारण इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए।

17 जुलाई, 1937 को संयुक्त प्रांत में गोपिन्द वल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। कांग्रेस मंत्रिमंडल में 6 मंत्री तथा 14 संसदीय मंत्री थे।

संयुक्त प्रांत में पंत मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपने घोषणा पत्र में निर्धारित नीति का पालन करना प्रारम्भ किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराने का उल्लेख था। इसीलिये मंत्रिमंडल ने सर्वप्रथम इस ओर प्रयत्न प्रारम्भ किये। कुछ राजनीतिक बन्दी अक्टूबर 1937 में मुक्त कर दिये गये और शेष को मुक्त करने पर मंत्रिमंडल तथा वर्गर्नर के मध्य विवाद उपस्थित हुआ। 15 फरवरी 1938 को जब वर्गर्नर ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के प्रश्न पर मंत्रिमंडल की सलाह मानने से अस्वीकार कर दिया तो मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया।¹ संयुक्त प्रांत व बिहार में वैधानिक संज्ञक उपस्थित हो गया। दोनों प्रांतों में बहुत से अहिंसात्मक राजबन्दी कांग्रेस द्वारा छोड़े जा चुके थे। इस समय सिर्फ 23 कैदी बिहार में 14 कैदी संयुक्त प्रांत में बाकी रहे गये थे।² जनता इनकी रिहाई के लिये देशव्यापी आंदोलन कर रही थी। राजबन्दी भी अन्याय कर रहे थे। कांग्रेस उनकी रिहाई के लिये चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार प्रतिज्ञाबद्ध थी जबकि हजारों गैर राजनीतिक कैदी रिहा हो चुके थे। तो यह असाह्य था कि राजनीतिक अपराधी कैदियों में ही रहे जाते। मंत्रियों ने अंतिम रूप से रिहाई

1- इंडियन स्नुवेल रजिस्टर 1938 भाग 1 पृष्ठ 66

2- शक्ति 19 जनवरी, 1938 पृष्ठ 7

का प्रयत्न किया। लगातार कई दिनों तक गवर्नर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलों की बैठकें हुईं किन्तु गवर्नर सब कैदियों को एक साथ छोड़ने को राजी न हुए। एक घंटे की बैठक के बाद मंत्री पंत के बंगले पर मिले। पंत जी ने हरिपुरा में उपस्थित कांग्रेसी नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत भी की। गवर्नर ने मंत्रिमंडल को बात मानने से इकार कर दिया। तब 6 बजे शाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया।¹

इस सम्बन्ध में निम्न आशय का एक लम्बा सरकारो वक्तव्य प्रकाशित हुआ —

मंत्री तथाकथित "राजनैतिक कैदियों" को रिहाई का सवाल काफी समय से उठा रहे हैं। ये वे कैदों हैं जिन्हें विभिन्न अदालतों ने चोरी, डाके, हत्या आदि के जुर्म में सजा दी है। काकोरी के कैदियों को रिहाई का भी परिणाम अच्छा नहीं हुआ। लोगों में हिंसात्मक क्रांति की ओर उत्तेजना फैली फिर भी गवर्नर अक्टूबर के अंत में 5 कैदियों को छोड़ने को राजी हो गये। इधर काकोरो के कैदियों ने देहली में फिर कानून भंग किया और वे गिरफ्तार हो गये। जनवरी में मंत्रियों ने रिहाई का प्रस्ताव उठाया और आशा दिखाई कि अब हिंसात्मक कार्यवाहियां न होंगी। इस पर गवर्नर ने प्रत्येक कैदों के मामले पर व्यक्तिगत विचार करने की सहमति दी, परन्तु दी, मंत्री सबको एक साथ रिहा करने पर जोर देने लगे इनमें से अधिकांश आतंकवादी दल के थे और कई अभियुक्तों को डाके के अपराध में सजा मिली थी गवर्नर ने मंत्रियों का ध्यान इस प्रकार की रिहाई से होने वाली की तरफ खोया पर वे अपनी बात पर अड़े रहे। गवर्नर जनरल की हिदायत आने पर गवर्नर ने इस विषय में अपनी असहमति प्रकट की इस पर मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिये।

गवर्नर जनरल द्वारा अधिकारों का दुस्प्रयोग किया गया, इस आशय से सम्बन्धित एक पत्र पंत जी ने गवर्नर को लिखा —

"यह बड़ी अजीब बात है कि जब लग्न व धर्म पूर्ण विचार के बाद हम कांग्रेस की नीति पर अमल करने लगते हैं तो गवर्नर जनरल इस बात में इस विषय में कांग्रेस मिनिस्ट्री को नीचा दिखाने के लिये दफा 126(5) के मातहत हुकम जारी कर देते हैं। प्रांत के साधारण शासन में गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप ने गंभीर समस्या खड़ी कर दी और न केवल

प्रांत बल्कि भारत में शांति की रक्षा के बजाय उसके नष्ट होने की हो अधिक समावना है। इससे स्पष्ट है 126१5१ का दुस्प्रयोग हुआ है तथा स्वायत्त शासन में कोई सार नहीं है।¹

कैदियों को रिहाई के सम्बन्ध में प्रेस द्वारा पूछे जाने पर पत जी ने सफाई देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल अब तक 3000 कैदों छोड़ चुका है सिर्फ 15 बाकी थे उसके इस कार्य पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। 15 कैदियों को रिहाई भी शासन प्रबन्ध से ही ताल्लुक रखती थी। यदि शासन के मामले में मंत्रियों को नोचा दिखाया जा सकता है और वे इतने बेवकूफ हैं कि ऐसा कार्य कर लें जिससे शांति भंग हो जाय तो उस भारो उत्तरदायित्व को नहीं उठा सकते जो उनके सुपुर्न किया गया है। कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रियों पर है इसलिये विषय में स्पष्टता से कार्य करने दिया जाना चाहिये।

इस्तोफा देने के बाद पंत बाहर आये तो उनके व उनके साथी के चेहरों पर मुस्करा-हट धो। वे सोये हरिपुरा गये। हरिपुरा पहुँचने पर ज्यों हि पंडित जी, हाफिल जो व किदवई के साथ विषय समिति के पडाल में धुसे उनका स्वागत किया गया। इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडलों को कांग्रेस कार्यसमिति व राष्ट्र नेताओं ने तार भेजकर बधाइयां दी। महात्मा गाँधी ने गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप को अनुचित और अनावश्यक बताते हुए कहा कि कुछ कैदियों की रिहाई भले हो वे हिंसात्मक कार्य करने के लिये दंडित हुए हों शांति व आगमन के लिये कभी खतरा नहीं हो सकते। गाँधी जी ने कहा कांग्रेस चुनौती लेने को तैयार है।² अध्यक्ष पद से बोलते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि हमारे मिनिस्टर्स ने त्यागपत्र देकर कांग्रेस के सम्मान की रक्षा की है और इस लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।³ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें गवर्नर से कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा राजनीतिक बंदियों के सम्बन्ध में दो गयी सलाह को मान लेने का आग्रह किया गया। तब वाइसराय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कांग्रेस मंत्री शासन की बागडोर संभाल लें। गवर्नर व्यक्तिगत विचार के बाद कैदियों को रिहाई को तैयार हैं।⁴ हरिपुरा

1- शक्ति, 19 फरवरी, 1938 पृष्ठ 7

2- शक्ति, 19 फरवरी 1938 पृष्ठ 5

3- शक्ति, 26 फरवरी 1938 पृष्ठ 1

4- शक्ति, 26 फरवरी 1938 पृष्ठ 4

कांग्रेस अधिवेशन के बाद 23 फरवरी 1938 को गोविन्द वल्लभ पंत लखनऊ में गवर्नर से मिले, विचार विमर्श के पश्चात् गवर्नर ने राजनीतिक कैदियों के सम्बन्ध में कांग्रेस मंत्रिमंडल की माँग स्वीकार कर ली। 25 फरवरी, 1938 को गवर्नर तथा गोविन्द वल्लभ पंत की एक संयुक्त विज्ञापित प्रकाशित हुई जिसमें इसका उल्लेख किया कि हम लोगों का सम्झौता हो गया है इसलिये मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र वापस लेता है।¹ गवर्नर व प्रधानमंत्री के इस्ताफेजों से निम्नाशय का एक संयुक्त वक्तव्य निकाला गया —

"हम लोगों ने आपस में मौजूदा हालत के बारे में खूब बहसे की। हम लोग एक राय पर आ गये हैं अतः माननीय मंत्रिमंडल अब अपना काम शुरू कर देंगे। कुछ राजनीतिक कैदियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से विचार किया गया और गवर्नर अब शीघ्र ही मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार उन कैदियों को कैद की अवधि के पहले ही छोड़ने के लिये आज्ञा जारी करेंगे। बाकी कैदियों के मामलों पर सम्बद्ध मंत्री विचार कर रहे हैं और इसी प्रकार की आज्ञा उनकी रिहाई के लिये शीघ्र ही जारी की जायेगी।

हम लोगो ने गवर्नर तथा मंत्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रश्न पर भी देर तक विचार किया और वाइसरॉय के हाल के वक्तव्य तथा तत्सम्बन्धी महात्मा गाँधी के विचारों पर गौर किया। उत्तरदायी मंत्रियों के न्योयोचित कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। दोनों तरफ से सहनायना होने के कारण हमें विश्वास है कि हम सब सफल होंगे।²

सम्झौते का स्वागत किया गया। गाँधी जी ने कहा "शाब्दा"। सत्य व अहिंसा कीठनाइयों को ऐसे दूर भगा देते हैं जैसे प्रकाश अंधकार को।³ 26 तारीख को नैनो सेंट्रल जेल से 8 कैदी लखनऊ जेल लाये गये तथा पंत जी ने उनसे भेंट की और 27 तारीख को 6 कैदी रिहा किये गये। शेष जल्दी रिहा हो जायेंगे। बिहार में भी उसी दिन 10 कैदी रिहा किये गये।

कांग्रेस ने पंतः कार्यभार ग्रहण करते ही रचनात्मक कार्यों को कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया। प्रेस अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों से माँगो गई जमानतें वापस कर दो गयीं और समाचार पत्रों को ब्लैक लिस्ट कर दी गयी। "वर्नाक्युलर" शब्द

1- आज, 27 फरवरी, 1938 पृष्ठ 4

2- शक्ति, 4 मार्च, 1938 पृष्ठ 1

3- शक्ति, 4 मार्च, 1938 पृष्ठ 1

हिन्दी व उर्दू के लिये प्रयोग न करने की आज्ञा निकाली गयी । सरकारो कागजों में प्रांतोय भाषा अथवा आधुनिक हिन्दुस्तानी भाषाओ का प्रयोग किया जायेगा ।¹ उस समय लखनऊ से "विप्लव" समाचार पत्र निकला जो कि 1940 तक निकलता रहा परन्तु सरकारो वज्रपात होने के कारण यह बन्द हो गया उसके स्थान पर "विप्लवी ट्रेक्ट" और "साधी" का प्रकाशन हुआ । 1938-39 में लखनऊ से "चक्कलस" व "प्रकाश" समाचार पत्र निकलते थे ।² भारत में 17 प्रेसों की स्वाधोनता पर कुठाराघात किया था लखनऊ की युसुफी प्रेस, तथा गंगा फाईन और प्रिंटिंग प्रेस प्रमुख है अब वे मुक्त कर दी गयी ।

अल्पसख्यकों को सरकारी सेवा में विशेष स्थान दिया गया । वर्धा शिक्षा प्रणाली के अनुसार अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये स्कूल खोले गये । प्रौढ़ शिक्षा के लिये कदम उठाये गये । स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक योजनाये बनाई । सितम्बर 1938 में वाराणसी में स्त्रियों के लिये एक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गयी । हरिजनों को शिक्षा के लिये विषैल प्रबन्ध किया गया । उन्हें पुस्तकों की सहायता दी गयी और उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति का प्रबन्ध किया गया । हरिजनों को कार्य सिखाने के लिये प्राविधिक संस्थायें खोली गयी । ग्राम सुधार योजनाके अन्तर्गत अनेक कार्य किये गये । ग्राम सुधार अध्यापकों को काँग्रेस युसुफ इमाम की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई । लखनऊ जिला ग्राम सुधार संघ के अध्यक्ष गोपीनाथ श्रीवास्तव ने काँग्रेस के उद्देश्य बताये ।³ किसानों की सुविधा के लिये सरकार ने 1930 में दो गयो लगान को छुट को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया । ग्राम सुधार योजना के अन्तर्गत पंडित कृष्णदत्त पालीवाल 10 हल्का अपसरों और 48 जिला निरीक्षकों और 800 ग्राम कार्यकर्ताओं के सहयोग से योजनायें शुरू हुई । एक कार्यकर्ता औसतन 90 गाँवों के लिये जिम्मेदार होगा । यू०पी० सरकार द्वारा हाथ करघों के काम को प्रोत्साहन दिया गया । हरदोई जिले के संडीला में रेशम का काम अधिक होता था । लखनऊ में एक बहुत बड़ी हैण्डलूम एम्पोरियम की दुकान खोली गयी ।

लखनऊ जिले में इस बार प्रांतीय सचिव के एक हिन्दुस्तानी को जिला अपसर नियुक्त

1- शक्ति, 3 दिसम्बर 1938 पृ० 2

2- ब्रह्मानन्द, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और उत्तर प्रदेश को हिन्दी पत्रकारिता पृ० 10

3- शक्ति, 18 फरवरी 1939 पृ० 3

गया । कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिये मौसमी अधिकार सीर पर्ती, लगान आदि पर नये कानून बनाये जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ ।

27-31 दिसम्बर 1938 को अयोध्या [फिजाबाद] में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें लालबहादुर शास्त्री, श्री प्रकाश, रफी अहमद क्विचर्ड, गोविन्द वल्लभ पंत, पुष्पोत्तम दास टंडन, कमलापति त्रिपाठी, राम मनोहर लोहिया, पीडित परमानन्द, योगेश चर्जा तथा मन्मथनाथ गुप्त आदि विभिन्न नेताओं ने भाग लिया । अधिवेशन में कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया और प्रांतीय मंत्रिमंडल के कार्यों पर सतोष व्यक्त किया गया ।

कांग्रेस सरकार को साम्प्रदायिक मन्त्रियों का भी सामना करना पड़ा । लखनऊ मंडल में अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए जिन्हें रोकने के लिये कांग्रेस सरकार ने उचित प्रबन्ध किया । 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिये सम्झौता न हो सकने के कारण मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रति स्थायी विरोध की नीति अपनाई । तत्पश्चात् जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेसी सरकारों पर अनेक आरोप लगाते हुए उसकी आलोचनाएँ की गयी । कांग्रेसी सरकारों को स्थापनाके तीन माह पश्चात् अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों की कांग्रेसी मंत्रिमंडल को निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया ।¹ उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत "बन्दे मातरम्" को इस्लाम विरोधी बताते हुए कांग्रेस द्वारा उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रश्रय देने पर कटु निन्दा करते हुए प्रस्ताव पारित किये गये तथा मुस्लिम विधायकों और जनता का आवाहन किया गया कि वे इस आपातित जनक गीत के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करें ।²

मुस्लिम लीग के उक्त अधिवेशन में ही कांग्रेसी शासन की आलोचना करते हुए सभापति के पद से भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा "मुसलमानों को अपने से अधिकधिक घिसा और विमुख करने का उत्तरदायित्व कांग्रेस के वर्तमान नेताओं पर है, विशेषकर पिछले दस वर्षों में क्योंकि उन्होंने पुरो तरह से ऐसी नीति का अनुसरण किया है जो हिन्दुओं के

1- राम गोपाल, इंडियन मुस्लिम, ए पोलिटिकल हिस्ट्री पृ० 252 लालबहादुर, दि मुस्लिम लीग पृ० 239

2- वही, पृ० 256-57

हित में हो जिन 6 प्रातों में उन्हें बहुमत प्राप्त है, सरकार बनाने के बाद उन्होंने अपने कार्यों, शब्दों एवं कार्यक्रमों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि मुसलमान उनसे न्याय व औचित्य की आशा नहीं कर सकते, जो थोड़ी सी शक्ति व उत्तरदायित्व उन्हें प्राप्त हुए है, उसके मिलते ही इस बहुसंख्यक सम्प्रदाय ने यह स्पष्ट प्रदर्शित कर दिया है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिये है ।¹

इसके पश्चात् के अपने सभी अधिवेशनों में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस विरोधी प्रचार को और तीव्र किया और मुस्लिम लीग के ऊर्ध्वधार जिन्ना ने पुनः लीग के 1938 के पटना अधिवेशन में समापित के पद से भाषण देते हुए कांग्रेस की कटु आलोचना को और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस हिन्दू राज्य की स्थापना करना चाहती है ।²

जिन्ना द्वारा दिये गये भाषणों पर "आज" ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे "श्री जिन्ना का प्रताप" कहकर कांग्रेस की नीति का समर्थन किया ।³

जिन्ना को साम्प्रदायिकता पर उन्हें कड़ी फटकार सुनाते हुए "सुधा" ने लिखा है, हम मि० जिन्ना को सलाह देते हैं कि वह एक बार हम कर लें और अरब-स-जमजम में गोता लगायें ताकि उनके अन्दर की गर्मी शांत हो जाय और तब वह अपनी विवेक की निगाह से देखें कि आजकल वह कहाँ खड़े है ।⁴

"वन्दे मातरम्" आदि पृथनों पर टिप्पणी करते हुए जौनपुर से निकलने वाले समय ने लिखा कि "मुस्लिम लीग" की उन माँगों को ठुकरा देना चाहिये जो हमारी राष्ट्रियता में बाधा पहुँचाने वाली हो ।⁵

नवप्रकाशित "देशदूत" ने भी कई अकों में मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक नीति की निन्दा की । कांग्रेस के विरुद्ध अड्यंत्र करने का मुस्लिम लीग पर आरोप लगाया और

1- सी०एच० फिलिप्स, दि इवाल्यान्स आफ् इंडिया एंड पाकिस्तान पृ० 347-48

2- बी०वी० नागरकर, जेनेसिस आफ् पाकिस्तान पृ० 285-86

3- आज, 23 अक्टूबर 1937 पृ० 2

4- सुधा, नवम्बर 1938, पृ० 460

5- समय, 14 जून 1938 पृ० 1

इस पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया ।¹

मार्च 1938 में संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग ने हिन्दुओं के अत्याचारों की जाँच के लिये पीरपुर के राजा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की । समिति ने हिन्दुओं के अत्याचारों का असत्य विवरण प्रस्तुत किया और मुसलमानों को सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता देने तथा देश की सरकार से उचित प्रतिनिधित्व निश्चित करने की सिफारिश की । समिति के विवरण के आधार पर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल की कठु आलोचना करना प्रारम्भ कर दी । 1939 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद ने लघोप न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुस्लिम लीग द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच का प्रस्ताव किया तो जिन्ना ने उसे अस्वीकार कर दिया । मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुस्लिम लीग द्वारा लगाये गये आरोपों को निराधार बताया ।² संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हेनरी हेम ने भी मत व्यक्त किया कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के मंत्री साम्प्रदायिक मामलों में निष्पक्ष थे ।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने पर इंग्लैंड ने जर्मनी तथा उसके सहायक राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इसी दिन भारत के वाइसराय ने भारत को भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी । रजनी पामदत्त के अनुसार ब्रिटिश ससद ने ग्यारह मिनट के अन्दर ही गवर्नर आफ इंडिया अर्मेडिंग स्कट पारित कर वाइसराय को अधिकार प्रदान कर दिया कि वह प्रांतों की स्वायत्तता के प्रश्न पर संविधान के कर््यों को रद्द कर सकता है । 3 सितम्बर, 1939 के भारत रक्षा अध्यादेश के अनुसार केन्द्र सरकार को भी असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये ।³

भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श के बिना भारत की ओर से भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देना भारत का घोर अपमान था । युद्ध के प्रस्तुत: छिड़ जाने के पहले ही कांग्रेस ने भारत पर किसी युद्ध को लाने तथा उसके साधनों को भारतीय जनता की स्वीकृति के बिना किसी युद्ध में लगाने के प्रयत्नों का विरोध करने का प्रस्ताव

1- देशदूत, 9 अप्रैल, 1939 पृ० 1

2- अबुल कलाम आजाद, इंडिया विन्स फ्रीडम, पृ० 138

3- रजनी पत्रमदत्त, आज का भारत पृ० 558

पास किए लिया था ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा हिन्दुस्तान के जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की घोषणा किये जाने और वाइसराय द्वारा ब्रिटिश सरकार के युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए 27 अक्टूबर को संयुक्त प्रांतोंय असेम्बली में प्राधानमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया —

इस असेम्बली को इस बात पर दुःख है कि ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान को बिना उसके लोगों की मर्जी के ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी की लड़ाई में शामिल कर दिया है और भारतीय लोकमत की कुछ भी परवाह न करके प्रांतीय सरकारों के अधिकार और काम घटाने वाले कानून पास कर लिये हैं तथा व्यवस्था कर दो है । यह असेम्बली सरकार से सिफारिश करता है कि वह भारत सरकार को और उसकी मारफत ब्रिटिश सरकार को यह जता दे कि वर्तमान युद्ध के घोषित उद्देश्य की सार्थकता के निमित्त यह अत्यंत आवश्यक है कि हिन्दुस्तानियों का सहयोग प्राप्त करने के वास्ते लोकमत के सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लागू किये जायें, उसकी नीति उसके लोगों द्वारा संचालित हो और हिन्दुस्तान स्वतंत्र राष्ट्र माना जाय, उसे अपना विधान बनाने का हक हो और तत्काल जहाँ तक संभव हो हिन्दुस्तान के वर्तमान शासन में उन सिद्धान्तों पर उचित रूप से अमल किया जाय । उसमें ऐसा भी इंतजाम हो जिससे कि इस प्रांत में लड़ाई सम्बन्धी सारी व्यवस्था प्रांतोंय सरकार की स्वीकृति से और उसके द्वारा की जाय ।

यह असेम्बली इस बात पर खेद प्रकट करता है कि ब्रिटिश सरकार के हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये वाइसराय को अधिकार देते समय हिन्दुस्तान की माँग ब्रिटिश सरकार के पूरा न करने से इस असेम्बली की राय है कि वह सरकार ब्रिटिश नीति का साथ नहीं दे सकती ।¹

यू०पी० असेम्बली में एक प्रस्ताव पास हुआ । इसके मुख्य विचार तीन हैं —

1- देश की अनुमति बिना अंग्रेजी सरकार ने हिन्दुस्तान को युद्ध में घसीटकर अनुचित और खेदजनक काम किया है ।

1- संघर्ष, 29 अक्टूबर 1939 पृ० ।

2- यदि युद्ध में हिन्दुस्तान का सहयोग पाना है तो हिन्दुस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह माना जाय जो अपना विधान युद्ध के खतम होने पर स्वयं बनाये और अपनी से स्वतंत्रता के सिद्धान्त को अधिक से अधिक मात्रा में मान लिया जाय ।

3- ब्रिटिश सरकार ने अपने बयान में हिन्दुस्तान की परिस्थिति से अपनी गैर जानकारी साबित की है और इस बयान की बुनियाद पर प्रांतीय सरकार किसी तरह का युद्ध में सहयोग नहीं दे सकती ।

किसी भी स्वयंमानी कौम के लिये दूसरे देश के इशारे पर लाखों जी जान लेना और लाखों की जान देना नीच काम है । जिस कौम ने इस बात का निश्चय किया है कि वह अपनी शक्तियों को जगाकर मनुष्योचित जीवन उपजावेगी वह शांति और युद्ध के मसलों पर अपना स्वयं निर्णय करती है ।

अपने युद्ध विरोधी और अधिष्ठात्मक सिद्धान्तों के होते हुए देश किसी भी तरह युद्ध में सहयोग का वायदा नहीं कर सकता ।

यह प्रस्ताव मुख्यतः अंग्रेजी सरकार के रैयि से देश का असंतोष दिखाता है और इसका रैलान करता है कि देश इस युद्ध में सहयोग नहीं दे सकता ।¹

इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 15 सितम्बर 1939 को घोषणा की कि भारत के लिये युद्ध और शांति की समस्याओं का निर्णय भारतीय जनमत द्वारा होना चाहिये । भारतीय जनता साम्राज्यवादो उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी सम्पत्ति और साधनों के प्रयोग की अनुमति नहीं देगी । उदारवादियों ने कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया किन्तु मुस्लिम लीग ने संविधान में पर्याप्त अधिकार मिलने की शर्त पर सरकार को सहयोग देने की इच्छा की । 23 अक्टूबर 1939 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पास करके सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र देने की सिफारिश की ।² युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात् नई परिस्थितियों पर विचार हेतु कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 8-15 सितम्बर 1939 को वर्धा में हुई । युद्ध सम्बन्धी कार्य-

1- संघर्ष, 29 अक्टूबर 1939, पृष्ठ 8

2- दि पायनिंगर, 4 अक्टूबर 1939, पृष्ठ 1

समिति के प्रस्ताव में कहा गया "यदि ग्रेट ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा और प्रचार के लिये सघर्ष करता है तो अनिवार्यतः उसे अपने अधीन राज्यों में साम्राज्यवाद का अंत कर देना चाहिये तथा भारत में पूर्ण लोकतंत्र को स्थापना कर देना चाहिये और भारतीय जनता को किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना एक संविधान सभा के द्वारा अपने संविधान का निर्माण करके आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिये । उसे अपनी नीति स्वयं निर्धारित करने का भी अधिकार मिलना चाहिये । स्वतंत्र और लोकतंत्रीय भारत प्रसन्नतापूर्वक आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा के लिये अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगा—¹

युद्ध से स्वयं को असमबद्ध करते हुए कार्य समिति ने मत व्यक्त किया "यह समिति एक ऐसे युद्ध से न तो स्वयं को सम्बद्ध कर सकती है और न इस युद्ध के साथ सहयोग कर सकती है जो साम्राज्यवादी नीति पर चल रहा है और जिसका उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों में साम्राज्यवाद की मजबूत बनाना है²— ब्रिटिश सरकार के लिये प्रत्यक्ष युनैतो करते हुए कांग्रेस कार्यसमिति ने ब्रिटिश सरकार को नियंत्रित किया कि वह स्पष्ट शब्दों में घोषणा करे कि इस युद्ध में जनतंत्र व साम्राज्यवाद के विषय में उसका क्या उद्देश्य है और वह यह भी स्पष्ट करे कि ये उद्देश्य भारत के विषय में कैसे लागू होने जा रहे हैं³ कांग्रेस महासमिति ने अपनी 9-10 अक्टूबर की बैठक में कार्य समिति के उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की माँग को⁴

कांग्रेस को इन माँगों के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण निराशाजनक था ब्रिटिश विदेशसचिव लार्ड जेडलैण्ड ने कांग्रेस को माँगों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए देशी नरेशों और गैर कांग्रेसी प्रांतों के प्रधानमंत्रियों की झुरि झुरि प्रशंसा की और विचार व्यक्त किया कि कांग्रेस अपनी माँगों के लिये गलत समय पर दबाव डाल रही है।⁵

1- मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विस्त फ्रीडम पृष्ठ 24

2- मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विस्त फ्रीडम पृष्ठ 25

3- वही पृष्ठ 26

4- पट्टाभितीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास, खण्ड 2 पृष्ठ 137

5- वही पृष्ठ 135-136

वाइसराय लार्ड लिन्डबेरी भारतीय नेताओं से वार्तापर 17 अक्टूबर, 1939 को 12 बजे रात दिल्ली से एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत के लिये औपनिवेशिक स्वराज्य घोषित किया गया। युद्ध के उद्देश्य के सम्बन्ध में वाइसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अभी तक विस्तृत रूप में अपने युद्ध के उद्देश्यों को परिभाषित नहीं कर सकी है। घोषणा में यह भी कहा गया कि युद्धोपरात सम्राट की सरकार विभिन्न भारतीय विचारधाराओं के लोगों से परामर्श कर 1935 के अधिनियम में परिवर्तन करेगी, भारतीयों को युद्ध संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु वाइसराय ने भारतीय प्रतिनिधियों की एक "सलाहकार समिति" की भी स्थापना का प्रस्ताव किया।¹

स्पष्ट है कि वाइसराय के इस वक्तव्य में कांग्रेस की अपेक्षा को रखा था। वाइसराय ने जो घोषणा की उस पर गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस ने मांगी रोटी, पर मिठा पत्थर।² वाइसराय के लम्बे वक्तव्य से केवल यही मालूम होता है कि पुरानो भेद-नीति बराबर जारी रहेगी। वाइसराय की घोषणा पर देशव्यापी असंतोष हुआ। ब्रिटेन के सभी समाचार पत्रों ने वाइसराय की घोषणा की तारीफ की। पंडित जवाहरलाल नेहरू व अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का भारत को यह अतिम उत्तर है इसमें स्वतंत्रता प्रजातंत्रवाद के निर्णय का जिक्र नहीं है। राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि भारत का नैतिक समर्थन अब ब्रिटेन को नहीं मिल सकता। डॉ० पदुटामि-सोतारमैया ने अपने वक्तव्य में कहा कि गांधी जी ने जो दोस्ताना हाथ बढ़ाया था उसे ठुकरा दिया गया है, भारत को आत्मसम्मान के लिये अवश्य लड़ना होगा। मुहम्मद उस्मान, मोहम्मद हिफ्जुर्रहमान, राजगोपालाचारी, श्री सुभाषचन्द्र बोस आदि सबने घोषणा को निन्दा की।³

राजनैतिक गतिरोध के इसी वातावरण में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में भी कांग्रेस ने यह मत व्यक्त किया कि ग्रेट ब्रिटेन मूलतः साम्राज्यवादो उद्देश्यों की प्राप्ति और अपने साम्राज्य को शक्तिशाली रूप सुरक्षित करने के लिये हो यह युद्ध लड़ रहा है।

1- पदुटामिसोतारमैया, कांग्रेस का इतिहास पृष्ठ 136-139, आर०सी० मजूमदार, हिस्ट्री आफ़ दो फ्रीडम मुवमेंट इन इंडिया खण्ड 4 पृष्ठ 293

2- शक्ति, 28 अक्टूबर 1939 पृष्ठ 3

3- शक्ति 28 अक्टूबर 1939 पृष्ठ 2

सेतो परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पक्ष या अपरोक्ष किसी भी रूप में युद्ध में सम्मिलित नहीं होगी¹ एक प्रस्ताव में यह कहा गया कि "भारत की जनता पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई भी चीज स्वीकार नहीं कर सकती" भारत की जनता अपना संविधान स्वयं अच्छी तरह तैयार कर सकती है। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत के संविधान का आधार जनतंत्र, स्वाधीनता और राष्ट्रिय एकता ही होगा।² उसी समय सुभाषचन्द्र बोस व उनके समर्थकों के नेतृत्व में सम्झौता विरोधी सम्मेलन भी हुआ जिसमें निर्णय किया गया कि "भारतीय स्वतंत्रता और युद्ध के अन्त पर शीघ्र ही सर्घ्य प्रारम्भ किया जाय।"³

उसके विपरीत गैर कांग्रेस शासित प्रांतों की सरकारों ने ब्रिटेन को पूर्ण सहयोग का आवाहन किया। नैशनल लिबरल फेडरेशन तथा हिन्दू महासभा ने बिना शर्त पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव किया।⁴ जबकि मुस्लिम लीग ने ब्रिटेन को सहयोग देने का प्रस्ताव दिया।⁵

30 अक्टूबर, 1939 को संयुक्त प्रांत में पत मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र गवर्नर के पास भेज दिया जिसे गवर्नर ने 3 नवम्बर 1939 को स्वीकार करते हुए भारत शासन विधान की धारा 93 के अनुसार प्रांत का शासन अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर ने चौध खल्ली कुण्डमा, सर श्रीवास्तव को मंत्रिमंडल बनाने को कहा पर असमर्थता पत्र की। यू०पी० असेम्बली में अल्पमत की संरक्षा के आश्वासन के साथ युद्ध सम्बन्धी जो सरकारी प्रस्ताव इन्कलाव जिंदरवाद महात्मा गांधी को जय भारत माता की जाय के गगन भेदी नारों के साथ पास हुआ था उसके पक्ष में 127 और विरोध में सिर्फ दो मत श्री राजा विश्वेश्वरदयाल सेठ तथा श्री देस्मंड यंग थे।⁶

1- अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंग फ्रीडम पृ० 27-28

2- वही पृ० 27-28

3- आर०सी० मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ़ दि फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड 3, पृ० 496

4- वही पृ० 493

5- लाल बहादुर, दि मुस्लिम लीग पृ० 256

6- शक्ति, 4 नवम्बर 1939 पृ० 2

वाइसराय ने 6 नवम्बर को एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने महात्मा जी, राजेन्द्र बाबू व मि० जिन्ना से यह प्रस्ताव किया था कि अगर ये सब नेता प्रांतीय शासन के सम्बन्ध में आपस में समझौता कर लें तो वाइसराय अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व को ले लेंगे। इसके उत्तर में कांग्रेस ने कहा कि जब तक ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की माँग स्वीकार नहीं कर लेती उस समय तक वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है वाइसराय महोदय ने इस पर छेद प्रकट करते हुए कहा कि समझौता नहीं हो सका लेकिन वे हताश नहीं हैं, अतः वक्तव्य में कहा कि जब तक कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित घोषणा नहीं की जाती उस समय तक कोई हल निकलना संभव नहीं, तथा ब्रिटेन पुराना साम्राज्यवादी ढंग छोड़ दे।¹

कांग्रेस मंत्रिमंडलों के पद त्याग से उत्पन्न स्थिति का निम्नना ने पूर्ण लाभ उठाने की चेष्टा की। मुस्लिम लीग के निदेशानुसार संयुक्त प्रांत में जिलों की मुस्लिम लीग की इकाइयों ने 22 दिसम्बर 1939 को मुक्ति दिवस² मनाया। मुस्लिम लीग ने समाजों का आयोजन करके कांग्रेस शासन से मुक्ति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुस्लिम लीग की इस नवोन नीति के दूरगामी परिणाम भविष्य में देश विभाजन के कारण बने।

“मुक्ति दिवस” का सारे देश में विरोध हुआ। मौलाना आजाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि भेने द्वाइ साल से कांग्रेस और लीग में मेल कराने का प्रयत्न किया लेकिन जब जब ऐसा मौका आया तो अकस्मात जिन्ना साहब की ओर से एक ऐसा तीर छोड़ा गया जिसने सब शिथिल करायें पर भिदली फेर दी। सरदार पटेल ने कहा इस परिस्थिति में लीग के साथ कोई बातचीत न की जाय।³

मुस्लिम लीग की कार्यसमिति ने वाइसराय के वक्तव्य पर जो प्रस्ताव पास किया है वह देश की स्वतंत्रता पर पोछे से घोट करता है। वाइसराय का वक्तव्य सड़ा हुआ, दिक्यान्सूती और एक जीवित राष्ट्र के मुँह पर अपमान जनक प्रहार है जिस समय सन् 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से इकार कर दिया था उस समय मुस्लिम लीग की

1- शक्ति, 4 नवम्बर 1939 पृ० 2

2- सी०एच० फिलिप्स, इवाल्फुशन आफ् इंडिया संघ पाकिस्तान पृ० 352-53

3- शक्ति, 16 दिसम्बर, 1939 पृ० 2

राजनीति में कुछ सिद्धान्तों की झलक दिखाई पड़ती है लेकिन आज वही लीग कांग्रेस मंत्रिमंडलों के धाली छोड़ने पर उसमें बचे हुए टुकड़ों पर टूटने को तैयार है। मुस्लिम जनता ने लीग के इस प्रस्ताव को गद्दारी तथा विश्वासघात घोषित किया है और वह इस सकीर्ण बुद्धि के प्रति रोष प्रकट कर रही है। मुस्लिम लीग की इस हरकत से राष्ट्रीय मुसलमान, जमैयतुल उलेमा के हाथ बहुत मजबूत हो गये। कांग्रेस कार्यसमिति तो दिल से बधाई देती है कि उसने अंग्रेजी सरकार के युद्ध सिद्धान्तों के साथ साथ मुस्लिम लीग की आजादी पसन्दों की भी अच्छी पोल खोलकर गांधियों को उनका सच्चा स्वस्थ दिखला दिया।¹

जिन्ना द्वारा "मुक्ति दिवस" मनाने की घोषणा का पत्र पत्रिकाओं में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई —

"समय" ने इस अप्सर पर "जिन्ना को भारतीय स्वतंत्रता का राहु" घोषित करते हुए लिखा कि "आपकी चालें शतरंज की तरह सदा टेढ़ी हुआ करती है।² आज ने लिखा है "राष्ट्र का अब और अधिक अपमान सहन करना त्मन्व नहीं होगा।³ "सुधा" ने लिखा "जिन्ना का इससे गहरा पतन और क्या हो सकता है।⁴ "हंस" ने साम्यवादीक झगड़ों के निपटारे का एकमात्र उपाय जिन्ना का सम्पूर्ण बहिष्कार बतलाया।⁵

मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अर्थात् दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर आधारित मुसलमानों के सार्वभौम राष्ट्र की माँग का प्रस्ताव पारित किया इस प्रस्ताव में कहा गया —

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का यह सुविचारित मत है कि ऐसा कोई भी वैधानिक दावा इस देश के लिये व्यवहारिक या मुसलमान नीति को स्वोकार्य न होगा जिसमें भौगोलिक दृष्टि से सलग्न इकाइयों को आवश्यकतानुसार घटा बढ़ाकर, इस प्रकार के सीमाबद्ध प्रदेशों का रूप देने का मौलिक सिद्धान्त न बरता गया हो जिससे

1- संघर्ष, सम्पादकीय, 29 अक्टूबर 1939, पृष्ठ 8

2- समय, 12 दिसम्बर, 1929 पृष्ठ 1

3- आज, 16 दिसम्बर 1939, पृष्ठ 3

4- सुधा, जनवरी 1940 पृष्ठ 593

5- हंस, जनवरी 1940 पृष्ठ 408

भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र-जैसे सख्या की दृष्टि से मुसलमान प्रधान क्षेत्र आपस में स्वतंत्र राज्य बन सकें और सम्मिलित होने वाले इकाइयों को स्वायत्त शासन और प्रभुसत्ता प्राप्त हो ।

लोग का यही लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है । पाकिस्तान योजना के विरुद्ध समाचार पत्रों ने रोष प्रकट किया । "आज" ने एक विशेष अग्रलेख में इस योजना को "सत्यानाशी कुचक्र" बताते हुए लिखा इस योजना का परिणाम सोचकर कलेजा काँप उठता है । इसका अर्थ है भारत भूमि को दो टुकड़ों में बाँट देना। भारतीय राष्ट्रवाद को सर्वदा के लिये समाप्त करके इस पुरातन व महान देश का अगम्य करना । भारत के कलेजे में ऐसा घाव करना है जो सर्वदा नासूर होकर उसे खोखला बनाये रखेगा ।¹

लखनऊ से नवप्रकाशित "विप्लवो ट्रैक्ट" ने भी मई 1941 के अंक में एक लम्बे लेख में उक्त योजना का विरोध करते हुए उस प्रसंग में अनेक प्रासंगिक प्रश्नों को उठाया ।²

व्यापक जन विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग और उसके समर्थक मुस्लिम नेताओं को पाकिस्तान को माँग 1940 के पश्चात् और स्पष्ट रूप से भारतीय राजनीति का एक अंग बन गयी ।

व्यक्तिगत सत्याग्रह :

जुलाई 1940 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में और महासमिति की बैठक पुना में हुई जिसमें प्रस्ताव पास कर कहा गया कि "इस समय भारत और ब्रिटेन की समस्याओं को सुलझाने का सम्मान उपाय ब्रिटेन द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकृति दे और इसको तत्काल कार्यक्रम में परिणत करने के लिये केन्द्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जानी चाहिये । जिसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो और इसके अतिरिक्त प्रांतों को उत्तरदायी सरकारों का सहयोग भी उसे प्राप्त हो ।"³ कार्यसमिति ने यह भी घोषणा की कि यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जायं तो देश की रक्षा के लिये प्रभाव पूर्ण संगठन बनाने के

1- आज, 6 फरवरी 1940, पृ0 ।

2- विप्लवो ट्रैक्ट का उक्त अंक मुस्लिम ने पत्र के कार्यालय से ले लिया था, विप्लवो ट्रैक्ट जून 1941

3- पद्मामितीतारमैया, दी हिस्ट्री ऑफ़ दो इंडियन नेशनल कांग्रेस लख 2, पृ0 197

प्रयत्नों में कांग्रेस अपनी पूरा शक्ति लगा देगी ।¹

कांग्रेस की इन सहयोगपूर्ण माँगों के प्रति भी ब्रिटिश सरकार का स्व निराशाजनक था । 8 अगस्त, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में वाइसराय ने अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ भारतीयों को अपनी परिषद में लेकर एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जायेगी, साथ ही यह घोषित किया गया कि युद्ध के पश्चात् भारतीयों को अपना विधान बनाने दिया जायेगा ।² सरकार द्वारा पूरा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस द्वारा सहयोग करने की आशायें समाप्त हो गयी ।

"अगस्त प्रस्ताव" जवाहरलाल नेहरू और राजगोपालाचारी जैसे नेताओं के विद्या-कलापों के लिये जो भारत की प्रतिरक्षा में सक्रिय सहयोग देना चाहते थे, एक तीव्र आघात था अतः कांग्रेस ने पुनः महात्मागांधी को मार्ग दर्शन के लिये आमंत्रित किया । महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उत्पन्न संकट की स्थिति से अनुचित लाभ उठाने के पक्ष में नहीं थे अतः उन्होंने सामूहिक कार्यवाही के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ किया । इसके पश्चात् 11 अक्टूबर, 1940 को कांग्रेस कार्यसमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया ।³

व्यक्तिगत सत्याग्रह केवल प्रतीकात्मक विरोध था और इसका उद्देश्य नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था । इस सत्याग्रह में अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया था और सामूहिक कार्यवाही को प्रत्येक रूप से निषिद्ध कर दिया गया । गांधी जी ने प्रस्तावित किया कि अहिंसा में प्रशिक्षित स्त्री पुरुषों को व्यक्तिगत रूप में भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध करना चाहिये और उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वयं को गिरफ्तारी के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।⁴

13 अक्टूबर को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी को मन चाहे ढंग से आंदोलन शुरू करने की छूट दे दी । गांधी जी के विषयस्त अनुयायी विनोया भावे

1- पट्टाभिसीतारमैया, दि हिस्ट्री ऑफ़ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, खण्ड 2, पृष्ठ 197

2- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ़ यूएपी० [1949] पृष्ठ 5

3- ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भाग 1-2, पृष्ठ 309

4- दि लीडर, 15 अक्टूबर 1940 पृष्ठ 3

को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया। व्यक्तिगत आंदोलन की दिशा में सर्वप्रथम पहल 17 अक्टूबर 1940 को सत विनोबा भावे ने यह भाषण देकर किया कि जन या धन से ब्रिटेन के युद्ध प्रयत्न में सहायता देना गलत है।¹ इसके पश्चात् जवाहरलाल नेहरू, आजाद आदि आदि बड़े बड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आचार्य कृपलानी ने 17 जून 1941 को महात्मा गांधी की संरक्षता में सत्याग्रहियों को कार्य करने का आदेश जारी किया। उनके निर्देशानुसार संयुक्त प्रांत में आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने वाइसराय को लिखा :

.....कांग्रेस नाजोवाद की विजय का उत्तम ही विरोध करती है जितना एक आम ब्रिटिश नागरिक। मगर उनके उद्देश्य को उनकी लड़ाई में भाग लेने को सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता और वृत्ति आपने और भारतमंत्री ने घोषित किया है कि सारा भारत स्वच्छता से युद्ध प्रयासों में सहायता दे रहा है इसीलिये यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय जनता के विश्वास बहुमत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय जनता नाजोवाद तथा उस दोहरे निरंकुश तंत्र में कोई भेद नहीं करती जो भारत के ऊपर शासन करता है।²

व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर जनता के सामने एक नारा आया "न एक पाई न एक भाई" अर्थात् सरकार को न तो लड़ाई का चन्दा दिया जाय और न ही कोई पैसा में भर्ती हो।

सरकार ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को, जो कि पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था, के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया। प्रायः सभी बड़े नेता जेल भेजे गये। जवाहरलाल नेहरू को अक्टूबर, 1940 को छिंक्की, इलाहाबाद स्टेशन पर गोरखपुर में आपत्तिजनक भाषण देने के अपराध में बन्दो बना लिया गया।³ सरकारो बयान के अनुसार 24 मई, 1941 तक संयुक्त प्रांत में ही 12,000 लोग पकड़े जा चुके थे और अनुमानतः इस

1- पट्टाभिस्तीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास भाग-2, पृ० 241

2- विधिन चन्द्र, आधुनिक भारत, एन०सी०इ०आर०टी० पृ० 240

3- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक गोरखपुर, सूचनाविभाग यू०पी० पृ० 22

समय देश भर में गिरफ्तार लोगों की संख्या 20,000 तक पहुँच चुकी थी । गिरफ्तार लोगों में प्रांतीय विधानसभाओं में 398 सदस्य, 27 भूतपूर्व मंत्री और केन्द्रीय विधानमंडल के 22 सदस्य थे ।¹

लखनऊ मंडल के जिलों में भी युद्ध विरोधी सत्याग्रह में गिरफ्तारियाँ हुईं —

श्री कैटेशनारायण तिवारी, यू०पी० पार्लिमेंट्री सेक्रेटरी, प्यारे लाल शर्मा, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री तथा । वर्ष सादो कैद को सजा । डा० हुसेन जहीर रीडर, लखनऊ यूनिवर्सिटी की छुट्टी इस बात पर मसूख की गयी कि उन्होंने सत्याग्रह कर अनुशासन भंग किया । विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों के इस कार्य के प्रति हड़ताल कर विरोध प्रदर्शित किया । 3 जनवरी को प्रातः 5 बजे इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मौलाना अबुल कलाम आजाद गिरफ्तार कर लिये गये । युद्ध विरोधी सत्याग्रह में 6 जनवरी के बाद में लखनऊ में निम्न व्यक्ति गिरफ्तार किये गये —

श्री नारायणदास हरिजन सम०सल०स० श्रीमती जस्तुरी देवी तथा श्रीमती जयन्ती देवी ।²

व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अन्तर्गत निम्न व्यक्तियों को जेल व जुर्माना हुआ—

- 1- श्री जगन्नाथमुसाद सम०सल०स०, सोतापुर, 18 माह की सादो कैद ।
- 2- श्री लाल सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सम०सल०स०, उन्नाव, 19 वर्ष सखत कैद । 200 रु० या 6 माह और कैद । ये 45 हजार रुपया लगान देने वाले बड़े ताल्लुकदार थे ।
- 3- शांतिदेवी बैधा लखनऊ को 6 माह सादो कैद ।
- 4- श्री शांति स्वल्प, सम०सल०स०, हरदोई । वर्ष सखत कैद तथा 500 रुपया । हरदोई के ही श्री राधाकृष्ण अग्रवाल को । वर्ष की सखत कैद व 100 रुपया जुर्माना ।³

1- रजनी पामदत्त, आज का भारत पृ० 56।

2- शक्ति, 8 जनवरी 1940, पृ० 2

3- शक्ति, 7 दिसम्बर 1940, पृ० 3

5- लखीमपुर के श्री बशीधर मिश्र, सम०सल०स० को । वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 रुपये जुर्माना या 6 हफ्ते और कैद को सजा ।

15 जनवरी, 1939 को प्रथम खीरो जिला युवक सम्मेलन लखीमपुर खीरो में श्री मनमथनाथ गुप्त की अध्यक्षता में हुआ । इस अवसर पर भूमेन्द्रनाथ सान्याल, प्रेम विमान खन्ना, मुहोसिंह आदि युवा क्रांतिकारी पधारें स्व अपने औजस्वी व्याख्यानों से युवकों को ललकारा कि "उठो जवानों" भारत माँ तुम्हें पुकार रही है, उसे परतंत्रता के पाश से मुक्त कर माटो स्व ममता का कर्ण अदा करो । 22 जनवरी, 1940 को श्री सुभाषचन्द्र बोस का आगमन लखीमपुर हुआ तथा 22 जून, 1940 को पुनः श्री सुभाषचन्द्र लखीमपुर आये जहाँ उन्हें छात्र संघ के द्वारा एक मानपत्र भेंट किया गया महात्मा गाँधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ करने पर जिले के प्रथम सत्याग्रही छावकीतराय उर्फ भैयालाल बने । श्री करनसिंह की देखरेख में स्टूडेन्ट फ़ेडरेशन का गठन हुआ । स्टूडेन्ट फ़ेडरेशन का भी स्वाधीनता संघर्ष में सार्थक योगदान है ।¹

व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान लखनऊ मंडल में अनेक गिरफ्तारियाँ भी हुईं

मोहनलाल सक्सेना सम०सल०स० केन्द्रीय मैनेजिंग डाइरेक्टर "नेशनल हेराल्ड" भी लखनऊ में "हेराल्ड" के ही दफ्तर में गिरफ्तार हो गये । उस दिन सक्सेना जी लखनऊ से 14 महल दूर जाकर सत्याग्रहो नारे लगाने वाले थे ।

सोतापुर के योधरो पागी हाल, सम०सल०स० को । वर्ष सादी कैद को सजा तथा यन्त्रानुसु गुप्ता, सम०सल०स० जो लखनऊ के थे, को । वर्ष को सादी कैद को सजा मिली ।¹

सत्याग्रह आंदोलन को प्रगति धीरे धीरे मंद हो गयी । विश्व युद्ध की तात्कालिक स्थिति और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आग्रह के कारण 3 दिसम्बर 1941 को सरकार ने सामान्य अपराध के सत्याग्रह बंदियों को रिहा करने के आदेश दिये । सत्याग्रहियों को मुक्त किया जाने लगा । 4 दिसम्बर, 1941 को पंडित नेहरू तथा मौलाना अबुल

1- नवभारत टाइम्स, 15 अगस्त 1988, पृष्ठ 2

2- शक्ति, 21 दिसम्बर 1940, पृष्ठ 2

कलाम आजाद को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। गाँधी जी सत्याग्रहियों की मुक्ति से प्रसन्न नहीं थे। वह सत्याग्रह जारी रखने के पक्ष में थे। लेकिन उन्होंने यह बात कांग्रेस कार्यसमिति को इच्छा पर छोड़ दी। अन्तर्राष्ट्रीय ग़नीर स्थिति तथा भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिसम्बर 1941 के अंतिम सप्ताह में बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति ने अपना बैठक में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय किया। युद्ध की नई परिस्थितियों में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से पुनः सहयोग का प्रस्ताव किया परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ।

1934-35 की राजनीतिक शिथिलता के पश्चात् भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त प्रांत में निर्वाचन सम्पन्न हुए।

समीक्षा :

कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राजनीतिक बंदियों को रिहाई तथा कांग्रेस के रक्षणात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित करने का सफल प्रयास करके जनता में कांग्रेस के विश्वास को दृढ़ किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा लखनऊ मंडल में किये गये सुधारों से जनता को विशेष राहत मिली। साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के लिये अनेक प्रयास किये गये किन्तु दुर्भाग्यवश इस जटिल समस्या का हल नहीं निकल सका।

कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण करने से कांग्रेसियों को लोक प्रशासन का व्यवहारिक ज्ञान हुआ। इस दृष्टि से 1937-39 के काल का विशेष महत्व है। 1940-41 का सत्याग्रह आंदोलन भी नैसर्गिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह असफल रहा। महात्मा गाँधी ने देश को सुरक्षा को ध्यान में रखकर आंदोलन समाप्त कर दिया। कुछ लोगों का मत है कि आंदोलन समाप्त कर देना महात्मा गाँधी की भूल थी जिसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही एक नवीन आंदोलन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी किन्तु गाँधी जी ने आंदोलन समाप्त करके अपना महानता का परिचय दिया था क्योंकि वे किसी भी दयनीय स्थिति से लाभ उठाना नहीं चाहते थे। सरकार को युद्ध हेतु धन और धन के रूप में दो जाने वाली सहायता में भारी कटौती करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन काफी अंशों तक सफल रहा।

छठम अध्याय

भारत छोड़ो आंदोलन और उसका दमन १९४२-४४

1942 के प्रारम्भ में विश्व युद्ध का प्रसार पूर्व की ओर होने लगा और भारत पर जापान के आक्रमण की आशंका उत्पन्न हो गयी। ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों के असंतोष को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश सरकार पर भारतीय गति-रोध को समाप्त करने के लिये दबाव डाला। बर्लिन से सुभाषचन्द्र बोस द्वारा की जा रही घोषणाओं ने ब्रिटिश सरकार को घिंतित कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ मित्रतापूर्ण सम्झौता करने की आवश्यकता अनुभव की। 11 मार्च, 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत भेजने की घोषणा की। घोषणा में कहा कि "युद्ध मंत्रिमंडल ने भारत के विषय में एक मत होकर कुछ निर्णय किये हैं और हाउस आफ कामन्स के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत जाकर स्वयं निजी विचार विमर्श से अपने आपको संतुष्ट कर इस निर्णय से लोगों की अवगत करायेंगे और यह निर्णय एक न्यायपूर्ण और अंतिम निर्णय होगा और अनीष्ट मंतव्य प्राप्त कर लेगा। "सर स्टेफर्ड क्रिप्स को यह भी आदेश था "कि वह न केवल बहुसंख्यक हिन्दुओं से ही आवश्यक सहमति प्राप्त करें अपितु सबसे अधिक संख्यक, अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों से भी सहमति प्राप्त करें।"

क्रिप्स मिशन 23 मार्च, 1942 को दिल्ली आया। भारत पहुँचते ही सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने प्रस्तावित मसविदा कार्यकारी परिषद् के सम्मुख रखा और दो दिन पश्चात् भारतीय नेताओं के सम्मुख। 29 मार्च को यह प्रस्ताव एक पत्रकार सम्मेलन में जनता के सम्मुख रख दिया गया। इसके पश्चात् लगभग 15 दिन बातचीत चलती रही परन्तु असफल रही। महात्मा गाँधी ने इसे "उत्तरातिथीय पैक" की संज्ञा दी और किसी और व्यक्ति ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसे बैंक पर जो टूट रहा है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रकाशित हुए।

प्रस्तावित मसविदा इस प्रकार था :

इन प्रस्तावों में एक अंतिम और एक दोष कालीन सम्झौता रखा गया था। इनमें भारत का राजनैतिक लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य बताया गया था, भारत सभी बातों में

उन सभी उपनिवेशों के समान स्तर पर होगा जो सम्राट के प्रति भक्ति रखते हैं और भारत का संविधान युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जायेगा इस सभा में रियासतों के भाग लेने की भी व्यवस्था की जायेगी । इस सभा द्वारा अंतिम रूप से निर्मित संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा किन्तु ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत को अधिकार होगा कि वह संविधान को अस्वीकार कर दे । ऐसे प्रांत के लिये यह भी देखिक होगा कि वह भारतीय उपनिवेश में समायुक्त हो जाय ।

क्रिप्स प्रस्तावों में संविधान सभा के चुनाव की विधि और स्वयं को स्पर्शा भो दो गयो थी इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया कि नया संविधान बनने तक ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिये उत्तरदायी होगी ।

क्रिप्स प्रस्तावों में संविधान सभा के निर्माण का कथन देकर कांग्रेस को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया था और साथ ही व्यवस्था रखकर कि कोई भी प्रांत नये यह संविधान को अस्वीकार और ब्रिटिश सरकार की सहमति से अपने लिये नया संविधान बनाने के लिये स्वतंत्र होगा, मुस्लिम लीग को भी प्रसन्न किया गया था ।¹

इस घोषणा में अगस्त प्रस्ताव से निश्चय हो कुछ अधिक अधिकार देने की बात कही गयो थी । अर्थात् इसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की बात कही गयो थी, संविधान बनाना मुख्यतः नहीं अपितु पूर्णतः भारतीयों का काम होगा संविधान सभा का उल्लेख था इसी प्रकार अन्तरिम समय में भारतीयों को राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सहायता देने को कहा गया था ।

क्रिप्स मिशन के साथ विभिन्न दलों के नेताओं ने विचार विमर्श किया किन्तु कोई हल नहीं निकल सका प्रत्येक दल ने भिन्न भिन्न कारणों से इसको अपर्याप्त माना । कांग्रेस को इसके अन्तरिम प्रबन्ध से असंतोष था उसे इसके रक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार नहीं थे । कांग्रेस अनुभव कर रही थी कि यदि उसे युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना है तो भारत की रक्षा का दायित्व इसके अपने हाथों में रहना चाहिये । कांग्रेस के प्रति अविश्वास के कारण ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को यह भार सौंपने को तैयार न हुई । इसके

1- डा० ईश्वरो प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास पृ० 540

परिषाम स्वल्प क्रिप्स मिशन असफल हुआ ।¹ 13 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन इंग्लैण्ड वापस चला गया । क्रिप्स मिशन भारत के किसी भी राजनीतिक दल का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में असफल रहा । कोई भी राजनीतिक दल भारतीय प्रातों के अलग होने को स्वोकार करने को तैयार नहीं थे । सर तेजबहादुर सपू और श्री जयकर भी इस बट-वारे के पक्ष में नहीं थे । सिक्ख भी पजाब के भारत से अलग किए जाने के पक्ष में नहीं थे । इस प्रकार पिछड़ी हुई जातियाँ भी अपने लिये सरक्षणों के न मिलने से अप्रसन्न थी । कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की विषयता का लाभ नहीं उठाया ।² क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत में निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया । भारतीय जनता में इस विषय को बल मिला कि क्रिप्स मिशन से सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रिया क्लाप एक राजनीतिक धूर्तता थी जिसका उद्देश्य मित्र राष्ट्र को संतुष्ट करना और पूर्व अनुमानित असफलता का उत्तरदायित्व भारतीय जनता पर डाल देना था । निराशा के इस वातावरण में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान को माँग में और बढ़ती हुई साम्प्रदायिक कटुता ने राजनीतिक स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया ।

सम्झौते के प्रयासों की लगातार विफलता सरकार का साम्प्रदायिक मतेद पर जोर देना तथा लीग के अनर्गल प्रस्तावों को देखकर महात्मा गाँधी को अप्रैल 1942 में "हरिजन" पत्र के माध्यम से घोषणा करनी पड़ी कि "भारत के लिये याहें जो परिषाम हो उसकी ओर ब्रिटेन की सुरक्षा इसमें है कि अग्रिम समय रहते अनुशासित रूप से भारत को छोड़कर चले जायें ।"³ यह वक्तव्य आगाभी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारम्भ बना ।

29 अप्रैल, 1942 को इलाहाबाद में अधिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना बैठक में निर्णय लिया कि कांग्रेस किसी ऐसी स्थिति को किसी भी स्थिति में स्वोकार करने को तैयार नहीं होगी जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य करना पड़े ।⁴ महात्मा गाँधी ने अंग्रेजों के अनुशासित रूप से भारत छोड़कर चले जाने का जो

1- आज 11 अप्रैल, 1942 पृष्ठ 6

2- अम्बा प्रसाद, दि इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1942 पृष्ठ 47

3- हरिजन, 26 अप्रैल, 1942 पृष्ठ 23

4- गुप्तचर विभाग के अभिलेख

सुझाव रखा था वह जनता के मन में घर कर गया और 14 जुलाई, 1942 को कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति ने वर्धा में प्रस्ताव पास किया कि यदि अंग्रेजों ने भारत से चले जाने की माँग स्वीकार न की तो कांग्रेस को अनिच्छापूर्वक बाध्य होकर अपने नियन्त्रण में विद्यमान समस्त अहिंसात्मक शक्ति को काम में लाना पड़ेगा और महात्मा गाँधी के नेतृत्व में देश व्यापी सशस्त्र छेड़ना पड़ेगा।¹ वर्धा प्रस्ताव के निष्पत्ति के अनुसार 7-8 अगस्त, 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात् "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि यह कांग्रेस समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई, 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है तथा उसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया और झाबात को स्पष्ट कर दिखा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत, भारत के लिये और मिन राष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिये अत्यंत आवश्यक है।² महात्मा गाँधी ने "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि आंदोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वे वाइसराय से सम्झौते हेतु विचार विमर्श करेंगे। किन्तु सरकार ने महात्मा गाँधी को विचार विमर्श करने का अवसर ही नहीं दिया। 8 अगस्त, 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास किया गया तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये गाँधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में घोषणा की गयी :

"..... भारत में ब्रिटिश शासन की तुरन्त समाप्ति भारत तथा संयुक्त राष्ट्र, दोनों के लिये एक अत्यंत आवश्यक जरूरत है। आधुनिक साम्राज्यवाद की मूलभूमि भारत का कुल प्रश्न बन गया है। क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की दृष्टि से ही ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र को परखा जायेगा और एशिया एवं अफ्रीका की जनता आशा और उत्साह से भर जायेगी। इस तरह इस देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक मुद्दा है जिस पर युद्ध का भविष्य तथा स्वतंत्रता और जनतंत्र को सफलता निर्भर है। स्वतंत्र भारत अपने सभी विद्यालय संस्थाओं को स्वतंत्रता के लिये तथा नाजी-बाद फासिज्म और साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ संघर्ष में लगाकर इस सफलता को निश्चित बनायेगा।"³

1- कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फार दि डिस्टरबेंसिज 1942-43, पृष्ठ 51

2- पट्टाभिसोतारमिया, कांग्रेस का इतिहास, भाग -2, पृष्ठ 398

3- बिपिन चन्द, आधुनिक भारत, पृष्ठ 240

8 अगस्त की रात में कांग्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए गांधी जी ने कहा :

"इसलिये मैं तुरन्त स्वतंत्रता माहता हूँ, अगर हो सके आज ही रात, पाँच घंटे से पहलेधोखाधड़ी तथा अस्त्य अफ़्कर चल रहा है.....आप मेरी बात मानिये तो मैं वाइसराय के साथ मंत्रिमंडलों आदि के लिये सौदा करने नहीं जा रहा । मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से सलुट नहीं हो सकतायह है एक मंत्र, बड़ा छोटा सा, जो मैं आपको देता हूँ । इस मंत्र को आप अपने हृदय पर अंकित कर सकते है और आइए, आपकी हर सांस इसको व्यक्त करे । मंत्र है: "करो या मरो" हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाया जाता देखने के लिये जिंदा नहीं रहेंगे ।

मगर कांग्रेस द्वारा आंदोलन आरम्भ करने के पहले ही सरकार ने जोरदार आघात किया । 9 अगस्त की अत्यंत सुबह गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस को एक बार फिर गैरकानूनी घोषित कर दिया गया । बम्बई में कांग्रेस नेताओं की आकस्मिक गिरफ्तारी से सारे देश में असंतोष व्याप्त हो गया और इस घटना के बाद से ही "भारत छोड़ो" आंदोलन प्रारम्भ हो गया । महात्मा गांधी के 10 फरवरी 1943 से 2 मार्च 1943 तक के अख्यान से "भारत छोड़ो" आंदोलन समाप्त हो गया । किन्तु जनता के सक्रिय सहयोग से यह जन आंदोलन 1944 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा ।

बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार ने देश को भौंकका कर दिया और हर जगह एक स्वतः स्फूर्त विरोध-आंदोलन शुरू हो गया जिसने लोगों के दबे हुए क्रोध को स्पष्ट किया । संयुक्त प्रांत में सरकार के विरुद्ध जनता के विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया । 9 अगस्त को ही संयुक्त प्रांत में कांग्रेस संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया ² और समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । जन आंदोलन का दमन करने के लिये सरकार ने अध्यादेशों से संव भारत रक्षा कानून की प्रारण ली जिससे

1- विपिनचन्द्र, आधुनिक भारत पृष्ठ 241

2- आज, 10 अगस्त, 1942 पृष्ठ 2

समस्त प्रांत में अर्द्ध फौजी शासन स्थापित हो गया ।¹ लखनऊ मंडल में भारत छोड़ो आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर हैलेट के आदेश से भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने के लिये कठोर दमन नीति अपनाई गयी । संयुक्त प्रांतीय सरकार के अतिरिक्त सचिव ने दरसोल ने अगस्त 1942 में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया —

सरकार यह स्वीकार करती है कि एक बहुत ही असाधारण सन्तुर्भ स्थिति उत्पन्न हो गयी और इसके लिये समुचित व्यवस्था व सार्वजनिक शांति पुनः स्थापित करने के लिये कुछ अध्यादेश जारी किये गये हैं जो समस्याभाव के कारण अब तक जिलाधिकारियों की सेवा में नहीं पहुँच पाये हैं किन्तु इसी बीच इन अध्यादेशों का प्रयोग किया जा सकता है ।

पहले अध्यादेश द्वारा यह स्वीकृति दे दी है कि ऐसे सब क्षेत्रों, शहरों या बस्तियों पर सामूहिक जुर्माना लगाये जायें जहाँ नुकसान किया गया हो या शरारत की गयी हो । जिलाधिकारी के आदेश से पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायाधीश द्वारा इस तरह के जुर्माना लगाये जा सकते हैं और इन जुर्माना को किसी भी तरह वसूल किया जा सकता है । इन अध्यादेशों का आशय यह है कि तरह तरह की हानि व शरारत को रोकने के लिये इसका उत्तरदायित्व व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उस स्थान के निवासियों पर डाला जाय चाहे उसे किसी ने भी किया हो । वे इस प्रकार की शरारत को आसानी से रोक सकते हैं और यदि नहीं रोकते तो उन पर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है ।

दूसरे अध्यादेश में बढ़ाकर सजायें दिये जाने के बारे में आदेश हैं जिसमें किसी भी पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायाधीश की अदालत में कोड़े मारने की सजा व 7 साल की सजा भी जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है, शामिल है । सम्बन्धित जिलाधीश इन पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश बना सकता है । विचाराधीन मुकदमों में किसी भी पुराने अध्यादेश के मुकाबले इन नये अध्यादेशों को अब काम में लाना चाहिये ।

यह अच्छी प्रकार से समझ लिया जाना चाहिये कि सेना व पुलिस दलों को प्रभारों अधिकारियों को विध्वंस, शरारत या उग्र रूप में गड़बड़ी करने वाले किसी भी उपद्रवी

जन समूह या मनुष्यों पर गोली चलाने का अधिकार ही नहीं बल्कि आदेश भी दिया जाता है कि उनके गोली चलाने का उद्देश्य लोगों को जान से मार डालना होगा। मार डालने या घायल करने के उद्देश्य के बिना ही गोली चलाना आपत्तिजनक है और इसका पूर्ण रूप से निषेध है।

गवर्नर महोदय ने मुझे अधिकृत किया है कि मैं उनकी आज्ञा से यह आदेश जारी करूँ और जेसा भी उचित समझूँ दूसरों को अधिकार सौंपूँ। इन आदेशों के अन्तर्गत की गयी किसी कार्यवाही का उत्तरदायित्व मैं ग्रहण करता हूँ। वर्तमान गड़बड़ी का अंत करना बहुत ही जरूरी है और इस उद्देश्य को पूर्ति के लिये कोई भी नैक नियति से की गयी कार्यवाही भरो ही उसके लिये बहुत बड़े उपाय क्यों न काम में लाने पड़े, न्याय-संगत समझी जायेगी।¹

नेदरलैंड द्वारा जारी किया गया यह आदेश सरकार को बहोर दमन नीति को स्पष्ट करता है।

भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त को रात पारित हुआ और उसके कुछ घण्टों के बाद ही सरकार द्वारा भारत सुरक्षा नजरबन्दी कानून के तहत नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गयी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लगभग सभी सदस्य और नेता गिरफ्तार कर लिये गये महात्मा गाँधी और उनके आश्रमवासियों को पूरा के नज़दीक आगाखी महल में नजरबन्द रखा गया जबकि वर्किंग कमेटी सदस्यों, नेहरू, सरदार पटेल आदि को पूना से 70-75 मील दूर अहमदनगर के पुराने किले में।

9 अगस्त की प्रातः समाजवादी नेता अच्युत परवर्धन के भाई के घर पर बम्बई में एक बैठक हुई बैठक में यह तय हुआ कि स्वेच्छा से अंग्रेजों की जेलों में जाने के बजाय हमें भूमिगत रहकर आंदोलन करना चाहिये। भूमिगत आंदोलन संगठित करने का भार श्री अच्युत परवर्धन को सौंपा गया। दूसरे समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने धरपकड़ से बचे गाँधीवादी नेताओं से बातचीत कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भूमिगत कार्यालय स्थापित किया। गाँधीवादी नेताओं में श्रीमती सुचेता कृपलानी,

1- कान्हाही विधान सभा उत्तर, प्रदेश § 1947 § भाग - 33 पृ 382

रगराव दिवाकर और बंगाल के आनन्द चोधरो आदि नेता प्रमुख थे । भूमिगत आंदोलन की की तेजस्वी महिला थी अरूणा आसफ़ाली ।

9 अगस्त की गिरफ्तारियों की खबर सारे देश में फैलते ही सिर्फ बम्बई में ही नहीं जगह जनता ने स्वतः स्फूर्त ढंग से अंग्रेजों का प्रतिकार शुरू कर दिया । जनता द्वारा 9 अगस्त के बाद जो कुछ किया गया उसने ब्रिटिश सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया ।

जहाँ तहाँ विद्रोह बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र आदि में जनता ने जबरदस्त जुलूस निकालकर सरकारी कचहरियों पर हमला किया । उन पर से सरकारी झंडे उतारकर तिरगा पहरा दिया । कचहरियों पर कब्जा करने के प्रयास में कई लोग शहीद हो गये । जैसे ही भूमिगत आंदोलन संगठित होने लगा, नौजवानों के हस्ते रेल की पटरियों को उखाड़ कर, रेलवे स्टेशन आदि जलाकर यातायात के साधनों को अस्त व्यस्त करने में लग गये । उस समय का माहौल ऐसा था कि क्वीर हल मारुवाला जैसे निरूठावान गांधीवादियों ने भी टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटने, रेल की पट्टे प्लेट्स निकालना, बिजली के कनेक्शन काट देना जैसे विध्वंसात्मक कार्य किये । भूमिगत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भी विध्वंसात्मक कार्यवाही के द्वारा आंग्रेजी हुकूमत को जाम करने का नारा दिया गया था । डा० राममनोहर लोहिया तथा अच्युत पटवर्धन ने आंदोलन के कार्यक्रम की व्यापकता और सोमाओं को अभिव्यक्त करने के लिये एक नारा जारी किया — "न हत्या न चोट । यानि कोई भी आदमी अंग्रेजों या उसके एजेन्ट की हत्या न करे । उनका कहना था कि अंग्रेजी प्रशासन का आवश्यक ढाँचा तहस नहस कर देने से अहिंसा के सिद्धान्तों की मारिदा नहीं टूटती ।

अगस्त क्रांति के दौरान प्रचार और प्रतिकार के नये नये तरीके आधिकृत किये गये । इनमें से एक अत्यंत आकर्षक प्रयोग था भूमिगत रेडियो का । इसके जनक थे डा० राम मनोहर लोहिया । इसको साकार और कार्यान्वित करने में जवाहर मेहता का नाम प्रमुख है ।¹

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लखनऊ में अनेक घटनाएँ घटीं । सेतो ही एक घटना कान्धकुब्ज इन्टर कॉलेज की है । प्रधानाचार्य की रिपोर्टानुसार 10 अगस्त, 1942 को पूरे कॉलेज में पूर्णतया हड़ताल रही । 70 के लगभग विद्यार्थी कॉलेज गेट पर

इकट्ठे होकर नारा लगा रहे थे । शाम 4 बजे दो पुलिस को गाड़ीया आयो और चक्कर काटने के बाद वापस चली गयी । 11 अगस्त को गाजीदोन हैदर नहर के पुल पर कुछ लोग धरना दिये बैठे थे । उनमे वनकियूलर स्कूल के लड़के व अध्यापक थे । कालेज के गेट पर भी लगभग 150 विद्यार्थी थे जिनमे कुछ कान्यकुब्ज इन्टर कालेज के थे व कुछ आयुर्वेदिक कालेज के । जॉय से पता चला कि यूनिवर्सिटी, स्थानीय शिक्षण सस्थाओं, वनकियूलर व रेग्लो वनकियूलर के छात्र भी उनमे शामिल थे । एकत्र छात्रों ने शोर करना व पत्थर फेंकना प्रारम्भ कर दिया । रेलवे लोको के मजदूर भी इनमें शामिल हो गये तथा सब मिलकर ए0पी0 सेन रोड गये । वहाँ ये सब नारे बाजी करने लगे । तथा देला व पत्थर फेंकने लगे तथा एक डूम कोलतार सड़क पर झालकर रास्ता रोक दिया । सिटी मजिस्ट्रेट, इन्स्पेक्टर व पुलिस के आते ही कुछ खास लोग वहाँ से भाग गये । दो बाहरी तथा दो लेबोरेटरी असिस्टेंट गिरफ्तार कर लिये गये ।

सार्वजनिक सस्था के निदेशक जे0सी0 पावेल को एन0 सपू ने पत्र लिखकर छात्रों की इस हरकत के कारण कान्य कुब्ज इन्टर कालेज को अनुदान समाप्त करने को कहा साथ ही संस्था से स्पष्टीकरण मांगा जाय ।

कान्य कुब्ज इन्टर कालेज की प्रबन्ध कार्य कारिणी की 30 अगस्त रविवार को आकस्मिक बैठक बुलाई गयी जिसमें कालेज के सामने हुई घटना पर विचार विमर्श किया गया । बैठक में इन्स्पेक्टर आफ स्कूल द्वारा प्रबन्ध समिति की कार्यकारिणी के अध्यक्ष को दिये गये पत्र के बारे में जिसमें कालेज की मान्यता समाप्त करने के बारे में लिखा गया था विचार विमर्श किया ।

कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि कालेज में 1200 लड़के एक साथ दीडत नहीं किये जा सकते । स्टाफ के लोगों ने इस स्थिति को सूचना प्रबन्ध समिति के सदस्यकारियों को बराबर दी थी । यह घटना कुछ ही विद्यार्थियों व बाहर के लोगों द्वारा की गयी थी इसमें लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता ।

डिप्टी कमिश्नर की सलाह से संस्था को 28 अगस्त को फिर से खोल दिया गया । उस दिन विद्यार्थियों ने फीस जमा की और कालेज का झंडा फहरा दिया । इस कार्यवाही से शासन ने कालेज को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर कालेज का झंडा उतार दिया ।

प्रबन्ध समिति ने शासन द्वारा झडा उतारे जाने की निन्दा की । प्रबन्ध समिति की बैठक में डिप्टी कमिश्नर व इस्पेक्टर आफ स्कूल से संस्था को 4 सितम्बर 1942 को खोलने के लिये याचना की गयी और यह आशा की गयी कि अब इस तरह की घटना कभी नहो घटेगी और जो विद्यार्थी अनुशासन हो नता को कार्यवाही करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।¹

1942 में जनता की कुचलो हुई देशव्यापी भावनार्ये अपने चरम पर पहुँच चुकी थी । जनता की बढ़ी हुई बैवनी, परेशानो और असतोष सभो ने एक साथ मिलकर उग्रतम् रूप धारण कर लिया था । लखनऊ की जनता एक देशभक्तो ने अंग्रेजों को भारत से निकालने में जान की बाजी लगा दी । लखनऊ में बम केस की चार घटनायें घटी जिस्तो जॉय रफोक मोहम्मद खान ने की ।

अमोनाबाद चौकी पर बम कांड :

15-8-42 को शाम 6 बजकर 55 मिनट पर एक स्वदेशी बम सन0के0 गुलाम हैदर के पोछे फेंका गया व फट गया । उप पुलिस अधीक्षक मि0 मासेस और चार अन्य पुलिस अधिकारियों को जो वहाँ खड़े थे मामूली चोटें आयीं ।

कैम्पटल सिनेमा के सामने बम विस्फोट :

27 सितम्बर 1942 को रात 9 बजकर 10 मिनट पर मि0 स0सो0 हावर्थ मि0 और श्रीमती चालान और दो अन्य सन्य आदमी खड़े थे उसी समय बम विस्फोट हुआ । इन लोगों को मामूली चोटें आई । मि0 हावर्थ को बायो भुजा व जघा में चोट आयी । बम विस्फोट से चार लोहे के टुकड़े 12 टुकड़े पेपर व सुतली का एक टुकड़ा लोहे के तार आदि को इकट्ठा कर परीक्षण के लिये भेज दिया गया ।

हजरतगंज धाना इयार्ज ने इस केस से सम्बन्धित जॉय प्रारम्भ की । धाना इयार्ज हजरतगंज को हिक्मत नामक व्यक्ति ने नवीशेर खान व शकूर खान को जो कुशल गंज काकोरी के रहने वाले थे, इस घटना से सम्बन्धित बताया । धाना इयार्ज उस स्थान के लिये खाना हो मये तथा वहाँ का निरोक्षण किया ।

अमजद अली के मकबरे का केस :

28 अक्टूबर, 1942 की शाम 6 बजे कुछ सिपाही फुटबाल का मैच देखकर लोट रहे थे। एक बम जो सड़क तथा मकबरे के सामने रखा हुआ था विस्फोट हुआ जिससे महगु पासी, राम दास तथा एक कटार घायल हुए। सिपाही बच गये क्योंकि वे दूसरी तरफ को पटरो से जा रहे थे। मेजर एडवर्ड ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक आदमी को बम रखकर भागते हुए देखा है तथा वे उसे पहचान सकते हैं।

इन तीनों केसों में कोई निश्चित जानकारी नहीं हुई, संभवतः निम्न लोगों ने क्रांतिकारी भूमिका अदा की —

पहला क्रांतिकारी रामनक्षत्र तिवारी था जो गाँव करछा, पुलिस स्टेशन सतार जिला गोरखपुर का रहने वाला था तथा लाहसरोठ स्थित सीमेंट कम्पनी में नौकरी करता था।

शारदा नन्द, ब्रम्हचारी, हरनाथ कायस्थ ये सब पांडियागंज, हजरतगंज, लखनऊ के रहने वाले थे।

मिर्दू तथा अर्माँ चारबाग में साइकिल की मरम्मत करते थे।

इन सभी के घरों की तलाशी ली गयी। तलाशी में कुछ आपत्तिजनक साहित्य के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। इंटेलिजेंस अफसर ने स्थानीय पुलिस की मदद से सभी स्थानों का निरीक्षण किया। सुपिया अधिकारी ने ब्रेक डैज्ती केस का भी परीक्षण किया जिसमें लला पांडे तथा सुरज पांडे का हाथ था। यही नहीं खोज से यह भी पता लगा कि करामत मिस्त्री ने जो मिलिट्री में इंस्पेक्टर है क्रांतिकारी रामनक्षत्र तिवारी तथा ब्रम्हचारी को सहयोग दिया है।

19 नवम्बर, 1942 को सुपिया अधिकारी ने नन्द कुमार अवस्थी फ़भाकर कैमिकल स्टोर के सेल्मैन सिद्धनाथ का परोक्ष किया और इन्हें बैंक केस में मिस्पत्तार कर लिया गया। इस केस की छानबीन के लिये सिपाही इतराज सिंह, जामोल खान अडेबर सिंह तथा बंगोर खान को सीक्रेट इंस्पेक्टर तथा सुपिया अधिकारी के साथ इस केस को जाँच के लिये रखा गया। इसके बावजूद भी लखनऊ में हुए बम केस के बारे में कोई निश्चित हल नहीं निकल सका।

तब स्फोक मोहम्मदखान ने अपने कुछ सहयोगियों नायक जयमाल अबीदी, कास्टेबल राम लाल तथा कास्टेबल इतराज सिंह के साथ बम केस की घटनाओं को छानबीन की तथा यह निष्कर्ष निकाला कि इन सारी घटनाओं के पीछे गिरोह का हाथ है। पड़ोसी जिलों के भी कुछ सदस्य हैं जो निम्न है —

चन्द्रभूषण शुक्ला जो मुहम्मद जिला बाराबकी का था तथा जगदीशदत्त ब्रह्मण भी यही का रहने वाला था। लाला कुरमी, सराय मऊ, बाराबकी, शिव कुमार ब्राह्मण भरौसा तथा विष्णु कुमार काकोरी लखनऊ का रहने वाला था।

जाँच से पता चला कि ये सभी छिपे हुए हैं तथा इनका सम्बन्ध लखनऊ से है।¹

1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लखनऊ में तोड़ फोड़ की और भी बहुत सी कार्यवाहियाँ हुईं। अक्टूबर-नवम्बर 1942 में कुछ रेलों घटनाएँ जैसे डकैती, बम विस्फोट, टेलीफोन के तार काटना व इसी तरह की अन्य घटनाएँ लखनऊ शहर तथा बाबाबकी में एक के बाद एक घटीं। 7 नवम्बर, 42 को रवाबगंज पोस्ट आफिस को छूटना 12 नवम्बर को कलकत्ता कामिर्षियल बैंक में डकैती 17 नवम्बर को चौक सब्जी-मण्डी के सराफ की दुकान में डकैती तथा 8 नवम्बर को लखनऊ शहर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट। इन सब घटनाओं के पीछे किसी आतंकीय दल का हाथ था जिसकी जाँच सी०आई०डी० द्वारा की गयी।

3 दिसम्बर 1942 को महबूब गंज के मकान नं० 34 को स्थानीय पुलिस और सी०आई०डी० अफसर द्वारा घेर लिया गया। वहाँ पर 90 गोलियों सहित एक रिवाल्वर, काफी मात्रा में फटने वाले शस्त्र, कुछ लोहे के बम तथा कांग्रेस और क्रांतिकारी पार्टियों से सम्बन्धित आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए। छुटकन मिश्रा, जगत मोहन और नारायण को जो उसभय वहाँ उपस्थित थे गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच से पता चला कि उमा दत्त ने अपराधियों के लिये यह मकान अपने नाम से किराये पर लिया था। पृष्ठपाठ करने पर उन्होंने नबाबगंज के मकान के बारे में भी बताया। उसकी भी तलाशी ली गयी गोली सहित एक पिस्तौल मिली तथा भगवान प्रसाद शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया

1- ज०प्र० अभिलेखागार विभाग राजनीतिक फाइल न० 10-3/1942, पृ० 915-921

गया। यद्यपि चार अभियुक्त पकड़े जा चुके थे परन्तु इनसे बाकी अपराधियों के बारे में तथा विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित अपराधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पायी। अतः छुपिया विभाग ने महबूबगंज के मकान पर इस उद्देश्य से निगरानी रखी कि जो अभियुक्त बाहर गये हैं वे वापस जरूर आयेगे तब उन्हें पकड़ लिया जायेगा।

॥ दिसम्बर 42 को सहारनपुर से लौटकर रामहरख महबूबगंज के मकान में आये उसी समय उन्हें गिरफ्तार करके शादतगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जहाँ उन्हीं से हर घटना की जानकारी सी०आई०डी० विभाग को मिली।

रामहरख गाँव झर्रा जिला बस्ती के रहने वाले थे। सितम्बर में उनकी मुलाकात हरो शंकर से हुई, इन्होंने राम हरख को मातृभूमि को पराधीनता तथा उसे स्वतंत्र कराने की बात कही। रामहरख हरिशंकर के साथ हो गये और लखनऊ आ गये जहाँ वे मकान नं० 34 में गये। वहाँ पहले से ये लोग मौजूद थे। लोकनाथ [बैजनाथ सिंह] राना [हरी प्रताप] राजेन्द्र [राजनाथ सिंह] बाबा, सरदार [हंसराज] सी०बी० शुक्ला, रासों [सुटकन मिश्रा] उस समय बूज बहादुर तथा हरी प्रताप ने तीन बम बनाये। इनमें से दो बम बूज बहादुर व हंसराज बाराबंकी लेकर गये जहाँ उन्होंने तोड़फोड़ की कार्यवाही की। सी०बी० शुक्ला ने रकाबगंज पोस्ट आफिस लूटने और हंसराज इस कार्य के लिये गये इस लूट में उन्हें केवल 100 रुपये मिले। इसके बाद शुक्ला ने एक दूसरी योजना कलकत्ता कामर्शियल बैंक में डकैती की बनाई। सी०बी० शुक्ला, बूजबहादुर, अवधरन, बैजनाथ सिंह, सुटकन मिश्रा, भगवान प्रसाद शुक्ला और राम हरख ने यह कार्य किया। रामहरख व लोकनाथ उमर जाने वाली सीढ़ी के पास खड़े हो गये और श्रेष्ठ लोगों ने कार्यवाही की। इस डकैती में उन्हें 1500-1600 रुपये मिले।

3-4 दिन बाद जगत मोहन और कुछ लोगों ने मिलकर आलमबाग में टेलीग्राफ के तार काट दिये।

इसके पश्चात् चौक सब्जीमंडी के एक सराफ लक्ष्मणदास के यहाँ डकैती की योजना बनाई। इस कार्य के लिये बूजबहादुर, हंसराज, सुटकन मिश्रा, भगवान प्रसाद शुक्ला, हरो प्रताप तिवारी अवध सरन राम हरख गये। इस कार्य में उन्हें केवल 300 रुपये मिले। इस घटना के अगले दिन क्रांतिकारियों द्वारा एक और कार्यवाही की गयी। रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के डिब्बे के नीचे बम रखा गया जैसे ही गाड़ी चली बम विस्फोट हुआ।

राम हरख को छोड़कर कुछ लोग पैतोपुर डकैती करने के लिये गये तथा वापस अपने साथ पुलिस कास्ट्रैवल की दो पगड़ी लेआये ।

॥ दिसम्बर 42 को जब राम हरख को गिरफ्तार कर लिया गया, तब उन्होंने अपने साथ के अपराधियों के बारे में भी मजिस्ट्रेट के सामने बताया ।

हुजबहादुर, इन्हें वनारस में 27-11-42 को रिवाल्वर तथा गोला-बारूद सहित गिरफ्तार किया जा चुका था ।

हरी प्रताप, हुजबहादुर के साथ ही गिरफ्तार कर लिये गये थे तथा इनके पास भी गोला-बारूद था ।

सुदकन मिश्रा को 14-5-42 को, खोजने व पकड़ने का आदेश जारी किया गया था । ये अपने स्थायी निवास आजमगढ़ से 8 फरवरी से लापता थे ।

जगतमोहन लाल भी हुजबहादुर के साथ क्रांतिकारी दल में काम करते थे ।

बैजनाथ सिंह भी इस दल में थे ।

भगवान प्रसाद शुक्ला ये केशव तथा काशी पांडे से सम्बन्धित थे जो क्रांतिकारी दल के थे ।

वी०पी० शुक्ला भी इस दल में थे ।

राज नाथ सिंह—क्रांतिकारियों के सम्पर्क में वनारस में आये और इस दलके सक्रिय सदस्य बन गये ।

राधेकास नारायण-शाहगंज जौनपुर के रहने वाले थे वनारस के क्रांतिकारियों के साथ पहिले थे लखनऊ आने पर महबूबगंज वाले मकान से गिरफ्तार कर लिये गये ।

चन्द्रशेखर शुक्ला, अवध सरन, हंसराज भी इस दल के सदस्य थे ।

इनमें से हरी प्रताप, सुदकन मिश्रा, बैजनाथ सिंह, भगवान प्रसाद शुक्ला, वी०पी० शुक्ला के ऊपर सहजानवा देने डकैती का लॉर्ड था ।

18 फरवरी, 42 को महबूबगंज से प्राप्त वेपर्स के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि इस दल का संगठन जोगेश चन्द्र चटर्जी तथा झारखण्डे शाय के नेतृत्व में हुआ था। जोगेश चन्द्र चटर्जी काकोरो ट्रेन डकैती से सम्बन्धित थे। 1937 में काकोरो ट्रेन डकैती के जो अभियुक्त बाहर आ गये थे उन्होंने काँग्रेस शासित राज्यों में भ्रमण करके युवकों की सभा को संगठित किया और उनमें क्रांति की भावना को जागृत किया। हरिपुरा काँग्रेस में अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत को सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया अतः हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी तथा अनुशीलन को मिलाकर क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इस अखिल भारतीय संगठन के नेता प्रताप चन्द्र गंगुली कोरबनायासभा। जोगेशचन्द्र चटर्जी को उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी दल का नेतृत्व सौंपा गया।

अगस्त 42 में जब काँग्रेस का आंदोलन चला उस समय कई नेता गिरफ्तार हो गये थे व कुछ भागकर नेपाल चले गये थे वे इस समय लखनऊ आ गये थे व सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। ये लोग आजादी से सम्बन्धित साहित्य का छिपे तौर पर प्रकाशन कराने लगे जिससे लोगों में क्रांति की भावना उठे तथा व्यापक तौर पर तोड़ फोड़ से सरकारी शासन की नोक टिक जाय। महबूबगंज वाले मकान से आजादी से सम्बन्धित बहुत से साहित्य बरामद किये गये थे। इस प्रकार अपनी पार्टी का गठन कर इन लोगों ने लखनऊ व बाराबंकी में तोड़ फोड़ की कार्यवाही की।

साक्ष्य के चार्ज के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के अन्तर्गत अपराधी अपराधी षड्यंत्र के लिये 17 अपराधियों को दोषी ठहराया गया। इसमें से कुछ अपराधी डकैती के जिम्मेदार थे, कुछ लोगों ने सरकारी शस्त्रों पर कब्जा कर लिया था तथा कुछ लोग विस्फोट पदार्थ व अन्य वस्तुओं को चोरी के प्रीत जिम्मेदार थे।

बुजबहादुर व बैजनाथ सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अन्तर्गत डकैती के जुर्म में आरोप पत्र नं० 116 जमा किया गया।

बुजबहादुर, सुटकम मिश्रा, भगवान प्रसाद घुमहा, रामहरख को भारतीय दंड संहिता की धारा 397, 395 के अन्तर्गत कलकत्ता कामर्शियल बैंक की डकैती के अन्तर्गत अपराधी

पाया गया तथा आरोप पत्र न० 117 जमा किया गया ।

बृजबहादुर, हरिप्रताप तिवारो, छुटकन मिश्रा, भगवान प्रसाद शुक्ला, रामहरख को भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397 के अन्तर्गत लक्ष्मन दास सराफ, सब्जोमडी चौक, की दुकान में डकैतो डालने के अपराध में अपराधी पाया गया व आरोप पत्र न० 117 जमा किया गया ।

भगवान प्रसाद शुक्ला को शस्त्र अधिनियम 19,20 के अन्तर्गत एक पिस्तूल बिना लाइसेंस के रखने के अपराध में दोषी पाया गया और आरोप पत्र संख्या 119 जमा किया गया ।

छुटकन मिश्रा, जम मोहन लाल, नारायण तथा रामहरख को शस्त्र अधिनियम 19/20 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/4 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के अन्तर्गत शस्त्र गोला बास्केट तथा विस्फोटक पदार्थ, पैतीपुर में छुराई गयी सम्पत्ति व क्लकत्ता जामर्शियल बैंक डकैती के जुर्म में अपराधी पाया गया तथा आरोप पत्र संख्या 120 जमा किया गया ।

बाकी अपराधी निम्न हैं जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 395,397,342 व शस्त्र अधिनियम 19/20 व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/4 के अन्तर्गत जांच करने पर दोषी पाये गये ।

जोगेन्द्र चटर्जी, ब्राह्मण्डे राय, राजनाथ सिंह, उमादत्त ब्राह्मण, हरो प्रसाद कुर्मी, श्रीराम कुर्मी, सो०बो० शुक्ला, अवध सरन, हंसराज ।

निम्नलिखित 6 अभियुक्त जांच के लिये पुनः जेल बुलाये गये —

छुटकन मिश्रा, रघुनाथ, नारायण, हरि शंकर, रामहरख, उमादत्त शर्मा ।¹

9 अगस्त, 1942 को जब "भारत छोड़ो आंदोलन" का आह्वान किया गया तो जनमद खीरो के युवाओं की सिंह गर्जना संघ क्रांति उद्वेलन में अंग्रेजी सत्ता को अस्त व्यस्त कर दिया । सत्य ही यह एक निर्णायक युद्ध था । "करो या मरो" घोष जन-जन

की भावना का प्रतीक बन गया था। जनपद में विद्यार्थियों की समग्र क्रांति ने अंग्रेजों को इक्कीस दिनांक दिया था। 14 अगस्त, 1942 को लखीमपुर के युवा क्रांतिकारी श्री राज नारायण मिश्र ने मधुदाबाद के जिलेदार को अपनी गोली का निशाना बनाया। इसी सदर्भ में श्री राज नारायण मिश्र को 9 दिसम्बर, 1944 को फाँसी को सजा मिली। यह आहुति सम्पूर्ण भारत में स्वाधीनता यज्ञ की अंतिम आहुति थी।

क्रांति-तोर्थ कहे जाने वाले ग्राम कुकहापुर (बाकेज) के निवासी श्री द्वारिका प्रसाद विष्वकर्मा अपने सार्थियों को संगठित कर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। 18 अगस्त, 1942 को पन्सब्बी पुल के निकट एक विद्यालय सभा का आयोजन श्री द्वारिका प्रसाद विष्वकर्मा स्वयं उनके सार्थियों के नेतृत्व में हुआ। जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए। सेन मौके पर अंग्रेजी सेना ने सभा पर धावा बोल दिया। जनश्रुतियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस नरसंहार में लगभग चार सौ लोग शहीद हुए किन्तु प्रामाणिक रूप से एक ही क्रांतिकारी के शहीद होने का उल्लेख है।

अंग्रेज सत्ता दमन नीतियों के बावजूद निरंतर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया जनपद खीरी के क्रांतिकारियों का योगदान सर्वथा बरेण्य है।¹

समोक्षा :

भारत छोड़ो आंदोलन क्यपि अपने मूल लक्ष्य भारत के विदेशी शासन की समाप्ति को तात्कालिक रूप से प्राप्त क नहीं कर सका लेकिन इस आंदोलन ने जनता में ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिसके कारण ब्रिटेन के लिये भारत पर और लम्बे समय तक शासन कर सकना संभव नहीं रहा। इस आंदोलन के मध्य जो विंसात्मक घटनाएँ हुईं उसके लिये जनता या कांग्रेस दोषी नहीं थी। नेतृत्वहीन जनता द्वारा की गयी विंसात्मक घटनाओं का उत्तरदायित्व सरकार पर था जिसने दूरगामी परिणामों के बिना नेताओं को बन्दी बना लिया।²

भारत सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के अन्तर्गत हुईं विंसात्मक घटनाओं का

1- नवभारत टाइम्स 18 अगस्त, 1988 पृष्ठ 2

2- डा० झवरी प्रसाद, अर्वाचोन भारत का इतिहास पृष्ठ 545

उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डालने के लिये 13 फरवरी 1943 को "1942-43 में उपद्रवों के लिये कांग्रेस का उत्तरदायित्व" नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें उपद्रवों के लिये महात्मा गाँधी तथा कांग्रेस को दोषी ठहराया गया। इस पुस्तिका में कहा गया है कि 9 अगस्त को सिर्फ बम्बई, अहमदाबाद और पूना में उपद्रव हुए, लेकिन बाकी देश उस दिन शांत रहा। 10 अगस्त को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में उपद्रव शुरू हो गये। पुस्तिका के लेखक का कहना है कि 11 अगस्त के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उस दिन और उसके बाद हड़ताल, सभार्यें, जुलूस, प्रदर्शन आदि के अलावा हिंसा, आगजनी, हत्याएँ और विध्वंस के कार्य कई जगह शुरू हो गये। सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिये गये विवरण एकपक्षीय तथा असत्य थे।¹

इस महान् क्रांति से देश को अपूर्व लाभ हुए। जनता सरकारों की शक्ति छीनने की कला में सिखस्त हो गयी और गोलियों की बारिश में उसने उठना सीखा। स्वदेश तथा विदेश में कांग्रेस को इज्जत बढ़ी और अच्छी तरह मान गये कि कांग्रेस अब भी करोड़ों की तादात में गोलियों की बौछारों के नीचे अपना सर्वस्व स्वाहा कर देने को तैयार है। इस प्रकार हमारी इस क्रांति ने दुनिया के सामने देश का मस्तक गर्वान्मत् किया।

लखनऊ मंडल में सरकार के प्रशासन को निष्क्रिय बना देने में भारत छोड़ो आंदोलन काफी हद तक सफल रहा।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1942 के वर्षान्त तक गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 60229 और नजरबन्दों की संख्या 1800 थी पुलिस तथा पुलिस के प्रहार से 940 व्यक्ति मारे गये और 1630 आहत हुए 1558 बार गोलियाँ चलाई गयीं।² सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही आंदोलन के दौरान 250 रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुँचाई गयी, 550 डाकखानों पर आक्रमण किया गया। 3500 स्थानों पर टेलीग्राफ व टेलीफोन तार काटे गये 70 पुलिस थानों को जलाया गया और 85 सरकारी भवनों में भी आग लगाई गयी।³

1- अम्बा प्रसाद, इंडियन रिवोल्यूट ऑफ 1942 पृ० 123

2- पट्टाभिस्तीतारमेया, कांग्रेस का इतिहास खण्ड 1 पृ० 374

3- पट्टाभिस्तीतारमेया, कांग्रेस का इतिहास खण्ड 2 पृ० 376

सप्तम अध्याय

स्वतंत्रता प्राप्ति को ओर १ 1943-47 १

द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात् मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विपरीत कुछ शर्तों के साथ ब्रिटेन को युद्ध में सहयोग देने का प्रस्ताव किया था। 1942 के आदोल्ल में भी उसकी भूमिका प्रतिक्रियावादी एवं निराशाजनक रही उसके नेता जिन्ना सहयोगी एवं पाकिस्तान को माँग पर डटे रहे।¹

सरकार को पाशाविक हिंसा का विरोध तथा आत्मशुद्धि के लिये महात्मा गाँधी न्ने जेल में 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों का उपवास प्रारम्भ किया। महात्मागाँधी का स्वास्थ्य पहले से ही ठीक न था इसीलिये दिनों में ही उनकी स्थिति चिंताजनक होने लगी। सरकार ने उन्हें रिहा करने या उनसे सम्झौते को बातचीत करने से कबतक अस्वीकार कर दिया, जब तक कांग्रेस अस्त प्रस्ताव की नोति को न छोड़ दे। सरकार की इस नोति के विरोध में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् से मोदी सरकार तथा अणे ने त्यागपत्र दे दिया। महात्मागाँधी को बिना शर्त रिहा किये जाने के लिये लखनऊ की कई संस्थाओं ने अपने राज्यपाल तथा वाइसराय को तार भेजा। वे संस्थायें हैं — व्यापारी संघ, हिन्दू मुस्लिम एकता बोर्ड, नागरिक सुरक्षा संघ, महिला क्लब, आजाद मुस्लिम बोर्ड, वकील स्तोसियेशन, छात्र हरिजन सेवा संघ तथा आर्य समाज। यू०पी० जमियत-उल, केशा के प्रबन्ध सेक्टरों तथा लखनऊ म्यूनिसिपल बोर्ड के वाइस-चेयर मैन से भी ऐसा ही तार भेजकर महात्मा गाँधी को बिना शर्त रिहा किये जाने की माँग की।² लखनऊ मुस्लिम स्टूडेंट यूनि यन ने एक सभा की जिसमें गाँधी जी के उपवास के महत्त्व तथा तुरन्त रिहाई का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जिन्ना आने व्यवहार पर पुनर्विचार करें तथा दिल्ली में होने वाली नेताओं की सभा में शामिल हो। सभा में मुस्लिम लीग के पूर्ण सहयोग की आशा की गयी।³

1- डी०बी० तेन्दुलकर, महात्मा, शाइफ मोहन दास करम गाँधी खण्ड 6 पृ० 249-50

2- दि बायनियर, 21 फरवरी 1943, पृ० 1

3- वही

महात्मा गांधी की हालत गंभीर होने लगी । उन्हें देखने देवदास गांधी, परिवार के अन्य सदस्य, कमलनयन बजाज, जानकी देवी बजाज आगा खॉ महल गये । हिन्दू सभा के अध्यक्ष पी०डी० सावरकर ने महात्मा गांधी से उपवास तोड़ने की अपील की ।

महात्मा गांधी का उपवास 21 दिनों बाद समाप्त हो गया । ये 21 दिन भारत के लिये अत्यधिक व्याकुलता के दिन थे । किन्तु मुस्लिम लीग और उसके नेताओं पर इस घटना का कोई प्रभाव न पड़ा वे इसको पूर्णतया हिन्दुओं की चिंता का विषय समझते रहे।¹

महात्मा गांधी को रिहाई की मांगें लेकर लखनऊ में हड़ताल का सिलसिला जारी रहा । हिन्दू छात्र सघ की एक सभा श्रीमती सावित्री दुलारे लाल भार्गव के सभापतित्व में गंगा प्रसाद मेमोरीयल हाल में हुई । सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें महात्मा गांधी को बिना शर्त रिहा किये जाने की मांग की गयी । प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि वाइसराय तथा नागरिक सुरक्षा के सदस्य श्री जे०पी० श्रीवास्तव को भेजी गयी ।

क्रिश्चियन छात्र आंदोलन के सदस्यों ने सुप्रो इ० जोहन्सन के नेतृत्व में एक विशेष वार्षिक प्रार्थना दिवस के दिन महात्मा गांधी के लिये प्रार्थना की तथा एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें वाइसराय से अपील की गयी कि वह एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन करें जो सभी दल, जनसमुदाय तथा धार्मिक मतों का प्रतिनिधित्व कर सके तथा एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाय जिसका मुख्य उद्देश्य प्रजातंत्र स्थापन तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भय हो ।²

विश्वविद्यालय उपसमिति ने लखनऊ मुस्लिम छात्र सघ की एक सभा का आयोजन रविवार को किया जिसमें महात्मा गांधी द्वारा उत्पन्न परिस्थिति में तदस्थ रहने को कहा गया । सभा में मुस्लिम छात्रों को इस बात के लिये उत्तेजित किया गया कि वे निरन्तर अपनी कक्षाओं में उपस्थित हों ।

सोमवार 22 फरवरी को लखनऊ मुस्लिम छात्र सघ के सचिव ने सभी समुदाय के छात्रों से अपील की कि वे प्रार्थना द्वारा महात्मा गांधी के दोष जीवन की कामना करें ।

1- आज, 19 फरवरी 1943, पृ० 5

2- दि पायनियर, 21 फरवरी 1943, पृ० 1

इसके अतिरिक्त यूनीवर्सिटी लॉ सोसायटी, लखनऊ सराफि स्तोसियेशन तथा श्री लखनऊ प्रांतीय महेश्वरी सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा गाँधी जी की तुरन्त रिहाई की माँग की तथा प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि वाइसराय के पास भेजी ।¹

अक्टूबर, 1943 में लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर लार्ड वेवल भारत के बर्नरसनरल नियुक्त हुए । लार्ड वेवल ने 17 फरवरी, 1944 को केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद में अपने भाषण में भारत को प्रकृतिक शक्ति को स्वीकार करके जनता में यह आशा जागृत कर दी कि किसी भी स्थिति में इंग्लैण्ड भारत-विभाजन का पक्ष न लेगा । लार्ड वेवल ने कहा कि आप भूगोल नहीं बदल सकते, सुरक्षा तथा अनेक आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं की दृष्टि से भारत एक प्राकृतिक ईकाई है ।²

काँग्रेस छोड़ देने के बाद से राजगोपालाचारी मुस्लिम लीग के साथ सम्झौते के कार्य में व्यस्त हो गये । इसके लिये मार्च 1944 में गाँधी जी की स्वीकृति से श्री सोप राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला तैयार किया, जिसमें काँग्रेस ने लीग से पाकिस्तान की स्वीकृति के आधार पर लीग-काँग्रेस सहयोग का प्रस्ताव किया । 6 मई, 1944 को महात्मा गाँधी बिना किसी शर्त के रिहा कर दिये गये । गाँधी जी की रिहाई के पहले से ही राजगोपालाचारी जिन्ना से अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श कर रहे थे । गाँधी जी के रिहा होते ही राजगोपालाचारी ने उनके सामने अपनी योजना प्रस्तुत की । सितम्बर 1944 के पूरे महीने भर गाँधी राजगोपालाचारी तथा जिन्ना में सम्झौते को बातचीत चलाती रही । सम्झौते के प्रस्ताव निम्नलिखित थे ।

1- लीग काँग्रेस को स्वतंत्रता की माँग का समर्थन करेगी और काँग्रेस से अस्थायी सरकार बनाने में सहयोग करेगी ।

2- युद्ध के अंत में उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में एक जनमत संग्रह द्वारा यह निर्दिष्ट किया जायेगा कि उन्हें पृथक राज्य चाहिये अथवा नहीं ।

3- पृथक होने की स्थिति में रक्षा, संचार व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक विषयों

1- दि पायोनियर 21 फरवरी 1943 पृ 0 ।

2- इंडियन रजिस्टर 11/1944 भाग-1, पृ 0 1442

के बोरे में होय होगी ।

4- और यह शर्त केवल उसी स्य मे बाध्य होगी कि भारत को अंग्रेज पूर्ण स्वतंत्रता दे दें ।

जिन्ना ने इस फार्मुले का गाँधी जी ने स्पष्टीकरण माँगा जिसमें यह तथ्य सामने आया कि लीग और कांग्रेस के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है । जिन्ना का तर्क यह था कि भारत के मुसलमान एक पृथक राष्ट्र है अतएव केवल उन्हें ही आत्म निर्णय का अधिकार है अर्थात् मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेशों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं को आत्म निर्णय का अधिकार नहीं होगा । महात्मा गाँधी ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया और न ही यह स्वीकार किया कि भिन्न धर्म होने से राष्ट्रीयता भी भिन्न हो जातो है । कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता चाहती थी और उस उद्देश्य के लिये मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिये मूल्य चुकाने को तैयार थी परन्तु लीग तो केवल दो राष्ट्र के सिद्धान्त की स्वीकृति चाहती थी, देश को स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं था जिन्ना रक्षा, व्यापार, संचार व्यवस्था इत्यादि के लिये भी एक केन्द्र स्वीकार करने को तैयार नहीं थे ।¹

सम्झौते की यह चर्चा भी असफल रही । जिन्ना पूरे 6 मुस्लिम प्रांतों को अलग किये जाने तथा जनमत संग्रह को मुसलमानों तक ही सीमित करना चाहते थे । रक्षा आदि समान हितों की बातों में उन्हें समान नियंत्रण स्वीकार न था ।² जिन्ना ने राजगोपालाचारी योजना को सड़े अंग कटे तथा दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया । वस्तुतः इस समय महात्मा गाँधी द्वारा जिन्ना के साथ सम्झौते की बातचीत करने से जिन्ना की हठधर्मी में वृद्धि ही हुई । इससे भारतीय राजनीति में उन्हें बहुत अधिक महत्व प्राप्त हो गया हो भीक्य में भारतीय हितों के लिये दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ ।³

प्रयत्न फिर भी चलते रहे और केन्द्रीय विधानसभा में कांग्रेस सदन के नेता श्री भूला-भाई देसाई, श्री लियाकत अली खॉं जो मुस्लिम लीग दल के उपनेता थे, को मिले और

1- बीएसए गोवर, आधुनिक भारतीय इतिहास पृ० 562-63

2- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास पृ० 545

3- अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, पृ० 92

केन्द्र में अतीस्र सरकार बनाने के लिये एक प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार सरकार में दोनों दलों के समान सदस्य होंगे, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और एक ही प्रधान सेनापति होगा। परन्तु इन प्रस्तावों पर भी कोई सम्झौता नहीं हो सका।

जेल से मुक्त होने के बाद संयुक्त प्रांत के कांग्रेस नेताओं की एक बैठक 19-20 नवम्बर, 1944 को इलाहाबाद में हुई जिसमें रचनात्मक कार्यों के अपनाये जाने पर बल दिया गया।¹ यद्यपि अभी भारत छोड़ो प्रस्ताव पर अमल करना कांग्रेस का लक्ष्य था। 3 दिसम्बर, 1944 को रेल बहादुर सपू की अध्यक्षता में गठित निर्दलीय कमेटी इलाहाबाद में हुआ जिसमें 1935 के विधान की धारा 93 के अन्तर्गत हो रहे प्रांतीय शासन की आलोचना की गयी।² इसके साथ ही कमेटी ने सम्मेलन में पाकिस्तान योजना का विरोध इस आधार पर किया कि इससे देश की शांति को आघात पहुँचेगा।³

मार्च 1945 में लार्ड वेवल परामर्शी हेतु इंग्लैण्ड गये। 14 जून को लार्ड वेवल के भारत लौटने पर भारत तथा इंग्लैण्ड में एक साथ ही भारत की संवैधानिक समस्या पर एकतर्फी प्रकाशित हुआ। भारत राज्य सचिव लार्ड स्मरी ने कागज़ लम्बा में भी इसी प्रकार का एकतर्फी दिया और यह बतलाया कि मार्च 1942 का प्रस्ताव पूर्ण स्वेय उपस्थित था। लार्ड वेवल के प्रस्ताव रहा कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद को सर्व हिन्दुओं और मुसलमानों में समानता के आधार पर पूर्णतया भारतीय बना दिया जाय, केवल रक्षामंत्री का पद भारतीयों के हाथ में न रहेगा।

लार्ड वेवल ने आशा व्यक्त की कि केन्द्र में सहयोग स्थापित हो जाने पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की पुनः स्थापना हो सकेगी और परामर्शदायी स्थापना समितियाँ समाप्त की जा सकेंगी। लार्ड वेवल ने यह भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी प्रकार भी भारत के लिये भावी स्थायी संविधान पर प्रभाव न डालेंगे। लार्ड वेवल ने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को रिहा करने की घोषणा की तथा समिति पर लगा प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया वेवल ने शोध ही शिमला में एक सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। शिमला सम्मेलन के लिये आमंत्रित किये जाने से जनता में उंची उंची आशायें बंध गयीं। 22 जून, 1945 को बम्बई में

1- इंडियन स्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू0पो0 ॥1944॥ पृ0 3

2- आज, 5 दिसम्बर 1944, पृ0 1

3- दि लीडर, 7 अप्रैल 1945, पृ0 1

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक बैठक में शिमला सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया ।

25 जून, 1945 को शिमला सम्मेलन प्रारम्भ हुआ सम्मेलन में कांग्रेस मुस्लिम लीग सिक्ख, केन्द्रीय विधानसभा के योरोपियन दल तथा अन्य निमन्त्रित व्यक्तियों ने भाग लिया । नवोन परिषद में सभी सम्प्रदायों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर सभी दल एकमत थे किन्तु साम्प्रदायिक मतभेद के कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई सम्झौता न हो सका । मौलाना अबुलकलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की जो सूची प्रस्तुत की उसमें तीन मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ दो राष्ट्रीय मुसलमानों को भी सम्मिलित किया । जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया । 11 जुलाई को जिन्ना पैपल से मिले और इस बात पर बल दिया कि मुस्लिम लीग को हो समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाय और वाइसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिये । इसको पैपल ने स्वीकार नहीं किया । न केवल बहुत से मुसलमान कांग्रेस में थे अपितु मुसलमानों की बहुसंख्या वाले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में एक कांग्रेस मंत्रिमंडल और पंजाब में सघनादी दल कार्य कर रहे थे ।¹ कांग्रेस ने भी जिन्ना की बात को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसे स्वीकार करने का अर्थ होता कि कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है जो केवल हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है इस प्रकार जिन्ना की हठधर्मी के कारण शिमला सम्झौता असफल हो गया । 14 जुलाई 1945 को जब वाइसराय ने सम्मेलन को असफलता की घोषणा की तो इसको प्रतिक्रिया के रूप में निराशा का नहीं परन्तु जिन्नक के उत्तमूर्ण व्यवहार के प्रति रोष का वातावरण अधिक व्याप्त हुआ ।² प्रत्यक्ष रूप से सम्मेलन की असफलता के लिये मुस्लिम लीग और उसके प्रतिनिधि ही दोषी थे ।³ शिमला सम्झौता में मुस्लिम लीग के अस्तित्व की संयुक्त प्रांत में कटु आलोचना की गयी । रफी अहमद किदवाई ने शिमला सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा किये गये निर्णय की सराहना की । जिन्ना की हठधर्मी के कारण शिमला सम्मेलन असफल रहा उनका कहना था कि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है और मुस्लिम प्रतिनिधियों का चयन लीग अथवा उसके सहमति से हो ।⁴

इस असफलता के लिए पैपल और जिन्ना आंशिक रूप में उत्तरदायी थे । ऐसा कि

- 1- बीएसएल श्रीवास्तव, आधुनिक भारतीय इतिहास पृष्ठ 564
- 2- लालाधर शर्मा, "पंचमतीय" स्वतंत्रता की पूर्व संख्या, पृष्ठ 180
- 3- मार्शल रिज्यू, अगस्त 1945, पृष्ठ 67
- 4- सात बहादुर, दि मुस्लिम लीग पृष्ठ 308

इस असफलता के लिये केवल और जिन्ना आशिक रूप में उत्तरदायी थे । जैसा कि जिन्ना ने समाचार पत्र सम्मेलन में कहा, "यह केवल योजना हमारे लिये एक फटा थाइससे हम लोग मारे जातेप्रस्तावित कार्यकारिणी में हमारी संख्या 1/3 रह जाती क्योंकि अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जातियां, सिक्ख और ईसाइयों के प्रतिनिधि होने थे और सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि पंजाब से मलिक खिजर हयातखी जो संघर्षादी दल के थे और मुस्लिम लीग की नहीं थे केवल उन्हें रखने पर हठ करते थे ।"

कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस गतिरोध का उत्तरदायित्व पूर्णतया जिन्ना पर डाला । यह भी ठीक है कि कुछ अंश तक उत्तरदायित्व केवल का भी था उन्हें भारतीय नेताओं से सलाह करके ही अपनी परिषद की रचना करनी चाहिये थी ।

समयतः कुछ परिवर्तन के साथ कांग्रेसी नेता उस सुझाव को स्वीकार कर लेते । दूसरे उसे मुस्लिम लीग को इस योजना को अस्वीकार करने की और उन्नति के मार्ग में रुकावट डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिये थी । गाँधी जी भी, जो क्रिप्स योजना को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे, यह मानते थे कि केवल योजना परतुतः ही सच्ची थी और उसमें स्वतंत्रता निहित थी । आरम्भ में केवल ने कांग्रेस अध्यक्ष को इस बात का विश्वास दिलाया था कि किसी भी दल को इस योजना में केवल जानबूझकर बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी, परन्तु ऐसा लगता है कि अत समय में उन्हें कुछ और आदेश मिले थे । परन्तु शिमला सम्मेलन का एक परिणाम यही हुआ कि जिन्ना की स्थिति और भी सुदृढ़ हो गयी और यह 1945-46 के चुनाव में स्पष्ट हो गयी ।

कुछ आलोचकों का विचार है कि शिमला सम्मेलन चार्जिल की सरकार पर लेबर पार्टी को संभावित विजय अथवा रूस के दबाव के कारण हुआ जैसा कि क्रिप्स शिफ्ट मंडल अमेरिका के दबाव के कारण था ।

शिमला सम्मेलन के विफल होने से भारत में बहुत निराशा हुई । परन्तु शीघ्र ही आशा की एक ओर किरण दिखाई दी । 10 जुलाई, 1945 को श्रमिक दल की सरकार ने इंग्लैण्ड की राजसत्ता संभाल ली और लार्ड पैथिक लारेंस, जो भारत के पुराने मित्र

थे, भारत राज्य सचिव बने। मजदूर दल की सरकार ने लार्ड वेवल को भारतीय समस्या पर विचार करने के लिये पुनः लंदन बुलाया गया। इस परामर्श के पश्चात् लार्ड वेवल ने भारत आने पर 19 सितम्बर 1945 को एक घोषणा की। इसी दिन ब्रिटिश प्रधान मंत्री स्टली ने भी इंग्लैण्ड में इसी प्रकार की घोषणा की। प्रधानमंत्री तथा वाइसराय की घोषणाओं में यह कहा गया कि 1945-46 के श्रुतिकाल में वे निर्वाचन होंगे जो विष्वक्युद्ध के कारण स्थगित कर दिये गये थे। केन्द्र और प्रांतों में व्यवस्थापिका सभाओं का पुनर्निर्माण होगा। सरकार ने आशा व्यक्त की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रांतीय मंत्रिमंडलों के संचालन का उत्तरदायित्व निभावेंगे। सरकार ने यह भी निश्चित कर दिया कि भारत के लिये भारतीयों द्वारा शीघ्र अति-शीघ्र एक संविधान का निर्माण किया जायेगा तथा निर्वाचन के बाद ही भारतीय राजनीतिक क्रिप्स योजना अथवा उसके स्थान पर अन्य किसी संभावित योजना पर विचार करेंगे। 23 सितम्बर, 1945 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वाइसराय की घोषणा पर विचार विमर्श किया और एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस द्वारा आगामी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।¹ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णयानुसार संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 6 अक्टूबर 1945 को अपनी लखनऊ को बैठक में चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।² कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के लिये कांग्रेस को वोट देने की अपील की गयी।³ चुनाव अभियान के अन्तर्गत कांग्रेस के विशिष्ट नेताओं के लखनऊ में बैठक का दौरा किया और जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए जनता से कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की।

लखनऊ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सो०बी० गुप्ता को अध्यक्षता में अमोनुद्दीन पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया। चुनाव प्रचार के अभियान का श्रीगणेश कांग्रेस ने काफी जोर शोर से किया यह प्रचार वर्तमान सरकार मुस्लिम लीग, महासभा तथा काहाधंधा करने वालों के विरोध में था। प्रथम, भाषण पुरुषोत्तम दास टंडन ने दिया। इसके बाद गोविन्द वल्लभ पंत ने तब नेहरू जी ने अपना भाषण दिया अपने भाषण में

1- आज, 26 सितम्बर 1945, पृष्ठ 4

2- दि पायनियर, 8 अक्टूबर 1945, पृष्ठ 3

3- दि सीडर, 12 दिसम्बर 1945, पृष्ठ 1

पंडित नेहरू ने कहा कि "वो जो हमारे साथ नहीं है हमारे विरोधी है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अपराधियों की सूची तैयार कर रही है, पाये गये लोगों के साथ जैसा ही व्यवहार होगा जैसा युद्ध के अपराधियों के साथ होता है।

जवाहरलाल नेहरू ने चोर बाजार करने वालों को भी ललकारा तथा कहा कि वे अपने छद्मपेशा द्वारा व्यापारियों को छलते हैं।

आने वाले चुनाव के लिये नेहरू जी ने कहा कि कांग्रेस यह निर्णय ले चुकी है कि वह सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। चुनाव का उद्देश्य केवल पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है नेहरू जी ने मुस्लिम लीग के नेताओं की भर्त्सना को जो भारतीय स्वतंत्रता के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं।

अंत में ^{नेहरू}जी ने लखनऊ निवासियों से चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण सहयोग देने की अपील की।

गोविन्द वल्लभ पंत ने अपने भाषण में चुनाव के माध्यम से व्यवस्थापिका सभाओं पर कब्जा करने की बात कही।¹

प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक गंगा प्रसाद भेमोरियल हाल, लखनऊ में हुई। बैठक में 325 सदस्यों सहित कांग्रेस नेता तथा 1000 दर्शक उपस्थित थे। सभा को सम्बोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को अपना अनुशासन बनाये रखना चाहिये तथा चुनाव इसलिये महत्वपूर्ण है कि देश के प्रत्येक भाग में स्वतंत्रता के लिये युद्ध करने की भावना का प्रसार होगा। सुखोत्तम दास टंडन ने भी सभा को सम्बोधित किया।²

चुनाव प्रचार के दौरान परिवहन कर्मचारियों ने भी कांग्रेस को सहयोग देने की नीति अपनाई। सरदार मोहन सिंह के समापितत्व में एक सार्वजनिक सभा लखनऊ में हुई। वक्ताओं में डा० आजाद मलिहाबाद, श्री के०एल० श्रीवास्तव, जे०एस० दीक्षित तथा श्री एम० राजा थे। मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा का विरोध किया गया।

1- दि पायनियर, 6 सितम्बर 1945, पृ० 3

2- दि पायनियर, 8 सितम्बर 1945, पृ० 3

यूपी० व्यवस्थापिका सदस्यों को एक सभा काउन्सिल आवास पर हुई सभा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गोविन्द वल्लभ पंत ने सम्बोधित किया। लखनऊ विश्व-विद्यालय के प्रांगण में छात्रों की सभा को पंडित नेहरू ने सम्बोधित किया। लगभग 6 हजार छात्र उपस्थित थे। 140 मिनट के अपने भाषण में पंडित जी ने अनुशासन में रहने तथा कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने को कहा।

चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जनसमुदाय से कोष की मांग की ताकि चुनाव को प्रभावशाली बनाया जा सके। इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबू पुष्पोत्तम दास टंडन, गोविन्द वल्लभ पंत, स्फी अहमद किदवाई, आचार्य नरेन्द्र देव, बाबू सम्पूर्णानन्द, श्री कृष्णदत्त पालीवाल थे।¹

लखीमपुर खीरी में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था। ग्राम सुरक्षा में एक सभा का आयोजन किया गया पंडित स्टाण्डल ने सभा को सम्बोधित किया तथा कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेसी उम्मीदवार को पिकयी बनाने को कहा।

इस बीच भारत में राजनैतिक परिस्थितियां अत्यंत उग्र हो गयी थी। इस समय आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर सैनिक कानून के अन्तर्गत चलाये जा रहे राजद्रोह के मुकदमें ने राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। सरकार ने दिल्ली के लाल किले में आजाद हिन्द फौज के तीन अफसरों शाइनवाज, मुन्दयाल सिंह दिल्ली और प्रेम सहगल पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। उन पर अभियोग लगाया गया कि कि उन्होंने ब्रिटिश राजा के प्रति वफादारी की जो शपथ ली थी उसे दिया और इस प्रकार वे "विश्वासघाती" बन गये। दूसरी ओर जनता ने राष्ट्रीय वीरों के रूप में उनका स्वागत किया। सारे देश में उनकी रिहाई के लिये विशाल जन प्रदर्शन हुए। सारा देश अब उत्तेजना तथा इस विश्वास से भर गया कि इस बार संघर्ष में विजय होगी। वे इन वीरों को दंड दिये जाने से रोकने के लिये कीटबद्ध थे। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 6 अक्टूबर 1945 को इन अधिकारियों की रिहाई का प्रस्ताव पास किया। सैनिक न्यायालय ने इन तीन अधिकारियों को आजन्म कारावास का दंड दिया। मगर इस बार ब्रिटिश सरकार भारतीय जनमत को अपहेलना करने की स्थिति में नहीं थी तथा

1- दि पायनियर, 10 अक्टूबर 1945, पृष्ठ 3

जनमत के विरोध के भय से इस निर्णय को क्रियान्वित करने का साहस नहीं कर सकी और वाइसराय ने अपनी विशेष शक्तियों के अन्तर्गत इन अधिकारियों को क्षमादान दे दिया जो समायोजित था। आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर चलाये गये मुकदमें ने कांग्रेस की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया।¹

ब्रिटिश सरकार के रूप में इस परिवर्तन के कई कारण थे।

प्रथम, युद्ध ने विश्व में शक्ति सतुलन को बदल दिया था। बड़ी शक्तियों के रूप में ब्रिटेन नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सामने आये। इन दोनों ने भारत की स्वतंत्रता की माँग का समर्थन किया।

द्वितीय, यद्यपि ब्रिटेन युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले पक्ष में था तथापि उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति छिन्न छिन्न हो गयी थी, ब्रिटेन को अपने आपको पुर्नप्रतिष्ठित करने में कर्षों लग जाते। इसके अलावा ब्रिटेन में सरकार बदल गयी। जिसके अनेक सदस्यों ने कांग्रेस की माँगों का समर्थन किया था। ब्रिटिश सैनिक हड़ताई से थक गये थे। 6 सालों तक लड़ने और खून बहाने के बाद उनकी इच्छा नहीं थी कि वे भारतीय जनता के स्वतंत्रता सपने को दबाने के लिये अब और अधिक कर्ष घर से दूर भारत में लगायें।

तृतीय, ब्रिटिश भारत की सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिये अब और अधिक नागरिक प्रशासन तथा सशस्त्र सेनाओं के भारतीय कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रह सकती थी। आजाद हिन्द फौज ने दिखाया दिया था कि देशभक्ति के विचार भारत में ब्रिटिश शासन के मुख्य साधन पेशेवर भारतीय फौज के अन्दर घुस गये हैं।

1945-46 की शीत ऋतु में सैनिक सेवाओं में भी विद्रोह फैल गया। यह प्रवृत्ति कलकत्ता के निकट दमदम, भारत के दूसरे हवाई अड्डों और मध्यपूर्व में स्थित वायुसेना में उत्पन्न हुई। भारतीय वायुसेना के अनेक सैनिकों द्वारा भूख हड़ताल कर दी गयी। फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना के सैनिकों द्वारा हड़ताल कर दी गयी। जन आंदोलन में परिष्कृत इस आंदोलन को दबाने की कोशिश में 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच सरकारी आंकड़ों के अनुसार 250 व्यक्ति मारे गये।² स्थिति ने इतना भोषण रूप धारण

1- दुर्गादास, भारत कर्ष से नेहरू और उसके पश्चात् पृष्ठ 235

2- रजनी पामदत्त, आज का भारत पृष्ठ 587

कर लिया था कि सरकार को अग्नेजसेना बुलानो पड़ी ।

इंडियन नेशनल आर्मी दिवस को लखनऊ में पाँच स्थानों पर जुलूस निकाले गये । पुलिस द्वारा किये गये लाठी प्रहार से 30 छात्र घायल हुए । सबसे गंभीर घटना अमोना बाद तथा कचडरंगल में घटी । पुलिस द्वारा प्रदर्शन को तितर बितर करने की कोशिश में छात्रों द्वारा पुलिस पर पत्थरों के हमला किया गया । टोपसलवोप सेठी जो कि विश्वविद्यालय का छात्र छा को गंभीर चोटें आयो और उसे बेहोशी हालत में अस्पताल ले जाया गया । पुलिस ने "पायनियर" के फोटोग्राफर से कैमरा छीन लिया और उसे लौटाने से इकार कर दिया । लखनऊ के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कहा कि वे फोटुसं लाठी प्रहार से सम्बन्धित भी हो सकती थी । पायनियर का एक अन्य सवाददाता जो पुलिस गाड़ी से गिरफ्तार छात्रों को उतार कहा था उसकी नोट बुक छीनकर उसे दूर भगा दिया ।

सोमवार को होने वाले प्रदर्शन में सभी छात्र संगठन जिसमें काँग्रेसी छात्र, मुस्लिम छात्र फेडरेशन और हिन्दू स्टूडेन्ट फेडरेशन सम्मिलित थे । रात को मजिस्ट्रेट की तरफ से यह आज्ञा निकालो गयो कि प्रदर्शन को रोका जाय अतः पुलिस ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन को रोकने की व्यवस्था की तथा एक छात्रों को विश्वविद्यालय क्षेत्र कान्यकुब्ज कालेज, हरोचन्द्र और रेगलों वर्नाक्यूलर हाईस्कूल से गिरफ्तार किया । कान्यकुब्ज इण्टर कालेज में छात्रों को तितर बितर करने के लिये लाठी का प्रहार किया ।

बड़ी संख्या में भीड़ अमीनाबाद पार्क में एक हुई प्रबन्धकर्ताओं ने यह निश्चय किया कि मजिस्ट्रेट की आज्ञाओं का उल्लंघन किया जायेगा और एक जुलूस निकाला जायेगा जो पार्क से होता हुआ अमीनाबाद कचडरंगल के दक्षिण तक गया । पुलिस ने जुलूस को रोकने की पूरी पूरी कोशिश की परन्तु व्यर्थ रहा । जुलूस के कुछ सदस्यों ने पुलिस पर ईंट के टुकड़े फेंकने प्रारम्भ कर दिये और इसके पश्चात् लाठी प्रहार प्रारम्भ हो गया । "मिली" में कुछ छात्र घायल हो गये, कुछ को पार्क ले जाया गया । प्रेस प्रतिनिधि सहित एक दर्जन लोग घायल हुए । प्रेस के अन्य आदमियों को पुलिस द्वारा हथकड़ी डाली गयी ।

इसो समय 2000 के लगभग भीड़ अमीनाबाद घंटाघर के पास एक हुई । श्री सी० बी० गुप्ता ने भीड़ को सम्बोधित किया और कहा कि यद्यपि वे इस घटना का कारण

नही जानते है परन्तु पुलिस द्वाङ्का किये गये लाठी प्रहार को उन्होंने अपनी आखों से देखा है । जिला मजिस्ट्रेट ने सी०बी० गुप्ता के पास बुलावा भेजा । मि० बेली ने उनसे कहा कि भीड़ कानूनी नियंत्रण से बाहर थी चूँकि दस मिनट के अन्दर भीड़ खतम नहीं हुई इसलिए उसे तितर बितर करने के लिये फौज का सहारा लेना पड़ा । जिला मजिस्ट्रेट मि० बेली से बातचीत के बाद मि० गुप्ता पुनः सभा में आ गये तथा आई० एन०एस० के सदस्यों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करके छात्रों को शांतिपूर्वक बिखर जाने को कहा ।

एक अन्य जुलूस जो काउंसिल हाउस पहुँचा लाठियों के प्रहार से बिखेर दिया गया तथा अज्ञेय गिरफ्तारियाँ की गयी । 1-30 बजे तक पचास छात्रों जिसमें छात्रायें भी थीं गिरफ्तार किया गया ।¹

सोमवार को शाम आई०एन०एस० दिवस को हुई घटना से जिला मजिस्ट्रेट ने लखनऊ में धारा 144 लागू कर दो, जिसके अनुसार, सभा, जुलूस प्रदर्शन, तथा लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी गयी ।²

सभी 50 छात्र जिसमें चार छात्रायें थी उनके नाम हैं श्रीमती प्रेमलता, तलवानी, सत्यवती भार्गव, शोभित यतुर्वेदी और राजरानी कृष्णा, ये सभी महिला विद्यालय की थीं छुपर देवेन्द्र प्रताप सिंह, आर० के० अवस्थी, मि० अजय कुमार मित्रा, और अखिलेश्वर प्रताप को दूसरे दिन शाम को छोड़ दिया गया ।

लखनऊ विष्वक्विद्यालय के छात्रों ने ए०पी० सेन हाल में एक सभा का आयोजन किया जिसमें स्थानीय पुलिस के व्यवहार तथा छात्रों को बिखेरने के लिये गये लाठी चार्ज की निंदा की । मंगलवार को विष्वक्विद्यालय में हड़ताल रही ।

डिप्टी कमिश्नर मि० डी० बेली के बयान को उन्होंने प्रेस को दिये —

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आज्ञा निकाली गयी कि आई०एन०एस० सदस्यों के द्रायल के विरोध में कोई जुलूस न निकाला जाय । इसके शहर के कई भागों में अव्यवस्था फैल गयी । अमीरुद्दीन पार्क में पुलिस पर ईंट के टुकड़े पड़े गये । घंटाघर के चारों तरफ एक भीड़ को बिखेरा गया । 30 के लगभग गिरफ्तारियाँ हुई । पुलिस को भी चोटें आयी तथा एक छात्र की मंजीर चोट आयी जो अस्पताल में भर्ती है ।

शहर के सभी स्कूल व कालेज में हड़ताल रही तथा दुकानें बन्द रही । छात्र हड़ताल में सम्मिलित न होने पाये इसलिये जगह जगह पुलिस का इत्जाम था । हुसेनाबाद हाई-स्कूल को अन्य सस्था के छात्रों द्वारा क्षति पहुँचाई गयी थी ।¹

पत्रकारों ने भी अपने अपने बयानों में पुलिस द्वारा की गयी ज्यादालियों का ब्योरा दिया ।

आईएसनएसड दिवस सीतापुर में सफल रहा । आरएसड पाठशाला इण्टरमोडिस्ट कालेज और आरएसड डी हाईस्कूल के छात्रों ने जुलूस निकाला इसके पश्चात् मोतीलाल बाग में सभा का आयोजन किया गया । जहाँ भाषण द्वारा आईएसनएसड के आदमियों के प्रति सरकार के व्यवहार को बताया गया ।² लखनऊ में छात्रों पर हुए लाठी प्रहार की निन्दा की गयी तथा जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया तथा चुनाव के लिये धन एकत्र करने को कहा गया । मोतीलाल बाग में छात्रों की एक सभा को मधेश अग्रवाल ने सम्बोधित किया । तथा लखनऊ में छात्रों पर हुए प्रहार की निन्दा की । एक दिसम्बर को पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने सीतापुर का दौरा किया तथा मिश्रिख बारा-गाँव, महीली, हरगाँव और मोतीलाल बाग में जनसभाओं को सम्बोधित किया ।

21 नवम्बर 1945 को एक सभा उन्नाव में हुई । जिसकी अध्यक्षता रफी अहमद क्विदवई ने की और कहा कि हिन्दू व मुस्लिम वर्गों से साथ साथ रहते आये है तथा मुसलमान आज भी भारत को अपना घर मानते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान चुनाव हिन्दू और मुसलमानों का नही अपितु सीम और कांग्रेस के बीच है ।³

आईएसनएसड दिवस को कलकत्ता में फायरिंग हुई जिसकी प्रतिक्रिया सम्पूर्ण देश में हुई । लखनऊ में भी छात्रों ने कलकत्ता फायरिंग का विरोध किया ।

लखनऊ के छात्रों छात्र तिरगा बड़ा लिये हुए तथा "भारत छोड़ो" की आवाज करते हुए जुलूस के साथ अमीनुद्दौला पार्क में गये तथा एक विशाल सभा हुई जिसमें कलकत्ता में

1- दि पायनियर, 14 नवम्बर 1945, पृ 1

2- दि पायनियर, 16 नवम्बर 1945, पृ 8

3- दि पायनियर, 21 नवम्बर 1945, पृ 5

छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग को निंदा की गयी । लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्र स्व छात्राओं ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया ।

विश्वविद्यालय में कुछ देर कक्षयें चलने के बाद हड़ताल हो गयी, छात्र कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कलकत्ता फायरिंग की निंदा की, तत्पश्चात् श्रीमती स्वल्प रानी बक्शी और श्री बी०एन० बाँठिया जो छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अमीनुद्दौला पार्क गये जहाँ महिला विद्यालय कॉलेज की छात्रायें पहले से ही मौजूद थी ।¹

जब सभा अपने उत्कर्ष पर थी तभी दूसरी संस्थाओं के बहुत से छात्र अपने दल के साथ आकर मिल गये उस समय सक्त्र भीड़ 5000 से ऊपर थी । मजबूत पुलिस दल हथियारों से लैस पार्क के कॉर्नर में था परन्तु कोई बाधा उपस्थित नहीं किया । सभा में भाषण देने वालों में थे — श्रीमती बक्शी, सुश्री इंदिराबेई सिंह, श्री सी०एस० अवस्थी, श्री बी०एन० बाँठिया, श्री आर०के० सिन्हा, श्री आर०एस० रिजवी, श्री अक्लेश्वर प्रसाद मिश्रा और श्री भोलानाथ सिन्हा ।

मुस्लिम छात्र सस्था इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुई ।²

सारे देश में व्यापक श्रमिक-अशांति रही । शायद ही ऐसा कोई ज्योग था जिसमें हड़ताल नहीं हुई । जुलाई 1946 में डाक तार कर्मचारियों ने एक देशव्यापी हड़ताल की । दक्षिण भारत के रेल कर्मचारियों ने अगस्त 1946 में हड़ताल की इस दौरान किसान आंदोलन भी अधिक जुझारु हो गये, हैदराबाद, मालाबार, बंगाल, यू०पी० बिहार और महाराष्ट्र में जमीन के लिये, तथा नूँये लगाने के खिलाफ संघर्ष हुए स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हड़तालों और प्रदर्शनों के आयोजन में प्रमुख भूमिका अदा की ।

व्यवस्थापिका सभा के चुनाव निश्चित समय पर होने थे । चुनाव प्रचार के उद्देश्य से पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने हरदोई का दौरा किया जहाँ नागरिकों द्वारा उनका स्वागत किया गया । पंत जी ने मालावान, बिलग्राम, हरदोई तथा साहाबाद में जनसभाओं को सम्बोधित किया । अपने भाषण में पंत जी ने भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध

1- दि पायनियर, 25 नवम्बर 1945, पृ० 3

2- दि पायनियर, 25 नवम्बर 1945, पृ० 3

तथा चुनाव के उद्देश्यों को बताया तथा जनसामान्य से कांग्रेस को वोट देने को अपील की। कांग्रेस फंड के लिये 18,000 रुपये भी प्राप्त हुए। हरदोई बार ने 900 रुपये कांग्रेस फंड के लिये दिये। इसी दिन मसूद बेटले पार्क का नाम बदलकर गांधी मैदान रख दिया गया।¹

यूपी00 व्यवस्थापिका चुनाव के लिये कांग्रेस चुनाव बोर्ड को सभा काउंसिल आवास लखनऊ में हुई आगामी चुनाव में कांग्रेस प्रत्यासो के नाम की घोषणा की गयी पाँच सदस्य है — पंडित गोविन्द वल्लभ पंत, आचार्य नरेन्द्र देव श्री सम्पूर्णनन्द श्री श्री कृष्ण दत्त पालीवाल और श्री रफी अहमद किदई वहाँ उपस्थित थे।

जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा सीतापुर के नोल्गाँव हाउस में हुई। श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने झंडा फहराया तथा भाषण दिया। अपने भाषण में अगस्त 1942 का आंदोलन तथा पिछले तीन सालों के राजनीतिक इतिहास का उल्लेख किया। ऐसी ही एक सभा अगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई।

निश्चित समय पर व्यवस्थापिका सभा हेतु चुनाव सम्पन्न हुए। संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के कुल सदस्यों की संख्या 228 थी जिसमें 66 मुस्लिम तथा 144 हिन्दू सोटि थी।² कांग्रेस सभी हिन्दू सोटों पर विजय पाने में सफल रही जबकि लोग को केवल 66 स्थानों में से 45 स्थान ही मिल सके। लखनऊ मंडल में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली। सीतापुर से उत्तर पश्चिम से गोपाल नारायण सक्सेना, रायबरेली दक्षिण पश्चिम से श्री मंगला प्रसाद सिंह, उन्नाव पूर्व से लीला धर अस्थाना तथा उन्नाव दक्षिण से सुरज प्रसाद अवस्थी उन्नाव - पश्चिम से पंडित विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, लखनऊ शहर में एक सोट मुस्लिम लीग को मिली व एक कांग्रेस के सीबी0 गुप्ता को।³

इस निर्वाचन में यह सिद्ध हो गया कि मुसलमानों पर मुस्लिम लीग का सर्वाधिक प्रभाव है। कांग्रेस की इस विजय ने मुस्लिम लीग के नेताओं के इस कथन को सत्य प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस हिन्दुओं की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। अबुल कलाम आजाद ने एक बार फिर प्रांतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त

1- दि पायनियर, 5 दिसम्बर 1945, पृष्ठ 6

2- दि पायनियर, 14 मार्च 1946, पृष्ठ 1

3- दि पायनियर, 16 मार्च 1946, पृष्ठ 1

मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास किया किन्तु चौधरो खलोकुम्भा की हठधर्मी ने उनके प्रयास को विफल कर दिया ।¹ 1 अप्रैल 1946 को संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ ।² कांग्रेस सरकार ने पद ग्रहण करते ही संयुक्त प्रांत में राष्ट्रीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया और राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के आदेश दिये । राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर कांग्रेस सरकार तथा गवर्नर में मतभेद हो गया किन्तु बाद में नैनीताल में हुए कांग्रेस नेता गोविन्द वल्लभ पंत तथा संयुक्त प्रांत के गवर्नर के विचार विमर्श से दोनों में एक सफल समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिये गये और फरार व्यक्तियों को बंदो बनाने के आदेश रद्द कर दिये गये ।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट के नेता श्री जोगेंद्रचन्द्र वर्मा तथा चन्द्र भूषण शुक्ला लखनऊ सेंद्रल क्षेत्र से रिहा कर दिये गये । सीतापुर में हरिजनों के लिये गाँव मुंझपुर में जगतनारायण श्रीवास्तव में मंदिर की स्थापना करवाई, जहाँ हरिजनों ने पूजा की ।³

19 फरवरी, 1946 को लार्ड पैथिक हार्लेस ने हाउस ऑफ़ लार्ड्स में घोषणा की कि मंत्रिमंडल जिसमें वह स्वयं, सर स्ट्रैपर्ट रिप्ले और श्री एबीए अलेक्जेंडर होंगे, भारत जायेगा ताकि वाइसराय की सहायता से भारतीय नेताओं से राजनीतिक मामलों पर बातचीत कर सके । 15 मार्च 1946 को इसी घोषणा पर वाद विवाद में बोलते हुए प्रधान मंत्री स्टली ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भली भाँति जागरूक हैं और चाहते हैं कि अल्प संख्यक बिना भय के रह सकें । परन्तु हम यह भी स्वीकार नहीं करेंगे कि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों की उन्नति में आड़े आएं । भारतीय समस्या के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और स्वयं अपने संविधान के निर्माण के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया । उन्होंने कहा कि "हिन्दुस्तान चाहे तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र रहने का अधिकार है और हम अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति में ज़ेक लगाने की इजाजत नहीं देंगे ।"⁴

1- दि पायनियर, 21 मार्च 1946, पृष्ठ 9

2- दि पायनियर, 2 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 1

3- दि पायनियर, 19 अप्रैल 1946, पृष्ठ 1

4- शक्ति, 23 मार्च 1946, पृष्ठ 1

शिफ्टमंडल 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुँचा और भारत के भिन्न भिन्न राजनै-
तिक दलों से लम्बी बातचीत हुई। मिशन ने कई चरणों में वाइसराय, कौंसिल के सदस्यों
प्रांतीय गवर्नरों विभिन्न राजनीतिक नेताओं तथा देशों राज्यों के प्रतिनिधियों से विचार
विमर्श किया। वार्ताओं का यह दौर अप्रैल 1946 तक चलता रहा परन्तु कांग्रेस तथा
मुस्लिम लीग की समस्या का कोईसमाधान नहीं निकल सका इसलिये शिफ्ट मंडल ने अपनी
ओर से संवैधानिक समस्या का हल प्रस्तुत किया। ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के साथ
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का त्रिदलीय सम्मेलन 5 मई को शिमला में हुआ
इस सम्मेलन में भी कोई सम्झौता नहीं हो सका। मुस्लिम लीग ने अन्य मार्गों के अति-
रिक्त पंजाब पश्चिमोत्तर सोमाप्रांत, सिंध, बंगाल, आसाम तथा बलूचिस्तान के 6 मुस्लिम
प्रांतों का एक समूह बनाने और उनके लिये प्रथम संविधान परिषद बनाने की माँग रखी।¹

अंततः 16 मई को कैबिनेट मिशन ने संविधान परिषद की स्थापना एवं केन्द्र में
अंतरिम सरकार के गठन से सम्बन्धित युनाथों की घोषणा कर दी।² इसमें प्रांतों का
बंटवारा साम्प्रदायिक जनसंख्या के आधार पर किया गया था मिशन की ऊपर योजना
भारत की अखण्डता को अक्षुण्य बनाना नहीं था, अपितु इसने प्रकारान्तर से मुस्लिम लीग
को बड़ा पाकिस्तान प्रदान कर दिया था।³

यद्यपि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की तरह तरह से आलोचना की गयी, फिर भी
सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया।⁴ मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा
मिशन को योजना को जुलाई 1946 में स्वीकृत कर लिया गया।⁵ कांग्रेस ने मुसलमानों
का पाकिस्तान बनाने का स्पष्ट अधिकार स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन की
योजना द्विविध थी - एक तो दीर्घकालिक योजना जिसका सम्बन्ध संविधान बना से था
और दूसरी अल्पकालिक योजना जिसमें कि मंत्रिपरिषद के पुनर्संगठन पर विचार किया
गया था।

1- लाल बहादुर, दि मुस्लिम लीग इंस हिस्ट्री, सेकेंडिटीज एण्ड रवीरमेंट्स पृ० 318

2- पट्टाभिसी तारैया, दि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस खण्ड 2 परिशिष्ट 3

3- एस०आर० मेहरोत्रा, टुअसईस इंडियन पार्टीशन एण्ड फ्रीडम पृ० 232

4- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू०पी० 1946 पृ० 1

5- अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम पृ० 138

जुलाई, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव हुए। चुनाव ने कांग्रेस को अत्यधिक लोकप्रियता सिद्ध कर दी। संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों से 205 स्थान प्राप्त कर लिये। उन्हें 4 सिक्ख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान मिले और इस प्रकार जिन्ना ने अनुभव किया कि 296 सदस्यों संविधान सभा में उसके पास तो केवल 73 स्थान होंगे जो कि 25 प्रतिशत से भी कम थे और इस प्रकार वह पूर्णतया आच्छादित हो जायेगा मुस्लिम लीग को कांग्रेस को मिली अत्यधिक सफलता से घोर निराशा हुई। मुहम्मद अली जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को बम्बई में शिष्टमंडल योजना अस्वीकार करते हुए पाकिस्तान की प्राप्ति के लिये प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों को धोखावाप कहा और कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिये वे सीधी कार्यवाही करें। कार्यकारिणी को कार्यक्रम बनाने को कहा गया और अगस्त 16 को "सीधी" कार्यवाही दिवस नियमित किया गया।

कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन की दुरुर्धकालीन और अल्पकालिक योजनायें स्वीकार करने तथा मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार करने के बाद वाइसराय ने एक अस्थायी सरकार के निर्माण में सहयोग करने के लिये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया। जिन्ना ने यह आमंत्रण अस्वीकार कर दिया और वे प्रत्यक्ष कार्यवाही की तैयारी करने लगे। ऐसी स्थिति में 12 अगस्त, 1946 को वाइसराय ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को सरकार के निर्माण हेतु आमंत्रित किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग को वाइसराय द्वारा कांग्रेस को सरकार निर्माण हेतु आमंत्रित करने से घोर निराशा हुई।¹ जवाहरलाल नेहरू ने 12 नामों को एक सूची प्रस्तुत की जिसमें उनके अतिरिक्त राजेन्द्रप्रसाद, राजगोपालाचारी, अक्षय अली, शारदयन्द्रबोस, जानमथाई, बलदेवसिंह, अली जहीर, बल्लभ भाई पटेल, जगजीवनराम, सोपराभा भाभा तथा इफ्ता अहमद खाँ थे।² वाइसराय ने इस सूची को स्वीकार कर लिया और अंतरिम सरकार बन गयी।

संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के नेताओं ने प्रत्यक्ष कार्यवाही को सफल बनाने के

1- आज, 14 अगस्त 1946, पृष्ठ 4

2- दुर्गादास भारत कर्म से नेहरू और उसके पश्चात् पृष्ठ 242

लिये प्रात का व्यापक दौरा किया और जनता में साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित किया। मुस्लिम लीग की योजनानुसार सम्पूर्ण प्रात में 16 अगस्त, 1946 की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। वाराणसी में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गये जुलूस ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और स्थिति अनियंत्रित हो गयी। मिर्जापुर में टाइनहाल के पार्क में प्रत्यक्ष कार्यवाही के समर्थन के हुई सभा ने उग्र रूप धारण कर लिया जिलाधिकारियों तथा पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुँच जाने से स्थिति नियंत्रण में लाई जा सकी।¹ संयुक्त प्रांतीय सरकार ने जिलाधिकारियों को मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही उत्तेजनात्मक कार्यवाही को रोकने के लिये विशेष आदेश दिये। इसी आदेश के अन्तर्गत लखनऊ मंडल में प्रत्यक्ष कार्यवाही से सम्बन्धित कोई घटना नहीं हुई। रफ़ी अहमद क्विदवई उस समय गृहमंत्री थे और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही को रोकने के लिये प्रयत्न किये।

मुस्लिम लीग की इस कार्यवाही का सभी पत्रपत्रिकाओं ने विरोध किया। 'संसार' ने अपने मुखपृष्ठ पर जहाँ जिन्ना के चित्र के साथ बड़े अक्षरों में "कायदे आज़म जिन्ना साहब हमारे स्टम्बम है" शीर्षक वाक्य प्रकाशित कर उनके विचारों का उपहास किया।²

कांग्रेस द्वारा केन्द्र में गठित सरकार के सदस्यों ने 2 सितम्बर को पद ग्रहण कर लिया और अंतरिम सरकार सुचारु रूप से कार्य करने लगी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को प्रवेश कराने के प्रयत्न अब भी जारी थे। 9 सितम्बर 1946 को जिन्ना ने सारी योजना पर नये सिरे से विचार किये जाने का प्रस्ताव रखा। लार्ड वेवल ने बड़ी उत्सुकता से इस सुयोग को ग्रहण किया और जिन्ना के साथ अनेक बार वार्तालाप किया जिसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग लेने का निश्चय किया।³ अंत में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गयी।⁴

1- दि पायनियर, 17 अगस्त 1946, पृष्ठ 7

2- संसार, 13 जून 1946, पृष्ठ 1

3- लीलाधर शर्मा, "पर्यटोय" स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पृष्ठ 174

4- लाल बहादुर, दि मुस्लिम लीग इन्स विस्ट्रो सेक्ट्रीविटीज सडरचीकॉर्ड्स, पृष्ठ 323

मुस्लिम लोग के 5 सदस्य 4 मुसलमान और एक अनुसूचित जातीय व्यक्ति मुस्लिम लीग की ओर से इस सरकार में सम्मिलित हो गये । ये व्यक्ति है नबाब्जादा, लियाकत अली, आई युइंगर, अब्दुलरबनखतर, गजनफर अली तथा योगेन्द्र नाथ मण्डल ।¹ दो स्थान पहले ही रिक्त थे और तीन कांग्रेस के मनोनित व्यक्तियों [दो मुसलमान और एक सर्वज हिन्दू] ने त्यागपत्र दे दिया ताकि लीग के पाँचो व्यक्ति सरकार में सम्मिलित हो सके । अब इस अंतरिम सरकार में यह अनुभव किया गया कि लीग का उद्देश्य देश की सेवा नहीं अपितु अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करना था और पंडित नेहरू ने इसे स्पष्ट करते हुए यह कहा कि लीग ने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने हेतु अपने आपको सम्राट के दल के रूप में परिचित कर लिया है ।² कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में अंतरिम सरकार के सम्बन्ध में शीघ्र मतभेद उत्पन्न हो गये, उसने संविधान परिषद में सहयोग नहीं किया । संविधान परिषद की बैठक 9 दिसम्बर 1946 को प्रारम्भ हुई लेकिन उसमें लीग के प्रतिनिधि भाग नहीं ले सके । 20 जनवरी 1947 की दूसरी बैठक में भी इसके प्रतिनिधि अनुपस्थित थे ।³ इस प्रकार अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस तथा वाइसराय से असहयोग करने की नीति अपनाई । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग के असहयोग के कारण उत्पन्न गति-रोध को दूर करने के लिये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को वार्ता को लिये लन्दन बुलाया, किन्तु यह प्रयास भी असफल रहा ।⁴ 6 दिसम्बर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिये "वर्गीय पद्धति" की मुस्लिम लीग के अनुसार व्याख्या कर दी किन्तु फिर भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार के अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं किया । संविधान सभा की बैठक 9 दिसम्बर 1946 को दिल्ली में आरम्भ हुई । दो दिन पश्चात् सभा ने डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को अपना स्थायी प्रधानमंत्री चुन लिया और फिर दो दिन पश्चात् पंडित नेहरू ने सुप्रसिद्ध उद्देश्यों का प्रस्ताव रखा जो कि 22 जनवरी को पारित हुआ । जिसके अनुसार भारत को "स्वतंत्र प्रभुसत्तापूर्ण गणतंत्र" बनाना है ।

1- आज, 28 अक्टूबर 1946, पृष्ठ 4

2- बीएसएन ग्रीवर, आधुनिक भारतीय इतिहास, पृष्ठ 571

3- लाल बहादुर, दि मुस्लिम लीग इन्स हिस्ट्री स्वटीपिटीज संड रेयोवमेंट्स, पृष्ठ 323-24

4- आज, 8 दिसम्बर 1946, पृष्ठ 4

20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें उन्होंने जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की इच्छा व्यक्त की थी। घोषणा में यह भी कहा गया था कि यदि निश्चित तिथि तक पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा कोई संविधान नहीं तैयार कर लेती तो ब्रिटिश सरकार विचार करेगी कि भारत का शासन किसको सौंपा जाय — किसी एक केंद्रीय सरकार को अथवा कतिपय क्षेत्रों में वहाँ की प्रांतोय सरकारों को।¹ इसी के साथ भारत में नये वाइसराय लार्ड माउन्टबेटन की नियुक्ति की घोषणा की गयी।

इस प्रकार जून 1948 एक अंतिम तिथि के रूप में दे दी गयी जब तक अंग्रेज भारत से जायें और भारत के बंटवारे की बात जिसे मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अस्वीकार कर दिया था भी मान ली गयी थी। दूसरे शब्दों में इस दिग्घट्ट में अंग्रेजी सरकार क्रिप्स प्रस्तावों से सहमत थी।

उक्त घोषणा के पश्चात् मुस्लिम लीग ने "पाकिस्तान" के लक्ष्य की पूर्ति के लिये मुस्लिम बहुतांश प्रांतों में जहाँ उसका मंत्रिमंडल नहीं था, पुनः प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारम्भ की। लीग ने भारत के विभाजन के लिये एक प्रचण्ड आंदोलन खड़ा कर दिया। भारत में स्थिति बहुत बिगड़ गयी थी। लीग ने कलकत्ता, आसाम, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत इत्यादि में निर्लक्ष्य रूप से उत्पात किया। लीग ने उन मुस्लिम बहुतांशक प्रांतों में जहाँ लीग विरोधी सरकारों थी गड़बड़ी मचाकर लीगी सरकारों को असफल बनाने का प्रयत्न किया।

इस घृणा और आतंक के वातावरण में अब यह स्पष्ट था कि भारतीय एकता बनाये रखना असम्भव था।

धवल के स्थान पर लार्ड लुई माउन्टबेटन को भारत का वाइसराय नियुक्त करने की घोषणा के तुरन्त पश्चात् माउन्टबेटन भारत पहुँच गये। 23 मार्च, 1947 को लार्ड माउन्टबेटन ने भारत के पद का कार्यभार ग्रहण किया। लार्ड माउन्टबेटन ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान भारत विभाजन को स्वीकार कर लेना है। कांग्रेस ने मुस्लिम

1- सोपेण्ड फिलिप्स दि इवाल्जुएन आफ इंडिया एंड पाकिस्तान सेलेक्ट डॉक्यूमेंट
पृष्ठ 391-93

लीग द्वारा फेलाई गयो अराजकता के कारण गृह-युद्ध के भय से भारतीय समस्या के इस दुर्भाग्यपूर्ण समाधान को स्वीकार कर लिया। लार्ड माउन्टबैटन 18 मई 1947 को ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने हेतु इंग्लैण्ड गये और वापस आने पर उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तावित की¹ तथा कांग्रेस और लीग के नेताओं से परामर्श कर भारत विभाजन की योजना को घोषणा की² इसके अनुसार पंजाब, बंगाल, सोमा प्रांत आसाम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का विभाजन कर पाकिस्तान की योजना बनाई गयी।

यह योजना तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे अच्छा सम्झौता थी। सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया, यद्यपि ऐसा करने में हिचक सभों को हुई किन्तु प्रसन्नता किसी को भी नहीं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने उक्त 3 जून की योजना को स्वीकार कर लिया।³ संयुक्त प्रांत में देश के विभाजन पर दुःख प्रकट किया गया। पुस्तोत्तम दास टंडन ने देश के विभाजन का विरोध करते हुए कहा कि इतना भारी मूल्य चुकाने से अच्छा होगा कि हम कुछ दिनों के लिये और ब्रिटिश सरकार को सहन कर लें।⁴ हिन्दू महासभा संयुक्त प्रांतोय सिक्ख प्रतिनिधि परिषद्, समाजवादी दल तथा पारसई ब्लाक ने भी देश विभाजन को आलोचना की।

मुस्लिम लोग बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसे गृह प्रदेश मिल गया था चाहे वह कटा छटा ही था। कांग्रेस ने बंटवारा इसीलिये स्वीकार कर लिया क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। यह योजना बिना किसी विलम्ब के लागू कर दी गयी। पंजाब और बंगाल की सभाओं ने बंटवारा मांगा तथा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में सम्मिलित हो गये। इन दोनों प्रांतों के बंटवारे के लिये सोमा आयोग नियुक्त किया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत के जनमत संग्रह का परिणाम पाकिस्तान के पक्ष में था क्योंकि प्रांतीय कांग्रेस के इस जनमत संग्रह में भाग नहीं लिया। बलोचिस्तान और सिंध भी पाकिस्तान में सम्मिलित हो गये।

माउन्टबैटन योजना के प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के रूप में 4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किये गये जिन्हें 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने अपनी

1-आज, 11 जून 1947 पृष्ठ 3

2-सोमराज फिलिप्स पाटीशन आफ इंडिया, पाकिस्तान एण्ड प्रसिडियन्टियल पृष्ठ 92

3- आरओसी० मजूमदार दि ब्रिटिश पैरामाउन्टैसो एण्ड रेमेन्सा भाग 2 पृष्ठ 669-70, 672-73

4- दुर्गादास, भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात् पृष्ठ 260

स्वीकृति दे दी ।¹ 15 अगस्त, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्व में आ गये । यद्यपि विभाजन की अपार वेदना से सारा राष्ट्र दुखी था और लाखों निवासियों के विस्थापित होने तथा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दुख भी सर्व-व्यापी था फिर भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को इस अभिनव घटना ने भारतीयों में अपार प्रसन्नता का संचार कर दिया ।²

भारत विभाजन का व्यापक और पर विरोध हुआ अधिकांश हिन्दी पत्र पत्रिकाओं ने भारत विभाजन के विरुद्ध सेषपूर्ण शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किये । भारत विभाजन की घोषणा पर एक प्रधान लेख में "आज" ने भविष्य वाणी की कि "पाकिस्तान टिक न सकेगा ।"³ "समय" ने भी विभाजन पर टिप्पणी करते हुए क्षोभ प्रकट किया ।⁴

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत में 15 अगस्त 1947 को दो प्रादेशिक शासन इकाइयां भारत और पाकिस्तान स्थापित की जानी थी और उस तिथि के पश्चात् इंग्लैण्ड को भारत पर अपना अधिपत्य छोड़ देना था । नये संविधान बनने और लागू होने तक यही संविधान सभार्ये ही विधान सभाओं के रूप में कार्य करेंगी और 1935 के स्कट के अनुसार कार्य चलेगा । प्रत्येक प्रदेश को 31 मार्च, 1948 तक गवर्नर जनरल द्वारा पारित स्कट से इस अधिनियम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया और उसके उपरांत वहा को संविधान सभा को यह अधिकार प्राप्त होगा । सम्राट का कानूनों के निष्पाद-धिकार का अथवा उसे महामहिम की इच्छा पर छोड़ देने का अधिकार त्याग दिया गया और प्रत्येक गवर्नर जनरल को अपने अपने देश के विधान मंडलों द्वारा पारित कानूनों को स्वीकार करने को अनुमति दे दी गयी । इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व भी समाप्त हो गया और 15 अगस्त, 1947 को सभी संधियां और सम्झौते समाप्त माने जायेंगे, ऐसी घोषणा हो गयी, परन्तु जब तक कि नये प्रदेशों

1- दि धायनियर, 20 जुलाई 1947 पृ० ।

2- लीलाधर शर्मा, "पर्वतीय" स्वतंत्रता को पूर्व संध्या, पृ० 192

3- आज, 16 जून 1947, पृ० ।

4- समय, 13 मई 1947, पृ० ।

और रियासतों के बीच नये सम्झौते नहीं होंगे उस समय तक तत्कालीन सम्झौते चलते रहेंगे। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसने वाली जातियों से सम्झौते उत्तराधिकारी प्रशासन द्वारा सम्बोधित किये जाने थे। भारत राज्य सचिव का पद समाप्त हो गया और उसका कार्य राष्ट्रमण्डल के सचिव को दे दिया गया। शक्ति के हस्तांतरण को निश्चानो के रूप में अंग्रेज सम्राट के नाम के साथ सलग्न भारत के सम्राट शब्द समाप्त कर दिये गये दोनों राष्ट्रों को राष्ट्रमण्डल को छोड़ने की भी अनुमति थी।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत में क्राउन पर आश्रित एक उनिवेश के स्थान पर दो स्वतंत्र अधिराज्य स्थापित हो गये अब उस पर ब्रिटिश संसद और हवाईट-हाउस का नियंत्रण नहीं रहा था।¹

श्री स्टली ने इस विधेयक के दूसरे पठन के समय कामन्स सभा में कहा था कि "यह एक लम्बी शृंखला की चरम सीमा है 1935 का अधिनियम, क्रिप्स रिपोर्टमण्डल के समय घोषणा मेरे कुछ परम आदरणीय मित्रों का पिछले वर्ष भारत जाना भी इस पथ पर ले जाने वाले भिन्न भिन्न चरण थे जिनकी घोषणा मैंने पिछले 3 बून को की थी। विधेयक का तात्पर्य उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करना है।"²

ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को भारत के लिये पारित सभी विधेयकों में सबसे "महान" और उत्तम कहा है। इससे भारत में लगभग दो सौ वर्ष पुराना अंग्रेजी राज्यों समाप्त हो गया। 1947 का भारत उस प्राचीन भारत से जिस पर लगभग 150 वर्ष पूर्व उन्होंने राज्य स्थापित किया बिल्कुल भिन्न था। इन 150 वर्षों में न केवल बाह्य रूप से ही अपितु उसकी आत्मा ही बदल गयी थी। जहाँ एक ओर इस विधेयक के पुराने अध्याय को समाप्त किया वहाँ दूसरी ओर इस विधेयक ने एक और नये स्वर्ण युग का सूत्रपात भी किया।

15 अगस्त, 1947 को सम्पूर्ण देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में खुशियां मनाई गयी। 15 अगस्त, 1947 को ही श्रीमती सरोजनी नायडू ने स्वतंत्र भारत में संयुक्त

1- बीएसएल गोवर, आधुनिक भारतीय इतिहास पृष्ठ 574

2- वही

प्रात के प्रथम राज्यपाल के पद को शपथ ग्रहण की । इस अवसर पर प्रात के नागरिकों को सम्बोधित करते हुए गोविन्द वल्लभ पंत ने स्वतंत्रता आंदोलन में जनता के योगदान का उल्लेख किया और सभी सम्प्रदाय के लोगों को सुरक्षा समान अधिकार तथा न्याय देने का आश्वासन दिया ।¹

जिस दिन श्रीमती सरोजनो नायडू ने शपथ ली उसी दिन लखनऊ की सभी इमारतों पर झंडा फहराया गया । शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर सरकारी आवास की सड़कें पर स्त्री पुरुष तथा बच्चे मौजूद थे । सभी मंत्री युष्पीठ विधानसभा के सदस्य आदि विशेष शामिलियाने में मौजूद थे । सरोजनो नायडू आई और अपने व्यक्तिगत लोगों के साथ सभा में प्रवेश किया । उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया लोगों ने खुशी से तालियां बजाई, श्रीमती नायडू ने अपने भाषण में स्वतंत्रता दिवस का महत्व तथा राष्ट्रीय ध्वज के उद्देश्यों को बताया । उसके पश्चात् सैनिकों की एक टुकड़ी ने मार्चपास्ट द्वारा इंडि की सहायी ली । इसके पश्चात् भोड़ काउंसिल हाउस गयो वहाँ पर पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने सचिवालय भवन पर झंडा रोहण किया । एकत्र भीड़ दो लाख के लगभग थी । इसके बाद काउंसिल हाउस पर झंडा रोहण के बाद उपस्थित भोड़ इतने तेज स्वर में राष्ट्रीय गान गाना हो अविस्मरणीय है ।

भारत के स्वतंत्र होने पर चारों तरफ खूबहाली छा गयो । लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से उत्साह से मनाया । लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह दोपहर बाद अपनी घरम सोमा पर था हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चे खुशी मनाते, गाते अमीनुद्दौला पार्क पहुँचे । वहाँ करीब 20 हजार की भीड़ थी जहाँ श्रीमती नायडू व पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने शपथ ग्रहण की ।

शुक्रवार की रात में शहर के हजरतगंज, अमोनाबाद तथा चौक में बहुत भीड़ थी । पायनियर के संवाददाता ने सबर रोड, विश्वम्भरनाथ रोड तथा हजरतगंज काउंसिल से समाचार भेजा कि जनता में अच्छा उत्साह तथा खुशी छायी हुई है ।

सैकड़ों उत्साहित जनता सड़क पर ऐसे नाच रही थी मानों बर्फ पर स्केटिंग कर रही हो । ट्रैफिक पुलिस मूक बनी यह सब देखती रही । तथा सभी ने गाना गाते हुए

1- दि पायनियर, 18 अगस्त 1947, पृ 2

व एक लम्बे जुलूस के साथ अपने अपने घर जाने की योजना बनाई । पिछली रात चार-बाग रेलवे स्टेशन पर रोशनी की जगमगाहट थी । अत्यधिक भीड़ थी रस्ते भीड़ जो शहर के इतिहास में पहली बार देखी गयी । सभी सार्वजनिक हमारतें गरी हुई थी । बच्चे अपने माता पिता के साथ थे तथा उनके चेहरे पर रसी चमक व रौनक थी जो पहले कभी नहीं देखी गयी ।

वे छात्र जो हाई स्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं में सफल हो गये एक मध्यमान द्वारा उत्सव मना रहे थे तथा उसी समय रानीतिक अपराधियों को भी क्षमदान देने व स्वतंत्रता प्राप्ति की शुभिषा मनाई गयी ।

शहर के सभी सिनेमाघरों ने मुफ्त शो दिखाकर स्वतंत्रता की खुशी मनाई तथा दो जलपान ग्राह सिंध व प्रिंस ने लोगों को मुफ्त चाय पिलाई ।

सदर बाजार के एक बाल काटने वाले ने मुफ्त में बाल काटने तथा दाढ़ी बनाने की घोषणा की परन्तु उसे निराशा होना पड़ा क्योंकि जनता स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने में व्यस्त थी किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह बाल काटवायें ।

ब्रिटिश इंडियन स्पोर्ट्सक्लब के जम-अध्यक्ष ने केसरबाग बारादरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया । उस समय अवध के बहुत से ताल्लुकेदार वहा उपस्थित थे तथा मिठाइया भी बाटी गयी ।

राजा विश्वेश्वर दयाल सेठ ने "पायनियर हाउस" पर राष्ट्रीय झंडा फहराया । अन्य स्थानों पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराया गया ये हैं — सी०एम०जी० मुख्य इंजीनियर के आफिस पर कमिश्नर तथा जिला बोर्ड आफिस पर दि यू०पी० बिजली सप्लाय आफिस हिन्दुस्तान को आभरेटिव इन्वोरेंस सोसायटी, सम्प्लायमेंट स्वसर्केंज, बैंकवर्क क्लबसेल फेडरेशन, यू०पी०सी०सी० स्पोर्टिक् क्लब, बंगाली होटल तथा सिविल कोर्ट पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराया गया ।

स्वतंत्रता की खुशी में बहुत सी संस्थाओं तथा फर्मों ने गरोबों को मुफ्त खाना तथा कपड़ा बांटा । ये फर्में हैं — हुन्गून जी ट्रस्ट मेसर्स लक्ष्मी नारायण पन्नालाह, मेसर्स अजीम अली सेंड सन्स ।

मुस्लिम लीग ने भी स्वतंत्रता की छुट्टी मनाई टीला मासूकू तथा मस्जिद असीफी में विशेष प्रार्थनायें की गयी ।

छुट्टी के उपलक्ष में सबसे अधिक प्रकाशित प्राइवेट भवनों में पान्दरिबा में आरोरा फूट इंडस्ट्री, स्टेशनरोड स्थित मेसर्स इमरान सड संस चौक स्थित खुन्सुन जी थे । आरोरा फूट इंडस्ट्री के स्वामी स्वतंत्रता की छुट्टी के उपलक्ष्य में अपने अधिकारियों को खास बोनस की घोषणा की तथा ग्राहकों को मिठाई तथा फल बांटे गये ।

लखनऊ में ईसाइयों ने भी स्वतंत्रता की छुट्टी मनाई । स्वतंत्र होने के तुरन्त बाद वर्ष में घंटिया बजाई गयीं । सगो गूहूर बक्स कम्पाउन्ड में रकन हुंर तथा पींडत हरेश-पन्ड बाज्मेयी ने झडा फहराया तथा राष्ट्रीयगान गाया गया । लखनऊ क्रिश्चियन के नाम नेताओं के सदेश पढ़े गये तब बाज्मेयो जी ने उत्तेजित भाषण दिया । झडे के गौरव तथा अर्थ को बताते हुए बाज्मेयी जी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें प्यार, मानवता, त्याग तथा अहिंसा का उपदेश देती है यह समारोह इसीहनी वर्ष में हुआ ।

स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी में टिकारो के राजा हिमांशुधर सिंह ने भोज दिया । दो सौ मेहमानों में जी०बी० पंत, सम्पूर्णानन्द, हफीज मुहम्मद, इब्राहिम, डा० हुकुम सिंह, मि० जस्टिस गुलाम हसन, जी०बी०गुप्ता, मि० गोविन्द सहाय, राजा विश्वेश्वर दयालसेठ, मि० सन०आर० हलवासिया मि० टो०पी० भस्ला, ओंकार सिंह, श्री स्व श्रीमतो नसोरुल्लाह बेग, के०पी० मित्रा तथा मि० इरफानउल्ला उपस्थित थे ।

लखनऊ हैदराबाद शरिया में समारोहों का आयोजन किया गया जुलूस का आयोजन हुआ जिसका नेतृत्व तीन लड़कियों ने किया जो तिरंगे झंडे के रंग के पकड़े पहने थी । जुलूस पार्क में पहुँचा, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो० बीरबल साहनो ने सभा को सम्बोधित किया व झडा रोहण किया । डा० पनईलाह भी सम्बोधित करने वालों में थे ।

स्वतंत्रता की छुट्टी में विक्टोरिया पार्क में छात्रों की एक रैली हुई जिसे पींडत गोविन्द वल्लभ पंत ने सम्बोधित किया ।

जेल के इस्पेक्टर जनरल ने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी में समारोहों का आयोजन किया जिसमें गोविन्द वल्लभ पंत व किदवाई उपस्थित हुए । जिस हाल में सभा हुई वह राष्ट्रीय झंडों से सजा हुआ था तथा राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें थी । दीवार पर भारत का झंडा

नक्शा था जिसके मध्य गाँधी जी की तस्वीर थी। सभा को सन०सन० राय ने सम्बोधित किया। जिमसखाना क्लब पर भी ध्वजारोहण किया गया।

चौधरी हैदर हुसैन ने गुँगे बहरों स्कूल में झंडा फहराया तथा स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी मि० सन०सो० चतुर्वेदी ने भाषण दिया। छात्रों को मिठाई ^{तय्यार} गयी रात में रोशनी की गयी।

यही नहीं स्वतंत्रता की खुशी में कवि सम्मेलन तथा मुशायरों का भी आयोजन किया गया आयोजनकर्ता रिसेटलमेट संड सम्प्लायमेंट के डाइरेक्टर थे। श्रीताओं में गोविन्द वल्लभ पंत व हफीज मुहम्मद इब्राहीम भी थे।

लखनऊ के जिला जज सन०सो०देसाई ने सेंट्रल बार एसोसियेशन में झंडा फहराया। एसोसियेशन के अध्यक्ष बलराम कृष्ण माधुर ने समारोह को सम्बोधित किया।

सिक्खों ने गुरुद्वारा में स्वतंत्रता की खुशी मनाई। आल इण्डिया टेलीग्राफ यूनीयन ने समारोह द्वारा खुशो मनाई।

मि० जाकिर हुसैन ने शिवा कॉलेज, इंडिस्ट्रियल हाई स्कूल, स्नाथ क्लब, कायस्थ हॉस्पिटल, शेषाबाग जनरल इंजोनिक्स वर्क्स तथा दोस्तगंज वार्ड पर झंडारोहण किया।

केसरबाग बारादरी में लखनऊ के निवासियों द्वारा गोविन्द वल्लभ पंत को भोज दिया गया जिसमें लगभग 600 लोग उपस्थित थे। म्युनिसिपल बोर्ड ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। हफीज मुहम्मद इब्राहीम तथा मिस्तार अहमद शेरवानो सहित 500 लोग उपस्थित हुए।

ईसानगर के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने केसरबाग बारादरी पर झंडारोहण कर कहा कि झंडारोहण करना हमारे लिये गर्वकी बात है। हमारे तथा स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिये आज खुशी का दिन है।¹

इस प्रकार अनेक समारोहों उत्सवों के माध्यम से लखनऊ में स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशियाँ मनाई गयी स्वतंत्रता की खुशी लखनऊ मंडल के अन्य जिलों में भी धूमधाम से मनाई गयी।

उन्नाव में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुलिस में भय्य समारोह हुआ। डिप्टी कमिश्नर श्री रेना ने ध्वजारोहण किया तथा मुख्य मंत्री के संदेश को पढ़ा इसके पश्चात् सभी सरकारी एवं प्राइवेट भवनो पर झंडा फहराया गया तो रोशनी में चमक रही थी। इस अवसर पर गरोबों में कपड़ा तथा मिठाइया बांटी गयी। पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने कपला नेहरू मैमोरियल हाल की आधारशिला रखी। पुरवा, सफीपुर तथा हसनगंज तहसीलो में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया।

रायबरेली में डिप्टी कमिश्नर ने सक्रित भौड़ में ध्वजारोहण किया। पूरा शहर रात में रोशनी से चमकता रहा था, तथा जनसाधारण खुशो में झूम रहा था। शिक्षा मंत्री श्री सम्पूर्णनन्द तथा श्री जी०बी० गुप्ता रायबरेली गये तथा विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। श्री गुप्ता ने स्वतंत्रता पार्क में समारोह की व्यवस्था की।

हरदोई में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुलिस ग्राउंड में डिप्टी कमिश्नर ने झंडा फहराया। सभा मार्च पास्ट की सलामी लो। आर०बी० मोहन लाल ने बार स्पोर्ट्सग्राउंड पर झंडा फहराया। शाम को गांधी मैदान में एक सार्व-जनिक सभा का आयोजन किया। जहाँ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उस दिन के महत्त्व को बताया। रात में पूरे शहर में रोशनी की गयी जिस्से सारा शहर जगमगा रहा था। बालामऊ, सडीला, सोतापुर से भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के समाचार प्राप्त हुए हैं।

1944-47 का काल विचारकर सैधनिक प्रगति का काल था। इस काल की समस्त राजनीतिक घटनाओं का केन्द्र, भारत सरकार तथा विभिन्न दलों की केन्द्रीय शक्तियां थीं। लखनऊ मंडल की अधिकांश जनता के देशविभाजन का विरोध किया। अपनी क्षमता में विश्वास तथा सफलता की अपनी इच्छा को लेकर भारत की जनता ने अपने देश की तस्वीर बदलने तथा न्यायपूर्ण और उत्तम समाज के निर्माण के लिये अपना प्रयास प्रारम्भ किया।

अष्टम अध्याय

सिखावलोकन

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में लखनऊ मंडल का विशेष योगदान रहा है। निर्धनता और बेकारी से पीड़ित होते हुए भी इस क्षेत्र की जनता ने स्वतंत्रता हेतु किये गये सभी प्रयासों में सक्रिय भाग लिया। यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन ने आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक पहलुओं को भी प्रभावित किया।

लखनऊ में अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह को सफलता पूर्वक दबा दिया गया था पर वे उस क्रांति की भावना को समाप्त नहीं कर सके, जो सारे भारत में हो नहीं अपितु लखनऊ में भी शनैः शनैः पर अबाध गति से फैल रही थी। इस क्रांति की भावना से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म संव विकसित हुआ, और तभी से स्वतंत्रता के लिये निरन्तर प्रयत्न, किये जाने लगे, तथा अंग्रेजो शासन की नीतियों के विरोध में राजनैतिक संगठन बनाया गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये की गयी थी जो तभी से स्वतंत्रता के प्रयासों में निरन्तर प्रयत्नशील रही। ऐसा ही एक प्रयास 1916 में लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कांग्रेस का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। और अंत में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में भारत को सफलता प्राप्त हुई।

लखनऊ मंडल के स्वतंत्रता आंदोलन की सर्वप्रथम विशेषता इस क्षेत्र का किसान आंदोलन था यहाँ के जमींदार व ताल्लुकेदार किसानों को अकारण जमीनों से बेदखल कर देते थे, और उनसे नजराना इत्यादि लेते थे। जमींदारों व ताल्लुकेदारों के अत्याचारों से पीड़ित किसानों ने पीड़ित इन्द्रनारायण द्विवेदी, बाबा रामचन्द्र, बाबू किष्मतराय और पीठित गौरीशंकर मिश्र के नेतृत्व में संगठित होकर किसान आंदोलन प्रारम्भ किया। किसान आंदोलन का प्रसार अवध के अनेक जिलों में हुआ, जिसमें लखनऊ मंडल के रायबरेली, सीतापुर, हरदोई मुख्य है। किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों को जमींदारों व ताल्लुकेदारों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। जमींदारों व ताल्लुकेदारों द्वारा किसान आंदोलन के प्रति कठोर नीति अपनाने के कारण अनेक स्थानों पर किसानों द्वारा जमींदारों की सम्पत्ति लूट ली गयी। जवाहरलाल नेहरू तथा मदनमोहन मालवीय ने किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की तथा अनेक किसान सभाओं को सम्बोधित किया। सन् 1919

से 21 तक किसान आंदोलन ने जो उग्र रूप धारण किया था, उसका सबसे बड़ा श्रेय पीडित जवाहरलाल नेहरू को ही था। रायबरेली जिले में कई जगह ऐसी घटनायें घटीं जिनसे प्रशासन को विचलित कर दिया वे हैं — रुस्तमपुर की घटना, चंदनिहा व कौरिया की घटना तथा फुस्ततगंज व मुंशीगंज गोलोकांड। सरकार ने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रही। सरकार ने किसान आंदोलन से उत्पन्न हुई स्थिति की गंभीरता को अनुभव करके शीघ्र ही एक अधिनियम पास किया, जिसके अन्तर्गत किसानों को जमीनों पर आजन्म अधिकार दिया गया। किसानों का ऐसा ही एक आंदोलन सका आंदोलन हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी तथा बहराइच में भी चलता। किसान आंदोलन संयुक्त प्रांत में अपने प्रकार का विलक्षण आंदोलन था। यह प्रथम अवसर था जब किसानों ने जमींदारों की कुच्यवस्था के विरोध में संगठित होकर आंदोलन किया। इस प्रकार भारत के किसी भी विद्रोह अथवा आंदोलन के पीछे जो समूल सांस्कृतिक चेतना होती है वह स्वतंत्रता ही हो सकती है। आधुनिक रायबरेली ने अपनी स्वतंत्रता के लिये पहला युद्ध राजा बेनीमाधव के नेतृत्व में सन् 1857 में लड़ा था और दूसरा किसान वाहिनी के साथ सन् 1921 ई० में। बाबा रामचन्द्र, जानकी-दास, ब्रजपाल सिंह, झनकू सिंह, रामअवतार, सेहगों की बहादुर महिला "कलेक्टर" आदि का वीर्य युगों युगीतिक रायबरेली के जन जीवन को स्वतंत्रता की प्रेरणा देता रहेगा।

इसी समय 10 मार्च, 1920 को गांधी जी ने अपनी एक घोषणा में असहयोग आंदोलन छेड़ने की अपील की। असहयोग के आरम्भ में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने ही अपनी उपाधि केशर-स-हिन्द का परित्याग कर दिया था। प्रसिद्ध मोतीलाल नेहरू पितारंजन दास, बाबू रामेन्द्र प्रसाद, अस्फ अली व राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने अपनी उपाधि तथा कालजल त्याग दी। 7 अगस्त को लखनऊ के अमीनुद्दोला पार्क में एक सभा को सम्बोधित करते हुए गांधी जो ने अहिंसात्मक असहयोग तथा हिन्दू मुस्लिम स्वयं पर बहूत बल दिया। असहयोग, आंदोलन के दौरान लखनऊ मंडल से निम्न व्यक्तियों ने त्यागपत्र दे दिये। जिला लखनऊ से मुहम्मद अहमद हुसैन, उस्मानी, राम विहास, भगवान दीन अग्निहोत्री, युसुफ खान, अली अहमद क़िदवाई, अहमद हुसैन खान, जिला सीतापुर से औलाद अली, कश्म अली, अपताक अहमद, मंगल प्रसाद, अहमद हुसैन खान। जिला हरदोई से लाल बहादुर सिंह, रामसेवक, बनवारी लाल, गनी अहमद, दीन दयाल। जिला खीरी से अहमद खान, अब्दुल गनी आदि अन्य लोगों ने भी अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया।

असहयोग आंदोलन के दौरान सोताराम ने रायबरेली का दौरा किया। लखनऊ मंडल में असहयोग आंदोलन सफल रहा। परन्तु फरवरी, 1922 में चौरीचौरा कांड से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्णतया असफल होने से आतङ्काद में पुनः उग्रता आयी। उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गये। इन क्रांतिकारियों ने अपने कार्य की पूर्ति के लिये धन एकत्र करने के लिये धनी व्यक्तियों को न लूटकर सरकारी कोषों को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त, 1925 को यू०पी० के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर, लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलता पूर्वक लूटा। इस काकोरी कांड के अभियोग में जनता ने सहानुभूति का प्रदर्शन किया। विधान परिषद में भी प्रस्ताव रखे गये। उनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं अंग्रेजी राज्य के यत्न की इच्छा करता हूँ, प्रसन्नतापूर्वक फाँसी पर लटक गये। रोशन लाल पदेमातरम् गाते हुए शहीद हो गये। राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी तथा आम्नाक उल्ला खा को भी फाँसी की सजा दी गयी। इसके अलावा प्रेमकिशन खन्ना को पाँच साल, रामदुलारे द्विवेदी को पाँच साल, राजकुमार सिन्हा को दस साल, सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य को दस साल, शशीन्द्र नाथ बक्शी को बीस साल, मन्मथनाथ गुप्त को चौदह साल, रामनाथ पांडेय को पाँच साल, भूमेन्द्र नाथ सान्याल को बीस साल, योगेशनाथ सान्याल को बीस साल, योगेशचन्द्र चर्जी को बीस साल, मुकुन्दी लाल को 20 साल पिङ्गु सरण दुबिल्ल को दस साल, रामकिशन खत्री को दस साल, प्रणवेश चर्जी को चार साल की सजा दी गयी। इस मुकदमें में पाँच हजार की इकेती के लिये सरकार ने दस लाख रुपये से भी अधिक खर्च कर दिया। काकोरी ट्रेन इकेती वास्तव में अंग्रेजी सरकार के लिये एक चुनौती थी जिसे सरकार घबड़ा उठी।

लखनऊ में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी फैलती जा रही थी। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए। इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला ऐसा ही एक प्रदर्शन लखनऊ में भी हुआ। ब्रिटिश सरकार की धारणा थी कि लखनऊ में बहिष्कार सफल न हो सकेगा परन्तु 26 नवम्बर के अपरिमित युद्ध ने अधिकारो वर्ग की धारणा पर राख डाल दी। 28 नवम्बर को पुलिस ने डंडे और लाठियों का प्रयोग किया और बहुतों को चोटें आयी। परिस्थिति नाशुक देखकर पंडित

जवाहरलाल नेहरू को टेलीफोन द्वारा बुलाया गया। फिर 29 व 30 नवम्बर को बुलस का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू व गोविन्द वल्लभ पंत को हंडों व लाठियों का शिकार होना पड़ा। सरकार के निरंकुश दमन से बहिष्कार को जितनी सहायता मिली उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लखनऊ का जुलूम ही था। पंत जी व पंडित जी को हंडों का शिकार बनाकर सरकार ने बहिष्कार आंदोलन को लोगों की दृष्टि में दूना ऊँचा कर दिया। इस घटना की सभी पत्र-पत्रिकाओं द्वारा निंदा की गयी। लखनऊ में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही से सारा राष्ट्र शोक विह्वल हो उठा, वास्तव में यह घटना भारतीयों के मस्तक पर क्लक की सूचक थी। इससे भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध में वृद्धि हुई। लखीमपुर खीरो, सोतापुर, उन्नाव आदि स्थानों पर बहिष्कार आंदोलन पूर्णतया सकल रहा।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया। लखनऊ मंडल में जगह-जगह नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। रायबरेली में मोजस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध नमक बनाया गया। यही नहीं उन्नाव, सोतापुर और लखीमपुर खीरो भी इसमें पोछे नहीं रहे तथा बहुत से स्वयं सेवकों ने अपनी गिरफ्तारी दी। रायबरेली जिले के सलोन तहसील में हुए सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कमला नेहरू तथा डा० महमूद भी सम्मिलित हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लखनऊ मंडल की जनता को उद्वेलित किया। 5 मई, 1930 को मांधा जी की गिरफ्तारी का लखनऊ मंडल में व्यापक विरोध हुआ। लखीमपुर खीरो, उन्नाव, हरदोई में जुलूस व प्रदर्शन हुए। ऐसा ही एक प्रदर्शन 25 मई, 26 मई को लखनऊ में हुआ जिससे ब्रिटिश सरकार घबड़ा उठी।

भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता के प्रयत्न जारी थे तथा ब्रिटिश सरकार को यह अनुभव हो गया था कि भारतीय अब अपनी स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। भारतीयों की हठधर्मियों को देखते हुए तीसरा गोल्मेब सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि इसमें कांग्रेस के नेताओं ने भाग नहीं लिया। तथापि 1935 का अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम का व्यापक रूप से विरोध किया गया। इस बार विचार विमर्श के लिये लखनऊ में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें अधिनियम की तोड़-आलोचना की गयी तथा इसे मुसामी का बट्टा कहा गया। लखनऊ कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि कांग्रेस के दोनों दलों में फूट नहीं हुई तथा दोनों ने यह निश्चय किया कि सम्मिलित इतिहास के कांग्रेस

के प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाय । यह अधिवेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यक्रमों की स्पष्टता तैयार की गयी । तथा 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली जो जनता में कांग्रेस को नीतियों व कार्यक्रम की लोकीप्रियता की परिचायक थी । जुलाई, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना परन्तु शीघ्र ही राजनीतिक बढियों की रिहाई के प्रश्न पर मतभेद हो जाने से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम था । इस कार्यवाही के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस मंत्रिमंडल को बात मान ली तब फरवरी, 1938 में पुनः कांग्रेस ने कार्यभार ग्रहण किया । इसके पश्चात् द्वितीय विश्व युद्ध में बिना मंत्रिमंडल की परामर्श के भारतीयों को युद्ध में उतार देना, भारतीयों का अपमान था, अतः कांग्रेस मंत्रिमंडल ने दूसरी बार त्यागपत्र दे दिया । इस प्रकार लखनऊ में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने दो बार त्यागपत्र देकर यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें सत्ता की भूख नहीं तथा स्वयंमान के नाम पर बड़ा से बड़ा त्याग कर सकते हैं । कांग्रेस मंत्रिमंडल की इस कार्यवाही ने ब्रिटिश सरकार की आँखें खोल दी ।

1942 में कांग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये गये भारत छोड़ो आंदोलन में लखनऊ में ध्वंसात्मक कार्यवाहियों को इतने व्यापक पैमाने पर किया गया कि इस क्षेत्र में सरकारी प्रशासन निष्क्रिय हो गया । लखनऊ मंडल में सरकार का इतना व्यापक प्रतिरोध जनता द्वारा कभी नहीं किया गया था । बम विस्फोट की घटनाओं अमीनाबाद पुलिस चौकी, कैपिटल सिनेमा के सामने तथा अमजद अली के मकबरे के सामने हुई । क्रांतिकारियों द्वारा और भी कई वारदातें हुई जिनमें रकाबगंज पोस्ट ऑफिस को लूटना, कलकत्ता कामर्शियल बैंक में डकैती, चौक सब्जी मंडी के सराफ की दुकान में डकैती तथा लखनऊ शहर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट आदि घटनाओं से सरकार इस तथ्य से अवगत हो गयी कि अब भारतीयों पर बलपूर्वक शासन करना संभव नहीं है । लखीमपुर खीरी में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक वारदातें हुई । महमूदाबाद के जिल्दार को मोती से मारने के कारण राजनारायण मिश्र को फाँसी की सजा हुई । लखीमपुर में ही ग्राम कुच्छापुर के निवासी द्वारिका प्रसाद विश्वकर्मा ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और जनसभाओं का आयोजन करके जनता को उत्साहित किया । ऐसी ही घटनाएँ रायबरेली, उन्नाव व सीतापुर में भी घटी । इन घटनाओं से सरकार इस तथ्य से अवगत हो गयी कि अब भारतीयों पर बलपूर्वक शासन करना संभव नहीं है तथा इस आंदोलन ने सरकार को पंगु बना दिया ।

लखनऊ मंडल ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम प्रगति पर था। 19 अगस्त, 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी का लखनऊ में विरोध हुआ तथा जुलूस व प्रदर्शनों का आयोजन हुआ।

लखनऊ मंडल में बड़े स्व विचिष्ट नेताओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। किसान आंदोलन से सम्बन्धित बाबा जानकीदास, बाबा राम चन्द्र, कृष्णपाल सिंह, इनकू सिंह, राम अवतार, सेहगों को बहादुर महिला क्लेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। कई क्रांतिकारी जो इस क्षेत्र के रहने वाले थे, ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहीं नहीं राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी अफ़ाक उल्ला खां, रोशनलाल, रामप्रसाद बिस्मिल आदि क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती में शहीद हो गये तथा अनेकों को सजाये हुई। बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ मंडल का दौरा करके जन साधारण में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। जवाहरलाल नेहरू, पीडित मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू, पुस्तोत्तमदास टंडन, गोविन्द वल्लभ पंत आदि नेताओं ने लखनऊ मंडल में अनेक जनसभाओं को सम्बोधित किया।

स्वतंत्रता आंदोलन में लखनऊ मंडल के विद्यार्थियों ने भी सक्रिय भाग लिया। इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के अन्तर्गत छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार किया तथा जनसाधारण द्वारा सरकारी नौकरी का परित्याग किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का भी व्यापक तौर पर विरोध किया गया। इस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मादक द्रव्यों व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने के कार्यक्रम को सफल बनाने का अधिकांश श्रेय विद्यार्थियों को ही है। भारत छोड़ो आंदोलन में कान्ध कुब्ज इन्टर कॉलेज लखनऊ के छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अन्य शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय, पत्रिकाएँ व रेगुलर पत्रिकाएँ के विद्यार्थियों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएसएसटी दिवस को सरकार के विरुद्ध हुए प्रदर्शन में कई छात्र घायल हुए तथा 30 छात्रों सहित तीन छात्रायें भी गिरफ्तार हुईं। एक छात्र टीएसएवीए सेठी मंत्रीर रूप से घायल हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में महिला विद्यालय कॉलेज की छात्राओं ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि न केवल छात्रों का ही अथवा छात्राओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के निमित्त अपना योगदान दिया।

15 अगस्त, 1947 को सम्पूर्ण देश में जूनी बनाई गयी। लखनऊ में मुसावरों का

कौवालियो का प्रोग्राम हुआ, जुलूस निकाले गये राष्ट्रिय स्मारकों पर झंडे फहराये गये तथा मिठाइया बांटी गयी । श्रीमती सरोजनो नायडू ने स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्य पाल के पद को ग्रहण ली ।

लखनऊ मंडल में स्वतंत्रता आंदोलन की उपरोक्त विशेषतायें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस क्षेत्र के विशिष्ट योगदान को स्पष्ट करती है ।

अनुग्रहीणिका ..

हिन्दी पुस्तकें :

सुन्दर लाल रसेल	भारत में अंग्रेजी राज्य, इलाहाबाद, 1938 ढायरी
जवाहर लाल नेहरू	विषय इतिहास को एक झलक, दिल्ली, 1957
डी०सी० गुप्ता	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं वैधानिक विकास
आचार्य नरेन्द्र देव	राष्ट्रीयता और समाजवाद, वाराणसी, 1949
गुरुमुख निहाल सिंह	भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विजय, दिल्ली, 1953
ईश्वरो प्रसाद	अर्वाचीन भारत का इतिहास, इलाहाबाद, 1970
वी०एस० श्रोवर	आधुनिक भारतीय इतिहास
टी०आर० देवगिरिकर	गोपाल कृष्ण गोखले, दिल्ली, 1967
वी०आर० नदा	महात्मा गांधी, दिल्ली, 1969
प० गोपीनाथ दीक्षित	पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और व्याख्यान, प्रयाग
अयोध्या सिंह	भारत का मुक्ति संग्राम, नई दिल्ली, 1977
श्रीराम सिंह	विज्ञान आंदोलन की यज्ञ भूमि
अमरेश	एक जलियावाला
ठाकुर प्रसाद सिंह	स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक
जवाहरलाल नेहरू	मेरी कहानी, आत्मकथा, दिल्ली, 1971
रामनाथ सुमन	उत्तर प्रदेश में गांधी जी सुवना विनाग उग्रप्र खनक, 1969
भगवानदास माहौर	1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव, अजमेर, 1975
मधु लिम्बे	स्वतंत्रता आंदोलन को विचार धारा
ब्रह्मानंद	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उग्रप्र की हिन्दी पत्रकारिता
रामेन्द्र प्रसाद	खंडित भारत

- मन्मथनाथ गुप्ता
आचार्य चतुरसेन
मन्मथनाथ गुप्त
- लीलाधर शर्मा "पर्वतीय"
दुर्गादास
- ताराचन्द्र
- काली किंकर दत्त
- शान्ति प्रसाद वर्मा
बाबू राव जोशी
- अंग्रेजी पुस्तकें .
- बोस, सुभाषचन्द्र
मजूमदार, आरपीसी०
- आजाद, अबुल कलाम
एण्डर्युज, सी०एफ० एवं मुखर्जी
जी०के०
- कीथ, ए०वी०
- कौर, जमा
- घोष, के०के०
घोषास, ए०के०
- राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास , आगरा, 1962
हमारे लाल दिन, दिल्ली, 1949
भारतीय क्रांतिकारों आंदोलन का इतिहास,
दिल्ली, 1960
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, लखनऊ, 1972
भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात्, बम्बई,
1971
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, भाग-1-2
दिल्ली 1965-67
आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, राष्ट्रियता एवं
सामाजिक परिवर्तन, 1966
सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय तिरपन छपड, सुचना एवं
प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली,
1958-1973
स्वाधीनता की चुनौती, इन्दौर
भारतीय नव-जागरण का इतिहास, नई दिल्ली,
1957
- दि इंडियन स्ट्रगल, कलकत्ता, 1964
स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारतीय विद्याभवन, बम्बई
1969
इंडिया विंज फ्रीडम, रिरीप्रिटेड, 1972
दि राइजिंग रंड ग्लोब अलिक काँग्रेस इन इंडिया,
येरठ, 1967
ए कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
इलाहाबाद, 1961
सुल्लिम रंड इंडियन नेशनलिज्म, 1925-40 नई
दिल्ली, 1947
दि इंडियन नेशनल आर्मी, येरठ 1969
डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कांस्टीट्यूशन, कलकत्ता,
1967

चटर्जी, दिलीप कुमार	सो०आर० दास एंड इंडियन नेशनल मूवमेन्ट इन इंडियन पार्लिमेन्ट, 1919-24, दिल्ली, 1978
हुआ, आर०वी०	दि इम्पैक्ट ऑफ़ दि ल्सो जापानिज वार १९०५१ आन इंडियन पार्लिमेन्ट, नई दिल्ली, 1966
टॉक, वी०एम०	नान कोआपरेशन मूवमेन्ट इन इंडियन पार्लिमेन्ट 1919-24, दिल्ली, 1978
देसाई, ए० आर०	सोसल बैक ग्राउंड ऑफ़ इंडियन नेशनलिज्म, बम्बई, 1959
नेहरू, जवाहरलाल	सेन आटोबायोग्राफी
फिलिप्स, सो०एच०	इवाल्फ़ान ऑफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान
फिरोज़, रानी	हाउ इंडिया राट फार फ्रीडम, नई दिल्ली, 1975
मजूमदार, आर०सी०	हिस्ट्री ऑफ़ दी फ्रीडम मूवमेन्ट इन इंडिया, खण्ड 2, 3 कलकत्ता 1975, 1977
मेहरोत्रा, एस०आर०	टुआईस इंडियाज पार्लिमेन्ट एंड फ्रीडम, नई दिल्ली, 1979
रामगोपाल	इंडियन मुस्लिम स्पॉलिटिकल हिस्ट्री, बम्बई, 1964
लाल बहादुर	दि मुस्लिम लीग, इट्स हिस्ट्री शेक्टीविटीज एंड अचीवमेंट्स, आगरा, 1954
सिद्दोकी, एम० एच०	अंग्लो-इंडियन अनरेस्ट इन नार्थ इंडिया, दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज १९१८-२२१ नई दिल्ली, 1978
सोतारमैया, पद्मिनी	दि हिस्ट्री ऑफ़ दि इंडियन नेशनल काँग्रेस, खण्ड-2, बम्बई, 1946
बल्लभ, रजनीशम	इंडिया टुडे, नई दिल्ली, 1977
माधेण्डी, लेफ्टिनेंट	अप अमग द पांडीज
पद्मोपाध्याय, हस्ताद	दि सिपाय म्यूटिनी
बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ	ए नेशन इन बॉम्बे
घोष, पी०सी०	इंडियन नेशनल काँग्रेस
अह्यर, सो०वी० रामास्वामी	सेनीबेन्नेन्ट
कौर, मनमोहन	रोल ऑफ़ यूरोप इन द फ्रीडम स्ट्रगल

रघुवर्षी, वी०पी०एस
शिरोल, सर पैलेंटाइन
सन्डूज सी०एस०
बमफोर्ड, पी०सी०

मेनन, वी०पी०
सुन्दर श्याम, संड श्याम सावित्री
आजाद, अबुल क्लाम
मजूमदार, आर०सी०
प्रसाद, अम्बा
चिंतामणि, सी०वाई०
केन्सलर स्त०एस०
फिस्तर
चट्टोपाध्याय, हर प्रसाद

इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड धाट
इंडिया 1926
दि मिनिंग ऑफ नॉन कोआपरेशन
हिस्ट्री ऑफ दी नान क्वापरेशन संड खिलाफत
मूवमेंट्स
ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया
पोलिटिक्स, लाइफ ऑफ पंडित जी०बी० पत
इंडिया विस्त फ्रीडम
हिस्ट्री ऑफ दो फ्रीडम मूवमेंट
दि इंडियन रिपोल्ट ऑफ 1942
इंडियन पोलिटिक्स सिन्स म्यूटिनी
इंडिया स्ट्रगल फार फ्रीडम
महात्मा गांधी
दि सिपाय म्यूटिनो

दैनिक समाचार पत्र :

आज, काशी 1920-47
वर्तमान, कानपुर 1930
सत्याग्रह समाचार, संपादक केजनाथ क्यूर, प्रयाग 1930-31
दि वायनिबर, 1920-47
दि लोहर, 1920 -47
इंडिपेंडेंट, इलाहाबाद

साप्ताहिक समाचार पत्र :

अनुदय, साप्ताहिक संव दैनिक, प्रयाग, 1931, 1939, 1946, 1947
आज, काशी, 1938-47
यंग इंडिया, 1920-32
देशदूत, प्रयाग, 1938-47
हरिजन, 1933-40, 1942, 1946, 1947

प्रताप, कानपुर, 1919-22, 1925, 1935-37, 1945-47
 स्वदेश, गोरखपुर, 1919-33
 समय, जौनपुर, 1927-47
 सत्तार, काशी, 1943-47
 सूत्रधार, सीतापुर, 1940

प्राक्षिक पत्र :

अमृत, लखनऊ, 1940-47

मासिक :

कर्मयोगी, प्रयाग, 1939-40
 दि मार्टिन रिव्यू, 1921-47
 विप्लव, लखनऊ, 1938-39
 विप्लवो ट्रैक्ट, लखनऊ, 1941
 सुधा, लखनऊ, 1927-39
 सघर्ष, लखनऊ, 1938

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ

राजनैतिक विभाग, फाइल नं० 10-3/1942;
 होम पुलिस विभाग, फाइल नं० 730/1922 वाक्स नं० 48
 जी०एस०डी० विभाग, फाइल नं० 566/1928 वाक्स नं० 503
 पुलिस विभाग, फाइल नं० 1811/1932 वाक्स नं० 84
 जी०एस०डी० विभाग, फाइल नं० 241/1930 वाक्स नं० 515
 जी०एस०डी० विभाग, फाइल नं० 140/1917 वाक्स नं० 122
 जी०एस०डी० विभाग, फाइल नं० 50/1921 वाक्स नं० 134
 जी०एस०डी० विभाग, फाइल नं० 1895/1920 वाक्स नं० 374
 पुलिस विभाग, फाइल नं० 15/8/1920 वाक्स नं० 58
 शिक्षा विभाग, फाइल नं० 854/1942 वाक्स नं० 247
 जी०एस०डी० विभाग, फाइल नं० 1019/1940 वाक्स नं० 81

जी०ए०डी० विभाग, फाइल न० 50-2/1921 वाक्स न० 136
पुलिस विभाग, फाइल नं० 16/15/1920 वाक्स न० 58ए
